


**SOCIO – ECONOMIC DATA AS DEPICTED IN
THE PRABANDHACHINTAMANI
(IN HINDI)**



A THESIS
SUBMITTED FOR THE DEGREE OF
DOCTOR OF PHILOSOPHY
OF THE
UNIVERSITY OF ALLAHABAD

BY
Smt. Renu Srivastava

Under the supervision of
Sri O.P. Srivastava

DEPARTMENT OF ANCIENT
HISTORY, CULTURE AND ARCHAEOLOGY,
UNIVERSITY OF ALLAHABAD
ALLAHABAD
1998

विषय-अनुक्रमणिका

	पृष्ठ सख्या
(1) प्रस्तावना	I - VI
(2) सकेत-सूची	VII
प्रथम अध्याय	
इतिहास- लेखन, स्रोत एव शोध-पद्धति	1 - 12
द्वितीय अध्याय	
वर्ण, जाति एव परिवार	13 - 60
तृतीय अध्याय	
वेश-भूषा, आभूषण, सौंदर्य-प्रसाधन तथा खान-पान	61 - 86
चतुर्थ अध्याय	
कृषि	87 - 114
पञ्चम अध्याय	
व्यापार एव वाणिज्य	115 - 155
षष्ठ अध्याय	
उद्योग, शिल्प एव शिल्पी	156 - 167
सप्तम अध्याय	
कराधान	168 - 184
अष्टम अध्याय	
धार्मिक जीवन	185 - 199
उपसंहार	
सन्दर्भिका	

प्रस्तावना

सोशियो-इकोनोमिक डाटा ऐज डिपिक्टेड इन प्रबन्धचिन्तामणि नामक शीर्षक विभाग द्वारा शोध हेतु निर्धारित किया गया। इस शोध कार्य के दौरान हम इस नतीजे पर पहुँचे कि उक्त ग्रन्थ में एक सम्यक शोध-लेखन हेतु पर्याप्त शोध सामग्री उपलब्ध नहीं होती। अतः अपने शोध निर्देशक श्री ओ० पी० श्रीवास्तव जी के परामर्श अनुसार इस शोध-आघृत ग्रन्थ को प्रमुख आधार बनाते हुए समकालिक अन्य प्रबन्ध साहित्य यथा **प्रबन्धकोश**, **पुरातन प्रबन्ध-संग्रह**, **विविधतीर्थकल्प** इत्यादि में उपलब्ध सामग्री के आधार पर उक्त **शोध-कार्य** को सवर्द्धित एवं परिवर्धित करने का प्रयास किया गया है। आचार्य हेमचन्द्र कृत **द्वयाश्रयकाव्य**, जिनमण्डन कृत **कुमारपाल चरित** तथा जिनविजयमुनि द्वारा रचित **सुकृतकीर्तिकल्लोलिनी** इत्यादि ग्रन्थों का भी सम्यक अनुशीलन किया है।

प्रबन्धसाहित्य के अन्तर्गत ही '**प्रबन्धचिन्तामणि**' की रचना की गयी है। चरित और कथा साहित्य से सम्बद्ध गुजरात और मालवा के क्षेत्र में जैन प्रतिभा ने एक विशिष्ट प्रकार के साहित्य का निर्माण किया जो प्रबन्ध साहित्य कहलाया। यह प्रबन्ध काव्यों से भिन्न है। प्रबन्ध एक प्रकार का ऐतिहासिक या अर्ध-ऐतिहासिक कथानक है जो सरल संस्कृत गद्य और कभी-कभी पद्य में भी लिखा गया है। इन प्रबन्धों में ऐतिहासिक महत्व के राजा महाराजा, सेठ और जैन मुनियों के सम्बन्ध में प्रचलित कथा-कहानियों का संग्रह मिलता है।

प्रबन्ध साहित्य के अन्तर्गत जिन ग्रन्थों की रचना हुई उनमें प्रबन्धावलि, **प्रभावक चरित**, **प्रबन्धचिन्तामणि**, **विविधतीर्थकल्प**, **प्रबन्धकोश**, **पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह** आदि हैं। **प्रबन्धचिन्तामणि** प्रबन्ध साहित्य का तीसरा ग्रन्थ है। सम्पूर्ण ग्रन्थ प्रकाश में विभाजित है। सभी प्रकाशों में कुल मिलाकर 11 प्रबन्ध हैं, जिनमें छ तो प्रथम प्रकाश में और दो चतुर्थ प्रकाश में तथा शेष में एक-एक प्रबन्ध हैं। ये प्रबन्ध भी सामान्यता लघु प्रबन्धों के संग्रह रूप में हैं। प्रथम प्रकाश के प्रथम तीन प्रबन्धों में विक्रमादित्य सातवाहन और भूयराज (प्रतीहार भोज) की प्रसंग कथाएँ दी हैं। चतुर्थ प्रबन्ध वनराजदि प्रबन्ध कहलाता है। जिसमें चापोत्कट (चावड) वंश का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया गया है। मूलराजादि प्रबन्ध नामक पाचवे प्रबन्ध से चौलुक्यों का इतिहास प्रारंभ होता है। और दुर्लभराज के राज्य तक जाता है। अर्थात् इसमें मूलराज के तत्काल तीन उत्तराधिकारियों के नाम और तिथियों के अतिरिक्त उनके विषय में अल्प ही कहा गया है। छठे मुञ्जराज प्रबन्ध में परमनृप वाक्पति मुञ्ज विषयक प्रसंग कथाएँ दी गयी हैं।

द्वितीय प्रकाश भोज भिन प्रबन्ध कहलाता है। जिसमें भीम और (परमार) भोज वंश के आपसी सम्बन्ध

विवृत है जिसमें सेनाअध्यक्ष कुलचन्द्र दिगम्बर, माघ पण्डित धनपाल, शीतापण्डित, मयूर-बाण मानतुङ्ग प्रबन्ध तथा अन्य प्रबन्ध भी हैं। तीसरा प्रकाश सिद्धराज आदि प्रबन्ध कहलाता है। इसमें चौलुक्य भीम के अंतिम दिनों तथा -कर्ण के शासन सम्बन्धी इतिहास कुछ पृष्ठों में वर्णन कर अधिकांश में सिद्धराज के राज्य की घटनाओं का वर्णन है। इसमें सम्मिलित कुछ लघु प्रबन्धों के नाम इस प्रकार हैं—लीला वैद्य, सान्तूमन्त्री, मयणल्लदेवी, मालवविजय सिद्धहेम, रुद्रमाल, सहस्रलिगताल, नवघणयुद्ध, रैवतकोट्टार शत्रुञ्जय यात्रा, देवसूरि, तथा पापघाट आदि। चतुर्थ विकास में दो विशाल प्रबन्ध हैं। पहले में कुमारपाल के राज्य का वर्णन है। इसमें उसके जन्म माता-पिता पूर्व जन्म, राज्य प्राप्ति और जैन धर्म स्वीकारण आदि का विस्तार से वर्णन है। इसी में आचार्य हेमचन्द्र और कुमारपाल सम्बन्धी कई कथाएँ भी हैं। अन्त में अजयदेव (अजयपाल) के कुकृत्यों का तथा मूलराज द्वितीय एव भीम द्वितीय के राज्यों का वर्णन तथा वीरधवल की राज्य पदप्राप्ति भी वर्णित है। इसी प्रकाश के दूसरे प्रबन्ध वस्तुपाल-तेजपाल प्रबन्ध में दोनों भ्राताओं के कार्य कलापो का वर्णन है। पञ्चम प्रकाश प्रकीर्णक प्रबन्ध कहलाता है जिसमें ऐतिहासिक राजाओं से सम्बन्धित घटनाओं के साथ-साथ कतिपय नगरों एव नगरजीवन से प्रसंगित कथाएँ मिलती हैं।

इस ग्रन्थ में अधिकांश रोचक कथाएँ हैं। इन कथाओं का मूल सदिग्ध है और अनेक तो काल्पनिक हैं। इस ग्रन्थ में कुछ बड़े महत्व के ऐतिहासिक उपाख्यान भी हैं जिन्हें हम वि० स० 940-1250 तक का गुजरात का सामान्य इतिहास मान सकते हैं। कर्नल ए० के० फोर्ब्स ने अपने 'रासमाला' नामक गुजरात के इतिहास के प्रथम बड़े भाग का मुख्य आधार इसी ग्रन्थ को बनाया था। बाम्बे गजेटियर के प्रथम भाग में जो अणहिलपुर का इतिहास दिया गया है उसका मुख्य आधार प्रबन्धचिन्तामणि ही है। गुजरात के इतिहास के लिए प्रबन्धचिन्तामणि जिस सामग्री की पूर्ति करता है वैसी सामग्री दूसरे ग्रन्थ में नहीं मिलती। अणहिलपुर के सम्बन्ध में जो बातें इसमें दी गयी हैं, प्रायः वे सभी विश्वसनीय हैं। इसमें अणहिलपुर के राजाओं का जो राज्यकाल बताया गया है वह अन्य ऐतिहासिक एव पुरातत्वीय सामग्री से समर्थित प्रतीत होता है। लगभग पाँच दशकों से सामाजिक एव सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत से विद्वानों यथा आर एस्० शर्मा, डी०सी० सरकार ए० एन० बोस इत्यादि विद्वानों की बहुशः कृतियों प्रकाश में आयी हैं परन्तु सामाजार्थिक स्थिति पर प्रकाश डालने वाले ग्रन्थ उपलब्ध होना कठिन प्रतीत होता है, अतः इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ लिखने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन आठ अध्यायों में विभक्त है- प्रथम अध्याय के अन्तर्गत प्रबन्धचिन्तामणि की विषय वस्तु इस क्षेत्र में किए गए अन्य शोध-कार्यों इत्यादि का संक्षिप्त परिचय है। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति तथा प्रस्तुत

शोध आधार ग्रंथ की ऐतिहासिकता पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें आए विभिन्न कथानकों की पुष्टि हेतु समसामयिक मूलग्रन्थों एवं सहायक-ग्रन्थों के साथ ही विदेशी यात्रियों के विवरणों एवं अभिलेखों को भी देखा गया तथा उनका यथास्थान समुचित प्रयोग किया गया है।

द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत वर्ण जाति परिवार एवं विवाह, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति दासों की स्थिति इत्यादि तथ्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। जिससे तत्कालीन सामाजिक स्थिति का सञ्ज्ञान होता है।

तृतीय अध्याय में वेश-भूषा उसके प्रकार एवं उनको धारण करने की प्रथा आभूषणों के अनेक प्रकार एवं उनको पहनने का विवरण तथा इसी प्रकार सौंदर्य एवं प्रसाधन हेतु प्रयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं का उल्लेख प्राप्त होता है। उस काल में जन सामान्य एवं राजघरानों में प्रयुक्त खान-पान की विभिन्न व्यवस्थाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है।

चतुर्थ अध्याय में कृषि एवं कृषि प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है, जिसके अन्तर्गत भूमि के स्वामित्व, भूमि के प्रकार भूमि की माप विभिन्न फसलें, सिंचाई के साधनों कृषि-उपकरणों, खाद, अकाल, कृषि कर्मकर बेगार इत्यादि तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है।

पंचम अध्याय व्यापार एवं वाणिज्य का है। इस काल में व्यापार उन्नत अवस्था में था, जिसकी पुष्टि विभिन्न साक्ष्यों से होती है। व्यापार के अंतर्गत आन्तरिक व्यापार एवं विदेशी व्यापार, बाजार, यातायात के साधन सड़कें, समुद्री यात्रा, पत्तन (कैम्बे, भड़ौच इत्यादि) तथा इन स्थानों से आयात एवं निर्यात की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों की चर्चा हुई है। षष्ठ अध्याय में उसकाल में गुजरात काठियावाड़ क्षेत्र में प्रचलित अनेक उद्योग एवं शिल्प तथा शिल्पकारों का वर्णन प्राप्त होता है। जिसमें वस्त्र उद्योग इसके अन्तर्गत वेशकार, सूचिक, तुन्नवाय इत्यादि धातु उद्योग में कुम्भकार, लौहकार, इत्यादि सुगंधित पदार्थों का उद्योग, पाषाण एवं काष्ठ उद्योग में कार्य करने वाले शिल्पियों में मूर्तिकार, मिस्त्री, वर्धकी, शिलाकूट इत्यादि की चर्चा हुई है।

सप्तम अध्याय में कराधान का विवरण है। जिसमें अन्तर्गत भूमि राजस्व-भाग, भोग, हिरण्य, कर इत्यादि कृषि कर, व्यापार वाणिज्य पर लगने वाले कर शुल्क, मंडपिकाएँ वेलाकुलकरण इत्यादि आते हैं।

अष्टम अध्याय धर्म एवं स्थापत्य का है। जिसमें जैन धर्म एवं स्थापत्य, ब्राह्मण धर्म एवं स्थापत्य तीर्थों का सामाजार्थिक महत्व एवं व्रतों का वर्णन हुआ है। उपसहार में सक्षिप्त विवरण प्राप्त होता है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध परम श्रद्धेय गुरुवर श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव रीडर, प्राचीन इतिहास, सस्कृति एवं

पुरातत्व विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद के अत्यन्त कुशल एव विद्वत्तापूर्ण निर्देशन में लिखा गया है। इस विषय के प्रति आकर्षण पैदा करने से लेकर शोध-कार्य को परिणति देने तक उन्होंने जितनी अधिक मेरी सहायता की है और जितनी अधिक प्रेरणा दी है उसे शब्दों में व्यक्त करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। उनका स्नेह और विश्वास मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। उनके प्रति किसी भी तरह की कृतज्ञता व्यक्त कर उन्मृण होने की मेरी इच्छा नहीं है। बस इतना ही कहूँगी कि यदि अपने जीवन में कभी कुछ सार्थक कर पायी तो वह उन्हीं का आशीर्वाद होगा।

आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर डॉ० वी० डी० मिश्र, विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास, संस्कृति एव पुरातत्व विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उनकी शिष्या होने का गौरव मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनकी सदाशयता और अतीव कृपा हम पर हमेशा से बनी रही। मेरी कठिनाइयों को दूर करने में उन्होंने जो सहायता प्रदान की उसके लिए मैं उनकी अत्यन्त आभारी हूँ। मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा व्यक्त करती हूँ।

गुरुणांगुरु परम आदरणीय प्रोफेसर बी० एन० एस० यादव जी के विद्वत्तापूर्ण आशीर्वाद एव सुझावों के अभाव में सामाजार्थिक इतिहास से सम्बन्धित विषय में कोई गति संभव नहीं है अपनी विषयगत कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनसे अक्सर सहायता प्राप्त करती थी, इसके लिए मैं उनकी अत्यन्त ऋणी हूँ।

प्रोफेसर डॉ० एस० सी० भट्टाचार्य, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय, के अनुग्रह एव आशीर्वाद के लिए उनके प्रति मैं अपन हार्दिक श्रद्धा ज्ञापित करती हूँ।

आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर ओम प्रकाश की मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ, जिनकी सहायता एव स्नेह के अभाव में इस शोध कार्य में बहुत असुविधा होती। उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।

प्राचीन इतिहास, संस्कृति एव पुरातत्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गुरुजनवृन्द डॉ० श्री आर० के० द्विवेदी, डॉ० गीता सिंह, डॉ० श्री आर० पी० त्रिपाठी, डॉ० जे० एन० पाण्डेय, डॉ० जे० एन० पाल, डॉ० एच० एन० दुबे डॉ० श्रीमती रजना बाजपेयी डॉ० उमेश चन्द्र चट्टोपाध्याय डॉ० (श्रीमती) वनमाला मधोलकर जी की सहायता मुझे समय-समय पर मिलती रही अतः उन सभी को धन्यवाद देना मेरा पावन कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त विभाग के अन्य शिक्षकों सर्वश्री डॉ० ए० पी० ओझा, डॉ० पुष्पा तिवारी, डॉ० अनामिका राय डॉ० हर्ष कुमार, इत्यादि की मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने सदैव मेरा उत्साहवर्धन किया।

उन सभी विद्वानों एवं इतिहासकारों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा पवित्र धर्म है जिनकी कृतियों एवं शोध ग्रंथों से किसी न किसी तरह शोध कार्य में हमें सहायता मिली है। इनके साथ ही मैं प्राचीन विभाग के पुस्तकालय अध्यक्ष श्री सतीश राय जी के प्रति भी आभारी हूँ जिन्होंने आवश्यकतानुसार मुझे सभी पुस्तकों के उपलब्ध कराने का कष्ट किया।

प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय गगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ इलाहाबाद संग्रहालय इत्यादि के पुस्तकालयों के अध्यक्षों ने लेखन कार्य में पुस्तकीय सहायता प्रदान किया। अतः उन सभी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ। मैं आई० सी० एच० आर० का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिससे मुझे शोध कार्य हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।

मेरे पति श्री सजीव कुमार श्रीवास्तव के सहयोग एवं प्रेरणा की मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे पूज्य पितरौ श्री बलवन्त सिंह एवं माता श्रीमती प्रेमवती तथा श्वासुर्यो पूज्य श्री ए० एन० सिन्हा एवं श्रीमती सत्यवती सिन्हा की मैं विशेष रूप से ऋणी हूँ जिन्होंने गृह के दायित्वों को कम करके हर कदम पर मेरी सहायता की है। मैं आदरणीय गुरु पत्नी के आशीर्ष एवं उनके पुत्र पुत्रियों जिनके भ्रातृ-वत् एवं भगिनीवत् सम्मान एवं सहयोग से यह कार्य सम्पन्न हो सका। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ।

मैं अपने ज्येष्ठ जेठानी, देवर-ननद, भाई भावजो एवं बहन-बहनोईयों के प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने वक्त-बेवक्त कष्ट उठाकर मेरे शोध कार्य एवं लेखन-कार्य में सहायता पहुँचायी।

नवम्बर, 1998

(रेनू श्रीवास्तव)

संकेत-सूची

अभिधानचि०	अभिधानचिन्तामणि
आर० एल० ए० आर० बी० पी०	रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ एन्टीक्वेरियन रिमेन्स ऑफ द बाम्बे प्रेसीडेसी
इलि० डॉ०	इलियट एण्ड डाउसन
इडि० एन्टी	इण्डियन एन्टीक्यूरी
इ० ला० ना० ई०	इकोनोमिक लाईफ ऑफ नार्दर्न इण्डिया
ए० एस० डब्ल्यू० आई०	आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इण्डिया
एपि० इडि०	एपिग्राफिया इण्डिका
एच० डी०	हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र
कथासरित०	कथासरित्सागर
चौ० गु०	चौलुक्य ऑफ गुजरात
जे० बी० बी० आर० ए० एस०	जर्नल बाम्बे ब्रान्च ऑफ रॉयल एसियाटिक सोसाइटी
जे० एन० एस० आई०	जर्नल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया
जे० ग० जे०	जर्नल ऑफ गङ्गानाथ झा
डॉ० हि० ना० इ०	डाइरेक्टरी हिस्ट्री ऑफ नार्दर्न इण्डिया
तिलक०	तिलक मञ्जरी
त्रि० श० पु० च०	त्रिषाष्ठिशलाका पुरुष चरित
देशीनाम०	देशीनाममाला
द्वयाश्रय०	द्वयाश्रयकाव्य
ध० इ०	धर्म शास्त्र का इतिहास
नारद०	नारद स्मृति
निशीचर	निशीथचूर्णि
पद्म पु०	पद्म पुराण

प्रो० इ० हि० का०	प्रोसीडिंग्स ऑफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस
पा० टि०	पाद टिप्पणी
पी० आर० ए० एस० डब्ल्यू० सी०	प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न सर्किल
पु० प्र० रा०	पुरातन प्रबन्ध संग्रह
प्रबन्धचि०	प्रबन्धचिन्तामणि
वृहस्पति०	वृहस्पति स्मृति
मनु०	मनु० स्मृति
महा०	महा पुराण
एम० ए० एस० आई०	मेम्बार्स ऑव आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया
श्रुक्ति०	श्रुक्ति कल्पतरु
याज्ञ० स्मृ-	याज्ञवल्क्य स्मृति
राजत०	राजतरंगिणी
ले० प०	लेखपद्धति
वस्तुपाल०	वस्तुपाल चरित
विष्णु०	विष्णु स्मृति
वृ० पु०	वृहन्नारदीय पुराण
समरागण	समरागणसूत्रधार
रो० क० ना० इ०	रोसाइटी एण्ड कल्चर इन नार्दन इण्डिया
सुकृत .	सुकृतकीर्ति कल्लोलिनी
स्मृति .	स्मृति चन्द्रिका
समरिद्धि०	समरिद्धिकहा
सी० पी० एस० आई०	कलेक्शन ऑफ प्राकृत एण्ड सस्कृत इसक्रिप्शन्स
सी० आई० आई०	कार्पस इसक्रिप्शंस इण्डिकेरम
हलायुध०	हलायुधकोष
हर्ष च०	हर्ष चरित

प्रथम अध्याय

इतिहास-लेखन, स्रोत एवं शोध-पद्धति

इतिहास-लेखन, स्रोत एवं शोध-पद्धति

‘प्रबन्धचिन्तामणि’ प्रबन्ध काव्यो मे से एक है । इन प्रबन्धो मे ऐतिहासिक महत्व के राजा, महाराजा सेठ और जैन मुनियो के सम्बन्ध मे प्रचलित कथा-कहानियो का सग्रह मिलता है। प्रबन्ध साहित्य के अन्तर्गत जिन अन्य प्रबन्धो की रचना हुई वे प्रबन्धकोश, पुरातन-प्रबन्ध-सग्रह, विविधतीर्थकल्प इत्यादि है।

अधीतकालीन जैन साहित्य पर बहुत से शोध ग्रन्थो की रचना हो चुकी है इनमे कतिपय उल्लेखनीय कृतियों इस प्रकार है—नाथूराम प्रेमी कृत जैनसाहित्य और इतिहास, (1957) एम- डी० देसाई कृत जैनसाहित्यनो सक्षिप्त इतिहास-1933, एच० एल० जैन एव पण्डित विर्जयमूर्ति कृत जैनशिलालेख सग्रह 1928, पी० बी० दसाई कृत जैनिस्म इन साउथ इण्डिया एण्ड समजैन एपीग्राफ्स 1957, मुनि श्री नागराजी कृत जैन फिलासफी एण्ड मार्लन साइस 1959, जे० जी० जैन कृत लाईफ इन एशयेट इण्डिया 1974, एम० एल० मेहता कृत आउट लाइन्स ऑफ फिलासफी 1954, जे० जी० जैन कृत लाईफ इन एशयट इण्डिया ऐज डिपिकटेड इन जैन कैन्न्स 1947 तथा प्राकृतसाहित्य का इतिहास 1961 तथा प्राकृत जैन तथा साहित्य 1970 पुस्तके है। इनके अतिरिक्त एच-एल० जैन कृत प्राचीन भारतीय सस्कृति मे जैन धर्म का योगदान 1963 ज्योतिप्रसाद जैन कृत द जैन सोर्सेज आफ दि हिस्ट्री ऑफ ऐश्येण्ट इण्डिया 1964, के० सी० जैन कृत जैनिस्म इन राजस्थान 1963 इत्यादि पुस्तको मे आलोच्यकालीन पश्चिमी भारत के सामाजिक आर्थिक इतिहास पर भी प्रकाश पडता है। इसी प्रकार एकल ग्रन्थ आधृत बहुश शोध ग्रन्थ की रचना हुई है। के० आर० चन्द्र द्वारा पउमचरिउ एक सास्कृतिक अध्ययन (1970) पी० एस० जैन कृत कुवलयमाला कथा एक सास्कृतिक अध्ययन 1974, श्री० चन्द्र जैन कृत जैन कथाओं का सास्कृतिक अध्ययन 1971, जे० यादव कृत समशिक्षणकथा एक सास्कृतिक अध्ययन 1977 मे प्रकाशित ग्रन्थ है। इनके अतिरिक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग मे जैन साहित्य पर बनमाला, मद्दालकर कृत सोशियो इकोनोमिक स्टडी ऑफ दि अली जैन कथा लिट्रेचर (1984ई०) तथा देवी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित जैन पुराणो का सास्कृतिक अध्ययन सन् (1988 ई०) कृतियों है। जैन साहित्य पर लिखे गये महत्वपूर्ण ग्रन्थो के होने के बावजूद प्रबन्ध साहित्य से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक इतिहास बोध कराने वाले ग्रन्थो के अभाव मे प्रबन्धचिन्तामणि मे वर्णित सामाजिक, आर्थिक स्थिति को शोध का विषय बनाया है।

ईस्वी सन् की पौचवी शताब्दी तक जैन आगम साहित्य का सकलन और सशोधन होता रहा तत्पश्चात् इन ग्रन्थो की अन्य विधाए अग उपाग, प्रकीर्ण छेद, सूत्र निर्युक्ति भाष्य चूर्णी तथा टीकाएँ लिखकर इसे समृद्ध बनाया गया ।¹कथा और चरित साहित्य से सम्बद्ध गुजरात और मालवा के क्षेत्रो मे जैन प्रतिभाओ, दिगम्बर तथा

श्वेताम्बर एव महापुरुषो की प्रशंसा विवृत है। इन्ही को लेकर बारहवीं तेरहवीं शताब्दी में एक विशिष्ट प्रकार के साहित्य की सर्जना हुई जो "प्रबन्ध" साहित्य के नाम से ख्यात हुआ।¹

"प्रबन्ध" एक प्रकार का अर्ध-ऐतिहासिक ग्रन्थ है जो सरल चम्पू शैली (गद्य-पद्य मिश्रित) में प्रणीत है। इनमें जिनभद्र द्वारा रचित **प्रबन्धावली** (तिथि अनिश्चित)

प्रभाचन्द्रसूरि द्वारा रचित 'प्रभावकचरित' (1277 ईस्वी)

जिन प्रभु सूरि द्वारा रचित विविधतीर्थकल्प (1333 ईस्वी०)

राजशेखर सूरि द्वारा रचित प्रबन्धकोश (1349 ईस्वी)

तथा जिनविजय मुनि कृत पुरातन प्रबन्ध सग्रह (तेरहवीं से पन्द्रहवीं ई०) इत्यादि उल्लेखनीय हैं।² मेरुतुङ्ग आचार्य की प्रबन्धचिन्तामणि, इन्हीं में से एक है। इन प्रबन्ध-ग्रन्थों के अनुकरण में प्राकृत में भी ऐतिहासिक प्रबन्धों की रचना हुई। इनमें बप्पभट्टि प्रबन्ध मल्लवादि प्रबन्ध सिद्धसेन प्रबन्ध आदि मुख्य ग्रन्थ हैं।³

प्रबन्धकोश के रचयिता राजशेखर सूरि ने चरित और प्रबन्ध का अन्तर बताते हुए लिखा है—

"श्री ऋषभवर्धमान पर्यन्तजिनानां चक्रयादीनां राज्ञां ऋषीणामाचार्य रक्षितान्तानां वृत्तानि चरितानि उच्यन्त। तत्पश्चात्कलभाविना तु नराणां वृत्तानि प्रबधाइति।"

अर्थात् ऋषभदेव से लेकर वर्धमान महावीर काल तक के जिनों तथा चक्रवर्ती राजाओं, ऋषियों तथा आचार्यों के वृत्तों के वर्णन को 'चरित' कहा जाता है तथा वर्धमान महावीर के उत्तरवर्ती महापुरुषों के वृत्त को प्रबन्ध माना है।⁴ लेकिन उनका यह कथन नितान्त वैयक्तिक प्रतीत होता है जो सत्य नहीं है। क्योंकि उनके इस वर्गीकरण को एतत्कालीन साहित्य में नहीं अपनाया गया है। उदाहरणार्थ कुमारपाल, वस्तुपाल जगदुचरित आदि को चरित और प्रबन्ध दोनों कहा गया है। जर्मन विद्वान जॉर्ज व्यूहलर के शब्दों में 'प्रबन्ध' लिखे जाने का उद्देश्य धर्म-श्रवण के लिए एकत्र हुए समाज को धर्मोपदेश देना और जैन धर्म के सामर्थ्य और महत्त्व को प्रकट करने के लिए साधुओं द्वारा दृष्टान्त रूप चरित सामग्री प्रस्तुत करना और लौकिक विषय को लेकर श्रोताओं का चित्त चित्तविनोद करना था।⁵

1 जगदीश चन्द्र जैन, प्राकृत साहित्य का इतिहास पृ० 2

2 गुलाब चन्द्र चौधरी, जैन साहित्य का वृहद् इतिहास पृ० 418

3 जगदीश चन्द्र जैन, वही पृ० 255

4 गुलाब चन्द्र चौधरी, जैन साहित्य का वृहद् इतिहास पृ० 418

5 वही पृ० 418

प्रबन्धचिन्तामणि के प्रणेता जैन आचार्य मेरुतुङ्ग ने इस ग्रन्थ का लेखन विक्रम सवत् 1361 (1304 ईस्वी) में वर्धमानपुर में वैशाख के शुक्लपक्ष अष्टमी को समाप्त किया इसका प्रथम प्रकाशन 1884 ई० में रामचन्द्र दीनानाथ शास्त्री द्वारा किया गया तथा अग्रेजी अनुवाद सी० एच० टॉनी ने 1901 ई० में किया।¹

मेरुतुङ्ग की एक अन्य कृति थेरवली (तेरहवी चौदहवी श०) है। इसमें पट्टधर आचार्यों की परम्परा के साथ कुछ प्राचीन नरेशों की परम्परागत तिथियों सहित सूची दी गयी है जो इतिहास लेखन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आचार्य कालक जिनभद्र एवं हरिभद्र का भी वर्णन किया गया है। इसमें गुजरात के अनेक राजाओं के राज्यकाल की सूचना भी मिलती है।²

प्रबन्धचिन्तामणि के अन्तर्गत जो चरित्र आए हैं, उन पर अलग से अनेक ग्रन्थों की सर्जना हुई है। जैसे **कुमारपाल चरित**, **वस्तुपालचरित**, **कुमारपालप्रतिबोध** इत्यादि शोध आधार ग्रन्थ में गुजरात के चौलुक्य (सोलकी) शासकों का कृतित्व विवृत है। अन्य प्रबन्ध ग्रन्थों यथा **प्रबन्धकोश** तथा **पुरातन प्रबन्ध संग्रह** के द्वारा भी तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। चौलुक्य नरेशों के अभिलेख भी प्राप्त होते हैं जो तत्कालीन इतिहास का स्वरूप निरूपित करने में सहायक हैं।

शोध आधार- ग्रन्थ **प्रबन्धचिन्तामणि** का इतिहास लेखन में उपादेयता एवं उपयोगिता हेतु यह भी विचारणीय तथ्य है कि यह बारहवी-तेरहवी शताब्दी का काल हिन्दू राजपूतों के पतन का एवं मुस्लिम सल्तनत के उदय का काल था। इस समय तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे और मुस्लिम परम्पराओं के प्रभाव की अभिवृद्धि हो रही थी। हिन्दू समाज एवं संस्कृति पर मुस्लिम प्रभाव बढ़ने लगे थे। प्रस्तुत ग्रन्थ में भी सुल्तान महमूद, कुतुबउद्दीन तथा अलाउद्दीन से सम्बन्धित सक्षिप्त विवरण प्राप्त होते हैं। यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि वृद्धिगत मुस्लिम राजनीतिक प्रभाव से तत्कालिक गुजरात एवं राजस्थान का सामाजिक आर्थिक ढांचा भी अछूता नहीं रह गया था।

राजनीतिक स्थिति—प्रस्तुत शोध से सबन्धित साक्ष्यों का अनुशीलन करने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि तत्कालीन उत्तर भारत विशेषतः पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति से भली भाँति अवगत हो। प्रस्तुत ग्रन्थ के रचनाकाल में उत्तर-भारत में राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। गुजरात में भी विभिन्न राजपूत राजवंशों के राज्य होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। उस समय गुजरात में (अणहिल पाटन में) बघेल और चौलुक्य, राजस्थान

1 **प्रबन्धचिन्तामणि** मेरु० पृ० 7

2 गुलाबचन्द्र चौधरी, वही, पृ० 45

मे चाहमान (आठवीं से बारहवीं श० ई०) परमार वंश की शाखाएँ और गुहिलौत तथा मालवा एव पडोस में क्रमशः परमार मालवा के परमार वंश० (दसवीं में बारहवीं श० ई०) चन्देल, (नवीं से बारहवीं श० ई०) और कल्युरि, चेदि के (नवीं से बारहवीं श० ई०) राजा राज्य करते थे।¹ चौलुक्य राजाओं द्वारा आसपास के राज्यों के साथ, पारस्परिक सम्बन्धों की जानकारी अन्य समकालीन साहित्यिक तथा अभिलेखिक स्रोतों से होती है।

चौलुक्य नरेश मूलराज (वि० स० 990-1066) (961-996) ने परमार वंश के सिधुराज को पराभूत किया था।² उसने चाहमान वंश के बारप्पा को भी पराजित करके मार डाला। इसके अतिरिक्त कच्छ के राजा लक्षराज को भी उसने पराजित किया।

भीमदेव प्रथम 1022-1064 ई० तक सिंहासनारूढ़ रहा उसने माउट आबू तथा भिनमल, जहाँ परमारों की दो शाखाएँ थी, विजित किया। 1064 ईस्वी में उसका पुत्र कर्ण गद्दी पर बैठा। उसका संघर्ष मालवा से हुआ परन्तु उदयादित्य तथा जगद्देव से पराजित हुआ। उसने दादोली मारवाड़ पर भी आक्रमण किया परन्तु नड्डुल के चाहमानों द्वारा पराजित किया गया। 1094 ई० में कर्ण की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जयसिंह गद्दी पर बैठा जो चौलुक्य वंश के महान नरेशों में एक था तथा उसने पडोसी राज्यों पर विजय भी प्राप्त किया। उसने सौराष्ट्र के प्रमुख अमीरों को विजित कर बन्दी बनाया और सौराष्ट्र को अपने राज्य में सम्मिलित किया। तत्पश्चात् परमार के नरेश को पराजित करके भिनमाल को अपने राज्य में जोड़ा। नड्डुल तथा शाकम्भरी के चाहमानों ने उसकी दासता को स्वीकार कर उसके सामन्त रूप में शासन करना स्वीकार किया। परमार नरेश नरवर्मन तथा यशोवर्मन के विरुद्ध अभियान कर उनको पराजित किया तथा मालवा को भी अपने राज्य में मिला लिया। चन्देल नरेश को भी विजित करके वह कालञ्जर तथा महोबा की ओर बढ़ा। चन्देल मदनवर्मन ने भिलसा राज्य जो उसने परमारों से जीता था, उसे (जयसिंह) को सौंपकर शान्ति कायम की। चौलुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ पर भी उसने विजय प्राप्त की। जयसिंह के राज्य समापन से पूर्व ही मालवा के परमारों एव नड्डुल के चाहमानों ने अपना राज्य वापस हस्तगत कर लिया था। जयसिंह ने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया तथा चौलुक्य राजवंश को पूर्व में अप्राप्य ख्याति की सीमा तक पहुँचाया।

जयसिंह की मृत्यु के बाद 1143 से 1145 ईस्वी के बीच कुमारपाल सिंहसनासीन हुआ। इससे पूर्व

1 मजूमदार, ए०के०, चौलुक्य ऑफ गुजरात पृ० 35

2 वही० पृ० 34

वाहड के अल्पकालीन राज्य के समय में शाकम्भरी के चाहमान अर्णोराज तथा मालवा एव माउट आबू के परमारों ने मिलकर चौलुक्यराज्य के उत्तरी तथा पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया था, जिसे कुमारपाल ने अर्णोराज को पुनः पराजित करके वापस छीन लिया। अर्णोराज ने अपनी पुत्री का विवाह कुमारपाल से सम्पन्न कर अपनी मैत्री स्थापित किया। कुमारपाल ने माउट आबू के परमार नरेश को हटाकर उसके स्थान पर उसके भ्रातृज को आसीन किया मालवा का नरेश भी युद्ध में मारा गया और भिलसा तक सम्पूर्ण राज्य चौलुक्य साम्राज्य में मिला लिया गया। कुमारपाल ने अर्णोराज पर पुनः 1150 ई० में आक्रमण किया और उसको हराने के बाद ही उसे उसका साम्राज्य वापस किया। कुमारपाल ने नड्डुल के चाहमान एव भिनमल के परमारों पर विजय प्राप्त की तथा 1160 और 1162 ईस्वी में कोकण राज्य को भी अपने आधीन बनाया बाद में जैनाचार्य हेमचन्द्र के प्रभाव से कुमारपाल ने जैन धर्म अपना लिया तथा अहिंसा का मार्ग अपनाया 1171-72 ई० में उत्तराधिकार के झगड़े के बीच ही उसकी मृत्यु हुई। उसके भ्रातृज, अजयपाल ने राज्य भार सभाला। वह जैन धर्म का विरोधी था उसने गुहिल सामन्तसिंह को विजित किया, जिसने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। तत्पश्चात् उसने शाकम्भरी के चाहमानों को पराजित किया। 1176 ई० में एक प्रतीहार के द्वारा वह मारा गया।

अजयपाल का पुत्र मूलराज द्वितीय अवयस्क था। उसकी रानी नाईकीदेवी, परमार्दिनी की पुत्री ने मूलराज की प्रतिनिधि के रूप में राज्य सभाला 1178 ई० में मुहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया लेकिन बहादुर रानी ने अपने राजपुत्र को गोद में लेकर सेना का संचालन किया और माउटआबू के निकट मुस्लिम आक्रमणकारी को परास्त किया। यह अत्यन्त सम्मानजनक उपलब्धि प्राप्त करने के बाद मालवा ने स्वतः अपनी स्वाधीनता उसे सौंप दी।

मूलराज द्वितीय की 1170 ई० में मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई भीम द्वितीय उत्तराधिकारी बना, उसने 60 वर्ष तक राज्य किया।

भीम द्वितीय के राज्यकाल में ही मुस्लिम आक्रमण होने लगे। विभिन्न राज्यों को उन्होंने अपने आधीन बनाया। इस प्रकार मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप अनेकों राज्यों के राज्यपालों ने तथा छोटे राजाओं ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी, बहुत से मंत्रियों ने राज्य में अपने शासन स्थापित किए। इस समय साम्राज्य में फूट पड़ रही थी, परन्तु बघेल राजा अर्णोराज ने स्थिति को बचाया। उसने चौलुक्य वंश को अपनाया, कुमारपाल द्वारा राज्य प्रदान किए जाने के कारण उसने उसके प्रति अपनी वफादारी का परिचय दिया, उसने चौलुक्य राजधानी से 10 मील दूर व्याघ्रपल्ली नामक राज्य को बघेल राज्य घोषित किया। अर्णोराज नए राजा के साथ

मे विद्रोहियों के दमन हेतु आगे बढ़ा और उसी सघर्ष में मृत्यु को प्राप्त हुआ परन्तु उसके पुत्र लवणप्रसाद ने अपन पिता के अभियान को जारी रखा । उसने अपने दो भाईयो वस्तुपाल एव तेजपाल की मदद से साम्राज्य के भीतरी असतुलन एव विदेशी आक्रमण को रोकने का प्रयास किया । गुजरात के विपरीत यादवो (ग्यारहवीं स तेरहवीं श० ई०) के आक्रमणो एव परमारो के विद्रोह को भी लवणप्रसाद ने दबाया। 1192 ईस्वी में मुसलमानो ने उत्तर भारत में पृथ्वीराज को परास्त करके अजमेर पर राज्य स्थापित किया। जब मुसलमानो ने (Mhers) म्हर पर आक्रमण किया तो चौलुक्यो ने अपनी सेना को वहा भेजा जिसने मुसलमानो को लगभग अजमेर शहर तक खदेडा इसके फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ने गजनी की एक नयी सेना के साथ गुजरात पर आक्रमण किया और उसीक राजधानी को लूटा लेकिन थोडे समय बाद ही वहाँ से वह चला गया।

इस प्रकार की स्थिति में वहाँ के साम्राज्य में आन्तरिक सहमति न हो सकी। 1210 ईस्वी में गुजरात की गद्दी की जयन्तसिंह या जयसिंह ने जबरदस्ती छीन लिया और पन्द्रह वर्षों तक वहाँ राज्य किया जिसे 1223 से 1226 ई० में लवण प्रसाद तथा उसके पुत्र वीरधवल ने पुन प्राप्त किया।

यादव सिंह गुजरात के विपरीत सघर्ष हेतु पड़ोसी राज्यों से सामञ्जस्य स्थापित करने में लगा रहा। जब दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश (1229 ई० में) ने उत्तरी गुजरात पर आक्रमण किया तो यादव सिंह ने परमार राजा तथा लाट देश के प्रमुख के साथ मिलकर दक्षिणी भाग पर आक्रमण कर दिया परन्तु वीरधवल तथा वस्तुपाल ने वीरतापूर्वक दोनों शत्रुओं पर काबू पा लिया।

1231 ई० में यादव सिंह के साथ संधि करके लवणप्रसाद ने राज्य छोड़ दिया, फिर उसका पुत्र वीरधवल गुजरात का वास्तविक शासक बना। भीम द्वितीय कुछ समय के लिए राजा बना और 1238 ई० में उसकी मृत्यु हो गयी तथा उसके बाद त्रिभुवनपाल राजा हुआ। उसके राज्य में यादव सिंह ने पुन परमार तथा गुहिल शासक के साथ मिलकर आक्रमण किया जिससे वीसलदेव ने शत्रुओं को उखाड़ फेका। इसके पश्चात् वीरम अर्जुन शारंगदेव, कर्ण इत्यादि ने थोड़े-थोड़े समय के लिए राज्य किया। कर्ण के राज्य के प्रथम वर्ष ही गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ और उसने वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया।¹

एतिहासिकता—प्रस्तुत शोधग्रन्थ प्रबन्धचिन्तामणि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल लगभग तेरहवीं शताब्दी का अंतिम चरण है, किन्तु इसका वर्ण्य-विषय का काल लगभग 950 ई०

1 मजूमदार आर० सी०, एश्येट इंडिया पृ० 94-108

से लेकर 1300 ई० तक है। उस समय उत्तर भारत में विभिन्न राजपूत वंशों का शासन था। चौलुक्य भी उही राजपूतों में से एक थे। जिनका अधिकार क्षेत्र गुजरात था। इनके अतिरिक्त राजस्थान में चाहमान, परमार वंश की शाखाएँ और गुहिलौत तथा मालवा एवं पड़ोस में क्रमशः परमार चन्देल और कल्चुरि राज्य थे। प्रस्तुत ग्रन्थ के रचनाकाल में ही मुस्लिम आक्रमण भी प्रारम्भ हो गए थे।

सन् 1178 ई० में मोहम्मदगोरी का आक्रमण हुआ। उस समय मूलराज द्वितीय अल्पवयस्क था। उसकी माता नाईकी देवी के संरक्षकत्व काल में चौलुक्य सेना ने गोरी को पराजित किया। कुतुबुद्दीन ने 1178 में ही एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया। इन दिनों भीम द्वितीय शासक था। यद्यपि कि वह अल्पवयस्क ही था फिर भी उसकी सेना ने गोरी को करारी मार दी और वह लगभग 20 वर्षों तक पुनः आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया¹ का भी उल्लेख आया है। इन मुस्लिम आक्रमणों की पुष्टि थेरवली से होती है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का भी उल्लेख आया है। इन आक्रमणों तथा युद्धों से तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ एवं जनजीवन अवश्य प्रभावित हुआ होगा इस समय राजनीतिक एवं सामाजिक सकट उत्पन्न हो गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि इस समय राजपूत शासन का अंत और मुस्लिम शासन का प्रादुर्भाव हो रहा था। किसी क्षेत्र विशेष का इतिहास द्योतित करने वाला राजतरंगिणी के पश्चात् प्रबन्धचिन्तामणि दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। जिसमें गुजरात-काठियावाड़ के इतिहास स्वरूप का विवेचन मिलता है। तत्कालीन गुजरात क्षेत्र में जैन धर्म बहुत प्रभावी था। फलस्वरूप तत्कालीन जन-जीवन एवं सामाजिक स्थिति भी कुछ हद तक प्रभावित हुई। प्रस्तुत ग्रन्थ में विभिन्न कथाएँ मिलती हैं जिनमें इस काल के समाज तथा संस्कृति के विषय में प्रभूत सामग्री प्राप्त होती है। इस प्रकार इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों के विद्यमान होने से इसे अर्ध-ऐतिहासिक ग्रन्थ मान सकते हैं, परन्तु, कालक्रम इत्यादि दृष्टिकोण में अनिश्चितता के कारण इसे पूर्ण ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्वमध्यकाल एवं मध्यकाल के ऐतिहासिक लेखन के स्रोत के रूप में देहली दीपक न्याय का कार्य करता है।

इस ग्रन्थ के आधार पर तत्कालीन सामाजिक तथा आर्थिक इतिहास के तथ्यों का समुचित एवं सम्यक अनुशीलन एवं स्वरूपनिरूपण के लिए विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों का भी उपयोग किया गया है।

शोध आधार ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य प्रबन्ध ग्रन्थों का भी अध्ययन किया गया है। ये प्रबन्धग्रन्थ राजशेखर

का प्रबन्धकोश, जिनविजयमुनि का पुरातन प्रबन्धसंग्रह, प्रभाचन्द्र सूरि का प्रभावकचरित, जिनप्रभूसूरि का विविध तीर्थकल्प, जिनमडन का कुमारपालप्रबन्ध तथा वस्तुपाल-तेजपाल प्रबन्ध जो प्रबन्धकोश से उद्धृत है। इनके अतिरिक्त हेमचन्द्र आचार्य विरचित कुमारपाल चरित तथा हर्षगणि की कृति वस्तु-पाल चरित का भी उपयोग प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ लेखन हेतु किया गया है।

स्मृतियों पर की गयी टीकाओं एवं मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका (9 वी शताब्दी), कुल्लूक की टीका (1150-1300 ई०) है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका (1070-1110 ई०), अपरार्क की टीका (1125 ई०) है। इन टीकाओं में यद्यपि पुरानी परम्पराओं को ही विवृत किया है, परन्तु उस काल में उसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के साथ परिवर्तित सामाजिक विचारों का भी विवेचन हुआ है। पी० वी० काणे का धर्मशास्त्र का इतिहास से विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। जिसका अध्ययन किसी भी शोधकार्य के लिए आवश्यक होता है। ग्यारहवीं शताब्दी के लक्ष्मीधर जो गहड़वाल राज गोविंदचन्द्र के साधिविग्रहिक थे, उनकी रचना कृत्यकल्पतरु जो कि 12 भागों में प्राप्त होती है, उसमें समाज के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया है। हेमचन्द्राचार्य की लघुअर्हशीति प्रमुख ग्रन्थ है।

इनके अतिरिक्त धार्मिक तथा सामाजिक स्थिति का द्योतन करने वाले जैन एवं जैनेन्द्र पुराणों का भी अध्ययन आवश्यकतानुसार किया गया है। इनमें महापुराण (नवीं शताब्दी), हरिवंश पुराण (700-1000 ई०), अग्नि पुराण (600-900 ई०), वायु पुराण (400-600 ई०), मत्स्य पुराण (300-600 ई०), इत्यादि प्रमुख हैं। ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में गुजरात में बहुत से महाकाव्यों, जो ऐतिहासिक घटनाओं, पर व्यक्तिगत तथा धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थे, की रचना हुई। इनसे प्राचीन परम्पराओं के साथ-साथ तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। आचार्य हेमचन्द्र द्वारा रचित द्वयाश्रयकाव्य पर, अभयतिलकमणि की टीका (1225 ई०) में पालनपुर में रचा गया है। सोमेश्वरकृत कीर्ति कौमुदी, 1232 ई० की रचना तथा अरिसिंह द्वारा (1228-31) ईस्वी में सुकृतसकीर्तन का सृजन हुआ। इत्यादि इस शोध के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में बालचन्द्र ने बसन्तविलास लिखा। उसमें प्रथम महाकाव्य में सिद्धराज और कुमारपाल का जीवन-चरित विवृत है जबकि बाद के तीन महाकाव्यों में वणिक मन्त्री वस्तुपाल की उपलब्धियाँ विवृत हैं। पौराणिक (Mythological) महाकाव्यों में हेमचन्द्र कृत त्रिषष्टिशालाकापुरुषचरित है, जिसमें जैन इतिहास एवं परम्पराओं के तिरसठ महापुरुषों के चरित विवृत हैं।

यशपाल का मोहराजपराजय (1174-77 ई०) एक उल्लेखनीय नाटक है, जिसमें तत्कालीन परम्पराओं के

अतिरिक्त कुमारपाल के जैनधर्म में परिवर्तित होने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें वणिकों की धन-सम्पदा का भी वर्णन है। जयसिंह सूरि का **हम्मीरमदमर्दन** (1223-30 ई०) में ऐतिहासिक कथानकों के अतिरिक्त गुजरात पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण को रोकने हेतु वणिक-मन्त्री वस्तुपाल द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति का भी उल्लेख प्रसंगित है।

जैन धर्मकथाओं या लोककथाओं में धार्मिक उल्लेखों के साथ वणिकों के जीवन की कथाएँ भी विवृत हैं। हरिभद्र सूरि की समरिचकहा तथा उद्योतन सूरि की **कुवलयमालाकहा** (दोनों आठवीं शताब्दी) की मारवाड़ में लिखी गयी रचनाओं के अतिरिक्त नवीं शताब्दी की सिद्धर्षि (906 ई०) की **उपमिति भवप्रपञ्चकहा**, धनपाल की **भविष्यतकहा** (दसवीं शता० का दिगम्बर जैन), जिनेश्वर सूरि का कथाकोशप्रकरण (1651 ई०) से भी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है।

गुजरात तथा राजस्थान क्षेत्रों में राजाओं एवं मन्त्रियों के प्रशासनात्मक रूप में उल्लेख करने को प्रशस्ति कहा जाता था। इन प्रशस्तियों में उस युग के जैन व्यापारिक परिवारों के विषय में बहुतेसी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। जैन आचार्यों की सूची या पट्टावलि या जैसे खरतरगच्छ, तपगच्छ तथा उपकेशगच्छ से भी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है।

समकालीन शब्दकोशों में **देशीनाममाला**, तथा **अभिधानचिन्तामणि** हेमचन्द्र द्वारा विरचित है। यादव प्रकाश का **वैजयन्ती कोश** (11हवीं श०), हलायुध का **हलायुधकोश** या **अभिधानरत्नमाला** है। इनका अध्ययन सामाजिक आर्थिक स्थिति को विवृत करने के लिए आवश्यक है।

इस युग के गणितशास्त्रों से तत्कालीन मूल्य, आय, सिक्के वजन तथा माप प्रणाली विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महावीराचार्य का **गणितसारसंग्रह** (नवीं शता०) बारहवीं शताब्दी का भास्कराचार्य का **लीलावती** जी **दक्षिणभारत** का था और श्रीधराचार्य की **गणितसार** पर टीका इत्यादि बहुत उपयोगी हैं।

जैन साहित्य में धारा के राजा भोज (11 हवीं श०) के **युक्तिकल्पतरु** तथा **समराङ्गणसूत्रधार** ग्रन्थ हैं। पश्चिमी चोलुक्य राजा सोमेश्वर की कृति **मानसोल्लास** (1131 ई०) है। **युक्तिकल्पतरु** एक शिल्प ग्रन्थ है फिर भी इसमें औद्योगिक भूगोल, यातायात के साधन विशेषतः नौका तथा (जल परिवहन) जलपोतो का वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार **मानसोल्लास** में राजा के कर्तव्यों, विभिन्न प्रकार की पण्यों पर लगने वाले करों का उल्लेख तथा राजस्व अधिकारियों यथा शुल्काधिकारिण, तुलाधिकारिण तथा मूल्याधिकारिण, जो कि व्यापारिक मामलों से सम्बद्ध थे, के विवरण प्राप्त होते हैं तथा **समराङ्गणसूत्रधार**, भुवनदेव की **अपराजित पृच्छा** (बारहवीं श०) स्थापत्य

पर आधारित पुस्तके है परन्तु इनमे सामाजिक-आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित बातों का भी उल्लेख मिलता है।

गुजरात क्षेत्र में प्रणीत ग्रन्थों में **लेखपद्धति** प्रमुख है इसमें तत्कालीन प्रचलित मुद्रा एवं अन्य व्यापारिक एवं कराधान इत्यादि विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें विक्रम संवत् 802 से लेकर 1553 वि॰स॰ (755-1476 ईस्वी) तक के कानूनी दस्तावेजों एवं नमूना पत्रों (Model forms) का संग्रह है। इसमें अधिकतर 12वीं शताब्दी के दस्तावेजों का उल्लेख है।

भारतीय साक्ष्यों के साथ ही विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी शोध विषय पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है। मुस्लिम यात्रियों से भी शोध विषय पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है। मुस्लिम यात्रियों में सुलेमान अबू जैद हसन सिराफी अल मसूदी, इब्नहौकल (नवीं दसवीं शताब्दी), अल बेरुनी (ग्यारहवीं श०) अल इदरीसी (बारहवीं शताब्दी), मुहम्मद ऊफी (तेरहवीं शताब्दी), इब्न बतूता (चौदहवीं शताब्दी) आदि हैं जिनके विवरणों को इलियट एण्ड डाउसन ने अपने ग्रन्थ के 'हिस्ट्री टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियन्स' में संग्रहीत किया है। मुख्यता उन्होंने विदेशी व्यापारियों एवं यात्रियों के लिए लिखा। व्यापार के विभिन्न पहलुओं यथा जलमार्ग, स्थलमार्ग, का विस्तृत विवरण दिया है। पत्तन, नगर, व्यापारिक पण्य, स्थानीय उपज तथा भारतीय व्यापारिक प्रणाली के विषय में इन्होंने लिखा। वेनिस का यात्री मार्को-पोलो (तेरहवीं शताब्दी) के विवरण से गुजरात एवं भारत के अन्य समुद्रतटीय राज्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चीनी स्रोतों में सबसे अधिक महत्व चाऊ-चू-कुआ के ग्रंथ **शू-फान** (तेरहवीं शताब्दी) का है। यह चीनी व्यापारिक सघ का एक उच्च पदस्थ अधिकारी था तथा वहाँ (चीनी-पत्तन) पर आने जाने वाले विदेशी यात्रियों उनके सामानों इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त करता रहता था।

भारतीय इतिहास को जानने के लिए अभिलेखिक साक्ष्य महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। चौलुक्य तथा बाघेल राजाओं (941-1297 ईस्वी) के ^{लगाभूत} 150 अभिलेख एवं इनके अतिरिक्त अन्य पड़ोसी राजाओं, सामन्तों तथा व्यक्तिगत अभिलेख भी पश्चिमी भारत में अत्यधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। इन अभिलेखों का बहुत से पत्रिकाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन हुआ है। इनके अतिरिक्त विभिन्न पत्रिकाओं पीरियाडिकल्स एवं अन्य शोधपत्र आदि का यथा एपिग्राफिया-इण्डिका, इंडियन-एटीक्यूरी, जर्नल बाम्बे ब्रान्च ऑफ रायल एसियाटिक सोसाइटी, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इत्यादि का भी अध्ययन किया गया है।

अभिलेख—मूलराज (1) बडौदा ग्राट (974 ई०) (2) कडिग्राट (987 ई०) (3) बलेरा ग्राट (995 ई०)।

भीमदेव—(1) रघनपुर ग्राट (1929 ई०) (2) मुण्डक ग्राट (1930 ई०) (3) बाम्बे रॉयल एसियाटिक सोसाइटीज ग्राट (1936 ई०) (4) आबू-शिलालेख (1062 ई०)।

जयसिंह—(1) अनु स्तम्भ शिलालेख (1127-28 ई०) (2) भिनमल शिलालेख वि० सं० 1186) (3) गाला शिलालेख (1136 ई०) (4) भद्रेश्वर शिलालेख (1138 ई०) (5) दोहड स्तम्भ (1140 ई०) (6) उदयपुर शिलालेख (7) साभर शिलालेख।

कुमारपाल—(1) मगरोल शिलालेख (1145 ई०) (2) दोहड स्तम्भ लेख (1145-46 ईस्वी) (3) किराडु शिलालेख (वि० सं० 1205) (4) चित्तौडगढ शिलालेख (1150 ई०) (5) वाडनगर प्रशस्ति (1151 ई०) (6) किराडु स्तम्भलेख (1153 ई०) (7) पालि अभिलेख (वि० सं० 1209) (8) रतनपुर अभिलेख (9) नाडोल ग्राट (1156 ई०) (10) उदयपुर शिलालेख (1163 ईस्वी) (11) जालोर शिलालेख (वि० सं० 1221) (12) उदयपुर स्तम्भलेख (466 ई०) (13) वेरावल प्रशस्ति (भाव वृहस्पति) (1169 ई०) (14) जूनागढ शिलालेख (1169 ई०) (15) नाडलाई शिलालेख (1171 ईस्वी)

अजयपाल—(1) उदयपुर शिलालेख (1173 ईस्वी) (2) ऊझा अभिलेख (वि० सं० 1231) (3) बाम्बे सेक्रेटेरिएट ग्राट।

भीमदेव II—(1) वेरावल शिलालेख (2) किराडु शिलालेख (वि० सं० 1235) (3) पत्तन अभिलेख (4) कडि ग्राट (1206 ई०) (5) तिमन शिलालेख (1206 ई०) (6) आबू शिलालेख (1208-9 ई०)

वस्तुपाल तेजपाल—(1) आबू अभिलेख (वि० सं० 1287-97) (2) गिरनार अभिलेख।

वीसलदेव—(1) अहमदाबाद सतम्भलेख (1411-43 ई०) (2) दभोई शिलालेख

अर्जुनदेव—(1) वेरावल ग्राट (1264 ई०) (2) राव शिलालेख (3) गिरनार शिलालेख, इत्यादि से सामाजिक इतिहास की महत्वपूर्ण सूचना मिलती है।

सिक्को के प्रमाण से भी तत्कालीन समाज की समृद्धि का ज्ञान होता है। चौलुक्य नरेश जयसिंह एव कुमारपाल ने स्वर्ण एव रजत सिक्के प्रवर्तित किए थे। कुछ गदहिया या गधइया प्रकार के सिक्के पश्चिमी भारत में विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं परन्तु अधिक प्रामाणिक न सिद्ध होने के कारण इस काल की मुद्रा प्रणाली पर अभिलेखों एव साहित्य से अधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है।

मूल स्रोतों के साथ बहुत से सहायक ग्रन्थों का भी अध्ययन आवश्यक हो गया। इनमें प्रमुख रूप से चौलुक्य वंश का इतिहास ए० के मजूमदार की पुस्तक 'चौलुक्य ऑफ गुजरात' में मिलता है। इनके अतिरिक्त चौलुक्यों के इतिहास का ज्ञान विदेशी लेखक ए० के० फोर्ब्स की 'रासमाला' से भी होता है। इनके अतिरिक्त गुजरात-राजस्थान के इतिहास के सम्बन्ध में विभिन्न पुस्तकों का भी अध्ययन किया गया।

प्रबन्धचिन्तामणि के आलोक में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत शोधग्रन्थ के प्रणयन हेतु समकालीन मूलग्रन्थों और सहायक ग्रन्थों की सामग्रियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यही तथ्यों का गवेषणात्मक अनुशीलन एवं परिशीलन करने का प्रयास है। विवेच्यकाल के अभिलेखों तथा मौद्रिक साक्ष्यों की सम्पुष्टि के पश्चात् ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार प्रामाणिक एवं पुष्ट साक्ष्यों के आलोक में आधार-शोध ग्रन्थ के तथ्यों के ऐतिहासिक विवेचन करने का प्रयास प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में किया गया है।

द्वितीय अध्याय

वर्ण एवं जाति-व्यवस्था

वर्ण एवं जाति व्यवस्था

जाति—व्यवस्था के उद्भव तथा विकास एवं जाति से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है परन्तु उसमें बहुत विरोधाभास रहा है। हिन्दू समाज का मूल आधार वर्ण और जाति व्यवस्थाएँ रही हैं। आज भी ये प्रभावी रूप से समाज में विद्यमान हैं।

पूर्व वैदिक काल में जो विवरण प्राप्त होते हैं उनके आधार पर समाज तीन वर्गों में ब्रह्म क्षत्र और विश्व में विभक्त था। अधीतकाल तक आते-आते समाज विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित हो गया था। इन जातियों और उपजातियों की उत्पत्ति के अनेक कारण थे। अन्तर्जातीय विवाह, विदेशी आक्रमण श्रम का विभाजन, विभिन्न व्यवसायों के आधार पर विभिन्न जातिगत श्रेणियाँ आदि की उत्पत्ति के कारण विभिन्न जातियों तथा उपजातियों की संख्या में वृद्धि हुई थी। व्यवस्थागत जाति भेद के विकास के साथ जातियों में सामाजिक उच्चता एवं निम्नता का भी प्राविधान किया गया।

एक तरफ धर्म सूत्रों में जाति को चातुर्वर्णों के अन्तर्गत रखने का प्रयास किया गया है तो दूसरी ओर बौद्धों तथा जैनो ने इसकी कठोरता का विरोध किया है¹

यद्यपि धर्मशास्त्र ग्रन्थों में जाति का आधार जन्म को माना गया है, लेकिन जैसे साहित्य में जाति का आधार जन्म को न मान कर कर्म को माना गया है। कर्म ही जीवन में सामाजिक स्तरीकरण के निर्धारण का कारक था।² व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा ही ऊँच या नीच होता है। एक उच्च सामाजिक स्तर का व्यक्ति यदि निम्न कोटि का काम करता था तो वह निम्न स्तर का कहलाता था जबकि एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी कुलीन हो सकता था यदि वह अहिंसा में आस्था रखता था। जैन धर्मानुयायियों का सघ के साथ भ्रातृत्व जैसा सम्बन्ध होता था फलस्वरूप वह जैन समाज के साथ सहभागिता तथा सह-विवाह का भी अधिकारी समझा जाता था।³

ग्यारहवीं शताब्दी में प्रतिलोम विवाहों पर उच्च जातियों द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जा रहे थे तथा अनुलोम विवाह पर जोर दिया जा रहा था। इस प्रकार चारों वर्ण कई-कई उपजातीय समूह में विभक्त हो गए। इनमें भी ब्राह्मण वर्ग में सबसे अधिक उपविभाजन हुआ।

1 बी० एन० एस० यादव, सोसाइटी एण्ड कल्चर इन नार्दन इंडिया पृष्ठ -10
2 जैन एन्टीक्यूरी, भाग-13 न० -1, 1948 पृ० 10
3 जिनेश्वराचार्य-महापुराण अध्याय 39,61-71

मुस्लिम आक्रमण जातीय उपविभाजन का एक प्रमुख कारण था आक्रमण की विभीषिका एव भय के कारण कुछ भारतीयों ने मुसलमानों के तौरतरीकों को स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया था, जिसके फलस्वरूप हिन्दू व्यवस्थाकारों ने भी अन्तर्जातीय विवाह तथा सहभोगिता के लिए अपेक्षाकृत कठोर नियमों को बनाया होगा। सिद्धान्ततः प्रारम्भ से वर्ण की अवधारणा मूलतः सांस्कृतिक थी। स्मृतिकारों ने वर्णों की जन्म के आधार पर विशेष अधिकारों की अपेक्षा सामाजिक कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है। इसके विपरीत जाति-व्यवस्था मनुष्य के जन्म तथा आनुवंशिकता पर बल देती है। इसमें कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा विशेषाधिकारों पर बल दिया गया है।¹ धर्मशास्त्र ग्रन्थों के अनुसार वेदाध्ययन, यजन-याजन, दान लेना तथा दान देना, ब्राह्मणों के वर्ण कर्म, युद्ध करना एव जनरक्षा क्षत्रियों के कर्म तथा कृषि पशुपालन एव व्यापार वैश्यों के विशेषाधिकार माने गये थे।² शूद्रों का कर्तव्य द्विजातियों की सेवा करना ही माना गया।³

जैन साहित्य में जाति सस्था तथा ब्राह्मणों की प्रधानता की बहुत आलोचना की गयी है तथा उन्हें तिरस्कृत भाव के साथ और जैन धर्म विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है। यह वर्ग धिजातियों या ^{धिजाति} निन्दायोग्य घृणित जाति) के रूप में वर्णित किया गया है⁴ परन्तु अधीत कालीन साक्ष्यों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि समाज में उनका स्तर प्राचीन काल के जैसा नहीं था, फिर भी उन्हें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इस काल में समाज में चार वर्णों का उल्लेख मात्र औपचारिकता जैसी प्रतीत होती है। वस्तुतः प्रत्येक वर्ग में जातियों व उपजातियों के रूप में अनेक भेदोपभेद उत्पन्न हो गये थे। और सामाजिक अनुक्रम में इन्हें मूल जाति ^{की} अपेक्षा निम्न स्तर पर परिभाषित किया जाने लगा।

वर्णाश्रम—व्यवस्था की वैदिक मान्यताओं का प्रभाव सामाजिक जीवन के रग-रग में इस प्रकार प्रवाहित था कि इस व्यवस्था का घोर विरोध करने वाले जैन धर्म के अनुयायी भी इसके प्रभाव से अछूते न रह सके। जैनाचार्यों ने वैदिक साहित्य तथा सामाजिक वातावरण के प्रभाव के कारण अनेक वैदिक मान्यताओं एव विचारों का जैनीकरण करने का प्रयास किया। मूल में जैन धर्म वर्ण-व्यवस्था तथा उसके आधार पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता था। सैद्धान्तिक ग्रन्थों में सामाजिक व्यवस्था सम्बन्धी मन्तव्यों का वर्णन नहीं है।

- 1 धर्मशास्त्र का इतिहास, पी० वी० काणे I, पृ० 119
- 2 गौतम सूत्र-द्विजातीना मध्ययनभिज्या दानम्॥ ब्राह्मणस्य अधिकार, प्रवचनया जैनप्रतिग्रहा 12 पूर्वपु नियमस्तु 13, 10/1-3,
- 3 आपस्तम्ब सूत्र-शुश्रूषा शूद्रस्येतरेषा वर्णानाम् 17 पूर्वस्मिन् पूर्वस्मिर्वेण निश्चयेण भूय /8 1/1/7-81
- 4 जगदीश चन्द्र जैन-लाइफ इन एनशन्ट इन्फ्लुएण्ड डिपिकटेड इन जैन कैनन्स पृष्ठ 140 निशीयचूर्णी पीठिका 487 को चूर्णी आवश्यक चूर्णी पृ० 496 में उल्लेख है- एगो धिजाइओं पडितभाणी सासण खिसति

जैन पुराणों के स्वर्णकाल से ही विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो अराजकता उत्पन्न हुई थी और जिसके फलस्वरूप सामाजिक सतुलन आघात-प्रतिघात का विषय बन रहा था¹ उनके कारण जैन अचार्यों को भी ब्राह्मण व्यवस्थापकों द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित आजिविका में आबद्ध एवं सीमित होने के लिए विवश होना पड़ा।

जैन पुराणों के अनुशीलन से वर्ण व्यवस्था से सम्बन्धित जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके अनुसार महापुराण (9 वी श०) में वर्णित है कि आदिकाल में वर्ण—व्यवस्था नहीं थी, किन्तु कालान्तर में चार वर्णों में विभक्त वर्ण व्यवस्था प्रकाश में आयी।² महापुराणकार तथा पद्यपुराणकार ने वर्ण विभाजन में पारम्परिक आधार के औचित्य सापेक्ष को स्वीकार किया है। इनके कथनानुसार व्रतों के सस्कार से ब्राह्मण, शास्त्र धारण करने से क्षत्रिय, न्यायोचित रीति से धनोपार्जन करने से वैश्य और इन से विपरीत वृत्ति का आश्रय लेने से मनुष्य शूद्र कहलाने लगे।³

ब्राह्मण

हिन्दू समाज में चारों वर्णों में ब्राह्मण को ही सर्वोच्च स्थान निरन्तर प्राप्त रहा है।⁴ जैन प्रबन्धों तथा चरित्र ग्रन्थों के अध्ययन से यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज में सामान्यतया ब्राह्मणों को यद्यपि सम्मान प्राप्त था, परन्तु कतिपय ऐसे ब्राह्मण थे जो ब्राह्मणोत्तर व्यवसाय अपनाने लगे थे। फलस्वरूप ब्राह्मणों के सामाजिक स्तर में एक विचारणीय सीमा तक इस काल में ह्रास हुआ।

प्रबन्धचिन्तामणि में ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रोचित एवं ब्राह्मणोत्तर, दोनों तरह के व्यवसायों को अपनाये जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यथा-वररुचि नामक ब्राह्मण विक्रमादित्य की पुत्री प्रियगुमञ्जरी को शिक्षा देने का कार्य करता था।⁵ अवन्तिनगर में एक ब्राह्मण पाणिनि की व्याकरण पढाने का कार्य करता था।⁶ इसी शोध आधार ग्रन्थ में ही एक स्थल पर यह उल्लेख प्राप्त होता है कि सचिव के पद पर वाहड नामक ब्राह्मण व्यक्ति कार्यरत था।⁷ इसके अतिरिक्त 970 ई० से लेकर 1300 ईस्वी में प्राप्त चौलुक्य अभिलेखों में ब्राह्मण के मन्त्री तथा सचिव के रूप में

1 मत्स्य पुराण, पृ० 345, राजतरंगिणी 1/312-317, दृष्टव्य यादव, सोसाइटी एड कल्बर पृ० 4-5

2 महापुराण, 38 45

3 ब्राह्मण व्रत सकारत् क्षत्रिया शास्त्र धारणात्। वणिजोअन्यार्जनाभ्यायात् शूद्रान्यवृत्ति सश्रयात्।।

महापु०-38/46 पद्य पुराण 11/201-202.

4 प्रवरतारो लोके अस्मिन् ब्राह्मणेव सर्ववर्णानाम्। कलाविलास पृ० 79

5 प्रबन्धचिन्तामणि मेरुतुंग, पृ० स० 3

6 वही, टॉनी पृ० 197

7 वही-द्विजन्मना वाहड नाम्ना सचिवेन चिन्त्य मानराज्यभार, मेरु पृ० 98, टॉनी पृ० 155

शासन के कार्यों में भाग लेने के भी कतिपय सन्दर्भ प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ब्राह्मण दूतक महाक्षपटलिक तथा अन्य पदों पर भी कार्य करते थे। अभिलेखों में ब्राह्मणों को दान देने के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं।

ग्यारहवीं शताब्दी में राजशेखर सूरि कृत प्रबन्धकोश में भी सूत्रकण्ठा ब्राह्मण (अर्थात् आचारनियम कण्ठस्थ ब्राह्मण) को स्वर्णदान देने का उल्लेख मिलता है।¹ पुरातन प्रबन्ध सग्रह² में भी ब्राह्मणों को दान देने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। सुकृतकीर्तिकल्लोलिनी ग्रन्थ में भी ब्राह्मणों को दान तथा सम्मान देने के उदाहरण प्राप्त होते हैं।³ मानसोल्लास में ब्राह्मणों को करमुक्त ग्राम दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है।

यद्यपि जैन व्यवस्था ब्राह्मण व्यवस्था का कट्टर विरोधी था तथा उसे निन्दनीय जाति (धिञ्जाति) मानता था परन्तु इसके बावजूद भी तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में जाति-व्यवस्था इतनी बलवती एवं प्रभावी थी कि जैन आचार्यों ने सामाजिक व्यवस्था का वर्णन विधि ग्रन्थों में विवृत चातुर्वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत ही करने के लिए मजबूर थे। भट्ट लक्ष्मीधर (बारहवीं शताब्दी) गहडवाल राजा गौविन्दचन्द्र के साधविग्रहिक थे लेकिन उनके विचारों को भौगोलिक परिधि में नहीं बाँधा जा सकता है। उनके ग्रन्थ समस्त उत्तरी भारत की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। कृत्यकल्पतरु के दानकाण्ड⁴ में वह लिखते हैं कि वास्तव में दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण वैदिक शिक्षा में लगे रहते थे। वे पवित्रता, सत्यता में आस्था रखते थे। इसके अतिरिक्त पाप से डरना, सन्ध्यापूजन करना, अहिंसा पालन करना, पवित्र अग्नि जलाना धार्मिक शपथ ग्रहण करना, गायों का पालन करते थे तथा लालच से मुक्त रहते थे। गृहस्थकाण्ड में ब्राह्मणों को वेदांग का ज्ञाता होना, अग्नि प्रज्वलितकर्ता^{होना}, किसी की सेवा न स्वीकार करे तथा द्यूत एवं वैश्यावृत्ति से बचे रहे।⁵ ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्तर केवल उनकी पारंपरिक पवित्रता या सामाजिक स्तर में उच्चतम स्थान रखने के ही कारण नहीं था बल्कि यह सम्मान उन्हें उनकी दृढ़ता, दया तथा बौद्धिक उपलब्धियों के कारण था।⁶ तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर विभिन्न विदेशी यात्रियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। दसवीं शताब्दी में आने वाला अरब यात्री अल मसूदी यह टिप्पणी करता है कि ब्राह्मण भारतीयों में सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित जाति थी⁷ एक अन्य मुस्लिम यात्री अलबरूनी जो ग्यारहवीं सदी में भारत आया था,

1 प्रबन्धकोश, विप्राय सपादलक्ष हेम दानेन, 8800 विप्राणा भोजन दाता पृ० 257

2 पुरातन प्रबन्ध सग्रह, ब्राह्मणानामष्टादशसहस्रमग्रासने पृ० 88

3 सुकृत-पृ० 80, 84

4 कृत्यकल्पतरु, दानकाण्ड-विद्यायुक्तो धर्मशील प्रशान्त ज्ञान्तो दान्त सत्यवादी कृतज्ञ (जी० ओ० एस०) पृ० 26-30 यत्र उद्धृत याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, महाभारत और शतातप

5 सिरपुर पाषाण अभिलेख, एपिग्राफियाइंडिका, 11 पृ० 192-193

6 बी० एन० एस० यादव-सोसाइटी एण्ड कल्चर पृ० 21

7 इलियट एण्ड डाउसन- 1 पृ० 19, इलियट एंड डाउसन इट्स अर्थ एंड इतिहास

लिखता है कि ब्राह्मण समस्त मानव जाति में विशिष्ट थे¹ और अन्य जातियों की भाँति वे राजा को भुगतान करने तथा उसकी सेवा के लिए बाध्य नहीं थे।²

यद्यपि अधीतकाल में भी ब्राह्मणों को अनुष्ठानिक वर्ण धर्मपालन की ही मान्यता थी परन्तु शोध आधार ग्रन्थ **प्रबन्धचिन्तामणि**, में कुछ ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणोत्तर व्यवसाय अपनाएँ जाने के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। विक्रमादित्य का एक सेवक (सेवक सा विद्विजन्मा) ब्राह्मण था।³ परन्तु इससे स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता है केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों को भी सेवाकार्य में प्रवृत्त किया जाता था। एक अन्य सदर्म में यह प्रतीत होता है कि कभी-कभी लोभ वश भी स्ववर्णधर्मोत्तर व्यवसाय भी ब्राह्मण अपना लिया करते थे क्योंकि ब्राह्मण वररुचि राजा भोज के एक प्रश्न का उत्तर दूढ़ते हुए एक चरवाहे से मिला तथा उससे उत्तर प्राप्त करने के लिए वह उसके कुत्ते को अपने कंधे पर बैठाता है और वह यही उत्तर भी देता है कि लोभ अकेला नहीं लोता"। ध्यातव्य है कि ऐसा ब्राह्मण जिसे मासाहारी पशुछूने का प्राविधान नहीं था वह अपने कंधे पर कुत्ते को बैठाता है।⁴ ब्राह्मण यदा कदा भार वाहक का कार्य भी करते थे।⁵ एक ब्राह्मण भिक्षार्जन के द्वारा भी जीविकोपार्जन किया करता था।⁶ इसी ग्रन्थ में एक अन्य स्थल पर ब्राह्मण को गोपालक भी बताया गया है।⁷ इसी प्रकार ब्राह्मणों का स्ववर्णोत्तर व्यवसायों को अपनाने के उल्लेख पुरातन प्रबन्ध-संग्रह में भी मिलते हैं। वे भिक्षाटन एवं व्यापार भी करते थे।⁸ यद्यपि अधीतकाल के विधिग्रन्थों एवं अन्य कतिपय साहित्य ग्रन्थों में भी ब्राह्मणों के लिए अध्ययन अध्यापन, यजनयाजन तथा दान ग्रहण करना, दान देना ही बताया है।

उपरोक्त विधान के होने पर भी ब्राह्मणों द्वारा वर्णोत्तर व्यवसाय अपनाने के लिए तत्कालीन राजनीतिक सामन्तवादी सामाजिक एवं आर्थिक घटक विशेषरूप से उत्तरदायी रहे होंगे।

ग्याहरवी बारहवी, शताब्दी में ब्राह्मणों की अनुष्ठानिक सामाजिक स्थिति सामन्तवादी प्रवृत्तियों से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। ब्राह्मणों को वर्ण विहित व्यवसाय से जीविका चलाना कठिन हो गया था। जिससे उन्होंने

-
- 1 साचऊ, अल्बेरूनीज इंडिया, भाग-1 पृ० 101
 - 2 वही, भाग-2 पृ० 149
 - 3 प्रबन्ध चिन्तामणि, पाद टिप्पणी-17 (सेवा कसा विद्विजन्माना), मेरु पृ० 6
 - 4 वही, पृ० 48, टॉनी-पृ० 70.
 - 5 वही, पृ० 26, टॉनी, पृ०-37 काष्ठ भारवाहक
 - 6 वही, टॉनी पृ० 42
 - 7 वही, टॉनी पृ० 192
 - 8 पु० प्र० स०, पृ० 88, पृ० 71

विधि- विहितेतर नियमों से भिन्न व्यवसायों को अपनाना प्रारम्भ कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं कारणों से इस युग में आपद्धर्म के बजाय सामान्य धर्म के रूप में क्षत्रिय तथा वैश्य के व्यवसाय द्वारा ब्राह्मणों का जीविकोपार्जन विधिसम्मत माना गया।

इस काल में ब्राह्मणों को अपने लिए विहित कार्यों में पौरोहित्य तथा अध्यापन कार्यों के अतिरिक्त अपने से निम्न वर्णों में व्यवसाय को अपनाने के भी प्रसंग प्राप्त होते हैं। प्रबन्धचिन्तामणि में ब्राह्मणों द्वारा निम्न वर्णों के पेशे अपनाए जाने के विवरणों में सेवन, भारवहन भिक्षाटन, गोपालन इत्यादि हैं। कल्हण ने ऐसे ब्राह्मण सैनिकों का उल्लेख किया है जो युद्धभूमि में भाग लेते थे।¹ अन्यशास्त्र विशारद ब्राह्मण कल्याणराज युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ²।

ब्राह्मणों द्वारा सेना में कार्य करने आदि के उल्लेख तो प्राचीन काल से ही प्राप्त होने लगे थे परन्तु सेवन, भिक्षाटन पशु-चाराना इत्यादि कार्य अधीतकाल में सामान्य रूप से किये जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। हेमचन्द्र ने लिखा है कि सपादलक्ष के राजा अर्णोराज की सेना का नेतृत्व एक ब्राह्मण नायक ने किया था³ अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है ब्राह्मण सेनानायक और सेनापति के पद को गौरवान्वित करते थे। पूर्वमध्ययुगीन चौलुक्य कल्चुरि और चन्देल जैसे राजपूत राजवंशों की सेनाओं में ब्राह्मण सेनापतियों के पदों पर नियुक्ति थी।⁴

अधीतकाल में ब्राह्मण वर्ग अपनी जीविकोपार्जन हेतु वैश्यवृत्ति भी अपना लिया करते थे। पुरातन प्रबन्ध संग्रह एक स्थान पर (द्विजोव्यापारी शब्द आया है। जिससे लगता है ब्राह्मण व्यापार भी करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य समकालीन ग्रन्थों से ब्राह्मणों द्वारा कृषि कार्य तथा व्यापार आदि करने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। कथाकोशप्रकरण (11वीं शताब्दी)⁵ से यह सूचना मिलती है कि कतिपय ब्राह्मण कृषक थे। चौलुक्य शासककुमारपाल के एक लेख (विसवत् 1202) में हमें पता चलता है कि राजदेव एव सूरदेव ब्राह्मण भी सम्भवतः कृषक ही थे।⁶

लक्ष्मीधर ने देवल को उद्धृत करते हुए सम्भवतः कठिन परिस्थितियों में ब्राह्मणों को कृषि करने की

-
- 1 राजतरंगिणी, दौ रम्यावट्टविजयो द्विजौ पौरोगवस्तथा। कोष्ठक सञ्जकारव्यश्च योधा युद्धे हता बभु ॥7, 1481
 - 2 वही; कल्याणराजाख्य समरेअभिमुखो हत ॥ 8 1071
 - 3 इयाश्रय काव्य, 16
 - 4 एपि० इडि०, lx 158, इडि० एडि० xxx 205, इडि० हिस्टारिकल क्वार्टरली 1928 पृ० 35 पक्ति 44-45 पुष्यमित्र शुग (ब्राह्मण था) भी सेनापति की उपाधि धारणा करता था परन्तु वह शासक था।
 - 5 कथाकोशप्रकरण, पृ० 120,
 - 6 एच० एव आई० जी०, III, 200; हिस्टारिकल इस० ऑफ गुजरात-जी० वी० आचार्य

अनुमति प्रदान किया होगा कृषि उत्पादन से अगर वह षष्ठाश राज्य को कर देता था 1/12 भगवान¹के नाम पर निकल देता था और 1/30 ब्राह्मण को देता था, तो वह कोई पाप नहीं करता था।² लेकिन अल्वेरुनी ने उल्लेख किया है कि ब्राह्मणों का विशेष स्थितियों में भी खेती करना विधि विहित नहीं था। वह लगभग चोरी के सामान अपराध समझा जाता था। लगता है ब्राह्मणों के स्वाचरण में ही विश्वास आपेक्षित था³ शुक्रनीतिसार, जो आठरहवीं शताब्दी की कृति है किन्तु इसमें कुछ विवेच्यकालीन तथ्य प्राप्त होते हैं।⁴ इस प्रकार ब्राह्मण का अधिकांश भाग (46/66) दे देने पर उसके पास क्या बचेगा जबकि राज्यकर, शिल्पियों का देय इत्यादि बाकी ही है।

चौलुक्य भीम देव द्वितीय के गुहिल वंशीय सामन्त अमृतपाल देव के ताम्रपत्र (वि० सं० 1242) से ज्ञात होता है कि उसने ब्राह्मण यज्ञकर्ता ठाकुर शोभा के पुत्र मदन की षटपचाशत मडल के एक ग्राम में एक रहट दो हल भूमि तथा धान का खेत दान किया था⁵ परमार, चाहमान, चौलुक्य शासकों व उनके सामन्तों द्वारा ब्राह्मणों को प्रायः भूमि, खेत आदि दान देते तथा गोचर भूमि की सुविधा प्रदान करने के प्रसंग मिलते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बहुत से ब्राह्मण कृषि तथा पशुपालन भी करते रहे होंगे।

ब्राह्मणों के कृषि के सम्बन्ध में मनु आदि प्रारम्भिक स्मृतियों में यह कहा गया है कि कृषि वृत्ति ब्राह्मण के लिए अपेक्षित नहीं है क्योंकि, कर्षण कार्य से भूमिगत कीटाणुओं की हत्या होती है, किन्तु मनुस्मृतिकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपातकाल में ब्राह्मण कृषि कार्य सम्पन्न कर सकता है।⁶ पराशर स्मृति (600 से 900 ई० के मध्य) ने कलियुग में कृषि को ब्राह्मणों का जीविकोपार्जनार्थ सामान्य व्यवसाय सम्मिलित किया है।⁷ पराशर स्मृति के टीकाकार माधवाचार्य (13 हवीं-14 हवीं) ने इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए वर्णन किया है कि कृषि वृत्ति जो कि प्रारम्भ में ब्राह्मणों के लिए आपातकालीन वृत्ति थी कलियुग में सामान्य वृत्ति बन गयी।⁸ बी० एन० एस० यादव का कथन है कि ब्राह्मण स्वयं कृषि कार्य नहीं करता था, अपितु कृषि कार्य दूसरों के माध्यम से करवाता

1 गृहस्थकाण्ड पृ० 194

2 वहीं-पृ० 195

3 स्यारहवीं सदी का भारत, पृ० 106

4 शुक्र.- 4260-261

5 ओझा, निबन्ध संग्रह, 2 पृ० 196

6 उद्धृत-कृत्यकल्प के गृहस्थकाण्ड, पृ० 191

7 पराशर स्मृति-आचारकाण्ड कलौयुगेत्विमान धर्मान् वर्णानाञ्जन्म नाषण "2/1 पृ० 578

8 बृहत्पराशर संहिता 1/4

था ऐसी स्थिति में ब्राह्मण का (कर्षण-कार्य) से सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता अपितु "कृषि-वृत्ति" के साथ सम्बद्ध अवश्य हो जाता है।¹ किन्तु कूर्म-पुराण (जो पूर्वमाध्यकाल की रचना है) से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकल्पतः ब्राह्मण कर्षण कर सकता है।²

ब्राह्मण इस युग में कृषि के साथ-साथ व्यापार भी करते थे। अल्बेरुनी (11 हवी श०) लिखता है कि यह अनुज्ञा ब्राह्मणों को विकटतम स्थिति में प्राप्त थी। जब उसके पास आजीविका का और कोई साधन नहीं बचा रहता था³ तब उसके अनुसार ब्राह्मण वस्त्र एवं सोपाडी के व्यवसाय में अपना भाग्य आजमा सकते थे। किन्तु उत्तम यह था कि इसके लिए वैश्यों को रखे, क्योंकि व्यापार में झूठ बोलना और धोखा देना पड़ता है जो ब्राह्मणों के लिए वर्जित था। गाय घोड़े आदि पशुओं का व्यापार करना भी उनके लिए निषिद्ध था।⁴

ब्याज पर ऋण देने का व्यवसाय प्रायः ब्राह्मणों के लिए वर्जित था अल्बेरुनी लिखता है कि ब्राह्मणों को ब्याज से लाभ उठाने की अनुज्ञा नहीं थी⁵ किन्तु लक्ष्मीधर के अनुसार आपत्तिकाल में ब्राह्मण द्रव्य का लेनदेन कर सकता था⁶ व्यापार के क्षेत्र में भी स्मृतियों में ब्राह्मणों के लिए नमक, लाख मास, दूध, शहद तथा नशीले, पदार्थ शराब इत्यादि बेचना मना था।⁷

प्रबन्धचिन्तामणि में ब्राह्मणों द्वारा अपनाएँ जाने वाले ब्राह्मणेतर व्यवसायों के उल्लेखों के अतिरिक्त भारत के अन्य भागों से भी इस प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं। क्षेमेन्द्र (11हवी शताब्दी) की दशावतार चरित में ब्राह्मणों ने स्तर का ह्रास करने वाले शिल्पियों के व्यवसाय नर्तन शराब विक्रय मक्खन दुग्ध, नमक इत्यादि बेचना प्रारम्भ कर दिया था जो उनकी निम्न स्थिति का द्योतन करते हैं।

उपरोक्त साक्ष्यों के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों को यद्यपि समाज में सम्मानजनक स्थान अभी भी प्राप्त था, लेकिन अब राजनीतिक आर्थिक तथा धार्मिक प्रभावों के कारण कतिपय ब्राह्मण पूर्व-निर्धारित षट्कार्यों के करने मात्र से अपनी जीविका चलाने में सक्षम नहीं थे, इस कारण उन्होंने अन्य वर्णों के कार्यों को

-
- 1 यादव, बी० एन० एस०, वही पृ० 10
 - 2 वही; स्वयं वा कर्षम कुर्यात्पाणिज्य वा कुसीदकम्। आचारकाण्ड (2/2) पृ० 80, पाद टिप्पणी 10ड
 - 3 ग्यारहवीं सदी का भारत पृ० 105 (ए आई, भाग-2 पृ० 132)
 - 4 उपरि उक्त, पृ० 104.
 - 5 वही, पृ० 115
 - 6 गृहस्थकाण्ड अनावृष्ट्या सा कुसीदे न विधे। 214-221
 - 7 अत्रि स्मृ० 21 (55 पृ० 10) वशिष्ट स्मृ० 231 (55 पृ० 190) पराशर स्मृ० 2,27

करना प्रारम्भ कर दिया था जिससे उनके सामाजिक स्थिति के ह्रास का संकेत मिलता है।

ब्राह्मणों के विशेषाधिकार

पूर्व के युगों में ब्राह्मणों की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है। कि ब्राह्मणों को राज्य एवं समाज में विशेष अधिकार प्राप्त थे। प्रबन्ध-चिन्तामणि में तथा समकालीन अन्य प्रबन्धों एवं ग्रन्थों में और अभिलेखों में इस प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं।

दान ग्रहण करना ब्राह्मणों के अधिकार के अन्तर्गत था। प्रबन्धचिन्तामणि¹ में ब्राह्मणों को वेद का ज्ञान करने के लिए एक लाख सोने के टुकड़े दिए जाने का उल्लेख मिलता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में एक अन्य स्थल पर उल्लिखित है कि राजा भोज ने एक ब्राह्मण को लाख, लाख तथा 10 मदमस्त हाथी उपहार में दिया² जिसकी अनुमानित मूल्य तत्कालीन 3 लाख स्वर्ण मुद्रा लगा सकते हैं। समकालीन ग्रन्थ प्रबन्धकोश में भी ब्राह्मणों को धन तथा भूमिदान देने का उल्लेख मिलता है।³ पुरातन प्रबन्ध-संग्रह में भी ब्राह्मणों को धन-दान करने का उल्लेख प्राप्त होता है।⁴ एक अन्य जैन ग्रन्थ सुकृतकी-तिक्लोलिनी (ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी) में भी ब्राह्मणों को प्रभूत कनक दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है।⁵ इसी प्रकार हेम चन्द्र कृत द्वयाश्रयकाव्य में भी प्रसंगित है कि ब्राह्मणों को गाय तथा भूमि दान दिया जाता था⁶ इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को भूमिदान दिए जाने के भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं। प्रबन्धचिन्तामणि⁷ चौलुक्य शासक सिद्धराज द्वारा बालक नगर में सिंहपुर (अग्रहार) ग्राम जिसमें 106 ग्राम हैं ब्राह्मणों को दान देना प्रसंगित है ब्राह्मणों के दान-ग्रहीता होने की पुष्टि अभिलेखिक साक्ष्यों से भी होती है। चौलुक्य नरेशों के बहुत से अभिलेखों में ब्राह्मणों को भूमि दान तथा अन्य वस्तुएँ दान दिए जाने के बहुत से उदाहरण प्राप्त होते हैं⁸ अन्य समकालीन राजवंशों के नरेशों के अभिलेखों में भी इसी प्रकार के विवरण प्राप्त होते हैं। बारहवीं शताब्दी में पौराणिक परंपरा के प्रभाव के कारण हिन्दू शासक इस प्रकार के उपहार या दान

1 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरु० पृ० 106, टॉनी पृ० 170

2 वही.पृ० 27, टॉनी पृ० 38 लक्ष लक्ष पुनर्लक्ष मत्ताश्र दश दीनतन ।

3 प्रबन्धकोश विप्रैणैकेन हल खेडयता दिव्य ज्योतिष्मद्रत नक भूमौ पतित लेगे। पृ० 57,58,83 पाइसड

महाणव पृ० 279

4 पु० प्र० सं० पृ० 6

5 सुकृत-पृ० 8

6 द्वयाश्रय 23

7 प्रबन्धचि० मेरु० पृ० 71 टॉनी पृ० 107 बालक देश दुर्ग भूमौ सिंह पुरमिति ब्राह्मण नामग्रहारा स्थापिता

8 अभिलेख इडि० एटी० XI इडि० एटी०-6 48-55 जे० ए० एस० वी-XXx 1861 पृ० 195-210 एपि इडि० 33 1959-60 पृ० ११९२-१९८, इडि० इडि एटी० 61 पृ० 201 एपि इडि-11 पृ० 81, एपि इडि XXI पृ० 171 आल इडिया कांग्रेस ओरिएटिल कांग्रेस पृ० 643

देकर अधिक यश प्राप्त करना चाहते थे।¹ सोमदेव कृत कथासरित्सागर² में भी एक कहानी है कि राजा ने एक हजार ग्राम तथा राजकीय शक्ति प्रतीक एक हाथी तथा छत्र एक ब्राह्मण को दान में दिए और बाद में उसे शाही पुरोहित के रूप में नियुक्त किया। उसे उपहार में दिए गए ग्रामों का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था। कथाकोश³ (11 वी-12वी) शताब्दी में भी यह कथा प्रसंगित है कि श्री वर्धन प्रत्येक दिन दिवस आरम्भ होने पर जो पहला ब्राह्मण दिखाई पड़ता था उसे वह एक माशा सोना दान में देता था। बारहवी शताब्दी में लक्ष्मीधर जो धर्म निबन्धकार थे, उन्होंने दान के महत्व को प्रदर्शित करते हुए पृथक रूप से दान काण्ड की रचना की है और इसमें ब्राह्मणों को उपहार के साथ-साथ दान देने को भी महत्व पूर्ण बताया है। विभिन्न उपहारों में बहुश भूमि दान ही दिया जाता था।⁴

कल्चुरि, गुर्जर और चौलुक्यों, सम्बन्धी विवरणों में यह कहा गया है कि ब्राह्मणों को पञ्च-यज्ञ बलि, कर्ण, वैशव-देव, अग्निहोत्र तथा मेहमान- के लिए दान दिया जाता था। दर्श पूर्णमास, राजसूय, बाजपेय और अग्निष्टोम पाच यज्ञ थे जिनके लिए उपहार दिया जाता था।⁵

इस प्रकार दान सम्बन्धी जो विवरण उपलब्ध हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। यह परम्परा प्राचीन काल में प्रचलित थी जो कि इस युग में भी देखने को मिलती है। ब्राह्मणों को भूमि तथा ग्राम देने के फलस्वरूप सामन्ती प्रथा में वृद्धि हो रही थी। वे पूर्व मध्यकाल में ही सामन्तों की श्रेणी में आने लगे थे गहड़वाल⁶ चेदि⁷ और चन्देल⁸ राजपूतों के लेखों में कुछ ब्राह्मणों के नाम में "ठक्कर" तथा "राउत" की उपाधि जोड़ने लगे थे जो कि सामान्यतया क्षत्रिय सामन्त धारण किया करते थे।

दान प्राप्त करने के साथ ही सभी प्रकार के करों से मुक्ति भी प्राचीन काल में ब्राह्मणों का विशेषाधिकार था। प्रबन्धचिन्तामणि में उल्लिखित राजा सिद्धराज द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए 106 ग्राम कर से मुक्त थे।⁹ इसी प्रकार के ब्राह्मणों के कर मुक्त भूमि दान के उदाहरण सुकृतकोर्तिकल्लोलिनी (ग्यारहवी शताब्दी) में भी प्राप्त होता है।¹⁰ आलोच्यकालीन धर्मशास्त्र ग्रन्थों तथा अन्य साहित्यिक स्रोतों से यह प्रमाण प्राप्त होता है कि ब्राह्मण,

1 बी० एन० एस० यादव, सोसाइटी पृ० 27

2 (वही पृ० 27) कथा/टॉनी-11 पृ० 59)

3 वही पृ० 27 कथा, टॉनी-2 पृ० 59) कथाकोश टॉनी पृ० 12

4 सोसाइटी एण्ड कल्चर, यादव बी० एन० एस० पृ० 26

5 आर्कैलाजिकल सर्वे ऑफ गुजरात, एच० डी० सका लिया पृ० 209

6 सोसाइटी एण्ड कल्चर, पृ० 28 (एपि० इडि० IX 131 पृ० 100, IX पृ० 219, XIX पृ० 294

7 एपि० इडि० भाग०-XXI पृ० 95, इडि० एटी० पृ० 226

8 एपि० इडि० पृ० 155

9 प्रबन्ध चि०, मेरु० पृ० 71 टॉनी पृ० 107

10 सुकृत० पृ० 62 श्लोक-41

विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मण कर मुक्त था तथा उससे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। चौलुक्य राजाओं के कुछ अभिलेखों से भी ज्ञात होता है कि ब्राह्मण को कर से मुक्त रखा गया है।¹ लेकिन यह अधिकार केवल श्रोत्रिय ब्राह्मणों को ही था। पूर्व मध्यकालीन लेखक भी श्रोत्रिय ब्राह्मणों को कर से अलग ही रखते हैं। अल्बेरुनी के अनुसार भी श्रोत्रिय ब्राह्मणों को प्रत्येक प्रकार के करों से मुक्त रखा जाता था² इस तथ्य की पुष्टि लक्ष्मीधर³ तथा सोमेश्वर⁴ करते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सामान्य ब्राह्मणों से कर लिया जाता था। कुछ बाद के अभिलेखों में जो कि गुजरात में 1230 ई० और उडीसा से (1436 ई० और 1470) ई० में प्राप्त हुए हैं, ब्राह्मणों को कर मुक्त किये जाने के प्रसंग मिलते हैं।⁵ उक्त साक्ष्यों के अल्टेकर⁶ तथा घोषाल⁷ ठीक ही कहते हैं कि केवल श्रोत्रिय ब्राह्मण ही कर से मुक्त थे लेकिन अन्य ब्राह्मणों को कर देना पड़ता है। जो ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे उन्हें ब्रह्मदेय और अग्रहार कहा जाता था।⁸ ब्राह्मणों के धार्मिक अधिकार के सम्बन्ध में लक्ष्मीधर ने लिखा है कि ब्राह्मण पुरोहित के रूप में समस्त धार्मिक कार्यों को करते थे।⁹ पूर्व मध्य कालीन अभिलेखों से ब्राह्मणों के पुरोहित होने के अनेक विवरण मिलते हैं।

ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमिदान के अतिरिक्त भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। जिनका उल्लेख तत्कालीन साहित्य साक्ष्यों में मिलता है। इस सम्बन्ध में यद्यपि प्रबन्धचिन्तामणि में कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है तथापि कुछ अन्य ग्रन्थों में इस प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणों को दण्ड में छूट की व्यवस्था तो प्राचीन काल से ही थी। मनु के अनुसार ब्राह्मण को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जा सकता था¹⁰ तथा केवल देश से निर्वासित कर देना ही ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा दण्ड था¹¹ पूर्व मध्ययुग में भी ब्राह्मणों को उक्त सुविधाएँ प्राप्त थीं। अल्बेरुनी लिखता है कि यदि हत्यारा ब्राह्मण हो और मृतक किसी दूसरे वर्ण का हो तो ब्राह्मण को दण्ड के रूप में उपवास, प्रार्थना, अथवा दान के सम्पादन के रूप

1 एपि० इंडि० 19-1927-28 पृ० 69-75

2 साचऊ-द्वितीय पृ० 149

3 कृत्यकल्पतरु राजधर्म काण्ड, पृ० 91-92 अकर श्रोत्रिय

4 मानसोल्लास, 1,166

5 एपि० इंडि० -8, 211 जे० ए० एस० बी० भाग (1893)

6 अल्टेकर, स्टेट एण्ड गवर्नमेंट इन ऐशियेट इंडिया, पृ० 195, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूटाज, पृ० 328

7 घोषाल यु० एन० हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम, पृ० 138

8 अर्थशास्त्र 21, एपिगैफिकल ग्लोसरीज, डी० सी० सरकार-अग्रहार-ब्राह्मणों को करमुक्त भूमिदान दिया जाता था। ब्रह्मदेय-ब्राह्मण ग्राम ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि दी जाती थी।

9 राजधर्म काण्ड, पृ० 176, यशस्तिलक पृ० 361

10 मनु स्मृति, ब्राह्मणों न हन्यते यावदन्वेष्यपराधेषु 8 380

11 पी० बी० काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास भाग-1 पृ० 141

मे केवल प्रायश्चित का ही विधान था। अगर मरने वाला ब्राह्मण है और मारने वाला भी ब्राह्मण है तो उसे प्रायश्चित का अधिकार नहीं, क्योंकि प्रायश्चित से अपराध समाप्त हो जाता है।¹

इसके विपरीत तत्कालीन अनेक धर्म ग्रन्थों में ब्राह्मणों को दण्ड देने के समस्या पर विस्तार से विचार किया गया है और वही कही ब्राह्मणों के इस विशेष अधिकार को चुनौती भी दी गयी है तथा उन्हें दण्ड का भागी स्वीकार किया गया है। स्वयं ब्राह्मण ग्रन्थ एव धर्मशास्त्र भी ब्राह्मणों के उक्त विशेषाधिकार का विरोध करते हैं। कृत्यकल्पतरु² में ब्राह्मणों के लिए प्राणदण्ड की व्यवस्था निषिद्ध की है किन्तु कुछ धर्मशास्त्रकारों में प्राचीन विधाओं के विरुद्ध आततायी ब्राह्मण को प्राणदण्ड देने का विधान किया गया है। सुमन्त को उद्धृत करते हुए विज्ञानेश्वर ने दुराचारी ब्राह्मणों को प्राणदण्ड देने की व्यवस्था की है।³ स्मृतिचन्द्रिका (13 हवी श०) में देवण्ण भट्ट ने भी ऐसे अपराधी ब्राह्मण का वध करने का समर्थन किया है।⁴ अल्बेरुनी लिखता है कि यदि चोरी की गयी वस्तु बहुत बड़ी हो तो राजा ब्राह्मण को अधा करके उसका अंग कटवा डाले। उसका बाँया हाथ और दाया पैर तथा दाया हाथ और बाया पैर कटवा दे।⁵

इस प्रकार के उल्लेखों से पता चलता है कि अधीत काल में भी पूर्व निर्धारित विशेषाधिकार कुछ सीमा तक अक्षुण्ण थे, किन्तु आततायी, दुराचारी एव अपराधी ब्राह्मण का शारीरिक दण्ड दिये जाने का विधान का अनुमोदन अधिकांश धर्म शास्त्रकार करते हैं। यह स्थिति ब्राह्मणों की पतनोन्मुख स्थिति का सञ्ज्ञान कराती है।

ब्राह्मणों का उप-विभाजन

प्राचीन काल से ही ब्राह्मण अपने गोत्र, प्रवर तथा शाखा के आधार पर विभिन्न उप जातियों में बटे थे। चौलुक्य राजाओं⁶ के तथा अन्य राजवंशों के अभिलेखों में⁷ भी इसी प्रकार का विभाजन प्राप्त होता है। ब्राह्मणों का यह उपविभाजन उनके व्यवसाय, शिक्षा, नैतिक शुद्धता एव आचारण, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र तथा परिवार या निवास के कारण हुआ।

-
- 1 ग्यारहवीं सदी का भारत पृ० 108 अल्बेरुनीज इंडिया -2 पृ० 162
 - 2 गृहस्थकाण्ड क्षत्रिय चैव सर्प च ब्राह्मण च बहुश्रुतम्। नावमन्येत वै वृष्ट कृशानपि कदाचन पृ० 397
 - 3 याज्ञ० स्मृति 2 21 II, 21
 - 4 स्मृ० तिचंद्रिका प्रथम 30
 - 5 ग्यारहवीं सदी का भारत पृ० 108-109, अल्बेरुनीज-1 पृ० 162
 - 6 इंडि० एटी० XI वि० स० 1256 एपि इंडि XXI पृ० 171, विस० 1120, एपि० इंडि० 1 प० 293 वि० स० 1208
 - 7 आर० आर० त्रिपाठी, हिस्ट्री ऑफ कन्नौज पृ० 356

गुजरात में ब्राह्मणों के विभिन्न वर्ग मोघ¹ उदीच्य² सिहोर³ रायकवाल⁴ नागर⁵ तथा प्राग्वाट प्राप्त होते हैं। अधीत काल के ग्रन्थ रासमाला⁶ में हमें ब्राह्मणों के विभिन्न नाम औदिच्च सिहोरिया, नागर, श्रीमाली, भोजक, नागर इत्यादि नाम प्राप्त होते हैं जिनका उल्लेख चौलुक्यों के विभिन्न अभिलेखों में हुआ है।

दुर्लभराज के एक अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि ब्राह्मण 1075 ई० तक केवल अपने गोत्र तथा शाखा से जाने जाते थे।⁷ कालांतर में ये अपने निवास स्थान के नाम से भी जाने गए। स्थान के नाम, गोत्र से अधिक महत्वपूर्ण जाति बोधक हो गए ऐसा उल्लेख कुमारपाल के अभिलेख मिलता है।⁸ इस काल में ब्राह्मणों का उपविभाजन भौगोलिक क्षेत्रीयता के आधार पर ही अधिक हुआ था। गुजरात की ब्राह्मण जाति की अन्य उपशाखाओं के नाम वहाँ के पवित्र एवं महत्वपूर्ण स्थानों जैसे मोद्रेरा, सिद्धपुर वाडनगर, गिरनार के नाम पर तथा लाट, भडौच, नादोड, अनावल, श्रीमाल, ओसिया, खेडा, इत्यादि के क्षेत्रीय आधार पर होते थे।⁹ गोरखपुर से प्राप्त कतिपय अभिलेखों से सरुवार¹⁰ तथा सरयूपारी शब्द मिलता है। उनको बाद के सरयूपारी ब्राह्मणों के ही उपजाति से जोड़ा जा सकता है। चौलुक्य शासक मूलराज द्वारा गुजरात में रहने के लिए इन सरयूपारी ब्राह्मणों को बुलाया गया।¹¹

गुजरात के नागर ब्राह्मण किसी सजातीय गोत्र में विश्वास करते थे। गुजरात प्रदेश में वाडनगर इनका मूल स्थान था।¹² परमार अभिलेखों में इन्हें आनन्दपुर का बताया गया है अल्लोकर ने वाडनगर तथा आनन्दपुर को एक साथ ही वर्णित किया है।¹³ आनन्दपुर प्रशस्ति में इन्हें द्विज महास्थान विप्रपुर वासी कहा गया है।¹⁴

-
- 1 पालनपुर प्लेट, भीम-1 1064 ई० एपि० इंडि० XXI 173)
 - 2 भीम-11022 ई० एच० आई० जी० 11 140
 - 3 द्वयाश्रय काव्य, -69
 - 4 भीम- द्वितीय 1256
 - 5 वही एच० आई० जी० द्वितीय 162
 - 6 रासमाला, ए० के० फोर्स पृ० 534-535
 - 7 जे० बी० वी० आर० ए० एम० भाग XXVI
 - 8 इंडि० एंटी XI पृ० 72
 - 9 एम आर० मजूमदार, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ गुजरात पृ० 44
 - 10 एपि० इंडि० भाग-5 पृ० 114 (गोविन्द चन्द्र की पाली प्लेट)
 - 11 वही -8 पृ० 91
 - 12 रासमाला, पृ० 534
 - 13 एनशन्ट टाउन्स एण्ड सिटीज इन गुजरात एण्ड कार्ठियावाड, इंडि० एंटी पृ० 15-17
 - 14 वही, माभूतय तथापि तीव्र तपसो बाधेति भक्त्या नृप । वप्र विप्रपुरामिरक्षणकृते निर्मापियामास स)
आनन्दपुर प्र० एपि० इंडि० । पृ० 300

उत्तर भारत के कुछ ब्राह्मणों को जो अन्तर्वेदी, श्रीमल और आनन्दनगर या नागर ब्राह्मण थे, सा श्रेष्ठता प्राप्त थी। जैन अनुश्रुतियों से मोधेर पुर या मोधबक पत्तन का पता चलता है, जहाँ के ब्राह्मण कहा जाता था।¹ वे ब्राह्मण अधिकतर महाक्षपटलिक या प्रशासनिक पद पर कार्य करते थे।²

श्रीमल ब्राह्मण मूलतः जालौर में श्रीमल (भिनमल) नगर के प्रवासी थे। महाकवि माघ इसी वंश इन नगर का पतन होने पर वे कच्छ सौराष्ट्र तथा मारवाड़ में बस गए थे जिनमें से बहुत से ब्राह्मणों धर्म अपना लिया था, ऐसे ब्राह्मणों को भोजक कहा गया।³

कुछ आप्रवासी ब्राह्मण अपने नाम के साथ अपने मूल स्थान का नाम भी जोड़े रहते थे, जैसे : मेवाड़ा सारस्वत, साचोरा, श्रीमाली श्री गौड इत्यादि थे।⁴ ये उपविभाजन विशेष रूप से गुजरात राजस्थान उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अधिकतर पाया जाता है।

समकालीन अभिलेखों से हमें राजपूताने में ब्राह्मणों के दो वर्गों का परिचय मिलता है। नवी शताब्दी के जोधपुर अभिलेख में मग "और" सकद्वीपीय" ब्राह्मणों का प्रसंग मिलता है, जो कि कङ्कक के घटियाल के कर्ता माने जाते हैं। ब्राह्मणों की एक अन्य उपजाति मोट्टक का भी गुजरात में चौदहवीं शताब्दी में होने का उल्लेख मिलता है लेकिन राष्ट्रकूट लेखों में इनके गुजरात प्रवास की प्राचीनता नवी शताब्दी में मिलती है।

विवेच्यकाल में उपविभाजन मेवृद्धि ब्राह्मणों के स्थानान्तरण से भी हुई थी। आप्रवासी ब्राह्मण आप्रवासी ब्राह्मणों से मिलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे उनको भोजन और रक्त शुद्धता दोनों दृष्टियों से अशुद्ध थे। मूलराज के आमन्त्रण पर आने वाले ब्राह्मणों को अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा उच्च स्तर प्राप्त था। इसी वंश ब्राह्मण औदीच्य कहलाए। अदानग्रहीता ब्राह्मणों को तौलुकीय- औदीच्य कहा जाता था।⁵ परमार अभिलेखों में भी ब्राह्मणों के गोत्र की एक लम्बी सूची प्राप्त होती है। जिससे मालवा क्षेत्र में भी ब्राह्मणों की विभिन्न क उप-जातियों में बंट जाने का पता चलता है। इस काल में दीक्षित, शुक्ल त्रिपाठी अग्निहोत्र, याज्ञिक, पाठक इत्यादि नाम प्राप्त होते हैं।

आप्रवासी उदीच्य, ब्राह्मणों को मूलराज ने ग्राम-दान भी दिया। जो दानग्रहीता ब्राह्मण सिद्धपुरीया कहलाए।

-
- 1 रास माला, पृ० 80
 - 2 सकालिया एच० डी०, वही पृ० 208
 - 3 रासमाला पृ० 535
 - 4 एम० आर० मजूमदार, वही पृ० 45
 - 5 रासमाला, पृ० 534

इनके अतिरिक्त गुजरात के आसपास के क्षेत्र अहमदाबाद तथा बड़ौदा क्षेत्रों में रायकवाल का प्राधान्य था वे दक्षिणा और कृषि पर ही आश्रित रहते थे, चौलुक्य राजाओं के अभिलेखों में भी इनका उल्लेख आया है।¹

इनके विभाजन का एक कारण विदेशी विधर्मियों की भारतीयों तथा भारतीय धर्म एवं संस्कृति के प्रति कठोर नीति भी थी। ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मणों ने रक्त शुद्धि पर विशेष बल दिया। परिणाम स्वरूप समाज में उपजातियों का स्वरूप ठोस हो गया।²

क्षत्रिय

सामाजिक स्तरीकरण के अवरोही अनुक्रम में द्वितीय स्थान क्षत्रियों को प्राप्त था। उनका प्रमुख कर्तव्य प्रशासन एवं समाज की सुरक्षा था। प्रबन्धचिन्तामणि ग्रन्थ में आचार्य मेरुतुग ने कुशल शासक विक्रमादित्य तथा चौलुक्य राजा कुमारपाल को क्षत्रिय ही बताया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थ में आए हुए अन्य नाम "चापोत्कट" तथा "झाला" जाति का उल्लेख भी क्षत्रिय के अन्तर्गत ही किया है।³ द्वयाश्रयाकाव्य में हेम चन्द्र ने क्षत्र का उल्लेख क्षत्रिय के सन्दर्भ में किया है।⁴ हेमचन्द्र की ही त्रिषष्टिशला का पुरुषचरित्र⁵ में क्षत्रियों को चार भागों में बाटा था, जो उग्र, भोग, राजन्य और क्षत्र थे।

प्राचीन काल से ही क्षत्रिय युद्ध तथा शासन का कार्य करते रहे हैं।⁶ अभिधानचिन्तामणि में क्षत्रिय के पर्याय क्षत्रम्, क्षत्रिय, राजा, राजन्य बाहुसम्भव बताए गये हैं।⁷ अल्बेरुनी भी क्षत्रियों को समाज में दूसरा स्थान देता है परन्तु वह उन्हें ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं रखता है।⁸ भोजकृत ग्रन्थ समरागणसूत्रधार⁹ में भी वर्णों का विभाजन किया गया है तथा क्षत्रियों को दूसरे स्थान पर रखते हुए उन्हें शूर तथा उत्साही बताया है। पुरातन-प्रबन्ध-सग्रह में भी क्षत्रियों का युद्ध करने तथा वीर होने का उल्लेख है।¹⁰ जैन पुराणों के अनुसार विनाश

शुक्ल

1 सकालिया, एच० डी०, पृ० 207

2 परमारों के अभिलेख पृ० 35

3 प्रबन्ध चिन्तामणि मेरु० पृ० 12 72, टॉनी पृ० 109

4 द्वयाश्रयाकाव्य-5 116,

5 त्रिश० पु० च० 12. 974-979 सभवत उग्र- युद्ध लड़ने वाले, योद्धा, भोग- ग्रामपति, सामत, राजा से भोग के रूप में प्राप्त भूमि के भोगपति रहे होंगे। राजन्य- शासक - राज्य करने वाले राजत, राजक, ठाकर तथा क्षत्र - सामान्य सत् क्षत्रिय इत्यादि रहे होंगे।

6 धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग-प्रथम पृ० 113

7 अभिधानचिन्तामणि, श्लोक 527 पृ० 214

8 साचऊ, पृ० 101

9 समरागणसूत्रधार, ये तु शूरा महोत्सहा शब्धा रक्षणक्षमा 11 पृ० 26

10 पु० प्र० स०, चतुर्दशु वृक्षादि क्षत्रियैश्छिन्नम्। पृ० 25

(क्षत्र) से रक्षा (त्राण) करने से क्षत्रिय सजा प्राप्त होती है।

क्षत्रियों का ब्राह्मणों की भांति उनके प्रवास स्थान के नाम पर उपविभाजन तो नहीं मिलता परन्तु उनका शासक एवं शासित के रूप में वर्गीकरण अवश्य मिलता है। द्वितीय वर्ग से कभी-कभी ग्राम प्रमुख भी होते थे। क्षत्रियों को राजपूत भी कहा जाता था। ये शब्द इस काल के अभिलेखों में शासन करने वाले क्षत्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है¹ जो क्षत्रियों के 36 जातियों से उत्पन्न होने वाले थे तथा यह (राजपूत) इनकी राजत, राणक ठकुर आदि स्थानीय उपाधियों के समानार्थक प्रतीत होता है।

उत्तर भारत के शासक वर्ग में गुहिल, गुर्जर-प्रतिहार, चाहड, चाहमान चौलुक्य, राष्ट्रकूट, चन्देल, परमार, कच्छप घाट तथा गहडवाल अपने को राजपूत कहते थे। वे अपने को महात्मा वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर प्रज्वलित अग्निकुण्ड से उत्पन्न बताते हैं। राजतरंगिणी² की एक सूची में राजपूतों के 36 नाम प्राप्त होते हैं।³ कथासरित्सागर में बहादुर राजपूत रक्षकों की कहानियाँ मिलती हैं।⁴ वर्णरत्नाकर⁵ में भी 36 नाम बताए गए हैं। कुमारपालचरित में जो राजपूतों के नामों की सूची प्राप्त होती है वह इस प्रकार है—

इक्ष्वाकु, सोम, यदु, परमार, चौहान, चालुक्य, चण्डक, सिलार (राजतिलक), चापोत्कट, प्रतीहार, सक्रमर्क, चुरपाल, चन्देल, ओहिल, पलक, मौर्य, मखवहन, धनपाल, सजपलक दह्य, तरदलिका, निकुम्भ, हूण, बल, हरिअल, मोकर और पोकर² विलियम क्रुक द्वारा सम्पादित टॉडकृत एनल्स ऑफ एन्टीक्यूटीज आफ राजस्थान में मारवाड के प्राचीन जैन मंदिरों में विवृत साक्ष्य के आधार पर राजपूतों की 36 जाति की तालिका दी गयी है जो इस प्रकार है— इक्ष्वाकु, सूर्य, सोम या चन्द्र यदु, चाहमान, परमार, चालुक्य या सोलकी, परिहार, चावड, दुदिया, राठौर, गुहिल, दभि, मखवहन, नोर्क अस्वरिअ, सलर या सिलर, सिद, सेपत, हन या हूण, किर्जल, हरकूर, रजपलि, धनपलि, अग्निपलि, बल, झल, भगदोल, मोतदन, गोहोर, कगइर, करजिओ, चदलिअ, पोकर, निकुम्भ तथा सलल।

"राजपूत" का शाब्दिक अर्थ राजा का पुत्र ही होता है। परन्तु पूर्व मध्यकाल में यह शब्द उन क्षत्रियों के लिए भी प्रयुक्त होने लगा जो कि कुछ ग्रामों के अधिकारी छोटे सरकारी पदों पर नियुक्त थे।⁶

1 एपि० इडि० 14 पृ० 11591, बल्लालसेन अभि० रे राजपुत्रा त्रिंशति

2 राजतरंगिणी- 7-1617

3 राजतरंगिणी प्रख्यापयन्त सभूति षटत्रिंशति कुलेषु ये तेजस्विनो भास्वैतोऽपि सहन्ते नोच्चकै स्थितिम् 7, 1617-1618

4 कथासरित्सागर, टॉनी, 1 पृ० 72, 140, 151

5 एपि इडि० 1965 पृ० 35

6 सोसाइटी एण्ड कल्चर पृ० 32

गुप्तोत्तर काल में क्षत्रियों का शुद्ध जातिगत स्वरूप नहीं रह गया था। बहुत सी विदेशी जातियों का रक्त सम्मिश्रण हो गया था विदेशी आक्रमणकारी शक, कुषाण पहलव हूण इत्यादि जो भारत में पूर्णतया बस गए थे। वे भारतीय सामाजिक ढांचे में भी मिल गए थे। इस काल में मिलने वाली विदेशी जातियों ने क्षत्रियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया तथा समय के साथ-साथ उन्होंने उनके साथ सामाजिक तथा रक्त सम्बन्ध भी कायम किया।

कतिपय विद्वानों ने इनकी देवी उत्पत्ति मानी है परन्तु यूरोपीय तथा कुछ विद्वानों ने उनकी उत्पत्ति के देवी सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार राजपूत जाति का प्राचीन वैदिक क्षत्रियों से कोई सम्बन्ध नहीं था। वे उन्हें यूची, शक हूण गुर्जर आदि विदेशी जातियों की सन्तान मानते हैं। टाड, क्रुक, भण्डारकर आदि इसी मत के पोषक हैं। इनके विपरीत सी०वी०वैद्य राजपूतों को विशुद्ध क्षत्रियों को सन्तान मानते हैं। जेड, जी०एम० डरेट ने राजपूतों को प्राचीन क्षत्रिय जाति से पृथक् करने का प्रयत्न किया है।¹ किन्तु डा० बी० एन० एस यादव इस मत की विश्वसनीयता स्वीकार नहीं करते हैं।² अतएव ऐसी स्थिति में सामान्यतया यही माना जा सकता है कि राजपूत क्षत्रिय वर्ग से पृथक् नहीं थे क्योंकि आलोच्यकाल में राजपूत विभिन्न कुलों में विभक्त हो गये थे। कुछ ने पुरोहितों के गोत्रों को अपना लिया था। मेवाड के गुहिल वंशियों का गोत्र बैजवाय था।³ इसी प्रकार चौलुक्य मानव्य गोत्रीय भी थे।⁴ इस गोत्र वैभिन्य का कारण यह प्रतीत होता है कि राजपूतों को गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्रों के आधार पर माने गये थे। अलग-अलग प्रदेशों में बसने पर तत्कालीन पुरोहितों के गोत्र धारण करना प्रथा बन गयी थी।

मिताक्षरा के अनुसार जिन क्षत्रियों और वैश्यों के स्वयं के गोत्र व प्रवर नहीं होते उन्हें अपने पुरोहितों के गोत्र व प्रवर अपना लेना चाहिए।⁵ इसमें सदेह नहीं कि मिताक्षरा को इस उक्ति का व्यापक प्रचलन था। राजपूतों के विभिन्न नाम इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।

प्रबन्धचिन्तामणि में आने वाले क्षत्रिय नाम चापोत्कट तथा झाला का उल्लेख टाड द्वारा दी गयी राजपूतों की सूची में भी प्राप्त होता है जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि इस काल में राजपूतों ने क्षत्रियों के व्यवसायों को अपना कर समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। झाला जाति ने चौलुक्य और बघेलों

1 डरेट, जे०इ०एस०एच०ओ०, भाग-7 1964 पृ०74

2 सोसाइटी एण्ड कल्चर, पृ०32

3 गौरीशंकर हीरानन्द ओझा, राजपूताने का इतिहास, प्रथम, पृ०352

4 वही पृ०1-353 पर उद्धृत

5 याज्ञ-स्मृति, प्रथम 53 पर टीका यजसा नस्थाषेया न्रवणोते पौरौ हित्यान्नाजनर्या वशा प्रवृत्तीते

के बाद अणहिलवाड पर अपना अधिकार किया था । सर्वप्रथम झाला जाति के अस्तित्व का उल्लेख मकवान जाति के अन्तर्गत केरोकाट क्षेत्र में हुआ था जो कच्छ में है ।¹

राजस्थान एवं गुजरात जैसे क्षेत्रों में सामन्तों ने न केवल राजनीतिक दृष्टि से अपितु सामाजिक दृष्टि से भी अपना गौरव स्थापित किया था ।²

क्षत्रिय के कार्य तथा विशेषाधिकार

प्राचीन काल से ही क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना तथा शासन करना रहा है । प्रबन्धचिन्तामणि ग्रन्थ के अन्तर्गत शासन करने वाले कुशल शासक विक्रमादित्य कुमारपाल तथा अन्य राजा क्षत्रिय वर्ग के ही थे । प्रबन्धकोश,³ पुरातन प्रबन्ध-संग्रह,⁴ समारागणसूत्रधार⁵ इत्यादि ग्रन्थों में क्षत्रिय द्वारा रक्षा का कार्य करने तथा उनके वीर योद्धा होने के उल्लेख प्राप्त होते हैं । जैन पुराणों में इनके अन्य कर्तव्यों का उल्लेख किया है । महापुराण में क्षत्रियों के पाच कृत्य-कुल-पालन बुद्धि पालन, आत्मरक्षा प्रजा-रक्षा तथा समञ्जसत्व धर्म (कर्तव्य) वर्णित है ।⁶ उक्त पुराण में ही क्षत्रियों के अन्य कर्तव्यों में न्यायोचित वृत्ति, धर्मानुसार धनोपार्जन रक्षा करना, वृद्धि को प्राप्त करना तथा योग्य पात्र को दान देने का भी विधान है ।⁷

एक आदर्श क्षत्रिय बहादुर आत्म-नियंत्रक प्रजा रक्षक, दुष्ट दमनक होता है। त्याग, करुणा, उपहार लेना और वेद पढ़ना उनका अधिकार था।

कृत्यकल्पतरु तथा गृहस्थरत्नाकर नामक ग्रन्थों से क्षत्रिय के अनुष्ठानिक कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार का पता चलता है। अन्य तीन वर्णों की रक्षा करनी ही उनका कर्तव्य था। देवल (600-900 ई०) कहते हैं कि क्षत्रियों को भगवान को पूजा तथा ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। इस काल में क्षत्रिय को ब्राह्मण के लिये विहित दो कार्यों अध्यापन तथा त्याग के अतिरिक्त अन्य कार्य कर सकते थे। उसे वेद पढ़ने का अधिकार था परन्तु पढ़ाने का नहीं।⁸ लक्ष्मीधर ने देवल को उद्धृत करते हुए क्षत्रिय को उपहार लेने की तथा विजित वस्तुएँ ग्रहण करने

-
- 1 रासमाला, पृ० 229
 - 2 यादव, वही पृ० 34
 - 3 प्रबन्धकोश पृ० 44
 - 4 पु० प्र० स० पृ० 25
 - 5 समारागण, पृ० 26 श्लोक 11
 - 6 महा० 42/4
 - 7 वही 42/3
 - 8 गृहस्थरत्नाकर, पृ० 253

की छूट दी है।¹

क्षत्रियों को विभिन्न विवाह करने तथा शराब पीने का विशेषाधिकार था। ब्राह्मण के लिए शराब पीना तथा राक्षस और गधर्व प्रकार का विवाह वर्जित था जबकि क्षत्रियों के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। कभी-कभी क्षत्रियों को भेट स्वीकार करने का विशेषाधिकार भी दिया गया।²

अल्बेरुनी लिखता है कि चोरी के अपराध में क्षत्रिय को बिना अधा किए ही उसका बाया पैर और दाया हाथ या दाहिना पैर और बाया हाथ काटते हैं। क्षत्रिय से निम्न वर्णों को वे चोरी के अपराध में प्राणदंड देते हैं।³

पूर्व मध्यकालीन विद्वान लक्ष्मीधर ने मनु को उद्धृत करते हुए आपत्तिकाल में क्षत्रियों को कृषि-कर्म करने का विधान किया है।⁴ राजा भोज के समकालीन क्षत्रिय-पुत्र मैमाक को कृषि-कर्म में प्रवृत्त बताया गया है। क्षत्रिय अपने परिवार के पोषण के निमित्त आपदकाल में कुछ प्रतिबन्धों के साथ व्यापार और वाणिज्य के कार्य भी अपना सकता था।

दसवीं शताब्दी तक आते-आते क्षत्रिय दो वर्गों - उच्च वर्गीय क्षत्रिय(सत्क्षत्रिय) तथा निम्न वर्गीय क्षत्रिय (असत्क्षत्रिय) में विभक्त हो गये थे। इस प्रकार क्षत्रिय दो अन्य उप जातियों में बंट गये थे। जो सरकारी पदों को प्राप्त करते थे, वे अपने को साधारण क्षत्रियों से बेहतर मानते थे। दसवीं शताब्दी का एक अरब यात्री इब्न खुर्दद्बा ने क्षत्रियों की दो श्रेणी बताई है- सब कुप्रिया तथा कटारिया।⁵ अल्तेकर के अनुसार इन्हें सस्कृत में सत्क्षत्रिय और क्षत्रिय कहा जाता है।⁶ इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो क्षत्रिय शुद्ध रक्त के होते थे वे सत्क्षत्रिय कहलाते थे तथा उनमें से ही राजाओं की नियुक्ति होती थी। जबकि जो मिश्रित रक्त वाले होते थे वे साधारण क्षत्रिय वर्ग में आते थे तथा वे अन्य अधिकारी और जागीरदार होते थे।

द्वयाश्रयकाव्य⁷ में भी दो प्रकार के क्षत्रियों का उल्लेख मिलता है। प्रथम शुद्ध क्षत्रिय तथा द्वितीय ब्राह्मणोकास

1 दानकाण्ड, पृ०37

2 इडि०ऐंटी३2पृ०135

3 ग्यारहवीं शदी का भारत पृ०115अल्बेरुनी-11 164

4 दानकाण्ड, पृ०37, गृहस्थकाण्ड पृ०191, मनु-वैश्य वृत्ताअपि जी वस्तु ब्राह्मण क्षत्रियोडपिवा। हिंसाप्रार्था पराधीना कृषि यत्नेन वर्जयेत।10 83

5 इलियट एण्ड डाउसन।पृ०16

6 अल्तेकर, राष्ट्रकूटाज एण्ड देअर टाइम्स- 1318-319

7 द्वयाश्रयकाव्य, 2। 115

कहलाते थे। द्वायाश्रय के टीकाकार अभय तिलक गणि के अनुसार जो क्षत्रिय पिता तथा क्षत्रिय माता से उत्पन्न होते थे वे प्रथम वर्ग के अन्तर्गत आते थे। दूसरे वर्ग में वे लोग थे जो जन्म से ब्राह्मण होते थे और समाज में उपेक्षित होने के कारण बाद में अपना जीवन चलाने के लिए युद्ध कार्य अपना लेते थे या वे ब्राह्मण जो युद्ध के माध्यम से अपना जीवन चलाते थे ब्राह्मण कस(ब्रह्मक्षत्र)कहलाते थे।¹

घुर्ये का यह मत समोचीन प्रतीत होता है कि 11हवीं श०ईस्वी से क्षत्रियों का केवल छाया मात्र अस्तित्व ही रह गया था।² उन्होंने इसके बहुत से कारण भी बताए हैं। विवेच्यकाल में क्षत्रिय वर्ग विशुद्ध नहीं रह गया था क्योंकि विभिन्न सत्ताधारी वर्ग या जाति के लोग भी क्षत्रियत्व के दावेदार होकर इसी में समाहित हो गये। दूसरे विदेशियों के साथ अन्तर्जातीय एवं देशीय विवाह के फलस्वरूप भी रक्तमिश्रणता में वृद्धि हुई और इन सभी मिश्रित वर्ग के लोगों को इस काल के साहित्य में क्षत्रिय की अपेक्षा राजपूत की सजा से बहुशः अभिहित किया गया। प्रबन्धचिन्तामणि में वर्णित अणहिलवाड के चौलुक्य भी राजपूतों की श्रेणी में ही बताए गये हैं तथा उस समय भारत वर्ष में उत्तर तथा दक्षिण के विभिन्न राज्यों में राजपूतों का ही शासन था।

वैश्य

भारतीय सामाजिक स्तरीकरण में तृतीय स्थान पर वैश्य थे। ये प्रमुख रूप से कृषि तथा व्यापार का कार्य करते थे। प्रबन्धचिन्तामणि के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज में वैश्यों के स्तर के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस समय गुजरात राजस्थान के क्षेत्रों में वैश्यों का सामाजिक स्तर लौकिक दृष्टि से बहुत अच्छा था, जिसकी पुष्टि अन्य समसामयिक ग्रन्थों एवं अभिलेखों से भी होती है। अधीतकाल में वैश्यों को प्रशासनिक कार्य, धार्मिक कार्य तथा दान देना इत्यादि अधिकार भी प्राप्त हो गये थे। उनके व्यवसाय के आधार पर तथा निवास क्षेत्रों के आधार पर वैश्यों का भी उपविभाजन हुआ।

प्रबन्धचिन्तामणि में वैश्यो द्वारा पारम्परिक कार्यों के अतिरिक्त प्रशासनिक एवं धार्मिक कार्यों में भी भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम आठवीं शताब्दी में चावडा वंश के सस्थापक वनराज द्वारा व्यापारियों की सेना में भर्ती का कार्य शुरू किया गया जो तेरहवीं सदी तक चलता रहा।³ वनराज ने ही जम्बा नामक व्यापारी(श्रेष्ठी) की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे महामात्य पद पर नियुक्त किया। यह कथा पुरातन-प्रबन्ध सग्रह में भी प्राप्त होती है। चौलुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज (1093-1143ई०)के काल में मुञ्जल तथा सान्तू नामक वणिक ने

1 वही 18,59

2 घुर्ये जी०एस०, कास्ट एण्ड क्लास इन इंडिया पृ०55

3 वी०के०जैन, ट्रेड एण्ड ट्रेडर्स इन वेस्टर्न इंडिया पृ०233

मालवा के राजा यशोवर्धन को पराजित करने में मदद की।¹

पुरातन प्रबन्ध संग्रह में भी शान्तू मन्त्री द्वारा जयसिंह सिद्धराज को राजकाज के लिए प्रशिक्षित करने का उल्लेख प्राप्त होता है।² शोध आधार ग्रन्थ में एक अन्य स्थल पर सिद्धराज द्वारा सज्जन नामक व्यापारी को सौराष्ट्र का प्रशासन देखने के लिए दण्डनायक बनाया था, इस तथ्य का उल्लेख पुरातन प्रबन्ध-संग्रह तथा विविधतीर्थकल्प में भी हुआ है।³ एक अन्य कथा के अन्तर्गत उदायन नामक कैम्बे के व्यापारी ने कुमारपाल की विपत्ति में धन तथा अन्य प्रकार से मदद की थी, अतः राजा बनने पर उसके पुत्र वाग्भट्ट या बाहड को कुमारपाल ने मन्त्री महामात्य बनाया था।⁴ वाग्भट्ट ने वाणिक सेनापति के रूप में कुमारपाल की ओर से मल्लिकार्जुन, उत्तरी कोंकण के शीलाहार राजा को हराया था।⁵ प्रबन्धचिन्तामणि में ही व्यापारी वर्ग के दो भाई वस्तुपाल तथा तेजपाल का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है जो वाघेल लवण प्रसाद तथा वीरधवल के समय में मन्त्री थे। पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में यह कथा प्राप्त होती है कि वस्तुपाल ने प्रशासन की विशेष मदद की थी तथा सय्यद नामक मुस्लिम व्यापारी पर विजय प्राप्त की थी, जो लाट देश के राजा सख से मदद प्राप्त करता था।⁶ जालौर के चाहमान राजा उदयसिंह का एक मंत्री यशोवीर भी वाणिक था।⁷ पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में कुछ अन्य कथाएँ भी व्यापारियों के प्रशासनिक कार्य करने के सम्बन्ध में भी प्राप्त होती हैं। विमल नामक व्यापारी को हाथी तथा छत्र प्रदान कर भीम द्वितीय ने उसे सामन्त की श्रेणी में एक स्थान दिया।⁸ सौराष्ट्र के सज्जन नामक व्यापारी के पुत्र आम्बा तथा धवल भी प्रशासनिक कार्य से सम्बद्ध थे।⁹ सिद्धराज के समय का उदायन या उदा नामक घृत व्यापारी भी मन्त्री बना।¹⁰ एक अन्य प्रबन्ध ग्रन्थ राजेशेखर कृत प्रबन्धकोश¹¹ में वस्तुपाल (राज्यपाल-कैम्बे) द्वारा चोरी का भय मिटाकर व्यापारियों के लिए उचित वातावरण प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त एक विवरण में तेजपाल द्वारा वित्तीय व्यवस्था के अतिरिक्त घुग्घुल नामक गोध (डाकुओं का एक दल) के प्रमुख पर विजय का उल्लेख है जो

- 1 प्रबन्ध चिन्तामणि, मेरु० 56, 75, टानी 86
- 2 पु० प्र० स०, 31, 35
- 3 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरु० 64-65 टानी 95-96, पु० प्र० स० 34-13, विविधतीर्थकल्प-नाहटा, ए० सी० पृ० 20
- 4 प्रबन्धचि० मेरु 79, टानी 120, पु० प्र० स० पृ० 32
- 5 प्रबन्धचि० मेरु पृ० 80-81 टानी पृ० 122-23 के० पी० सी० एस०, पृ० 133
- 6 पु० प्र० स० पृ० 56, 73
- 7 प्रबन्धचिन्तामणि; टानी पृ० 107, पु० प्र० स० पृ० 49, 70, कथाकोश पृ० 28
- 8 पु० प्र० स० पृ० 52
- 9 वही पृ० 34
- 10 वही पृ० 32, के० पी० सी० एज पृ० 45
- 11 प्रबन्धकोश पृ० 102, कथाकोश 9 13, प्रबन्धकोश, पृ० 107

गुजरात आने-जाने वाले व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियों के काफिलों को लूटा करता था।

प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त धार्मिक कार्यों में भी व्यापारी वर्ग अधिकांशतः सम्मिलित हो गया था। मेरु तुग, कहते हैं कि सौराष्ट्र का व्यापारी राज्यपाल (दण्डपति)सञ्जन ने तीन वर्ष का कर गिरनार में नेमिनाथ के एक मन्दिर को लकड़ी के स्थान पर पत्थर का बनवाने के लिए लगा दिया और राजा द्वारा कर मागने पर स्थानीय व्यापारियों से धन लेकर दे दिया।¹ बाघेलों के मन्त्री वस्तुपाल तथा तेजपाल द्वारा अनेकों मंदिरों के निर्माण तथा कुएँ, तालाब, सत्रागार, उपाश्रय इत्यादि का सृजन करवाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं।² प्रबन्धचिन्तामणि में वस्तुपाल तथा तेजपाल के धार्मिक कृत्यों का उल्लेख है।³ पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में आभडनामक व्यापारी के कुमारपाल के साथ शत्रुंजय नामक जैन तीर्थ स्थल की यात्रा का उल्लेख भी है। जगडु नामक एक अन्य व्यापारी ने बाघेल प्रमुख वीसलदेव के समय अकाल पड़ने पर धान्य आदि देकर मदद की थी।⁴ इसके अतिरिक्त जगडु (कच्छ के व्यापारी)ने भद्रेश्वर के मंदिर की मरम्मत करवाई तथा मस्जिद का निर्माण करवाया।⁵

अधीतकाल में वैश्यों का व्यवसायगत उपविभाजन भी प्राप्त होता है। प्रबन्ध साहित्य के अतिरिक्त समकालीन अन्य जैन ग्रन्थों में भी वैश्यों से सम्बन्धित विवरण प्राप्त होते हैं। भोज के ग्रन्थ समरागणसूत्रधार में भी वैश्य के कृषि, वाणिज्य तथा पशुपालन इत्यादि, कर्तव्य बलताएँ गये हैं।⁶ जैन पुस्तक-प्रशस्ति संग्रह⁷ में वैश्यों के उपविभाजन का उल्लेख मिलता है। हेमचन्द्र के ग्रन्थ- द्वयाश्रयकाव्य में वैश्यों को आर्य, वणिक या धान्यमाय कहा है क्योंकि उनका प्रमुख व्यवसाय अनाज मापना था।⁸ इन ग्रन्थों के अतिरिक्त हेमचन्द्र द्वारा बारहवीं शताब्दी में रचे गये शब्दकोश अभिधानचिन्तामणि में वैश्यों के लिए अर्या, भूमि, स्पर्श, वैश्य उख्या, उरुजा, विश पर्याय प्राप्त होते हैं।⁹ केवल व्यापार से संबंधित वैश्यों के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ में आठ प्रकार बताएँ गये हैं- वाणिज्य, वाणिक, क्रय-विक्रय, पण्यजीवी, आपणिक, नैगम, क्रयिक, और क्रयी।¹⁰

अधीतकाल के स्रोतों में, व्यापारियों के व्यवसायिक नाम भी प्राप्त होते हैं जो श्रेष्ठि, साधु तथा सार्थवाह हैं।

- 1 प्रबन्ध चि०, मेरु० पृ० 65, टानी पृ० 96
- 2 प्रबन्धकोश, पृ० 129-30, विविधतोर्यकल्प पृ० 79
- 3 प्रबन्ध चि०, मेरु० पृ० 99 टानी 159
- 4 पु० प्र० सं० 42, 43, 47-48, 80 जगडुचरित-667-137
- 5 ए० के० के० पृ० 207
- 6 समरागण, पृ० 26, श्लोक 13, 14, 15
- 7 जैन पु० सं० पृ० 19
- 8 द्वयाश्रय, 11 15 11 43
- 9 अभिधानचि०, 3 864
- 10 वही 3.867

लेखपद्धति¹ में साहू या साधू, पारि(पारिख) वा (वाणिज्यक या वाणिज्यारक) श्रे (श्रेष्ठि) व्यावहारिक, महाजन इत्यादि नामों का प्रयोग व्यापारियों के लिए हुआ है। इसमें ही 'वहमानविणजारा' तथा वछिवितस्ता शब्द प्राप्त होते हैं, जिसमें पहले वाला नाम उन घूमने वाले व्यापारियों के लिए था जो काफिले में जाते थे। दूसरा नाम विदेशी व्यापारियों का था।²

श्रेष्ठि व्यापारी का सम्बन्ध सामानों का लेनदेन करने वालों से था, तथा ये छोटे व्यापारियों को व्याज पर धन भी देते थे,³ इनका उल्लेख चौलुक्य अभिलेखों में हुआ है।⁴

सार्थ के अन्तर्गत वे व्यापारी थे जो एक नेता (सार्थवाह) के नेतृत्व में नगर भर के व्यापारी दूसरे नगरों में अपना सामान बेचने व खरीदने जाते थे तथा सार्थवाह उन्हें वहाँ से उपयोगी वस्तुएँ और सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराता था।⁵ अधीतकाल में ब्राह्मण व्यवस्था के नियमों के कट्टरता से अनुपालन से उत्पन्न विभिन्न पीडाओं तथा कठिनाइयों से क्षुब्ध होकर वैश्य तथा शूद्र वर्गों के सदस्यों ने पारपरिक रूप से तो वैश्यों के लिये विहित कृषि-व्यापार पशुपालन इत्यादि व्यवसायों को अपनाया। विवेच्यकाल में पश्चिमी भारत में वैश्यों ने कृषिका परित्याग करना प्रारम्भ किया होगा और वैश्यों के एक बड़े वर्ग ने जैन धर्म अपना लिया था क्योंकि भूमि की खुदाई होने पर मिट्टी में मौजूद बहुत से कीटाणुओं की हत्या होती है। जैन धर्मानुयायियों को कृषि करने की मनाही थी जैन स्रोतों में अधिकतर उन वैश्यों का विवरण मिलता है जो व्यापार तथा साहूकारी करते थे।

कृषि का कार्य अधिकतर शूद्रों द्वारा किया जाने लगा था। इस कारण कुछ लोग वैश्य और शूद्र को एक ही स्तर का मानने लगे। ग्यारहवीं शताब्दी के अल्बेरुनी ने भी शूद्रों को श्रेणी में वैश्यों को रखा है।⁶ कुछ मुस्लिम साहित्य से यह ज्ञात होता है कि धीरे-धीरे व्यापार भी शूद्रों के द्वारा किया जाने लगा और दसवीं शताब्दी तक वैश्य और शूद्र का स्तर एक हो गया। अल्बेरुनी के अनुसार वैश्यों और शूद्रों को वेद अध्ययन करने पर समान दण्ड दिया जाता था। वे लोग एक ही गाँव या कस्बे में रहते थे।⁷ कभी-कभी वे लोग एक ही मकान में रहते देखे जाते थे⁸ गृहस्थकाण्ड⁹ तथा मिताक्षरा¹⁰ में जो देवल को उद्घृत करते हैं वैश्यों तथा शूद्रों को

1 लेख पद्धति 8, 9, 10, 11, 12, 17

2 वही 53, 55

3 वी०के०जैन० वही पृ०219

4 एपि०इंडिका-8पृ० 220-21.

5 वी०के०जैन वही पृ०220

6 ग्यारहवीं सदी का भारत पृ०117ए०आई०1पृ०101

7 वही पृ०117 ए०आई०, 1, 107

8,9,10 फुट नोट अगले पृष्ठ पर हैं।

एक सा कार्य करने के लिए बताया है तथा वे एक ही सम्प्रदाय के हो गये थे। इस स्थिति के लिए आशिक रूप से जैन तथा बौद्ध प्रभाव उत्तरदायी रहा होगा।¹

अल्बेरुनी के अनुसार वैश्य और शूद्र के बीच थोडा सा विभेद था। वैश्य दो धागो का बना यज्ञोपवीत पहनते थे, जबकि शूद्र क्षौम अपनी कमर में बाँधते थे।² लक्ष्मीधर के समय में शूद्रों को सभी वस्तुएँ बेचने की छूट थी जबकि वैश्यों को कतिपय वस्तुओं को क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध था जैसे कि नमक, शराब, मांस, दही, तलवार, तीर, पानी, मूर्ति, इत्यादि।³

दिवेच्यकाल में पश्चिमोत्तर भारत में वैश्य अधिक सम्पन्न थे। व्यापार-वाणिज्य में तुलनात्मक उन्नति के कारण गुजरात में वैश्यों की प्रगति के साथ उनमें से कुछ वैश्यों को सामन्तों का पद प्राप्त था। यह स्थिति गुजरात के अतिरिक्त मालवा के परमार वंश में भी प्रचलित थी।⁴ इस लिए अल्बेरुनी का यह कथन, कि शूद्र वैश्यों के बराबर हो गए थे सर्वथा इस (गुजरात) क्षेत्र के लिए उचित नहीं प्रतीत होता।

वैश्यों में स्थान तथा व्यवसाय के आधार पर भी उप-विभाजन देखने को मिलता है। अग्रवाल, माहेश्वरी खण्डेलवाल, ओसवाल, राजस्थान के प्रमुख उपविभाजन थे। इनके अतिरिक्त प्राग्वाट, श्रीमाल, मोघ उपकेश, और धर्कट थे। गुजरात के व्यापारी तो स्वयं समृद्ध और स्थिर थे ही साथ ही राजस्थान के व्यापारी भी यहाँ आकर बस गए, जिनमें प्राग्वाट तथा श्री मालीय थे, जिन्हें गुजरात के वैश्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। प्राग्वाट तथा मोघ वैश्यों की अधिक महत्वपूर्ण उपजातियाँ थी। हेम चन्द्र जैन आचार्य वैश्यों के मोघ वंश का था।⁵ यह नाम मोघेरा के प्रचीन कस्बे के आधार पर रखा जो अणहिलवाड के दक्षिण में था।⁶ विमलशाह जो एक प्राग्वाट वैश्य था।⁷ उसने चौलुक्य शासक भीम प्रथम के दण्डनायक के रूप में कार्य किया। इसके पूर्व विमलशाह का एक पूर्वज नीना ने बनराज के राज्यकाल में सम्मान प्राप्त किया तथा जिसके पुत्र लहर को राज्य की सेना का प्रमुख

1 साचूक, 1 गृ० 107

2 गृहस्थकाण्डपृ० 255

3 विज्ञानेश्वर, आन याज्ञबलक्य, यदा पुनर्द्विजशुश्रूषाया जीवितु न शक्नोति तदा वणिग्वृत्तया जीवेत्

4 बी०एन०शर्मा, सोशल लाईफ इन नार्दन इंडिया पृ० 50

5 साचूक, द्वितीय 136

6 गृहस्थ, स्वधर्म्याचरन वैश्यों नैव कर्यात्प्रतिग्रहम् लवण मधु मय च तिल दधि घृते पर्या॥ पृ० 258

7 द परमार, पृ० 279

8 ब्यूलर, लाईफ ऑफ हेमचन्द्र, पृ० 6

9 रासमाला, पृ० 80

10 जे० एस० एस० आई०, पृ० 212

नियुक्त किया था¹ विमलशाह के पिता वीर मूलराज के मंत्री थे² वस्तुपाल तथा तेजपाल मंत्री भी प्राग्वाट वंश के थे।³ उदयन श्रीमाली था तथा उसको जयसिंह ने मंत्री बनाया था।⁴ उदयन के पुत्र वाग्भट्ट तथा आमर भट्ट कुमारपाल के राज्य में मंत्री था।⁵ सज्जन⁶ जयसिंह के शासन काल में सौराष्ट्र का दंडनायक था और जद⁷ व्यापारी भद्रेश्वर का राजकुमार एवं श्रीमालीय था। ये व्यापारी सम्मानित थे तथा विशुद्ध जैनी थे, इन्होंने बहुत से मंदिर तथा धार्मिक सस्थाओं का निर्माण एवं मरम्मत करवाया था।

शूद्र

भारतीय समाज में चतुर्थ स्तर पर शूद्रों को रखा गया है। विधि ग्रन्थों के अनुसार तीनों वर्णों की सेवा करना ही उसका कार्य निर्धारित था। प्राचीन आचार्यों के अनुसार शूद्रों का मुख्य कर्तव्य द्विजों की सेवा करना था। जबकि इनके भरण पोषण का उत्तरदायित्व द्विजों पर था।⁸ प्रबन्ध चिन्तामणि में विभिन्न प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख आया है जो कुम्भकार, मणिकार, मालाकार, तन्तुवाय, तैलिक, स्वर्णकार, तुन्नवाय, कर्मकर इत्यादि थे। इनको अधीतकालीन धर्मशास्त्र ग्रन्थों ने शूद्रों की श्रेणी में गिनाया है।

प्रबन्धचिन्तामणि में सदर्भित है कि कुमारपाल ने राजा बनने के पूर्व एक बार अपनी प्राण रक्षा हेतु आलिंग नामक कुम्भकार के गृह में शरण लिया था।⁹ एक अन्य स्थल पर यह विवरण प्राप्त होता है कि आभडनामक एक व्यापारी का पुत्र ठठेरी बाजार (कास्यकारस्थ हट्टे) में घुघरु साफ करके पौंच विशेषक कमाई कर लेता था तथा बाद में वह हेम सूरि से शिक्षा प्राप्त करके "रत्न-परीक्षक" बन गया था। एक स्थल पर तैलिक द्वारा तेल-विक्रय¹⁰ तथा कुशल "वेशकार" (दर्जी) द्वारा वस्त्र तैयार करने का भी उल्लेख प्राप्त होता है¹¹ एक बार उदा नामक व्यापारी ने नगर भ्रमण करते समय कतिपय कर्मकरों को काम करते देखा¹² जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कर्मकरों से खेत में काम लिया जाता था। कथाकोशप्रकरण और देशीनाममाला ग्रन्थों में क्रमशः दस्तकारी

1 जयन्त विजय, होली, आबू, भाग-प्रथमद्वारा शाह भावनागर 1954

2 वही पृ० 24

3 वही पृ० 85, 86

4 प्रबन्ध चि० पृ० 68

5 वही पृ० 105, 106

6 जे० एम० एस० आई०, पृ० 224

7 वही पृ० 401

8 आपस्तम्ब 1 1 1 7-8 पूर्व उद्धृत

9 प्रबन्ध इ० मेरु० पृ० 77

10 वही, हट्ट शोभा कारयस्तौलिक सूचिकाभ्यामवज्ञया पृ० 32.

11 वही सिद्धवेशेणा लकृत। पृ० 73

12 वही उदाभिधानो वणिक ब्रजन् कर्मकरैकूकस्माके दारदपरस्मिन् जलै पूर्यमाणे तान् पृ० 56

अथवा खेती में लगी हुई कई जातियों की गणना शूद्रों में की गई है। इनमें कुम्भकार, मालाकार, ताम्बूलिक, तैलिक, नापित, लौहकार, खाती, स्वर्णकार, ठठेरे, दर्जी, गडरिए आदि प्रमुख हैं।¹

त्रिषष्टिशालाकापुरुष चरित में भी कुम्भकार, मकान बनाने वाले राज, चित्रकार, तन्तुवाद्य नापित इत्यादि का उल्लेख हुआ है।² इस काल के शब्दकोष अभिधानचिन्तामणि में शूद्रों के लिए शूद्र, वृषल, अन्त्य वर्ण, पद्य पञ्ज, जघन्यज पर्याय दिये गये जो शूद्र वर्ण के अन्तर्गत पाये जाने वाले विभिन्न स्तरों का द्योतन करते हैं। आलोचित काल में वैश्यों ने व्यापार तथा वाणिज्य³ को अपनी जीविका का प्रधान आधार बना लिया। फलस्वरूप शूद्रों ने खेती, पशुपालन और दस्तकारी के पेशे भी अपना लिए। शैव और जैन धर्म सुधारकों ने शूद्रों के प्रति हीन भाव नहीं अपनाया, यह तथ्य शूद्रों की सामाजिक स्थिति में न्यूनाधिक सुधार का परिचायक है डॉ० दशरथ शर्मा के शब्दों में 700 ई० से 1200 ई० में शूद्रों की स्थिति में अन्य प्रकार के सुधार हुए।⁴

प्राचीन काल में समाज में उनकी स्थिति दयनीय थी, परन्तु नवीं शताब्दी के मेघातिथि ने तो यह कहा है कि शूद्र न तो सेवक बनाए जा सकते हैं और न ब्राह्मणों पर निर्भर हो सकते हैं⁵ वे व्याकरण आदि विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं⁶ कभी-कभी सम्पन्न शूद्र लोग मंदिर का रख-रखाव करते थे और गाव तथा कस्बों के रक्षक समिति के सदस्य भी होते थे⁷ यदा कदा वे सरकारी पदों को भी सुशोभित करते थे। उदाहरणार्थ गुजरात के चौलुक्य राजा कुमारपाल के समय में सञ्जन नामक कुम्हार चित्तौड़ का राज्यपाल नियुक्त था।⁸

पूर्व मध्यकाल में शूद्रों का सबसे बड़ा समुदाय खेती तथा कृषि-दासों का था। कतिपय विधिग्रन्थों तथा पुराणों में कृषि-कार्य भी शूद्रों के लिए विहित था।⁹ दसवीं शताब्दी का अरब यात्री इब्नखुर्दद्बा का कथन भी यह है कि शूद्र पेशे से कृषक थे। अल इदरीसी भी यही कहता है कि वे मजदूर तथा कृषि करने वाले थे।¹⁰ जब वे कृषि करके वस्तुओं का उत्पादन करने लगे तो उन्हें वस्तुओं के आदान-प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यापार करना प्रारम्भ किया¹¹ व्यापार के अतिरिक्त वे एक वर्ग कारीगरों तथा शिल्पियों का ही बन गया था।

1 शर्मा जी० एन०, राजस्थान का इतिहास पृ० 116

2 त्रि० श० पु० च०, पृ० 202 श्लोक

3 अभिधान-चि० पृ० 223, 558

4 दशरथ शर्मा, राजस्थान प्रदेश एजेज पृ० 435-36

5 सोसाइटी एण्ड पृ० 43

6 वही, पृ० 44, III, 156-417VII, 417

7 अर्ली चौहान डाइनेस्टीज पृ० 247

8 वही पृ० 248

9 (गृहस्थकाण्ड पृ० 273) उदा० नरसिंह पुराण 2 58

10 सोसाइटी कल्चर पृ० 41

11 सी ई जेन, एटी 2 215

हेम चन्द्र के अभिधानचिन्तामणि एव देशीनाममाला-एव यादव प्रकाश के बैजयन्ती के १७१२ में बहुत से शिल्पियों को शूद्रों से सम्बद्ध किया है।¹

प्राचीन काल में शूद्रों को वेद, स्मृति तथा पुराण पढ़ने व सुनने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन विवेच्यकाल में उन्हें ब्राह्मण द्वारा पढ़े गए पुराण को सुनने का अधिकार दिया गया था।² वृहद्घर्मपुराण³ में भी शूद्रों को व्याकरण तथा अन्य शास्त्र पढ़ाने की आज्ञा दी गई है। अधिकारों के अन्तर्गत शूद्रों को कुछ इतिहासकारों ने बिना मंत्रों के पाकयज्ञ पच महायज्ञ, तथा सस्कार करने की अनुमति दी है।⁴ विश्वरूप (9 वी श० ई०) का मत था कि शूद्र के सभी सस्कार बिना वेद मंत्रों के होने चाहिए।⁵ उनके विवाह सस्कार में "गोत्र" या प्रवर बधन नहीं होता था।⁶ एक ब्राह्मण यदि चाण्डाल का स्पर्श किया हुआ भोजन कर लेता था तो उसे "चन्द्रायण-व्रत" करना पड़ता था जबकि शूद्र को केवल तीन दिन का व्रत करना पड़ता था।⁷ शूद्र को त्याग नहीं करना पड़ता⁸ लक्ष्मीधर ने शूद्र को उन सभी वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी थी जो वैश्य के लिए प्रतिबन्धित थी यदा नमक, शराब दही, हथियार, जहर इत्यादि।⁹ अतः वैश्यों को इन निम्न वस्तुओं का व्यापार शूद्रों के लिए छोड़ देना चाहिए। समकालीन जैन-साहित्य में भी शिल्पियों को निम्न या अहमा (अधमा) कहा गया है। जिसमें कुछ कारीगरों को तथा बुनकर को अन्त्यज के अन्तर्गत रखा गया है।

यद्यपि पूर्व मध्य काल के प्रमाणों के आधार पर शिल्प व्यवसायों के अपनाने से कुछ शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ होगा और उन्हें वैश्यों का स्तर प्राप्त हो गया था। परन्तु विवेच्यकाल में पश्चिमी भारत के गुजरात क्षेत्र में अभी भी वैश्यों और शूद्रों में स्तर-भेद परिलक्षित होता है। मेघातिथि¹⁰ ने उन्हें मुक्ति का अधिकार नहीं प्रदान किया तथा चतुर्थ आश्रम में प्रवेश उनके लिए वर्जित था। ग्यारहवीं शताब्दी के अल्बेरूनी¹¹ ने भी शूद्रों तथा वैश्यों के लिए यही विधान किया है। जैनियों ने यद्यपि हिन्दुओं के जाति-व्यवस्था पर कुठाराघात किया

१७ श्री० मेनेय, तपि पृ० २२५

1 वही टिप्पणी 43

2 काणे० पृ० 156

3 हाजरा आर० बी०, स्टडीज इन द उप पुराण भाग 2 पृ० 446

4 कुल्लूक आन मनु 10 126 द्विजशुश्रूषेवरा पाकयज्ञाधिकारणान् ग्रहस्थ पृ० 273

5 विश्वरूप टीका पृ० 55

6 कमल चौहान, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया पृ० 10

7 अपराजित पुच्छा 20 23-24, अत्रि 176-77

8 मेघातिथि, श्रृंखलेरेखा नियतो जटी ब्रह्मणो व्रतम्। वसन्दू स्तरे ग्रामाइवृक्षल निकेतन ॥10, 126-217

9 ग्रहस्थकाण्ड, पृ० 258

10 मेघातिथि, नैव तस्यायमर्थ सर्व आश्रयास्तु न कर्तव्या शुश्रूषयाउपलोत्पादनेन चसर्वाश्रफल लभतो "

11 साचऊ, भाग 1 पृ० 104

है, परन्तु उनमें भी कुछ का विचार था कि शूद्र धार्मिक कार्य नहीं कर सकते थे। कर्म के अनुसार महापुराण में शूद्रों के मुख्यतः दो भेद विवृत किए हैं।¹ कारुशूद्र शिल्प व्यापारी जो घोड़ी नाई आदि थे। अकारु शूद्र के अन्तर्गत सामान्य शूद्र कारु से भिन्न आचरण करने वाले आते थे। कारु शूद्र के भी स्पृश्य और अस्पृश्य दो उपभेद थे। स्पृश्य कारु वे शूद्र थे जो छूने योग्य थे। उदाहरणार्थ नाई, कुम्हार, आदि। जो छूने योग्य नहीं होते थे, उन्हें अस्पृश्य कारु शूद्र कहा गया है जैसे चाण्डाल आदि। जैनग्रन्थों में तक्षकार, तन्तुवाय नापित रजक एवं चर्मकार इन पाँच प्रकार के कारु शिल्पियों का उल्लेख मिलता है।²

सकटकाल आने पर शूद्र को अन्य कर्म अपनाने के लिए विधिग्रन्थों में निर्देश दिया है। उसके अनुसार वह खानसामा, चित्रकारिता का कार्य कर सकता था।³ शूद्रों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया था उनके व्यवसायों के आधार पर शूद्र तथा असत् शूद्र भोजान्य तथा अभोजन्य, निरवसित अनिस्वसित शूद्र, आश्रित और अनाश्रित शूद्र थे। "अभोजन्य" श्रेणी वाले शूद्रों के द्वारा पकाया हुआ भोजन ब्राह्मण ग्रहण नहीं करते थे। ब्राह्मण इस तरह के शूद्रों के साथ तब तक भोजन नहीं कर सकते थे जबकि वह उनका मित्र न हो।

आर० एस० शर्मा का यह विचार है कि कालान्तर में शूद्र कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं व्यापार द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ कर वैश्यों के समीप आने लगे थे। जो खेत ब्राह्मणों को उपलब्ध थे, उन पर वे शूद्रों द्वारा खेती करवाते थे।⁴ जैन एवं बौद्ध धर्मों के आन्दोलनों, के परिणाम स्वरूप शूद्रों को हेय दृष्टि से देखा जाना कम हो गया था। कुछ तान्त्रिक आचार्य स्वयं शूद्र थे।⁵

प्रबन्धचिन्तामणि तथा अन्य समसामयिक साक्ष्यों के अध्ययन से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय शूद्र वर्ण अन्य वर्णों पर आश्रित नहीं था और कृषि तथा शिल्प कार्य अपना लिए थे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ था।

1 महा० 16 185-186

2 याज्ञवल्क्य, 2/249 1/187, मेधातिथि की टीका कारुणा रजकादीना शिल्पिना चित्रकारादीना सबाध मनु 5 12

3 कुल्लुक की मनु पर टीका 10 99-100

4 आर० एस० शर्मा, शूद्राज इन एश्येन्ट इंडिया पृ० 282

5 कैलाश चन्द्र वही पृ० 4 दशरथ शर्मा- वही पृ० 435

अन्त्यज

अधीतकाल मे व्यवसायो तथा व्यवसायियो की सख्या मे अभिवृद्धि मिलती है। धर्मशास्त्रो मे कतिपय व्यावसायिक जातियो को हीन कर्मस्थ मानते हुए उन्हे चारो वर्णो से पृथक अन्त्यज को कोटि मे रखा गया है। पाणिनि ने इस वर्ग को "अनिर्वसित" कहा है जो कि शूद्रो से भी निम्न स्तर के थे।

प्रबन्धचिन्तामणि ग्रन्थ मे बहुत से इस प्रकार के व्यवसायो को करने वाले का उल्लेख है जिन्हे अन्त्यज की श्रेणी मे रखा जाता था। वे छिम्पिकया (रगरज), रत्न-परीक्षक, कास्यकार, वैद्य, कुम्भकार, पुरु कुम्भकार, लौहकार वेशकार आदि थे। इनके अतिरिक्त लुब्धक निषाद, चरवाहा, सूच्यकार, तैलिक, धीवर, तन्तुवाय इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है।¹ जैनियो की भी अस्पृश्यता मे आस्था थी। क्योकि जैन आचार्य कुमुदचन्द्र को एक निषाद ने छू लिया आ, जिससे वे दुखी थे² एक अन्य विवरण मे विद्वानो के निवास निर्माण हेतु तन्तुवाय (बुनकर) तथा धीवर (मल्लाह) इत्यादि के निवास स्थान को उजाडने का विवरण प्राप्त होता है।³ एक अन्य स्थान पर एक तीर्थयात्री के सोमेश्वर जाते समय लौहकार के घर विश्राम करने का उल्लेख मिलता है।⁴ एक व्यापारी का पुत्र आभड कास्यकारो के बाजार मे (घटी,) नूपुर साफ करके पाँच विशोषक कमा करके अपनी दैनिक वृत्ति चलाता था तथा उसने धीरे-धीरे रत्न-परीक्षण की विद्या सीख ली।⁵ इसी सदर्थ मे द्वयाश्रयकाव्य मे निषाद द्वारा महावत का कार्य करने का उल्लेख आया है।⁶ राजशेखर कृत प्रबन्धकोश मे चर्मकार शूद्र आया है।⁷ हेम चन्द्र के देशीनाममाला⁸ मे रजक, बुनकर, लौहकार तथा तुत्रवाय, दर्जी के लिए बहुत से शब्द प्रयुक्त हुए है। धोबी के लिए धोआ, धोबिन को उप्फुकिआ, हिक्का और फुक्की शब्द आए है। दर्जी को आसीवजो, लौहकार को पूअ तथा बुनकर के लिए कोलिओ शब्द प्रयुक्त हुए है। इसी ग्रन्थ मे सबसे निम्न वर्ग की जाति चाण्डाल बताई गई है और उसके लिए डुबो (डोम) शब्द आया है⁹ इस जाति के लोग अपनी अस्पृश्यता का सकते करने के लिए अपने हाथ मे एक बास की छडी लिए रहते थे। इस बास⁹ की छडी के लिए झिज्जरी तथा खिक्खरी शब्द आए है।¹⁰ हेम चन्द्र के ही एक अन्य शब्दकोश अभिधान-चिन्तामणि मे मल्लाह के लिए धीवर दाश तथा कैवर्त

1 प्रबन्ध चि० मेरु पृ० 56, 53, 77, 22, 123, 32, 73, 29, 6, 7, 56

2 वही टॉनी पृ० 99, मेरु 67

3 प्रबन्ध चि०, मेरु पृ० 29, टॉनी 44

4 वही 123 वही 123, वही 202

5 वही पृ० 69, वही पृ० 104

6 द्वयाश्रय, 5 50

7 प्रबन्धकोश, पृ०

8 देशीनाम०, पृ० 5 32 1 114 - 8, 66, 6, 84, 1 169, 6 85-2, 65

9 वही- 354, 2 73

10 वही- 3 54, 2 73

का प्रयोग किया गया है¹ चाण्डाल के लिए इसमें चाण्डाल अन्तावसायी, अन्तेवासी श्वपच (शवपाक डोम) बुकस निषाद प्लव मातङ्ग दिवाकीर्ति जनगम शब्द आए हैं।²

यह सभी व्यावसायिक जातियो निम्न कार्य करने के कारण अन्त्यज के अन्तर्गत परिगणित किए गए। इन्हे समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था। अल्बेरुनी³ ने यह कहा है कि अत्यज विभिन्न प्रकार की सेवा करते थे और उन्हें किसी जाति में नहीं गिना जाता था, बल्कि किसी विशेष व्यवसाय या शिल्प सघ का सदस्य माना जाता था। ये श्रेणियों निम्नलिखित थीं।

- (1) रजक
- (2) चर्मकार
- (3) जादूगर
- (4) बुरुड
- (5) धीवर
- (6) जलोपजीवी
- (7) व्याध
- (8) तन्तुवाय

इनमें रजक, चर्मकार, तथा तन्तुवाय (बुनकर) को छोड़ कर बाकी अन्य आपस में एक दूसरे से विवाह कर सकते थे। ये लोग चारों वर्गों के ग्रामों के निकट ~~रहते~~ रहते थे।

इनके अतिरिक्त हाडी, डोम, चाण्डाल तथा बंधतौ वर्ग के लोगो को समाज में निम्न समझा जाता था। स्मृतियों में इन लोगो को अन्त्यवसायिक कहा गया है। ये लोग निम्न कर्मा थे जैसे गँवों की सफाई आदि निम्न स्तर का कार्य करते थे तथा इन्हे किसी जाति या श्रेणी के अन्तर्गत नहीं रखा जाता था और कोई भी जाति के लोग उनके साथ किसी प्रकार का संबध रखना पसंद नहीं करते थे।⁴

1 अभिधान चि० पृ० 231

2 वही पृ० 23, हलायुधकोश, पृ० 67

3 साचिऊभाग-1 पृ० 101

4 मनु० स्मृति 10 39, मिताक्षरा आन याज्ञ-स्मृ-ग्रामवहिर्निवासिनो

इस काल के अन्य ग्रन्थों में भी इसी प्रकार विद्वानों ने इनका स्तरीकरण किया है। जिनेश्वर सूरि ने कथाकोशप्रकरण (11 हवी श९ ई०)¹ में निम्न जाति को दो वर्गों में उनके व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया है। उनके अनुसार पहला वर्ग "अधम" था, जिसमें चटाई बनाने वाले, स्वर्णकार कुम्भकार, लौहकार रजक, अभिनेता तथा अन्य शिल्पी आते थे। जबकि केवल शौकारिक तथा चाण्डाल "अधमाधम" के अन्तर्गत आते थे।

धर्मशास्त्रकारों ने अन्त्यजों के सात ऐसे प्रकार—रजक चर्मकार, नट, बुरुड, कैवर्त, मँद तथा मितल बताते हैं। विज्ञानेश्वर इन अन्त्यजों को स्मृतियों में बताएँ अन्त्यवसायिन के अन्तर्गत रखते हैं।² बृहन्नारदीय पुराण³ में जो जातियों की सूची दी है उसमें इनके स्तर में कुछ परिवर्तन प्राप्त होता है। इसमें चर्मकार को चाण्डाल से निम्न स्तर का माना है और तन्तुवाय को ऊँचा स्तर दिया गया है, लेकिन अल्बेरुनी ने उसे चर्मकार तथा रजक के साथ ही रखा है।

जिनेश्वर सूरि ने श्रेणी⁴ शब्द अन्त्यजों के लिए प्रयुक्त किया है, जिसका अर्थ है कि वे श्रेणी के सदस्य थे। अल्बेरुनी⁵ ने भी अपने विवरण में इस बात की पुष्टि की है। श्रेणी का सदस्य होने से उनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत समृद्ध थी।

पूर्व मध्यकाल में स्पृश्यता सबधी नियमों को और अधिक व्यवस्थित किया गया। चाण्डाल इस युग में पहले की भाँति अस्पृश्य माने गए डोम तथा चर्मकार भी 12 हवी शताब्दी तक अस्पृश्य रहे। कोई व्यक्ति किसी शूद्र⁶ से तब भोजन ले सकता था, यदि वह उसका दास हो, गोपालक हो, परिवार का मित्र हो और उसके साथ खेती करने वाला हो। इस विचार को व्यवस्थाकारों ने माना है किन्तु कतिपय ने अस्वीकार किया है। नियतकालकाण्ड⁶ में लक्ष्मीधर ने इस तथ्य को स्वीकार किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में उत्तर-भारत में कोई कट्टरता नहीं थी।⁷

लेकिन कल्हण ने राजतरंगिणी में कहा है कि अस्पृश्यता की भावना उनके युग में प्रबल थी।⁸ कीर्तिकौमुदी

1 कथाकोश पृ० 115

2 मिताक्षरा आन याज्ञ-चाण्डालश्वपचय क्षततासूतो वैदहिवस्तथा। मागध योग बौचैव सप्तै तेडन्या वसायिन ॥3 260

3 बृ० पुराण, 30 2 हजरा,स्टडीज इन द उप पुराण भाग-1, पृ० 324

4 कथाकोश प्र०, पृ० 115

5 अल्बेरुनीज इंडिया, पृ०, 101

6 पृ० 104

7 नियत काल काण्ड, पृ० 104

8 राजतरंगिणी, अनुवाद, आर० एस० पडित पृ० 29

मे यह विवरण मिलता है कि वस्तुपाल जब कैम्बे का गवर्नर बना तो उसने एक पृथक चबूतरा निर्मित कराया था कि दही विक्रय करने वाले विभिन्न स्पृश्य एव अस्पृश्य जातियों के लोगो को रोक सके। इससे शासक वर्ग द्वारा जाति तथा स्पृश्यता सम्बन्धी नियम को कट्टरता से पालन करने का पता चलता है।¹

प्रबन्ध चिन्तामणि तथा समकालीन अन्य ग्रन्थो मे प्राप्त उदाहरणो मे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय जाति एव सामाजिक व्यवस्था मे वैयक्तिक गुणो एव शक्ति का महत्व अनुष्ठानिक अनुक्रम का उल्लघन कर सकता था। कुमारपाल द्वारा सञ्जन कुम्भकार को प्रान्त पति बनाने के उदाहरण से इस बात की पुष्टि होती है कि व्यक्ति के गुण और स्वभाव को जाति की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाने लगा था। इस परम्परा की सूत्रपात कम से कम गुप्तकाल से मिलने लगता है।²

कुछ आधुनिक विद्वानो का अन्त्यजो के विषय मे कहना है कि समाज मे उन्हे सबसे निम्न स्तर प्राप्त था। रोमिला थापर³ कहती है कि वर्ण-व्यवस्था मे अत्यजो को पाचवा स्थान प्राप्त था, जबकि सुविरा जायसवाल⁴ के अनुसार कुछ अन्त्यज शूद्रो⁵ मे मिल गए थे। सुविरा जायसवाल का यह मत अपराजितपृच्छा⁵ मे दिए गए शूद्रो के दो वर्गो मे प्रशस्त तथा अप्रशस्त मे विभाजन होने के प्रमाण से पुष्ट होता है। अपराजित पृच्छा मे अन्त्यजो को प्रकृति कहा गया है। के० सी० जैन⁶ का कहना है कि कुछ अन्त्यज बहुत से अन्य शिल्प तथा व्यवसायो को जैसे डलिया बनाना मछली मारना, नाव खेना इत्यादि का व्यवसाय करते थे, हाडी डोम, चाण्डाल इत्यादि इनकी तुलना मे निम्नतर थे।⁷

आदिवासी तथा विदेशी जातियाँ

अन्त्यज के अतिरिक्त कुछ आदिवासी जनजातियाँ तथा विदेशी जातियाँ भी थी, जो जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आती थी, तथा उन्हे भी अन्त्यज के समान घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। इन जातियो को

-
- 1 स्पृष्टास्पृष्टानिषेधाय (कीर्ति कौमुदी- 4, 17,)
 - 2 देखिये, मदसोरलेख तथा स्कन्द गुप्त का जूनागढ लेख, स्लेक्ट इन्सक्रिप्शन भाग 1, पृष्ठ 299, पृ० 307पर्णदत्त चक्रपालित तथा अन्य की नियुक्ति योग्यताओं पर ध्यान रखा जाता था।
 - 3 रोमिला थापर, एश्येट इंडियन, सोशल हिस्ट्री, सम इन्टरप्रेटेशन्स नई दिल्ली 1975, पृ० 125
 - 4 सुविरा जाय० सम रिसेट थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ अनटचैबिल्टी, आई एच० सी० भाग-1, 39 ~~अधिवेशन~~ अधिवेशन हैदराबाद। 1978, पृ० 227
 - 5 अपराजित, 72 41 सु० जाय० आई० एच० सी० 41 सवा अधिवेशन बम्बई 1980 पृ० 115
 - 6 के० सी० जैन, मालवा थ्रू द ऐंजेज पृ० 488
 - 7 वही पृ० 488

म्लेच्छ या म्लेच्छ जाति कहा जाता था। प्रबन्धचिन्तामणि तथा अन्य सामयिक ग्रन्थों में इनकी बहुत सी जनजातियाँ प्रसंगित हैं।

प्रबन्धचिन्तामणि¹ में चापोत्कट वंश के वनराज के मामा को जगली जाति का बताया गया है। उसके साथ वह रहता था। एक अन्य स्थल पर यह उल्लेख है कि राजा कर्ण ने आशापल्ली निवासी आशा नामक भिल्ल पर विजय प्राप्त की थी² इनके अतिरिक्त प्रबन्धचिन्तामणि में म्लेच्छ, तुरुष्क तथा मातंग जातियों का भी उल्लेख आया है।³ इसी ग्रन्थ में एक स्थल पर भील जाति के आशा नामक व्यक्ति का उल्लेख भी मिलता है जो छ लाख का स्वामी था। वह युद्ध में राजा कर्ण से पराजित हुआ⁴ ये जातियाँ युद्ध प्रिय होती थी तथा अपने बाहुबल से विशाल क्षेत्र अपने अधिकार में रखती थी।

प्रबन्धकोश में भी भिल्ल तथा म्लेच्छों का उल्लेख आया है।⁵ पुरातन-प्रबन्ध संग्रह में भी तुरुष्क अन्त्यज तथा भिल्ल कई स्थानों पर प्रसंगित हैं। सुकृतकीर्तिकल्लोलिनी⁶ तथा तिलकमजरी सार⁷ में भी तुरुष्क, शबर, भिल्ल जैसी वन्य जातियों का उल्लेख आया है। हेमचन्द्र के ग्रन्थों में देशीनाममाला, अभिधानचिन्तामणि, त्रिषष्टिशालाका पुरुष चरित में तो इनकी एक लंबी सूची प्राप्त होती है। त्रिषष्टिशालाका पुरुषचरित⁸ में यह विवरण है कि शक, यवन, शबर, बर्बर, काया, मुड, उड्र, गोड्र, पत्कणक, अरपाक, हूण शेमक, पारसी खस खसिक, डौबलिक, लकुस, भिल्ल, अन्ध बुक्कस पुलिद कौचक, भ्रमररुत, कुच, चीन, वद्युक, मालव, द्रविड, कुलङ्ग, किरात, कैकय हयमुख, गजमुख, तुएमुख अजमुख, हयकर्ण, गजकर्ण, और दूसरे भी अनार्यों के भेद हैं जो" धर्म अक्षर को नहीं जानते तथा इसी तरह वे धर्म और अधर्म को अलग नहीं समझते, वे सभी म्लेच्छ कहलाते हैं। उपरोक्त गिनाए गए सभी नामों का विभिन्न जातियों से समीकारण करना दुष्कर कार्य है।

तुरुष्कों का उल्लेख द्वयाश्रयकाव्य तथा कुमार पालचरित में भी मिलता है। द्वयाश्रयकाव्य के टीकाकार अभयतिलकगणि के अनुसार भील, तुरुष्क, इत्यादि म्लेच्छ जाति के अन्तर्गत आते थे। म्लेच्छ आर्यों के मित्र नहीं

1 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरु० पृ० 12,

2 कुवलयमाला, 112 समईइच्च कहा, 655-679,

3 राजस्थान श्रु द एजेज पृ० 428

4 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरु पृ० 55 टॉनी पृ० 80

5 वही, टॉनी पृ० 109, 174, 175, 185, 186, 189, 190, 191, तुरुष्क 185, 191 मातंगी 182

6 सुकृत, पृ० 5,6,26

7 तिलक०, पृ० 5,6,26,

8 त्रिंश पु०, च० पृ० 679-638

हो सकते थे क्योंकि उनमें बुरी आदतें तथा कठोर आचारण वाले थे।¹ कथासरित्सागर² मिल्ल तथा शबर को डाकू कहा है। अभिधानचिन्तामणि में इन्हें पुलिन्दा नाहला, निष्ठया, शबरा, रुटा भटा भाला भिल्ला (भिल्ला) किराता कहा गया है।

म्लेच्छों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता था एक तो विदेशों से आकर बसने वाली जातियाँ थी शक, यवन, रोमक पारस मुरुण्ड बर्बर, सीन सिंहल तथा दूसरी भारतीय आदिम जातियों का था जो शबर भिल्ल किरात, पुलिन्द आन्ध्र कयस खास-जाति भरुम उद्र, गोड, लकुश इत्यादि। ये लोका पारम्परिक चारों वर्गों की सामाजिक सीमा के बाहर थे। वे घने जंगलों में रहते तथा भक्षयामक्ष्य थे इसलिए इन्हें म्लेच्छ कहा जाता था।³

म्लेच्छों के रहने के स्थान को म्लेच्छपल्लि कहा जाता था। वे साधारणतया विन्ध्य पर्वत तथा अरावली की पहाड़ियों पर रहते थे। वे लोग अपनी देवी दुर्गा या चण्डिका को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि भी देते थे।

इन जातियों के कुछ समूह चोरी, हिंसा, डकैती, भी किया करते थे वे प्रायः सार्थकों को लूटते थे, मनुष्यों तथा गायों को मारते थे तथा राहगीरों को पकड़ लिया करते थे।

विभिन्न ग्रन्थों में प्राप्त इनके उल्लेखों से हम यह अनुमान कर सकते हैं कि ये जातियाँ समस्त पश्चिमी उत्तर भारत के सीमावर्ती, क्षेत्रों में पायी जाती थी परन्तु समाज में इन्हें निम्न स्थान प्राप्त था। इन्हें अशुद्ध माना जाता था इसलिए ये ग्राम, नगर, या बस्तियों से दूर पहाड़ी या घाटी के क्षेत्रों में निवास करती थी।

कायस्थ

अन्त्यज आदिवासी विदेशी जातियों के अतिरिक्त भी कुछ व्यावसायिक वर्ग थे, जिनको किसी जाति में शामिल नहीं किया जा सकता था। कायस्थ उनमें से एक थे जिनकी जाति, व्यवस्था में स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

प्रबन्धचिन्तामणि में यह उल्लेख मिलता है कि करण कायस्थ उमापतिधर लक्ष्मणसेन का मुख्य मंत्री था क्योंकि इस काल के अधिकतम अभिलेख कायस्थों द्वारा ही लिखे गए। सोलंकियों परमारों इत्यादि के अभिलेख में भी कायस्थ का नाम आया है। और गुप्त कालीन अभिलेखों में कायस्थ लेखकों के रूप में उल्लिखित है।⁴ कुमारगुप्त के दामोदर पुर ताम्रपत्र लेख में कायस्थ का उल्लेख हुआ है।

1 कुमारपाल चरित-696, द्वयाश्रय, 4 33

2 कथासरित्सागर पृ० 117

3 अभि०चि० पृ० 232 श्लोक 595-598 हलायुधकोश पृ० 67

4 मिताक्षरा कायस्था लेखका गणकाश्च तै० पीड्यमाना विशेषतो रक्षेत, 1-33

पूर्वमध्यकालीन साहित्यिक साक्ष्यो एव अभिलेखो से कायस्थो की सामाजिक स्थिति का ज्ञान होता है। विवेच्यकाल मे कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख कनुसुआ अभिलेख मे हुआ है। इस प्रशस्ति की रचनाणाभिकानाज नामक कायस्थ ने की थी¹। गौरीशकर हीरानन्द ओझा के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, इत्यादि जातियो के जो लोग लेखक का कार्य करते थे वे कायस्थ कहलाए। कालान्तर मे उनका विकास एक स्वतन्त्र जाति के रुप मे हुआ² कायस्थ जाति की उत्पत्ति के विषय मे बडा विवाद है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बगाल के कायस्थो को शूद्र माना है।³ व्यास स्मृति मे कायस्थ नाइयो, कुम्हारो इत्यादि शूद्रो के साथ परिगणित हुए है।⁴ इलाहाबाद, तथा पटना उच्च न्यायालयो ने इसको द्विज बताया है।⁵ उशना (600-900 ई०) ने कायस्थो की विचित्र उत्पत्ति बताई है। इस मत के अनुसार काक, याम, स्थापित शब्द क्रम से लालच क्रूरता एव लूट के परिचायक है।⁶ परन्तु भविष्य पुराण और पद्मपुराण (सातवी शता०) मे कायस्थो को क्षत्रियो की सतान कहा गया है।⁷ सोडडल की उदयसुदरी कथा से ज्ञात होता है।⁸ कि बालम कायस्थ क्षत्रिय जाति के थे।

उक्त साक्ष्यो के अनुशीलन से यह प्रकट होता है कि 8 वी शता० तक कायस्थ केवल अधिकारी ही थे, उन्हे किसी जाति के अन्तर्गत नही रखा गया था। लेकिन नवी-दसवी शताब्दी से वे एक जाति के रुप मे जाने गए। पहले जो कायस्थ एक व्यावसायिक वर्ग था वह जाति बन गयी क्योकि इन लोगो का कार्य वशानुगत था और धीरे-धीरे समय के अन्तराल के साथ-साथ यह कायस्थ वर्ग जाति के रुप मे अस्मीभूत हो गया।

क्षेमेन्द्र का कहना है कि कायस्थ राज्य का राजस्व वसूलते थे, राज्य के गोपनीय लेखो तथा दस्तावेजों की देख-भाल करते थे तथा खजाने पर नियंत्रण रखते थे⁹। एक गौड कायस्थ का चदेल राजा परमार्दिन का सन्धिविग्रहीक होना भी प्रसंगित है। दसवी तथा तेरहवी शताब्दी के लेख यह प्रकट करते है कि कायस्थ कानूनी दस्तावेज के लेखक थे।¹⁰ और वे इतना धन एव प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके थे कि दान भी दिया¹¹ करते थे।

1 इडि० एटी०, 19 पृ० 57

2 ओझा गौ० ही०, मध्यकालीन भारतीय सस्कृति पृ० 48

3 काणे पी० वी० धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ० 128 पर उद्धृता

4 व्यास स्मृ० 1/10-11

5 काणे पी० बी० धर्मशास्त्र का इतिहास पृ० 128 पर उद्धृता

6 उशना, 35

7 सरकार, गोपाल चन्द्र, ए ट्रिटाइज आन हिन्दू लॉ पृ० 143

8 उदय, कथा की भूमिका

9 राजतरंगिणी, नापौश्चलीयो दु शलो नाद्रोही नित्यशक्ति नावाचालो मृषाभाषी नाकायस्थ कृतधन्धी। 4 80

10 आर० एल० ए० आर० बी० पी०, 328 वाजड अन्डर भीम-2

11 इडि० एटी० 20208 एपि० एडि० 20 130 136

बारहवी सदी मे कायस्थो के उच्च पदो पर असीन होने के बहुत से प्रमाण मिलते है। प्रबन्धचिन्तामणि के अनुसार करणकायस्थ उमापतिधर मन्त्री था, इसी प्रकार बल्लालसेन का साधविग्रहीक हरिघोष कायस्थ था उल्लेख किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी साधविग्रहीक आदि पदो पर कार्यरत करण कायस्थो के उल्लेख भी मिलते है जिनका उत्तर भारत के पूर्व मध्यकालीन राजनीति मे महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार बारहवी शताब्दी के अन्त तक करण के अधिकारी तथा कायस्थ को एक ही जाति के रूप मे माना जाने लगा। पूर्वमध्य काल तक के कायस्थ निश्चय ही जाति के अन्तर्गत आ गए थे। चौलुक्य कुमारपाल के अधीनस्थ सामन्त प्रतापसिंह के लिए नडोल और ननन दान-पत्र पडित महीपाल और महाक्षपटलिक महादेव कायस्थ ने अकित करवाया था। नाणा (वि० स० 1257) अभिलेख से ज्ञात होता है कि गौड कायस्थ उदय सिंह ने ब्राह्मणो की कपिल मे 33 द्रम्म और 6 विंशोपक उसकी व्यवस्थार्थ दिए¹ कतिपय अभिलेखो मे कायस्थो द्वारा ठक्कुर उपाधि धारण करने की भी उल्लेख है।

ठक्कुर की उपाधि धारण करने तथा भूमि अनुदान करने के कारण एतत् कालीन कायस्थो की सामाजिक स्थिति सम्मानपूर्ण हो गयी थी। अनेक क्षेत्रीय उपजातियो बन गयी थी। गुजरात मे हमेकायस्थो की दो उपजातियो केवल गौड तथा बल्लभ मिलते है, जिनका कार्य अनुदान का मार्यादा तय करना था। बारहवी शताब्दी के अभिलेखो मे कायस्थो के सक्सेना, कटारिया, निगम आदि उपविभाजन मिलते है इनका कार्य अभिलेखो को लिपिबद्ध करना भी था। धीरे-धीरे कायस्थ जाति की विभिन्न शाखाए हो गई जो स्थान विशेष से प्रसिद्ध हुई। गौड प्रदेश के गौड कायस्थ, मथुरा के माथुर सारस्वत प्रदेश मे श्रीवास्तव वर्ग के कहे गए।²

परिवार

किसी भी समाज के सामाजिक ढाचे की बुनियाद परिवार होता है। हिन्दू परिवार का आवश्यक स्वरूप तथा विचार थोडे बहुत परिवर्तन एक बावजूद सभी युग मे लगभग एक समान ही था। प्राचीन काल के हिन्दू विचारको ने परिवार के महत्व पर बहुत जोर दिया है। बारहवी शताब्दी मे भी हम पाते है कि लक्ष्मीधर ने अपने कृत्यकल्पतरु के गृहस्थकाण्ड मे उन्ही प्राचीन विचारो की पुनरावृत्ति की है।

प्रबन्धचिन्तामणि³ मे भी एक स्थान पर गृहस्थ धर्म के पालन के लिए जैन आचार्य ने इसी प्रकार का

1 पी० आर० ए० एस० डब्लू० सी०, 1907-8 पृ० 49

2 जयशंकर मिश्र, वही पृ० 436

3 प्रबन्धचिन्तामणि, टॉनी पृ० 156

वर्णन किया है कि आचार्य विजयसेन गृहस्थो के कर्तव्यो का उपदेश देते हुए कहते है कि गृहस्थ के लिए सात अंग है, जिनको उपासकदश (उवासगदसाओं) कहते है। वे है—भगवान का पूजन, आवश्यक क्रियाए, जैन आचार्यों को भिक्षा देना, तथा इसी प्रकार के कार्य जो जिन ने बताए है करना चाहिए तेज पाल ने इन नियमो का पालन किया था देशीनाममाला¹ मे परिवार के लिए पहण शब्द मिलता है तथा परिवार के विभिन्न सदस्यो के लिए भी पृथक-पृथक शब्दो का प्रयोग हुआ है। हिन्दू समाज मे परिवार का एक गौरवमयी स्थान था। वास्तव मे हिन्दू समाज का ढाचा युगो से सयुक्त परिवार तथा जाति व्यवस्था के इर्द-गिर्द घूमता था। सयुक्त परिवार की समाज मे प्राचीन परंपराए थी। इस बात का भी खडन नही किया जा सकता है कि एक हिन्दू संप्रदाय के विकास में तथा खुले सामाजिक विचारो मे परिवार (वश) तथा जाति-व्यवस्था बाधक थी।

पुरुष तथा स्त्री के वैवाहिक सम्बन्ध के फलस्वरूप एक परिवार की शुरुआत होती है। समाज में एक परिवार के तीन सामाजिक कार्य राजनीतिक व्यवस्था को संस्थापन मे रखते हुए बताया गया है सामाजिक सम्बन्ध बनाना, दूसरा श्रम का पुरुत्पादन तथा तीसरा परिवार को चलाना तथा इसके सदस्यो का पोषण करना। किसी भी देश के सामाजिक ढाचे की परिवार ही प्रारम्भिक इकाई है।²

दूसरे प्राचीन ग्रन्थो मे भी इसी बात को कहा है कि पालन-रक्षण, तथा परिणाम तथा मोक्ष के लिए हिन्दुओं मे अर्हता पर अधिक शक्ति दी गयी है।

सयुक्त परिवार मे अनेक सदस्य होते थे। उन सदस्यो के सहयोग और समर्थन से परिवार का विकास होता था। माता-पिता, पति पत्नी, पुत्र-पुत्री के सयोजन से इसकी संरचना सार्थक होती थी। वस्तुतः इन सदस्यों के सहयोग से ही परिवार का उत्कर्ष होता था। कुटुम्ब का संचालक, कार्यो का सयोजक और धन-सम्पत्ति का व्यवस्थापक परिवार का वरिष्ठ सदस्य होता था, जो कर्ता कहा जाता था। उसका परिवार पर पूर्ण अधिकार और स्वत्व होता था। कुटुम्ब का भरण-पोषण, देखरेख, शिक्षण-प्रशिक्षण और रक्षण-संरक्षण वही करता था। इसीलिए उसे सतान की रक्षा करने वाला कहा गया।³ सयुक्त परिवार की परम्परा के विरुद्ध भी कुछ लोग थे। प्राचीन युग में पिता ही सयुक्त परिवार का मुखिया होता था किसी पुत्र को अपने पिता से अलग होने का अधिकार नहीं प्राप्त था। विवेच्यकाल मे (12 हवी शताब्दी) मे इस विचार को महत्व दिया है कि पुत्र पूर्वजो की संपत्ति का

1 देशीनाम० एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ० 106 (6-5)

2 एडवास्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, के० ए० नीलकंठ शास्त्री पृ० 276

3 शब्दकल्पद्रुम पृ० 143 पाति रक्षत्यपत्यं य स पिता।

दायादी है जबकि जीमूतवाहन¹ ने यह कहा है कि पिता के जीवनकाल में पुत्र को हिस्सा मागने का अधिकार नहीं है।

हिन्दू समाज में माता का स्थान अत्यन्त ऊँचा गरिमायुक्त और महत्वशाली था। स्मृतिकारों ने भी माता को 'परम गुरु' मानकर परिवार और समाज में उसकी सर्वोच्चता दर्शित किया²। प्राचीन हिन्दू परिवार में पति का स्थान पत्नी के साथ-साथ आकलित होता रहा है किन्तु पति का प्रभुत्व पत्नी की तुलना में क्रमशः बढ़ने लगा और समाज में उसकी महत्ता स्थापित हो गयी। पूर्वमध्यकालीन भाष्यकारों और लेखकों ने भी पति के उत्तरदायित्व और कर्तव्य का सम्यक चित्रण किया है। पत्नी और परिवार का भरण-पोषण पति का प्रधान कर्तव्य था। विज्ञानेश्वर मनु को उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि वृद्ध माता-पिता साध्वी भार्या और शिशु का पालन सैकड़ों अकाज (अनुचित) कार्य करके भी होना चाहिए।³ कुटुम्ब के सदस्यों में पत्नी की अभूतपूर्व महत्ता रही है। सयुक्त हिन्दू परिवार में पत्नी की महत्वपूर्ण प्रेरक भूमिका रही है। वह परिवार के सदस्यों के बीच सम्बन्ध स्थापन, गृह के निर्माण, संचालन और पालन में महत्वपूर्ण योगदान करती रही।

हिन्दू परिवार में पुत्र का अत्यधिक महत्त्व रहा—क्योंकि उससे कुल और वंश का वर्धन और उत्कर्ष होता है। सयुक्त परिवार में सबसे बड़े पुत्र को अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक सम्मान प्राप्त था। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को गृहपति का गौरव प्राप्त होता था⁴ और स क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढज, अपविद्ध, कानीन, सहोद, क्रीतक, पौनर्भव, स्वयदत्त, पारशव पुत्रों के प्रकार है। कथासरित्सागर⁵ के अनुसार पुत्री की प्रायः इच्छा नहीं की जाती थी। पुत्री का स्थान हिन्दू सयुक्त परिवारों में पुत्र की तुलना में उपेक्षणीय और दयनीय विज्ञानेश्वर के अनुसार पुत्री सम्पत्ति के चतुर्थांश का दामाद स्वीकार की जाती थी।⁶

परिवारों के दैनिक क्रिया-कलापों को करने के लिए भी नियमों को बनाया गया था। वे लोग गृहस्थ आश्रम के लिए बनाए गए कर्तव्यों का पालन करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने-अपने कार्यों के अनुसार अपने दैनिक कार्यों को सम्पन्न करता था। रासमाला⁷ में ब्राह्मणों, वैश्यों तथा क्षत्रियों के दैनिक कार्यों

1 दायभाग, (द्वितीय संस्करण) पृ० 18 उद्धृत जयशंकर मिश्र पृ० 384-402

2 मनु०, 2 145, याज्ञ, 1 35

3 वृद्धो च मातापितरौ साध्वी भार्या शिशु सुत। अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत्॥ मिताक्षरा 1 24

4 दायभाग, (द्वितीय संस्करण) पृ० 20

5 कथासरित् पृ० 286

6 विज्ञानेश्वर, मिता० टीका-2 135

7 रास माला, पृ० 252-555

के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण चारों समय पूजा का कार्य करते तथा खान-पान में विशेष नियमों का पालन करते थे। भोजन के पूर्व ब्राह्मण पुनः स्नान करते थे जबकि क्षत्रिय तथा वैश्य केवल हाथ पैर धोते थे। भोजन के बाद वैश्य पान तथा सुपारी खाते थे जिससे कि निम्न जाति द्वारा स्पर्श कर लेने पर भी भोजन का बिकार मिट जाए।

वैश्य लोग भी प्रातः उठ कर स्नान करके पूजन के लिए मंदिर जाते थे। तत्पश्चात् प्रातः जलपान करके, पान खाकर अपने-अपने बाजार जाते तथा शाम तक रहते थे तथा दैनिक कार्यों को करते थे। शाम को लौट कर वे पुनः मंदिर जाते तदनन्तर भोजन करते थे।

शूद्रों को कुछ कार्य करने के ही अधिकार थे। 12 हवी शता० में विज्ञानेश्वर¹ ने शूद्रों को पंचमाहायज्ञ करने की अनुमति दी है परन्तु लक्ष्मीधर² ने केवल पाक-यज्ञ करने की अनुमति दी है।

अल्बेरुनी³ के अनुसार परिवार का एक बजट होता है, जिसमें शासक को कर भी देना होता था जो भूमि, चारागाह तथा आय का 1/6 भाग पर होता था। 1/4 विपत्ति के समय के लिए होता था। जिसको भी तीन भागों में बाटा जाता था, जिसमें एक भाग सकटकाल में, दूसरा व्यापार पर लाभ कमाने के लिए तथा तीसरा भिक्षा दान पर खर्च होता था। उसके अनुसार तत्कालीन समाज में शूद्रों के अलावा किसी के लिए सूदखोरी की अनुमति शास्त्र में नहीं देते फिर भी कुसीद वृद्धि प्रचलन में थी।

बारहवीं शताब्दी ईस्वी में यह व्यवस्था थी की एक निश्चित अवधि की आयु तक आकर व्यक्ति को कुछ धार्मिक परम्पराओं का पालन करना होता था। अत्यधिक गरीबी भी कभी-कभी व्यक्तियों को सन्यास लेने के लिए विवश कर देती थी। लक्ष्मीधर के कृत्यकल्पतरु में इस परिवार विरोधी परम्परा तथा गृहस्थ धर्म को पकड रखने का विचार व्यक्त किया है लक्ष्मीधर ने मोक्ष काण्ड में ब्रह्मचर्य के तुरन्त बाद सन्यास की बात की अनुमति दी है।⁴

-
- 1 भिताक्षरा आन याज्ञ, 1121 नमित्यनेन मन्वोपर्वोक्त न्यज्वभट्टाय ज्ञान हरर्दन हायपेदनष्ठिता
 - 2 गृहस्थ काण्ड, पृ० 273 द्विजशत्रुष्यवैष पाक यज्ञाधिकारवान
 - 3 साचक्र2 पृ० 149-50
 - 4 के० वी०-आर आर्यंगर- इद्रोडक्शन टू गृहस्थकाण्ड पृ० 4

विवाह—

प्रबन्धचिन्तामणि मे किसी विशेष प्रकार के विवाह का विस्तार से वर्णन नहीं प्राप्त होता है। शासक वर्ग द्वारा बहुविवाह किए जाए के प्रसंग प्राप्त होते हैं। केवल बाल-विधवाओं के पुनर्विवाह के कुछ एक उदाहरण प्राप्त होते हैं। वस्तुपाल और तेजपाल की मा जो एक बालविधवा थी उससे उनके पिता आशाराज ने विवाह किया।¹ गन्धर्व विवाहो का प्रचलन बहुत अधिक राज परिवारो मे मिलता है। मयणल्ल देवी ने कर्ण से गन्धर्व विवाह किया था²।

विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सस्कार था। इसे परिवारिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना गया। सूत्रकाल से ही आठ प्रकार के विवाहो का वर्णन मिलता है—ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस तथा पैशाच। गृहस्थकाण्ड मे लक्ष्मीधर ने इन विवाहो को भिन्न-भिन्न वर्णों के लिए बताया है।³ धर्मशास्त्रों में इन आठ प्रकार के दो समूहो मे बाँटा है। इनमे प्रथम चार जैसे ब्रह्म, दैव, आर्ष तथा प्रजापत्य को प्रशस्त (Dharmya) या धार्मिक बताया है।⁴ बाकी चार प्रकार को असुर, गान्धर्व राक्षस तथा पैशाच को अप्रशस्त या अधार्मिक बताया है क्योंकि वे केवल निम्न जातियो के लिए थी। मनु के अनुसार आसुर और पैशाच प्रकार के विवाह सभी जाति के लिए मना थे।⁵

धर्मशास्त्र ग्रन्थो के अनुसार प्रशस्त (वैध) विवाह मे वर तथा कन्या का एक ही वर्ण का होना आवश्यक था। अनुलोम प्रकार के विवाह मे अन्तर्जातीय विवाह करने की अनुमति प्रदान की गयी है।⁶ प्राचीनकाल मे अन्तर्जातीय विवाह के नियम अधिक कठिन नहीं थे लेकिन पूर्वमध्यकाल मे हम ऐसे विवाहो पर अपेक्षाकृत अधिक प्रतिबन्ध पाते हैं, प्रतिलोम विवाह का भी इस काल मे निषेध मिलता है।⁷ सबसे अधिक जोर सजातीय विवाह पर दिया जाता था। इस प्रकार विजातियो का वर्णतर कन्या से विवाह करना कलियुग मे स्वीकार नहीं किया जाता था।

1 प्र० चि०, टॉनी पृ० 155

2 वही पृ० 79

3 गृहस्थकाण्ड, पृ० 74

4 वही पृ० 72

5 यादव बी० एन० एस०, सो० ए० क० ~~पृ०~~ ना० इ० पृ० 66

6 यादव, सो ए० क० इ० ना० इ० पृ० 66

7 काणे, एच० डी० भाग 11, अ० 1 पृ० 449

लक्ष्मीधर¹ के अनुसार ब्राह्मण का विवाह शूद्र स्त्री के साथ किसी विशेष परिस्थिति में माना जाता था, लेकिन इसे उन्होंने निम्नस्तर का माना है। उनका कहना है कि शूद्र स्त्री कभी सहधर्मिणी नहीं हो सकती और इस प्रकार का विवाह लोगो द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। मनु के अनुसार पिता की जाति ही सतान की जाति होती थी। जबकि दूसरी ओर विज्ञानेश्वर के अनुसार सतति की जाति माता की जाति से मानी जाती थी।² यह स्थिति केवल अनुलोम विवाह से उत्पन्न सतान के सदस्यों से ही लागू होती थी। जिससे दायद पुत्रों के क्रम निर्धारण में जटिलता न आने पाये। ग्यारहवीं शताब्दी के अल्बेरुनी का कथन है कि पहले ब्राह्मण अपनी जाति या नीची जाति की स्त्री से विवाह कर सकता था परन्तु इसकाल में सजातीय सत्री के अतिरिक्त अन्य किसी से विवाह नहीं कर सकता था। इससे यह प्रकट होता है कि ब्राह्मणों में असवर्ण विवाह का प्रतोत्साहन हुआ था। जन साधारण में एक विवाह ही प्रचलित था।³

स्त्री-दशा—

प्राचीन काल से लेकर पूर्वमध्यकाल के अन्त तक स्त्रियों की स्थिति में निरन्तर परिवर्तन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कभी उन्हें बहुत ही सम्माननीय माना गया है तो कभी उन्हें इतना गिरा हुआ माना है कि उन्हें सभी धार्मिक तथा राजनीतिक अधिकारों से अलग रखा गया है।

प्राचीन जैन ग्रन्थों में भी कुछ स्त्रियों के द्वारा, जो कठोर नियमों को अपनाकर जीवन के ऊँचे लक्ष्य को प्राप्त किए थीं, उनका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार की स्त्रियों की जैन लेखकों ने प्रशंसा की है। इस प्रशंसा के बावजूद भी जैनो में स्त्रियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं रही। ग्यारहवीं- बारहवीं शताब्दी में समाज में स्त्रियों की दशा का वर्णन करने के लिए कुछ विचार मिलते हैं। सन्यासियों के विचार में स्त्री नैतिक तथा आध्यात्मिक पतन का कारण होती है।⁴ प्रबन्धचिन्तामणि में भी दिगम्बर स्त्रियों को अच्छे कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे।⁵ किन्तु यह स्थिति साम्राज्य एव राज्य परिवार की स्त्रियों को कम घटित होती थी। प्रबन्धचिन्तामणि में एक स्थान पर उदाहरणार्थ 1178 ई० में गुजरात की नाईकी देवी ने अपने पुत्र को गोद में लेकर म्लेच्छों से युद्ध किया, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है।⁶ इसी प्रकार का उल्लेख एक अन्य स्थल पर भी मिलता है चौदहलुक्य

- 1 गृहस्थकाण्ड, पृ० 44
- 2 इराजस्थान शू द एजेज पृ० ४५४
- 3 दायभाग, पृ० 9
- 4 प्रबोधचन्द्रोदय, 1 27
- 5 प्र० वि०, टॉनी, पृ० 100
- 6 वही, पृ० 154

जयसिंह की माता मयणल्लदेवी द्वारा सोमेश्वर पत्तन की तीर्थयात्रा पर जाकर प्रभूत धन दान देने का उल्लेख आया है।¹ कश्मीर के इतिहास में 10 वी 11वीं शताब्दी में सुगन्धा एव दिग्दा सफल शासिका हुई।² राजतरंगिणी में भी छुद्धा (chudda) तथा सिल्ला नामक स्त्रियों की वीरता की उपस्थितियों का वर्णन मिलता है।³ पृथ्वीराज विजय में यह उल्लेख मिलता है कि राजा सोमेश्वर ने अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र पृथ्वीराज तृतीय की सुरक्षा हेतु अपनी पत्नी कर्पूरदेवी को नियुक्त किया।⁴ मेवाड़ के राजा समरसिंह की विधवा कुमारदेवी ने 1195 ई० में कुतुबुद्दीन के आक्रमण को रोकने की व्यवस्था की थी।⁵

स्त्रियों का संपत्ति सबन्धी अधिकार प्राचीनकाल से ही प्रचलित था। इसकाल में भी यह विद्यमान था, इसके प्रमाण विस्तार से मिताक्षरा तथा दायभाग में मिलते हैं।⁶ मयणल्ल देवी द्वारा प्रभूत धन देने के उदाहरण इस बात का अनुमान होता है कि इस समय में स्त्री का संपत्ति पर अधिकार होता था।

राज्यकन्या अपने पति का वरण स्वयं करती थी। फलतः गन्धर्व विवाह का प्रचलन था। उदाहरणार्थ प्रबन्धचिन्तामणि में मयणल्लदेवी द्वारा कर्ण से गन्धर्व विवाह करने का उल्लेख मिलता है।⁷ हिन्दू समाज में विधवाओं की स्थिति प्रारम्भ से ही दयनीय रही है। विधवा विवाह उच्चवर्ग में प्रचलित नहीं था लेकिन शूद्रों में यह मान्य था।⁸ प्रारम्भ में विधवा-विवाह पर रोक लग गयी थी परन्तु कालान्तर में कहीं कहीं बाल विधवा विवाह होने लगे थे। प्रबन्धचिन्तामणि में कुछ उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि इस समय बाल-विधवा विवाह को बुरा नहीं समझा जाता था। कुमारदेवी नामक विधवा से जैन आचार्य हरिभद्र ने विवाह किया था।⁹ इसी प्रकार एक ब्राह्मण की पुत्री जो बाल विधवा थी, सूर्यदेवता के पुत्र की माँ बनी।¹⁰ वस्तुपाल तथा तेजपाल की माता भी बाल-विधवा थी जिससे आशाराज ने विवाह किया। राजा कुमारपाल ने पुत्रहीन विधवा की संपत्ति जब्त किए जाने वाले कानून को समाप्त किया। यद्यपि अधीतकाल में उत्तर-पश्चिमी भारत में सती-प्रथा का बहुत प्रचलन था, परन्तु प्रबन्धचिन्तामणि में इसका कोई उदाहरण नहीं प्राप्त होता है।

पूर्वमध्यकाल में अन्य समकालीन साहित्य से पता चलता है कि इस समय वेश्यावृत्ति भी प्रचलन में थी।

- 1 प्र० चि० टॉनी० पृ० 84
- 2 राज०, V, VI
- 3 वही VIII II, 36-37, VII, 1969
- 4 जे० आर० ए० एस०, 1913 पृ० 227
- 5 डॉ० एनल्स एण्ड एन्टीक्यूटीज ऑफ राजस्थान भाग 1, पृ० 270
- 6 मिताक्षरा आन याज्ञ० 11 143, दायभाग अध्याय IV
- 7 प्र० चि०, टॉनी पृ० 79
- 8 राजस्थान श्रुत एजेज, पृ० 462
- 9 प्र० चि०, टॉनी, पृ० 155
- 10 वही पृ० 170

इन्हे प्रायः निम्नस्तर का माना जाता था। प्रबन्धचिन्तामणि में इसके विभिन्न उदाहरण मिलते हैं। शोधग्रन्थ में 'पणस्त्री' का उल्लेख हुआ है। वह धार्मिक कार्यों में भाग ले सकती शिक्षा प्राप्त कर सकती तथा विवाह भी कर सकती थी¹ कुछ वेश्याएँ नृत्य गायन से जीविकोपार्जन भी करती थीं। इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार प्रतीत होता है।

दास-प्रथा

प्रबन्धचिन्तामणि में भी दासता से सम्बन्धित उल्लेख मिलते हैं।² एक स्थल पर यह उल्लेख मिलता है कि वीरधवल के मंत्री तेजपाल ने (सामुद्रिक) व्यापारियों द्वारा आदमियों के जबरदस्ती ले जाने पर रोक लगाकर ख्याति प्राप्त की।³ पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में भी दास-दासी का उल्लेख आया है।⁴ इनके अतिरिक्त विवेच्यकाल में जैन तथा अन्य ग्रन्थों में स्त्री तथा पुरुष दासों का उल्लेख मिलता है। इनमें गृह-दास के अधिकांश साक्ष्य मिलते हैं⁵ हेमचन्द्र की देशीनाममाला में दास के लिए छोड़ओ तथा दासी के लिए दुल्लसिआ शब्द प्राप्त होता है।⁶

दासता के कई घटक थे यथा—युद्ध में हार-जाना ऋण न चुकाना, अकाल इत्यादि से ग्रसित होने पर स्वयं विक्रीत दास बनाना प्रमुख कारण माने गए हैं। स्त्री दासों के विषय में मैकडानेल का कहना है कि आदिवासी औरते पहले से ही दासवत होती थीं, उनके पति युद्ध में मर जाते थे और वे स्वाभाविक रूप से दासता-ग्रहण करती थीं।⁷ लेखपद्धति में उद्धृत दासी-पत्रों से स्त्रियों के दासत्त्व स्वीकार करने के कारण उनके कार्यों तथा स्वामी का उनके साथ किया गया व्यवहार आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दासों की स्थिति पर लल्लन जी गोपाल एव ओ० पी० श्रीवास्तव जी के लेख से भी प्रभूत प्रकाश पड़ता है।⁸ दास प्रथा अत्यन्त प्राचीन है मनु ने सात प्रकार के दासों के विषय में उल्लेख किया है।⁹ याज्ञवल्क्य ने नारद को उद्धृत करते हुए लिखा है कि नौकर तथा दास में अन्तर होता था, नौकरों को केवल पवित्र कार्य करने पड़ते थे। जबकि दासों को

1 वही, 67, 68, 70, 83, 16, 186, 197

2 प्रबन्धचि. मेरु पृ० 93 94 99, टौनी 7, 35-36, 40 117, 147, 149

3 प्रबन्धचिन्तामणि: मेरु सायात्रिकजनो येन कुर्वानो हरणं नृणाम् निषिद्धं तदभूदेष धर्मोदाहरणं भुवि स्पृष्टासकृष्टं निषेधं विद्यायावधि वेदिकाम् पृ० 99

4 पु० प्र० स०, पृ० 3 दासि क्व यासि, पृ० 71 दासीभिदृष्ट पृ० 15, पृ० 109

5 लाईफ इन एष्येट इंडिया ऐज डिपिकटेड इन जैन कैमन्स पृ० 106

6 देशीनाम III 33, V 46

7 वैदिक इडेक्स, भाग I पृ० 357

8 मनु VIII, 415 ओ० गोपाल, ३० ए० टी० ई० पृ० 74 80, ओ० पी० श्रीवास्तव का लेख, इंडियन हिस्ट्री क्वार्टर

9 याज्ञवल्क्य XIV (अभ्युपेत्यसुभ्युप) (660) मंत्र 1, पृ० 124

9 ५१० ५११, ५१५

अपवित्र कार्य जैसे घर की सफाई सड़क की सफाई गड़ढा खोदना मल ढोना तथा स्वामी की आज्ञानुसार जो भी कार्य हो उसे करना पड़ता था।¹ विज्ञानेश्वर² ने इन दासों के पन्द्रह वर्ग बताए हैं--

- 1 गृह-जात (जो दास स्त्री के घर पैदा हो)
- 2 कृत-जात (जो दास के घर पैदा हो)
- 3 लब्ध दास (जो उपहार में प्राप्त हो)
- 4 दायादुपगता (पूर्वजों से)
- 5 आहित (जो पैसा देकर रखा गया है)
- 6 अनाकाल भृता (जो अकाल में बचा हो)
- 7 ऋण-दास (जो कुछ ऋण अदा करके दास बना हो)
- 8 युद्ध-प्राप्त (जो युद्ध में जीता गया हो)
- 9 पणे-जित (धूँत में जीता हुआ)
- 10 उपागत (जो इच्छा से बना हो)
- 11 प्रव्रज्या वसित (एक स्तरहीन सन्यासी हो दासता के लिए इच्छा करता हो)
- 12 कृत (जो कुछ समय के लिए हो)
- 13 भक्त-दास (मालिक के प्रति समर्पण के लिए बना हो)
- 14 बडवा हत (जो दास स्त्री के आकर्षण के कारण हो)
- 15 आत्म-विक्रेता (स्वयं को बेचकर दास बने)

दासों का वर्गीकरण जो नारद ने किया है उसको पूर्वमध्यकाल के टीकाकारों ने भी स्वीकार किया है।³ दासों के पन्द्रह वर्गों में से कृत दास एक या जो न केवल हिन्दू⁴ बल्कि जैनों में भी उल्लिखित हुआ है।⁵

1 सोसाइटी एण्ड कल्चर इन ना० इंडिया, पृ० 73
 2 ल० गोपाल, इ० ल० व० इ० पृ० 74-80, ओ० पी० धीवास्तव, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस भाग I, पृ०
 3 124 अज्ञ, XIV, (अध्यात्मसुखसूत्र) (660)
 4 मिताक्षरा, 11 182, अपराक आन याज्ञ० 11-182 पराशर-माधव, व्यवहार काण्ड पृ० 239-40
 5 वही लक्ष्मीधर, व्यवहार काण्ड, 61, पृ० 371
 6 जिनदास, जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ० 157

लेखपद्धति मे चार दासीपत्र, विधि प्राप्त होते है जो वि० से० 1288 के है जिनके माध्यम से हमे महाराष्ट्र तथा गुजरात क्षेत्रो मे स्त्री दासो के विषय मे विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।¹ स्त्रियो द्वारा दासता स्वीकार करने का प्रमुख कारण आर्थिक था। जब अकाल पडता या विदेशी आक्रमण होते तो आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती थी निम्न स्तर के लोगो के पास ऐसी स्थिति मे दासता स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नही होता था स्त्रियो भी ऐसी स्थिति मे दास बनना स्वीकार करती थी। जैन पुस्तको मे बहुत सी स्त्री दासो के विषय में वर्णन है जो विदेशो से लाई गयी थी।

कथासरित्सागर² मे स्त्री-दासो का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कात्यायन के विचार से एक स्वन्त्र स्त्री यदि दास से विवाह करती है तो उसको अपने पति के स्वामी की दासता स्वीकार करनी पडती थी, इनका अनुमोदन देवणभट्ट ने भी किया है।³ कथासरित्सागर⁴ मे उल्लेख है कि दास का विवाह भृतदास तथा ब्राह्मणो से किया जाता था। इसी ग्रन्थ मे पाटलिपुत्र के एक व्यापारी द्वारा दासो को नियुक्त करने का भी उल्लेख है। जीमूतवाहन का विचार है कि यदि एक दास स्त्री कुई व्यक्तियो द्वारा प्राप्त की जाती थी तो उसे प्रत्येक व्यक्ति की सेवा (कुछ दिनों तक) करनी होती थी।⁵ दासो को गृह के कार्य के अतिरिक्त बाहर के कार्य भी करने पडते थे। अधीतकाल मे प्राय वे घरेलू कार्य के लिए खरीदे जाते थे, परन्तु आपातकाल मे वे आर्थिक उद्देश्य के लिए भी प्रयुक्त होते थे। त्रिषष्टिशलाकापुरष चरित⁶ मे स्त्री दासो द्वारा किए जाने वाले कार्यों खलिहान का कार्य, आटा पीसना, पानी ले जाना घर की सफाई करना, घर को गोबर से लीपना। बर्तन साफकरना इत्यादि का उल्लेख प्राप्त होता है। लेख पद्धति मे हमे दासियो द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विस्तृत लेखा मिलता है। सब्जी काटना, मसाला पीसना, फर्श लीपना, सफाई करना, ईंधन लाना पानी लाना, मालिक के घर का रात का कूडा फेकना, गाय, भैस तथा बकरी का दूध दुहना, दही बनाना, मट्ठा बनाकर खेत ले जाना, तथा खेत के कार्यों मे चारामशीन ले जाना तथा घास काटना इत्यादि।⁷ द्वितीय दस्तावेज मे इन कार्यों के अतिरिक्त भोजन

-
- 1 लेखपद्धति 44-47 ऐज कोटेड बाई ए० के० मजूमदार इन चौलुक्य ऑफ गुजरात पृ० 152, 345-349, पुष्पा प्रसाद, आई० सी० एच० आर० भागXV
 - 2 कथासरित्सागर 1 240, 261, 307
 - 3 स्मृति चन्द्रिका, II, 201
 - 4 कथास० 1, 240, 261, 307
 - 5 दायभाग अनु० 7 ई० स्मृति भूषण, पृ० 13
 - 6 त्रि० श० प० च० III पृ० 248
 - 7 ले० प० पृ० 44

पकाना था खलिहान का कार्य भी जोड़ा गया है।¹ इनके अतिरिक्त भी कुछ कार्यों को करने का उल्लेख तृतीय पत्र में प्राप्त होता है। खेत जोतना, मालिक के हॉट-घोंव धोना, खाल की सफाई करना पानी के जलाशयों (कुण्डिका) की सफाई तथा पशु चराने के कार्य थे।² परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि इन कार्यों के लिए उन्हें अलग से रखा जाता था या फिर किसी आर्थिक उद्देश्य से ये कार्य कराए जाते थे। इनके अतिरिक्त मालिक के कहने पर दासों को दूसरे के घर भी काम करना पड़ता था³

दास लडकियों का प्रयोग वेश्या (रखैल) के रूप में भी किए जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं⁴ दायभाग में भी स्त्रियों को आनन्द के लिए रखे जाने का उल्लेख है⁵ मेघातिथि ने भी इस उद्देश्य से रखी जाने वाली स्त्रियों का उल्लेख किया है।⁶ मिताक्षरा में भी ऐसी दासियों के लिए अवरुद्ध तथा भुजिष्वा शब्दों का प्रयोग मिलता है।⁷ लेखपद्धति के दास्तावेजों में उनकी आयु तथा रूप रंग का विवरण इस बात को द्योतित करता है कि इनका प्रयोग विलासता के लिए भी होता था।⁸ डॉ० मुहम्मद अशरफ का यह विचार है कि दास वेश्याएँ बगाल तथा कभी-कभी मलाया द्वीप से तेरहवीं शताब्दी में आयात की जाती थीं।⁹

दासों की स्थिति समाज में अच्छी नहीं थी। कभी-कभी वे मालिकों द्वारा बहुत सताए जाते थे। उनके स्वामित्व के अधिकार बहुत उपेक्षापूर्ण थे।¹⁰ क्षेमेन्द्र की सेव्य-सेवकोपदेश तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने भी दासों की दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि वे पीटे जाते थे तथा उनकी स्थिति दयनीय थी।¹¹ हेमचन्द्र ने त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित¹² में दासों के प्रति व्यवहार का उल्लेख करते हुए कहा है कि उन्हें खच्चर की तरह पीटा जाता था भारी वजन सहना पड़ता तथा प्यास सहन करना इत्यादि था। लेखपद्धति¹³ में एक

1 वही पृ० 44-5

2 वही पृ० 47

3 वही

4 अर्थशास्त्र III 13, कात्यायन 728, जातक 1 225, 451, III 409, 444, VI 110, 117, 185

5 दायभाग पृ० 149

6 मेघातिथि आन मनु IX, 13

7 आन याज्ञो II 280

8 ले० प०, पृ० 44-5, 47

9 अशरफ के० एम० लार्ड एण्ड कडीशान्स ऑफ द पीपुल ऑफ हिन्दुस्तान भाग I 1935 पृ० 188

10 हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र भाग II, पृ० 186

11 सेव्य पृ० 20, 50, उक्ति पृ० 81

12 त्रिषष्टि, I, 56

13 लेप० 45-47

दास को जाड़ा, गर्मी वर्षा दिन और रात सब समय कठिन परिश्रम करने तथा भूख और प्यास की परवाह न करने को बताया है। प्रताडित होना और पिटना तो दासों का भाग्य ही हो गया था। लेखपद्धति¹ में ही एक स्थल पर यह कहा गया है कि मालिक को यह अधिकार था कि यदि दासी भाग जाय, चोरी करे, अफवाह फैलाए तो वह उसको पीट सकता है उसके बाल पकड़ कर गिरा सकता है, बँध सकता है और पीट सकता है। कभी-कभी उन्हें इतना प्रताडित किया जाता था कि वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती थीं, वे या तो जहर खा लेती थी या कुएँ अथवा तालाब में कूद कर आत्महत्या कर लेती थी।²

लेखपद्धति में केवल मालिक की शक्ति तथा दासी के कार्यों का ही उल्लेख किया है, उनके बचाव तथा अधिकारों का कोई विवरण नहीं प्राप्त होता है।³ मेघातिथि⁴ ने दास को केवल कपड़ा तथा खाना देने की बात कही है। लेखपद्धति में भी दासी को कार्य के बदले में केवल कपड़ा, खाना तथा पैर में पहनने का सामान मिलता इससे अधिक कुछ नहीं।⁵ मेघातिथि⁶ ने उन्हें सम्पत्ति का अधिकार तो दिया है परन्तु उसे वह अपने स्वामी की इच्छानुसार ही प्रयोग कर सकता था, बिना आज्ञा के नहीं। इस प्रकार राहुल सकृत्यायन्⁷ ने अधीतकाल में दासों के साथ व्यवहार अमानवीय बताया है।

अधीतकाल में दास-दासियों के व्यापार के उल्लेख साहित्य तथा अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। प्रबन्धचिन्तामणि⁸ में यह उल्लेख है कि वीरधवल का मन्त्री तेजपाल ने नाविकों द्वारा व्यक्तियों के अपहरण पर रोक लगाई। गुजरात से बहुत से दासों का निर्यात होने से एक योग्य जैन मन्त्री के लिए गभीर समस्या हो गयी थी। बहुत सी कहानियों में गाँवों में डाकुओं द्वारा बन्दी बनाकर उन्हें बेचने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। जगली जातियाँ भी इस प्रकार का कार्य करती थीं।⁹ उपमितिभव प्रपञ्चकथा में एक उल्लेख प्राप्त होता है कि डाकू एक व्यक्ति को खूब खिलाते थे, जिससे उन्हें बाद में अच्छे दाम पर बेच सके।¹⁰ इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि

-
- 1 वही 44-47
 - 2 वही ३०
 - 3 गोपाल ल, ला० ना० ई० पृ० 76
 - 4 आन मनु, IX 143
 - 5 ले० प० 45-7
 - 6 आन मनु VII, 416
 - 7 हिन्दी काव्य धारा, इन्द्रोडक्शन पृ० 17
 - 8 प्रबन्धचिन्तामणि मेरु पृ० 99 1 20
 - 9 समरिचकहा, II पृ० 91
 - 10 उपमिति पृ० 404-5

उस समय फारस के गुलामों का निर्यात होता था। कथाकोश में इसी प्रकार का उदाहरण प्राप्त होता है कि मित्रानन्द किस प्रकार डाकुओं के हाथों में पड़ा और उसे कुछ व्यापारियों को बेचा गया।¹ इसी से सम्बन्धित उल्लेख कथासरित्सागर² में भी प्राप्त होता है।³ लेखपद्धति में हमें यह विवरण प्राप्त होता है कि समुद्री जहाजों में दासों को विदेश ले जाते थे तथा उनके बदले में अन्य सामान लाए जाते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि कुछ राजा भी दासों के व्यापार में शामिल थे। इस प्रकार राजतरंगिणी⁴ के अनुसार कश्मीर का राजा वज्रादित्य ने बहुत से आदिमियों को दास के रूप में म्लेच्छों को बेच दिया। लीलावती में यह उल्लेख है कि एक लडकी जो महाराष्ट्र में पकड़ी गयी उसे गुजरात तथा राजस्थान में बेचा गया।⁵

इस प्रकार हम पाते हैं कि पूर्वमध्यकाल में दासों के व्यापार बढ़ने के लिए डकैती तथा बलपूर्वक ले जाना ये दो प्रमुख कारण थे। ये गुलाम केवल विदेशों का निर्यात ही नहीं किए जाते थे बल्कि ये तुर्क शासकों द्वारा आयात भी किए जाते थे। दास स्त्रियों के आयात किए जाने के कुछ प्रसंग जैन साहित्य में भी मिलते हैं⁶

बाजार— अधीतकाल में यद्यपि गुलामों का व्यापार बढ़ा था, तथापि उनके बाजार के विषय में कोई प्रसंग नहीं है। लेखपद्धति⁷ के एक दस्तावेज में एक स्थान पर एक गुलाम लडकी के चतुष्पथ (चार सड़कों के योग का स्थान) पर बेचने के लिए लाने की परम्परा थी। लल्लन जी गोपाल⁸ द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि चतुष्पथ एक नियमित बाजार गुलामों की बिक्री के लिए था। यह कहा जा सकता है कि कुछ पूर्वकाल में अब तक चतुष्पथ गुलामों के क्रय-विक्रय का एक नियमित स्थान रहा होगा।⁹

इस काल में दास प्रथा के विस्तार के अनेक कारण थे। सामंतों की लूट और मुसलमानों के आक्रमणों के कारण देश की आर्थिक दशा खराब हो गयी थी। जब दुर्भिक्ष पड़ते थे तब मनुष्यों को प्रायः अपना निर्वाह करना कठिन हो जाता था और वे अपने को स्वयं बेच देते थे। मिलासिता एवं सामन्तवादी प्रथा के कारण अधिक दास बनाए जाते थे।¹⁰

1 कथाकोश पृ० 157, समरिच पृ० 342

2 कथास-टोनी 3, 3-5

3 ले० प० पृ० 47

4 राज. IV 39

5 भास्कराचार्य, लीलावती पृ० 45

6 जैन० एच० एल०, आगम साहित्य में भारतीय समाज 161, 26

7 ले० प० पृ० 44

8 गोपाल, ल०, इ० ला० ना० इ० पृ० 74

9 ले० प०, पृ० 44.

10 इष्टव्य, जो० पी० श्रीकल्याण लाल, जो० इ० ला० ए० एच० पी० पृ० 124

तृतीय अध्याय

वेष्ट-भूषा, सौंदर्य-प्रसाधन एवं खानपान

प्रयोग मौसम के अनुसार किया जाता था।¹

प्रबन्धचिन्तामणि से ज्ञात होता है कि कवि माघ के राजा भोज ने सर्दी के मौसम में ऊनी (कम्बल) ओढ़ने को दिया तथा राजा भोज जब उनके यहाँ मिलने को गया तो माघ कवि ने पारदर्शी वस्त्र (संभवतः मलमल) गर्मी के मौसम के अनुसार पहनने को भेंट किया। कल्हण² के अनुसार भी जाड़े में लोग ऊनी वस्त्र पहनते थे। मौसम के परिवर्तन के साथ भारतीयों का वस्त्र धारण करने में पहनने वाला अपने शरीर के रंग के अनुसार वस्त्रों के रंग का चयन करता था, जो कि उस पर फबता था।³ वासती मौसम में सूती या सिल्क निर्मित हल्के वस्त्र पहने जाते थे। गर्मी के मौसम में सफेद वस्त्र पहनना उचित समझा जाता था क्योंकि यह शरीर को ठंडा रखता था। वर्षा के मौसम में लाल, गुलाबी तथा गहरे रंग के वस्त्र और शरतकालीन ऋतु में कुसुम्भ (Safflower) रंग के वस्त्र अधिक समीचीन लगते थे। जाड़े के मौसम में विभिन्न प्रकार के ऊनी वस्त्र पहने जाते थे।⁴

उपरोक्त सूती, रेशमी तथा सिल्क एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग का उल्लेख प्रबन्धचिन्तामणि के अतिरिक्त अन्य समकालीन ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है। ग्यारहवीं सदी के राजशेखर द्वारा विरचित प्रबन्धकोश⁵ में दिव्य-वस्त्र, पट्टकूल, क्षौम, दुकूल कम्बल, कौशेय वस्त्रों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। तत्कालीन एक अन्य ग्रन्थ पुरातनप्रबन्ध सग्रह⁶ में भी दुकूल कम्बल इत्यादि वस्त्रों का उल्लेख आया है। सुकृतकीर्तिकल्लोलिनी⁷ में दुकूल, वल्क, अशुक, कौशेय का प्रयोग प्रसंगित है। हेमचन्द्र द्वारा रचित त्रिषष्टिशला का पुरुष चरित⁸ में भी उत्तरीय, दुकूल, कौशेय, कौशेय, क्षौम का प्रयोग देखने को मिलता है। ग्यारहवीं शताब्दी के एक अन्य कवि धनपाल की कृति तिलकमजरीसार⁹ में क्षौम, अधोवस्त्र, उत्तरीय, वल्कल, चीनाशुक, दिव्याशुक, दुकूल इत्यादि वस्त्रों का यथास्थान उल्लेख आया है। हेमचन्द्र ने अपने ग्रन्थ अभिधानचिन्तामणि में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के लिए अलग-अलग नाम बताए हैं। रेशमी वस्त्र के लिए दो नाम हैं—पत्रोर्ण, धौतकौशेयम्¹⁰ इसी शब्दकोश में चार प्रकार

-
- 1 प्रबन्धचि० मेरू, पृ० 34, टॉनी पृ० 48 (शीतरक्षि कामुपनीय)
 - 2 राजतरंगिणी v, 196
 - 3 शर्मा, बी० एन, सोशल लाईफ इन नार्दर्न इंडिया पृ० 270
 - 4 मानसोल्लास पृ० 90, 1034-39
 - 5 प्रबन्धकोश पृ० 6, 109, 113, 114, 119
 - 6 पु० प्र० स०, पृ० 8, 45, 61, 89
 - 7 सुकृत पृ० 7, 27, 31
 - 8 त्रि० श० पु० च०, 160
 - 9 तिलक० पृ० 2, 3, 40, 59, 62, 79
 - 10 अभिधानचि० III, 331 पृ० 165

के वस्त्रों का उल्लेख भी हुआ है—तीसी आदि की डण्ठल के छिलके से बनने वाले वस्त्र के नाम क्षौमम्, दुकूल, दुगूलम् है। दूसरे प्रकार के वस्त्र कपास (रुई) आदि के फल से बनने वाले कपडे थे जिनके दो नाम कार्पासम् तथा बादरम् बताए हैं, तीसरे प्रकार के वस्त्र रड्डु नामक मृग के रोए से बनने वाले वस्त्र थे जिन्हे राड्डुवम् कहा जाता था ऊनी वस्त्र कम्बल के पाच नाम-कम्बल, ऊर्णायु, आविक, औरभ्र रल्लक बताए हैं, जिन्हे चौथे प्रकार के वस्त्र क्रम में रखा है।¹

पहने जाने वाले वस्त्रों को भी विभिन्न नामों में अभिहित किया है। यद्यपि प्रबन्धचिन्तामणि में सिरवस्त्र के रूप में किसी वेशभूषा का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, परन्तु अधीतकाल में ही सिरवेषण के लिए हेमचन्द्र के ग्रन्थों में दो नाम उष्णीश पगडी तथा मूर्धवेष्टन (मुपैठा) का उल्लेख है। देशीनाममाला² में 'अणराहो' शिरसि चित्र पट्टिकावाची है। यह उष्णीश रगीन वस्त्र था।³ सिर के वस्त्र के लिए उष्णीश शब्द का प्रयोग पगडी या साफा के अर्थ में अति प्राचीन काल से प्रयुक्त होता रहा है। जी० एस० घुर्ये⁴ का कथन है कि अधीतकाल में सिर पर वस्त्र रखना प्रचलन में नहीं था, यह यदा-कदा ही देखने को मिलती थी। स्त्रियों का सिर ढकना एक विशेष भावना का द्योतक था। चित्रों या मूर्तियों में भी कभी-कभी स्त्रियों को सिर ढके हुए दिखाया गया है। साहित्य में केवल रानियों को ही विशेष सिर-बन्ध (Head-band) के साथ प्रस्तुत किया है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में गुजरात क्षेत्र में सिर पर वस्त्र धारण करने की कोई प्रचलित परम्परा नहीं थी। प्रबन्धकोश में यह उल्लेख किया है कि कुमारपाल के शासन काल में सिर पर कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे।⁵

प्रबन्धचिन्तामणि में मेरुतुङ्गाचार्य ने एक स्थान पर यह उल्लेख किया है कि एक अवसर पर राजा परमार्दिन ने जगददेव को एक असाधारण 'पटका' उपहार में दिया, जिसकी कीमत लक्ष मुद्रा बताई (लक्ष्यमूल्यातुल्य ओढतपटयुग) गयी है।⁶ इसके अतिरिक्त गुजरात से प्राप्त सचित्र साक्ष्यों में भारतीयों को पैजामे के साथ पटका धारण करने का चित्रण हुआ है। पटका का तात्पर्य उत्तरीय से है। उत्तरीय का प्रयोग महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा समान रूप से किया जाता था। कभी-कभी उत्तम में सुन्दर उत्तरीय या दुपट्टा का प्रयोग भी सुन्दरता बढ़ाने के

1 हलायुधकोश पृ० 62, अभिधानचि० पृ० 165, 334

2 देशीनाम 1, 24

3 अभिधानचि० III, 331 श्लोक पृ० 164 शब्दानुशासन 6 2 39

4 जी० एस० घुर्ये, इंडियन कास्ट्यूम पृ० 116

5 प्रबन्धकोश—15

6 प्रबन्धचिन्तामणि मेरू, 114, टॉनी 186

लिए किया जाता था। समरइच्चकहा¹ (6ठी शता०) में भी उत्तरीय को एक वस्त्र का टुकड़ा बताया गया है, जिसे कमर से ऊपर शरीर ढकने के लिये प्रयोग किया जाता था। अमरकोश² के अनुसार उत्तरीय ओढ़ने का वस्त्र था। अभिधानचिन्तामणि³ में दुपट्टा या 'चादर' के लिए प्रच्छादनम्, प्रावरणाम्, सब्यानम् उत्तरीयकम् शब्दों के उल्लिखित किया है। ये ओढ़ने वाले वस्त्र सूती तथा रेशमी भी होते थे। इनके ऊपर कसीदाकारी इत्यादि भी देखने को मिलती थी। हेमचन्द्र के देशीनाममाला में उत्तरीय के लिए उड़तण अहोरणम् तथा ओड़ुण शब्द प्राप्त होते हैं।⁴ अधोवस्त्र के रूप में धोती पैजामा घाघरा, चलनक इत्यादि का प्रयोग गुजरात क्षेत्र में देखने को मिलता है। प्रबन्धचिन्तामणि⁵ में एक उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें राजा परमार्दिन के दरबार में एक वटवनिता द्वारा चलनक (चण्डातक) धारण करके नृत्य प्रस्तुत करना प्रसंगित है। इसके समकालीन अन्य ग्रन्थों में यह विवरण प्राप्त होते हैं कि अमीर स्त्रियाँ साड़ी पहनती थीं तथा उसके साथ आधी आस्तीन की कचुकी तथा रगीन पेटीकोट धारण करती थीं। अधीतकाल में नृत्य करने वाली स्त्रियाँ चण्डातक पहनती थीं। अमरकोश⁶ के अनुसार यह एक अधोवस्त्र होता था जो घुटने तक होता था। नैषधचरित⁷ के अनुसार यह नर्तकियों के द्वारा पहना जाता था। यह चण्डातक प्रबन्धचिन्तामणि में उद्धृत चलनक के समान वस्त्र था। जो नाचने वाली स्त्रियाँ धारण करती थीं। हेमचन्द्र ने शिफुल्लणी शब्द का प्रयोग 'स्त्रीणाम् अधोरूकवस्त्र' के रूप में किया है जो चलनक के समान ही था।⁸ हलायुधकोश⁹ में भी इनका उल्लेख मिलता है।

स्त्रियों के द्वारा आंतरिक वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। आंतरिक वस्त्र के रूप में घग्घर (घाघरा) का प्रयोग होता था। देशीनाममाला¹⁰ में हेमचन्द्र ने जघनवरत्रभेद का उल्लेख किया है। शिफुल्लणी शब्द का प्रयोग एक छोटे पेटीकोट के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त अधोवस्त्र के लिए कुछ अन्य शब्द भी प्राप्त होते हैं।

अधोवस्त्र के रूप में 'धोती' का प्रयोग पुरुषों व स्त्रियों द्वारा किया जाता था। जैन भिक्षु लोग सफेद

1 समरइ; 4, पृ० 254, 269

2 अमर, 2/6/1/8 "सग्न्यानुमुत्तरीय च

3 अभिधानचि० III, 335 पृ० 166, हलायुध पृ० 62 (546)

4 देशीनाम, 1, 103, 1 25, 1 155)

5 प्रबन्धचि० मेरू पृ० 114, टॉनी 186 (पुष्पचलचनका)

6 अमर, II, 119

7 नैषध XVI, 8 (नारायणीय टीका)

8 देशीनाम III, 13

9 हलायुध— अधोरूक वरस्त्रीका वासश्चण्डातक स्मृतम्—पृ० 62,

10 देशीनाम II, 107, III 13, उच्चोलो 1, 131, अवअच्छ 1 26 ऋऊल II 38, कूवल II, 43 कडिल II 52, आहट्टो 1 166

धोती तथा उत्तरीय धारण करते थे। हेमचन्द्र को एक चित्र में इसी प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए दिखाया गया है।¹ धनी स्त्रियां साड़ी पहनती थीं जिसके साथ आधी आस्तीन की कचुकी तथा पेटीकोट भी धारण करती थीं। साड़ी के साथ वे पटका का भी प्रयोग करती थीं, जिसका रंग साड़ी से मिलता हुआ होता था। ये सभी वस्त्र बहुत सजीले होते थे।² पाण्डुलिपियों से विदित होता है कि जैन भिक्षुणियों भी साड़ी तथा ढीला छोटा कुर्ता तथा उत्तरीय पहनती थीं।³ जी० एस० घुर्ये⁴ कहते हैं कि पुरुष लोग काच तरीके की धोती पहनते थे जो एक तरह का पैजामा होता था। यह कमर के चारों ओर एक (बेल्ट) कटीबध के द्वारा बांधी जाती थी तथा बीच में (प्लीट) चुन्नट के गुच्छे के ऊपर लाकर इसे सामने बांधा जाता था। इस (बेल्ट) कटीबध की सजावट कसीदाकारी से की जाती थी। अभिधानचिन्तामणि तथा अमरकोश⁵ में पायजामे के लिए आप्रपदीन शब्द प्रयुक्त हुआ है।

अधीतकाल में गुजरात क्षेत्र में अधोवस्त्र के रूप में पुरुषों के लिए पैजामे का प्रयोग भी होता था। गुजरात की पाण्डुलिपियों में हमें भारतीय छोटे, पैजामे का उल्लेख मिलता है जो सजीली कटीबध (बेल्ट) से बँधे होते थे और पटका के साथ जुड़े होते थे। ग्यारहवीं सदी के अलबरूनी ने जिस पायजामे का उल्लेख किया है उसे प्रायः कश्मीर जैसे उत्तर पश्चिम के ठंडे प्रदेशों के लोग पहनते रहे होंगे। अरबी लेखक इब्न हॉकल (977 ई०) कहता है कि हिन्दुओं और मुसलमानों का पहनावा एक सा था। वह यह सूचना देता है कि उन लोगों में प्रायः कुर्ते ही पहने जाते हैं लेकिन व्यापारी लोग कमीज और चादर का व्यवहार करते हैं।⁶

स्त्रियों के एक अन्य वस्त्र के विषय में मानसोल्लास⁷ में उल्लेख मिलता है कि गुजराती स्त्रियाँ सदैव अपने स्तनों को ढँके रहती थीं। देशीनाममाला⁸ में इसके लिए हेमचन्द्र के स्तनयोरुपरि वस्त्र ग्रन्थि के रूप में गेन्थुअ (Genthuam) तथा गेण्ड (Gendam) शब्द का प्रयोग किया है। एक दूसरे प्रकार के वस्त्र को उन्होंने कञ्चुक कहा है। जी० एस० घुर्ये ने समकालीन साहित्य के आधार पर इस वस्त्र के दो प्रकार बताए हैं—

प्रथम वस्त्र जो पीछे की ओर बांधा जाता था जिसका प्रचलन उत्तर भारत में था तथा दूसरे वह वस्त्र

-
- 1 ए० के० मजूमदार, चॉलुक्य ऑफ गुजरात पृ० 356
 - 2 वही
 - 3 वही पृ० 357
 - 4 घुर्ये, इंडियन कास्ट्यूम्स पृ० 111
 - 5 अमर ११९
 - 6 ग्यारहवीं सदी का भारत पृ० 242, AI, I P 180
 - 7 मानसो II, 101
 - 8 देशीनाम् 11 93 11 94 11 18

जो सामने की ओर स्तन के कुछ नीचे गाठ द्वारा बाधा जाता था इसका प्रयोग दक्षिण भारत में होता था।¹ कश्मीर के राजा हर्ष ने दक्षिण वाली पोशाक को कश्मीर में भी प्रचलित करवाया था। इस वस्त्र को कञ्चुलिका या कूर्पासक भी कहते थे। बाद में इसके कुछ अन्य प्रकार प्रचलित हुए जिन्हें कुर्ता कहा गया जो कंधे से पहने जाते थे इनके बाहे भी होती थी।² स्त्रियों के पहनावे पर अलबरूनी का कथन है कि कुर्तको की काट दाएँ और बाएँ दोनों ओर होती थी।³ सोमदेव ने 'कञ्चुक' को चोली के अर्थ में प्रयुक्त किया है उसने लिखा है कि कर्षक वधुए कचुक पहने थी जो उनके घट स्तनों के कारण फटे जा रहे थे।⁴ कञ्चुक को 'वारबाण' भी कहा जाता था।⁵ 'चोलक' सभी वस्त्रों के ऊपर कोट के रूप में (ब्लाऊज) पहना जाता था।⁶ अभिधानचिन्तामणि में इसके पाँच नाम चोलक, कञ्चुलिका, कूर्पासक, अङ्गिका, कञ्चुक बताए हैं।⁷ प्रबन्धचिन्तामणि⁸ में एक स्थान पर यह उल्लेख मिलता है कि मालवा के परमार राजा मुञ्ज ने चौलुक्य राजा भीम से कहा कि तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्री की पोशाक पहन कर जाए। परन्तु यह तीर्थयात्री की पोशाक कैसी होती थी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। समकालीन अन्य ग्रन्थों एवं मूर्तियों से यह अनुमान लगाया गया कि मन्दिर जाने के समय लोग छोटी 'धोती' जो कि घुटने तक पहुँचती थी, तथा 'उत्तरीय' धारण करते थे। माथे पर कुकुम लगाते थे। जब वे घोड़े या हाथी पर बैठकर जाते थे तो मुकुट पहनते थे, जो सिर के वस्त्र की भाँति होता था, एक लम्बा कसा कोट पहनते थे तथा नुकीले स्लीपर पहनते थे। इसके साथ ही वे भुजबन्ध, कगन, कान के रिग तथा हार पहनते थे।

स्त्रियाँ भी दो वस्त्र पहनती थीं। वे एक ऊपरी वस्त्र पहनती थी तथा 'ओढनी' ओढती थी। अधोवस्त्र के रूप में 'साडी' का प्रयोग करती थीं। पुरुषों की भाँति यह भी आभूषण पहनती थीं। इस प्रकार पुरुष तथा स्त्री दोनों ही तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों की वेषभूषा धारण करते थे।

प्रबन्धचिन्तामणि में उपानह धारण करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, परन्तु तत्कालीन अन्य साक्ष्यों से यह विदित होता है कि पाव में उपानह पहनने की परम्परा भी थी। अल्बरूनी लिखता है कि "वे जूतों को जब

-
- 1 जी० एस० घुर्ये, वही पृ० 117, 118
 - 2 वही
 - 3 ग्यारहवीं सदी का भारत, पृ० 242 AI, I P 180-1
 - 4 यशस्तिलक पृ० 16
 - 5 वही पृ० 51, अमरकोश 2 8 64
 - 6 यशस्तिलक पृ० 466
 - 7 अभिधानचि० III, 338 श्लोक पृ०, 166
 - 8 प्रबन्धचि० टौनी पृ० 30

तब पहनते रहते हैं चलने से पहले पिण्डली के नीचे की ओर उलटा दिए जाते हैं।¹ देशीनाममाला से विदित होता है कि पैर में जूता पहना जाता था।² प्राचीनकाल से जूते प्रायः एक दो या तीन तलों के होते थे। चमड़ा पीला, लाल, मजीठी काला या अन्य विविध रंगों से रंगा रहता था। भिक्षु प्रायः एक ही तल का जूता पहनते थे।³

अशुक—विभिन्न वेश-भूषणों में अशुक भी एक था। निशीथचूर्णि में उल्लिखित है कि अशुक में जरी का काम होता था। अलकारों में जरदोजी का काम एवं उनमें स्वर्ण के तार से चित्र-विचित्र नक्काशियों की जाती थी।⁴ बृहत्कल्पसूत्रभाष्य⁵ की टीका में इसे कोमल एवं चमकीला रेशमी वस्त्र वर्णित किया गया है। समरसङ्घकहा⁶ एवं आचाराग⁷ में अशुक का उल्लेख प्राप्त है। मोतीचन्द्र के कथनानुसार यह चन्द्रकिरण एवं श्वेत कमल के सदृश होता था।⁸ बाण ने अशुक को अत्यन्त स्वच्छ एवं झीना वस्त्र बताया है।⁹ वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार यह उत्तरीय वस्त्र था जिसके ऊपर कसीदाकारी द्वारा अनेक भौंति के फूल निर्मित किए जाते थे।¹⁰ अशुक कई प्रकार के होते थे। इसी प्रकार बुनावट के आधार पर इसके भेद—एकाशुक, अध्याशुक, द्वयाशुक तथा त्रयाशुक आदि हैं।¹¹ चीनाशुक—चीन निर्मित सिल्क का वस्त्र होता था।

क्षौम—यह अत्यन्त महीन एवं सुंदर वस्त्र था। यह अलसी के छाल-तन्तु से निर्मित होता था। वासुदेवशरण अग्रवाल के विचारानुसार यह असम एवं बंगाल में उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की घारा से निर्मित किया जाता था।¹² काशी और पुण्ड्रदेश का क्षौम प्रसिद्ध था।¹³

दुकूल—निशीथचूर्णि में वर्णित है कि दुकूल का निर्माण दुकूल नामक वृक्ष की छाल को कूटकर उसके

-
- 1 अल्बेरूनीज इंडिया I, पृ० 181
 - 2 देशीनाम, 676
 - 3 मोतीचन्द्र, भारतीय वेशभूषा, पृ० 355
 - 4 निशीथ०, 4 पृ० 467
 - 5 बृहत्कल्प० 4/36-61
 - 6 समरसङ्घ० 1, पृ० 74
 - 7 आचारागसूत्र 2, 5, 1, 3
 - 8 मोतीचन्द्र, वही पृ० 55
 - 9 वासुदेव, हर्षच० एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ० 78
 - 10 पद्म पृ० 3/198
 - 11 मोतीचन्द्र, वही पृ० 55
 - 12 वासुदेव, हर्षच० पृ० 76
 - 13 मोतीचन्द्र वही पृ० 9

रेशे से करते थे।¹ यह श्वेत रंग का सुंदर व बहुमूल्य वस्त्र होता था। गौड देश में उत्पादित एक विशेष प्रकार के कपास से निर्मित दुकूल वस्त्र का वर्णन आचाराग सूत्र में उपलब्ध है।² वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार सम्भवतः कूल का तात्पर्य देशज या आदि भाषा में कपड़े से था जिससे कोलिक शब्द बना है। दोहरी चादर या थान के रूप में विक्रयार्थ आने के कारण से दुकूल नाम से सम्बोधित किया जाने लगा।³ इसका प्रयोग उत्तरीय बनाने में होता था। दुकूल को क्षौम का पर्याय संस्कृत शब्दकोशों में बताया गया है।⁴

कौशेय—अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी ने यह उल्लेख किया है कि लालतन्तुज एक प्रकार का सिल्क होता था, जिससे पत्रोर्ण तथा कौशेय बनते थे।⁵ युवान-च्वाग के अनुसार कौशेय वह वस्त्र है जो जंगली रेशम के कीड़ों से बनाया जाता था।⁶ कौशेय का उल्लेख प्रबन्धकोश, तिलकमजरी, पुरातनप्रबन्धसंग्रह इत्यादि ग्रन्थों में भी हुआ है।

कम्बल—कबल का उल्लेख प्रबन्ध चिन्तामणि⁷ में आया है। इसके अतिरिक्त प्रबन्धकोश एवं पुरातन प्रबन्ध संग्रह में भी कम्बल शब्द उल्लिखित है। कम्बल का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में उपलब्ध है।⁸ इसका प्रयोग सभी लोग करते थे। इसका प्रयोग रथ के पर्दे के निर्माण में भी होता था।⁹ ह्वेनसाग के अनुसार यह भेड़-बकरी के ऊन से निर्मित और मुलायम एवं सुन्दर होता था।¹⁰ अमरकोश में कम्बल को रल्लक भी कहा है।¹¹ हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि में राड्ढवम् कहा है।¹² क्षीरस्वामी के अनुसार रड्ढा नामक हिरन के रोँ से बनने के कारण इसे रड्ढु कहा गया है।¹³ हेमचन्द्र ने कम्बल के पोंच नाम बताए हैं—कम्बल, ऊर्णायु, आविक, औरभ्र, रल्लक ।¹⁴

-
- 1 निशीथचूर्णी 7, पृ० 10-12
 - 2 आचाराग सूत्र 2/5/13
 - 3 वासुदेव वही, पृ० 76
 - 4 शर्मा बी० एन०, पृ० 242
 - 5 क्षीरस्वामी पृ० 151
 - 6 वॉटर्स, भाग I पृ० 148
 - 7 प्रबन्धचि० मेरू 34, टॉनी 48
 - 8 अथर्ववेद 14/2/66-67
 - 9 हेमचन्द्र का व्याकरण 6/2/132
 - 10 वॉटर्स आन ह्वेनसाग 1, पृ० 148
 - 11 अमर II, 116
 - 12 अभिधानचि० 334 श्लोक पृ० 165,
 - 13 अमरकोश III
 - 14 अभिधानचि० 334 श्लोक पृ० 165,

आभूषण—

ऐतिहासिक साक्ष्यो से यह सुविदित है कि प्राचीन काल से लेकर आजतक आभूषण पहनने की परम्परा अक्षुण्ण है।¹ यह आभूषण विभिन्न धातुओं तथा कीमती पत्थरो और रत्नो से बने होते थे। प्रारम्भ से ही पुरुषो तथा स्त्रियो को आभूषण पहनने मे रुचि थी और वे अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के आभूषणो से सजाते थे। महापुराण मे उल्लिखित है कि अग्नि मे स्वर्ण को तपाकर शुद्ध करने के उपरान्त आभूषण निर्मित होते थे।²

प्रबन्धचिन्तामणि³ मे भी हमे विभिन्न अगो के लिए आभूषणो के अलग-अलग नाम प्राप्त होते है। ये आभूषण पुरुषो तथा स्त्रियो के द्वारा समान रूप से धारण किये जाते थे। ये प्राय सोने और चाँदी के बने होते थे। इन आभूषणो मे कङ्कण (कगन) ताडङ्कम, (कुण्डल) ग्रैवेयक (हार) सुवर्ण—शृखलम् (सोने की जजीर) इत्यादि का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रबन्ध ग्रथो एव इतर समसामयिक ग्रन्थो मे भी इन आभूषणो के उल्लेख—प्राप्त होते है। बारहवी शताब्दी के लेखक हेमचन्द्र ने अपनी पुस्तक त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित मे चौदह प्रकार के आभूषणो की सूची प्रस्तुत की है—1 हार 2 छोटा हार 3 कान के कुण्डल 4 स्वर्ण बाजूबद⁴ 5 रत्नजटित हार या बाजूबद 6 रत्नो की लडियो 7 भुजबध 8 नूपुर 9 एक अन्य प्रकार का बाजूबद 10 अगूठी 11 कर्ण-कुण्डल 12 रत्नो के हार 13 (Crest Jewel) किरीट या सिरस्त्राण 14 टीका।⁵ इनके अतिरिक्त स्त्रिया कमर मे करधनी (मेखला) धारण करती थी।

प्रबन्धचिन्तामणि मे कान गले तथा हाथ के आभूषणो का वर्णन अनेक स्थानो पर प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ मे कान के आभूषण के लिए 'ताडङ्कम' शब्द का प्रयोग हुआ है।⁶

पुरातन-प्रबन्ध-सग्रह⁷ मे भी कान के आभूषण के रूप मे ताडङ्क का प्रयोग किया गया है। धनपाल कृत तिलकमजरीसार⁸ मे कानो मे कुण्डल पहनने के उल्लेख मिलते है। कानो मे आभूषण धारण करने का प्रचलन प्राचीनकाल से चला आ रहा है। स्त्री-पुरुष दोनो के ही कर्णपालियो मे छिद्र कराते थे और दोनो ही इसे धारण करते थे। कुण्डल अवतस, तलपत्रिका, बालियो आदि कर्णाभूषण मे परिगणित होते है। इसके अतिरिक्त कुछ

- 1 भूषण जे० वी० इडियन ज्वेलरी आनमिट्स एण्ड डेकोरेटिव डिजाइन पृ० 47
- 2 महापुराण 61/124
- 3 प्रबन्धचिन्तामणि 50, 62, 89, 98, टॉनी970, 73, 139, 156
- 4 त्रि० श० पु० च० 1, 229
- 5 प्रबन्धचि०, मेरू 62, टॉनी 90
- 6 पु० प्र० स०, पृ० 46
- 7 त्रिष० श० पु० च० पृ० 58-59
- 8 तिलकमजरी 1, 91 पृ० 7

पहले के ग्रन्थो मे कर्णफूल कर्णकुण्डल कर्णभूषण, कर्णतपल कर्णपत्र दन्तपत्र कनकपत्र तालपत्र इत्यादि।¹ अरब-यात्री अबू जैद (दसवीश) कहता है कि भारत के शासक सोने मे जडे हुए कीमती पत्थरो के आभूषण पहनते थे।² दसवी शताब्दी के राजशेखर ने यह बताया है कि कन्नौज की स्त्रियों कर्ण-फूल पहनने मे रुचि रखती थी।³ उत्तर भारत की स्त्रियों प्रायः कनकपत्र या सोने की पत्ती पहनना पसंद करती थी। यह कनकपाद नाम से जाना जाता था।⁴ यह तालपत्र का ही दूसरा रूप होता था। तत्कालीन शब्दकोशो मे कर्णाभरण के लिए विभिन्न नाम प्राप्त होते है। देशीनाममाला⁵ मे तोपट्टो तलक्तो चकल, सखली, वक्कडबध, बीलओ कण्णबाल कण्णाआस, कण्णोल्ली इत्यादि शब्द प्राप्त होते है। अभिधानचिन्तामणि मे कुण्डल के चार नाम बताए है—ताटड्ड, ताडपत्रम्, कुण्डलम, कर्णवेष्टक। कान की सिकडी (सोने की जजीर) के नाम उत्कितिका तथा कर्णान्दु है। एक अन्य गोलाकार आभूषण बाली भी है।⁶ हलायुधकोश⁷ मे कर्णिके शब्द प्राप्त होता है। कल्हण ने कुण्डल पहने हुए सैनिको का भी उल्लेख किया है।⁸ कुण्डल का उल्लेख समरइन्द्रकहा,⁹ यशस्तिलक¹⁰ अजन्ता की चित्र-कला¹¹ तथा हम्मीर महाकाव्य¹² मे भी उपलब्ध है।

कान के अतिरिक्त गले मे पहनने वाले आभूषणो की चर्चा प्रबन्धचिन्तामणि मे हुई है। हार, ग्रैवेयक, स्वर्णश्रृंखला, मुक्ताफल, एकावली शब्दो का प्रयोग कण्ठाभरण के रूप मे इस ग्रन्थ मे प्राप्त होता है।¹³ स्त्री तथा पुरुष दोनो ही कण्ठाभरण का प्रयोग करते थे। इसके निर्माण मे मुक्ता और स्वर्ण का प्रयोग होता था यह भारतीय स्वर्णकारो की शिल्प कुशलता का भी परिचायक था। दसवी शताब्दी के महापुराण मे सोने, रत्न, तथा कीमती पत्थरो के बने कण्ठ आभूषणो के विभिन्न नामो का उल्लेख प्राप्त होता है। ये हार यष्टि, एकावली, रत्नावली, अपर्तिका, सिर्षक उपशीर्षकयष्टि, प्रकण्डक, अवघटक, तरल-प्रतिबन्ध, पहलकहार, सोपान मणि सोपान इत्यादि।¹⁴ इन

- 1 विक्रमाकदेवचरित 1 103
- 2 इलिटय एण्ड डाउसन 1 पृ० 11
- 3 काव्यमीमासा 111, पृ० 18
- 4 कुट्टनीमतम् 358
- 5 देशीनाम V 23 V 21, III 20, VIII, 7 VII 51, II 23, II 57
- 6 अभिधानचि० पृ० 162
- 7 हलायुध० पृ० 63
- 8 राजतरंगिणी VIII 2835
- 9 समराइन्द्र- 2 पृ० 100
- 10 यशस्ति० पृ० 367
- 11 वासुदेवशरण अग्रवाल—वही० फलक 20 चित्र 78
- 12 दशरथशर्मा, अर्ली चौहान डाइनेस्टीज पृ० 263
- 13 प्रबन्धचि० मेरू पृ० 50, 89, 98, टोनी 73, 139, 156
- 14 महापुराण 1, XVI, 470-55, 65

लड्डियों के आधार पर विभिन्न नाम थे। शासक एव सम्राज्ञिया बहुत सी लड्डियों के हार पहनते थे। प्रबन्धकोश¹ में हार का उल्लेख आया है। पुरातन-प्रबन्ध संग्रह में भी स्वर्ण के बने, मणिक्य युक्त कण्ठाभरण तथा हार का उल्लेख प्राप्त होता है।² गले में पहने जाने वाले आभूषणों में हार का व्यापक प्रचलन था। हार का उल्लेख समकालीन अन्य ग्रन्थों में भी प्राप्त होता है।³ हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि में विभिन्न प्रकार के कण्ठाभूषणों के अलग-अलग नाम बताए हैं—हार, मुक्ता प्रालम्ब, मुक्तास्रक, मुक्ताकलाप, मुक्तावली, मुक्तालता। सौ लडी वाली मोती की माला का एक नाम है—देवच्छन्द, एक हजार आठ लडी वाली मोती की माला का नाम इन्द्रच्छन्द था उसकी आधी (554) लडी वाली मोती की माला का नाम विजयच्छन्द था। इनके अतिरिक्त एक सौ आठ लडी वाली मोती की माला का नाम हार था और उसकी आधी लडी वाली मोती की माला का नाम रश्मिकलाप था। बारह लडी की मोती की माला को अर्धमाणव तथा चौबीस लडी वाली मोती की माला को अर्धगुच्छ कहा जाता था। पाच लडी को हारफलम्, चौसठ लडी के हार को अर्धहार, बत्तीस, सोलह, आठ, चार और दो लडी की मोती की माला का नाम क्रमशः गुच्छ, माणव, मन्दर, गोस्तन, गोपुच्छ था। इस प्रकार लड्डियों के संख्या के आधार पर चौदह प्रकार के हार (मोतियों की मालाएँ) होते थे। एक लडी वाली मोती की माला के तीन पर्याय मिलते हैं—एकावली, एकयष्टिका तथा कण्ठिका प्राप्त होते हैं।⁴ एकावली हार का उल्लेख प्रबन्धचिन्तामणि⁵ तथा पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह⁶ में भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कण्ठाभूषणों के नाम अभिधानचिन्तामणि⁷ में प्राप्त होते हैं वे हैं—त्रैवेयक, कण्ठाभूषण। ये आभूषण गले में चिपके हुए होते थे। त्रैवेयक का उल्लेख शोध आधार ग्रन्थ में भी प्राप्त होता है।⁸ गर्दन से नीचे लटकने वाले आभूषण (हलका, चन्द्रहार आदि) का नाम ललन्तिका है। स्वर्ण कण्ठाभूषण का नाम प्रालम्बिका, मोती के बने आभूषण का नाम उर सूत्रिका बताया गया है।⁹ हेमचन्द्र की ही एक अन्य कृति देशीनाममाला¹⁰ में गले में पहने जाने वाले आभूषणों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख मिलता है। इनके नाम हिंडोलण (रत्नावली) मक्कडबन्ध, गज्जल (त्रैवेयक) गण्डिअ (उर सूत्रम्) है।

- 1 प्रबन्धकोश पृ० 113
- 2 पु० प्र० सं०, पृ० 43, 114
- 3 सुकृत०, पृ० 31, त्रि० श० पु० च० पृ० 58-59 तिलकमजरी पृ० 5, 40
- 4 अभिधान०, III, 335 श्लोक पृ० 163
- 5 प्रबन्ध०, मेरू० पृ० 98, टॉनी 156
- 6 पु० प्र० सं०, पृ० 64
- 7 अभिधानचि०, पृ० 162
- 8 प्रबन्धचि०, मेरू० पृ० 50, टॉनी 73
- 9 अभिधानचि०, 321 पृ० 162
- 10 देशीनाम० VIII 76, VI, 127, 11, 94, 11 94

यद्यपि प्रबन्धचिन्तामणि में कतिपय आभूषणों का उल्लेख आया है। लेकिन तत्कालीन उस क्षेत्र को ही अन्य ग्रन्थों में विभिन्न कण्ठ आभूषणों के उल्लेख से प्रतीत होता है कि गुजरात काठियावाड़ क्षेत्र के समाज में आभूषणों का प्रचलन लोकप्रिय था। सभवतः विभिन्न प्रकार के हार, विभिन्न वर्गों (राजा, अमीर-गरीब इत्यादि) व्यक्तियों द्वारा पहने जाते थे।

कर्ण तथा कण्ठ की भाँति हस्ताभूषण भी प्रचलन में थे। हाथ के आभूषणों में कङ्कण' विशेष रूप से पहनते थे। प्रबन्धचिन्तामणि¹ में विभिन्न स्थलों पर इसका उल्लेख हुआ है। कङ्कण अनेक प्रकार के धातु बहुमूल्य पत्थरों रत्नों इत्यादि के बने होते थे। इनकी बनावट चूहे के दाँतों की भाँति होती थी। मूर्तियों को देखकर प्रतीत होता है कि पुरुष प्रायः एक या दो चूड़ियाँ पहनते थे, जबकि औरतें दो या उससे अधिक पहनती थीं।² तदयुगीन अन्य साहित्य में कङ्कण के अतिरिक्त केयूर, वलय मुद्रिका इत्यादि आभूषणों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। 'वलय आधुनिक चूड़ी या कगन की भाँति होता था तथा 'केयूर बाजूबन्द की तरह होता था। कुवलयमाला कहा³ में 'वलय' को सोने का कड़ा जो रत्नजटित था कलाई में पहनने का वर्णन किया है। पुरातन-प्रबन्ध संग्रह में विभिन्न स्थानों पर कङ्कण का वर्णन प्राप्त होता है।⁴ सुकृतकीर्तिकल्लोलिनी में कङ्कण और कटक केयूर का उल्लेख⁵ आया है।

इन आभूषणों का प्रचलन बहुत प्राचीन है। इनमें स्वर्ण, रजत हाथीदाँत एव शंख निर्मित कटक प्रमुख थे। स्त्री-पुरुष दोनों ही इसका प्रयोग करते थे। धनपाल की तिलक-मञ्जरीसार में भी कङ्कण का उल्लेख आया है।⁶ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित में भी हस्ताभूषण के लिए भुजबन्ध तथा कङ्कण मणिबन्ध का प्रयोग हुआ है।⁷ हेमचन्द्र ने अपने शब्दकोश अभिधानचिन्तामणि⁸ में बाजूबन्द के तीन शब्द केयूरम्, अङ्गदम्, तथा बाहुभूषा और कङ्कण के लिए आठ पर्याय करभूषणम्, कटक वलयम्, पारिहाय, आवाप, कङ्कण, हस्तसूत्र तथा प्रतिसर बताए हैं।

-
- 1 प्रबन्धचि०, मेरु० पृ० 25, 50, 117, टॉनी 37, 73, 190, 137
 - 2 लखनऊ म्यूजियम H 124 0, 225 कपूरमञ्जरी पृ० 250
 - 3 कुवलय० पृ० 171 14
 - 4 पु० प्र० स० पृ० 63, 85
 - 5 सुकृत, पृ० ६३ ३१
 - 6 तिलक० पृ० 7
 - 7 त्रि० श० पु० च० पृ० 58, 59, 168
 - 8 अभिधानचि० पृ० 164, 326

इसी शब्दकोश में अगूठी के लिए ऊर्मिका अङ्गुलीयकम् नाम मिलते हैं। 'नाम खुदी हुई अगूठी' को अङ्गुलिमुद्रा कहते हैं।¹ देशीनाममाला में हाथ के आभूषणों के लिए विभिन्न शब्द हत्थोडी तग्ग अल्लथ चूडी प्राप्त होते हैं।²

यद्यपि प्रबन्धचिन्तामणि में अन्य किसी प्रकार के पैर आदि के आभूषण की जानकारी नहीं मिलती है, परन्तु तदयुगीन अन्य ग्रन्थों में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। अभिधानचिन्तामणि में पैर के आभूषण के लिए नूपुर के सात नाम बताए हैं नूपुर तुलाकोटि, पादकटकम्, पादाङ्गदम्, मञ्जीर, हसकम् तथा शिञ्जिनी है।³ इसी प्रकार स्त्रियों की करधनी के लिए भी कटिसूत्रम्, मेखला, कलाप, रसना, सारसन, काञ्ची सप्तकी नाम हैं।⁴ इन आभूषणों का उल्लेख अन्य साहित्यिक ग्रन्थों में भी उपलब्ध है।⁵

सौंदर्य-प्रसाधन

चिरकाल से शारीरिक सौन्दर्य एवं स्वस्थ जीवन परम्परा हमारी सस्कृति में चली आ रही है। शरीर को साफ रखने तथा सौंदर्य अभिवृद्धि के लिए विभिन्न सामग्री प्रयोग में लाई जाती थी। शरीर के विभिन्न अंगों को सजाने हेतु अनेक सौंदर्य प्रसाधन प्रयुक्त होते थे। प्रबन्धचिन्तामणि⁶ में शृंगार के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री में चदन, केसर, कपूर, कस्तूरी, अणरु इत्यादि प्रमुख थे। इनका प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों ही करते थे।

प्रातः काल उठकर लोग अपने दातों को साफ करते थे, जिसके लिए वे विभिन्न प्रकार के पेड़ों की दातून का प्रयोग करते थे। वराहमिहिर⁷ एवं चीनी यात्री ई-त्सिंग⁸ ने भी दातून से दाँतों के मज्जन क्रिया का उल्लेख किया है।

शरीर के सफाई करने की चर्चा भी तत्कालीन साहित्य में बहुश उपलब्ध है। स्नान करने के लिए विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। प्रायः लोग अपने शरीर पर तैल की मालिश करते थे। उसके बाद स्नान करते थे।⁹ स्नान के लिए विशिष्ट स्थल होता था।

- 1 वही० हलायुध०, पृ० 63
- 2 देशीनाम० पृ० VIII 73, VI, 1.54, III 18
- 3 अभिधानचि०, पृ० 164, 329
- 4 वही० पृ० 164
- 5 त्रि० ष० पु० च०, पृ० 58-58, पु० प्र० स० पृ० 114 तिलक पृ० 6
- 6 प्रबन्धचि० मेरु० पृ० 18, 44, 98
- 7 बृहत्सहिता, 85 1
- 8 तकाकुसु पृ० 34-35
- 9 बी० एन० शर्मा, सोशल लाईफ इन नार्दर्न इंडिया पृ० 226

महाकवि बाण ने भी स्नान सम्बन्धी उल्लेख दिए हैं जिसमें सातवीं शताब्दी में भी इस प्रकार का स्नान विधान होने का ज्ञान होता है। शासक एवं अमीर वर्ग के लोगों के लिए स्नान का स्थान एक श्वेत वितान से ढका होता था। भाट लोग इसके बाहर समूहों में बैठते थे। मध्य में सुगन्धित जल भरकर टब रखा होता था। स्नान के लिए आसन तथा सुगन्धित जलो से भरे घड़े भी पास रखे होते थे। दासिया राजा के सिर पर आवला का चूर्ण मलती फिर उस पर चादी के कलश तथा पत्तों से जल डालकर स्नान कराती और भाट लोग गीत गाते थे।¹

मानसोल्लास में भी स्नान के इसी प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैं। प्राचीनकाल से स्नान के महत्व पर अधिक बल दिया गया है। स्नान विशेषतः दो प्रकार का होता है प्रथम मुख्य स्नान द्वितीय गौण स्नान। मुख्य स्नान जल द्वारा सम्पादित होता है किन्तु गौण स्नान बिना जल द्वारा किया जाता है। इन दोनों स्नानों के अनेक भेद हैं। मुख्य स्नान छ प्रकार का होता है—(1) निल (2) नैमित्तिक (3) काम्य (4) क्रियाग (5) मलकर्षण (6) क्रिया स्नान।² अग्निपुराण में भी इसी प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है।³

नित्य स्नान शीतल जल द्वारा किया जाता है। साधारणतः इसमें उष्ण जल का प्रयोग नहीं होता है। जो स्नान किसी विशेष अवसर पर अथवा किसी कारणवश किया जाय⁴ यथा पुत्र जन्म के अवसर पर, यज्ञ के अन्त में तथा ग्रहण आदि के अवसर पर ऐसे स्नान को नैमित्तिक-स्नान कहते हैं। जो स्नान किसी इच्छित पदार्थ की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वह काम्य स्नान है, जैसे तीर्थ को जाते समय अथवा-चन्द्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर अथवा सुख की प्राप्ति के लिए माघ तथा फाल्गुन मास में प्रातः काल स्नान किया जाता है।⁵ जब कोई व्यक्ति धार्मिक कृत्य के अवसर पर स्नान करता है उसे क्रियाग स्नान कहते हैं। उदाहरणार्थ कूप, मंदिर आदि बनवाने के अवसर पर।⁶ शरीर में तैलादि लगाकर केवल शरीर की शुद्धि के लिए स्नान किया जाता है उसे मलापकर्षक या अभ्यग स्नान कहते हैं।⁷ तीर्थों में स्नान कर लेने मात्र को ही जो अपने पुण्य का अंतिम कारण मानता है वह क्रिया-स्नान कहलाता है।⁸ स्नान के समय साबुन की भोंति एक श्वेत पदार्थ उपभोग में लाया जाता था जिसे फेनक कहते थे।⁹

-
- 1 वही० 267
 - 2 शंख कोटेड बाई अपरार्क—पृ० 127
 - 3 अग्निपुराण 155/3 4
 - 4 पाराशर 12/26
 - 5 शंख स्मृति 8/4
 - 6 स्मृत्यर्थसार, पृ० 27
 - 7 शंख, 8/6
 - 8 स्मृत्यर्थसार पृ० 27
 - 9 कामसूत्र सू० 17

स्त्रियों विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन यथा केसर चन्दन, कस्तूरी कर्पूर कुड्डम, अगरु, आलक्तक इत्यादि का प्रयोग करती थी। विवेच्यकालीन ग्रन्थो मे इनका विस्तृत विवेचन भी प्राप्त होता है।¹ शरीर को सुगन्धित एव सौंदर्य के अभिवृद्धि हेतु कर्पूर का उपयोग विविध विधि से किया जाता था। समाज मे चन्दन का प्रयोग विविध भौति से होता था। स्त्री-पुरुष दोनो ही चन्दन का उपयोग करते थे। चन्दन मे कस्तूरी, प्रियङ्गु कुड्डम, एव हल्दी का मिश्रित लेप लगाया जाता था। इसके प्रयोग से शारीरिक सौन्दर्य एव कान्ति द्विगुणित हो जाती थी। स्त्रियों अपने पैरो को रगने के लिए आलक्तक का प्रयोग करती थी। इसके अतिरिक्त सौन्दर्य वृद्धि हेतु केशविन्यास की भी विभिन्न विधियो का प्रयोग किया जाता था। जैन पुराणो एव ग्रन्थो मे भी केशो के कई प्रकार से प्रसाधन किया जाना प्रसंगित है। केशो के लिए जैन पुराणो मे कुन्तल केश, अलक, कबरी आदि शब्दो का प्रयोग उपलब्ध है। सुगन्धित जल से स्नानोपरात केश को धूप से सुगन्धित धुए मे सुखाया जाता था। तदुपरान्त तेल आदि द्वारा केशो को सवार कर बाधा जाता था। केश-प्रसाधन मे पुष्प-माला विभिन्न प्रकार के पुष्प पुष्प पराग पल्लव, मजरी एव सिन्दूर आदि का प्रयोग किया जाता था।²

खान-पान

अधीतकाल मे गुजरात क्षेत्र मे खाद्य तथा पेय सामग्रियो के सम्बन्ध मे साहित्य तथा विदेशी विवरणो से प्रभूत जानकारी प्राप्त होती है। हेमचन्द्र के देशीनाममाला, अभिधानचिन्तामणि इत्यादि ग्रन्थो से इस प्रसंग मे विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। प्रबन्धचिन्तामणि मे भोजन के रूप मे प्रयोग की जाने वाली सामग्री यथा-चावल, गेहूँ, दालें, घी, दूध, दही मिठाई, तथा इनसे बनने वाले पकवानो का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कुछ पेय पदार्थों तथा मास इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। कुमारपाल के शासनकाल मे यद्यपि मास भक्षण पर रोक लगा दी गयी थी, तथापि इसका स्थायी रूप से पालन हुआ अथवा नही ऐसा निश्चित रूप से नही कहा जा सकता।³

महावश पुराण एव हरिवंश पुराण मे (i) अशन (भात दाल रोटी, आदि) (ii) पान (दूध, तथा जल आदि पेय पदार्थ), (iii) खाद्य (खाने योग्य पदार्थ लड्डू आदि) एव (iv) स्वाद्य (पान-सुपारी आदि स्वाद वाले पदार्थ आदि चार प्रकार के आहार वर्णित है।

1 पु० प्र० स०, पृ० 17, 61, 89, सुकृत० पृ० 48, त्रि० श० पु० च०, पृ० 76, प्रबन्धकोश पृ० 72, 76, 75, 114, 117, 119, समराङ्गणसूत्र० पृ० 28-29

2 महापुराण 12/53, 15/90

3 ए० के० मजूमदार, चौलुक्य ऑफ गुजरात पृ० 354

जैन सूत्रों में चार प्रकार के आहार वर्णित हैं—अशन पान, खाद्य तथा स्वाद्य।¹ पद्म पुराण (7वीं-10वीं शताब्दी) के अनुसार भोज्य पदार्थों के पांच प्रकार—भक्ष्य, भोज्य पेय, लेह्य तथा चूष्य हैं।² जिन पदार्थों को स्वादार्थ खाया जाता है उन्हें भक्ष्य कहते हैं। इनके कृत्रिम एवं अकृत्रिम दो उपभेद हैं। भोज्य उन पदार्थों को कहते हैं जिनका प्रयोग क्षुधा निवारणार्थ होता है।

इसके मुख्य (रोटी आदि) एवं साधक (शाक-दाल आदि) दो उपभेद हैं। पेय पदार्थों का प्रयोग भी क्षुधा निवारणार्थ होता था। शीतयोग (शर्बत इत्यादि) जल तथा मद्य के भेदानुसार पेय तीन प्रकार के होते हैं। लेह्य के अतर्गत वे पदार्थ आते हैं जिन्हें चाट कर स्वाद का आनन्द लिया जाता है, जैसे चटनी आदि। चूष्य प्रकार के अन्तर्गत उन पदार्थों की गणना की जाती है जिनका रसास्वादन चूस कर करते हैं, जैसे ईख आदि।³

प्रबन्धचिन्तामणि में भोजन एवं पेय पदार्थों के अतिरिक्त मास तथा मदिरा का भी वर्णन मिलता है। शोध आधार ग्रन्थ प्रबन्धचिन्तामणि⁴ में शालि, षष्ठी या साठी धान का उल्लेख आया है। (जो साठ दिन में पककर तैयार होता है)। राजशेखर के प्रबन्धकोश⁵ में भी विभिन्न प्रकार के अन्नो का वर्णन है। देशीनाममाला में हेमचन्द्र ने चावल के लिए कुछ देशी शब्दों (अ) अणुओं (ब) जोष्णालिआ किविड तथा चाउला इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है।⁶ हेमचन्द्र के अनुसार इनका अर्थ ज्वारी या धान्य था। इसके अतिरिक्त द्वयाश्रयकाव्य⁷ (ग्यारहवीं श०) तथा मानसोल्लास⁸ में भी धान के विभिन्न नाम मिलते हैं। अरब यात्री सुलेमान (851 ईस्वी) ने तत्कालीन भारत के अनाजों चावल तथा गेहूँ अन्न की चर्चा की है।⁹ चौलुक्यों के एक अभिलेख में गेहूँ, चावल, कोद्रव, तिल, मूग उत्पन्न होना प्रसंगित है।¹⁰ त्रिषष्ठिशलाका पुरुषचरित¹¹ में भी श्यामक (सावा-चावल), नीवार (तिन्नी धान्य) वालुक (एक तरह की लकड़ी कुवलय (केले या बेर), शालि, गेहूँ, चने और मूग आदि अनाज का उल्लेख है।

1 जगदीशचन्द्र जैन, जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० 193-194,

2 पद्म 24/53-55 अशन पानक खाद्य स्वाद्यम् चान्न चतुर्विधम्। मद्म० 9/46, हरिवंश 7/85

3 जैन पुराणों का सांस्कृतिक अध्ययन—पृ० 140

4 प्रबन्धचि०, मेरू पृ० 77, टॉनी 117

5 प्रबन्धकोश, गुलसिउ चावइ तिलतोदली वेडिअ वजावइ वासली। पहिरणि ओढणि हुई काबली इणपरि ग्वालइ पूजई स्ली। वही० षष्टिकतन्दुलोदकेन पृ० 85 पृ० 16,

6 देशीनाम०, 11, 60, 111, 8

7 द्वयाश्रय, 111 4

8 मानसो०, 111, 1346-48, 1358

9 इलि एण्ड डा 1, पृ० 15, 16, 124

10 एपि इडि० 33, 1959-60 पृ० 192-198

11 त्रि० श० पृ० च०, पृ० 33, 200

अरब यात्री सुलेमान ने लिखा है कि भारतीयों में चावल खाने का अधिक प्रचलन था। गेहूँ का उपयोग नहीं के बराबर था।¹ डा० घोषाल² ने वैजयन्तीकोश को उद्धृत करते हुए यह कहा है कि म्लेच्छों के लिए गेहूँ भोजन के रूप में उपयुक्त था। इस सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि 'वैजयन्ती' के रचयिता यादव प्रकाश दक्षिण भारत के काचीपुरम् में उत्पन्न हुआ था वहाँ के निवासी इस समय तक गेहूँ का उपयोग करने से अनभिज्ञ थे।³ जहाँ तक उत्तर भारत का सम्बन्ध है लक्ष्मीधर के कृतियों से प्रमाणित होता है कि त्वाँहारो में 'गोधूम' (गेहूँ) के उपयोग का प्रचलन था। लक्ष्मीधर⁴ और चण्डेश्वर⁵ ने जन्माष्टमी के अवसर पर गेहूँ के बने पदार्थों के उपयोग की व्यवस्था की है। राजस्थान की जैन मूर्तियों को गेहूँ समर्पित किया जाता था।⁶ मिष्ठान्न में गेहूँ के आटे के उपयोग की बात हेमचन्द्र ने भी कही है।⁷

प्रबन्धचिन्तामणि में चावल तथा गेहूँ के अतिरिक्त या चणक (चना) का उल्लेख भी हुआ है।⁸ अभिधानचिन्तामणि में इसको चणक, तथा हरिमन्थक, कहा है।⁹ इसके अतिरिक्त कुछ दालें जैसे मुद्ग (मूग) तथा माष (उडद) शब्दों का उल्लेख प्रबन्धचिन्तामणि में हुआ है।¹⁰ माष के लिए धान्य के समान शब्द उडिदो का उल्लेख हेमचन्द्र के देशीनाममाला में मिलता है।¹¹ अभिधानचिन्तामणि में उडद के माष मदन, नन्दी, वृष्य, बीजवर और बली पर्याय मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि उडद कई प्रकार का होता था। जैसे खिल उडद, हरा उडद बडी प्रकार इत्यादि। हरे रंग की मूग के विभिन्न नाम-मुद्ग प्रथन, लोभ्य, बलाट, हरित, हरि बताए गए हैं।¹²

अधीतकाल में अन्न, दूध, दही फल, सब्जी इत्यादि विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किये जाते थे तथा प्रबन्धचिन्तामणि में कुछ पकवानों का उल्लेख हुआ है। कुमारपाल के शासक बनने के पूर्व वह जब तीन दिन से भूखा था, तो एक स्त्री ने उसे अपना भाई मानकर प्रेमपूर्वक चावल और दधि मिलाकर उसे कपूर से सुगन्धित

- 1 एशियेट एकाउन्ट्स आफ इंडिया एण्ड चाइना, पृ० 34
- 2 द स्ट्रगल फार एम्पायर पृ० 235
- 3 ग्यारहवीं सदी का भारत पृ० 236
- 4 कृत्यकल्पतरू, नियत-काण्ड पृ० 395
- 5 गृहस्थरत्नाकर पृ० 257
- 6 एपि० इंडि, 9, 57
- 7 देशीनाम० 88, शब्दानुशासन 72-94
- 8 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० टॉनी 32
- 9 अभिधानचि० III, 236 पृ० 284-85
- 10 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 37, टॉनी 54
- 11 देशीनाम १९९८
- 12 अभिधानचि० III, 238 पृ० 285

बनाकर खाने को दिया¹ एक अन्य व्यञ्जन का भी विवरण शोध-आधार ग्रन्थ में मिलता है, वह (Sweatmeat) जो आटा, दुग्ध, नारियल तथा घी के मिश्रण से बनाया जाता था।² प्रस्तुत शोध आधार ग्रन्थ में एक अन्य स्थल पर रसवती बनाने का उल्लेख हुआ है जो दधि में चीनी तथा मसाले मिलाकर बनाया जाता था।³ एक अन्य स्थान पर गेहूँ के आटे में गुड़ और घी मिलाकर पकवान बनाने का उल्लेख है।⁴ इस ग्रन्थ में सक्तू का भी उल्लेख हुआ है।⁵ यह जौ भूनकर उसे भुने चने मिलाकर चूर्ण बनाया जाता था। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यञ्जन भी तत्कालीन समाज में प्रचलन में थे। जिनका उल्लेख अभिधानचिन्तामणि द्वयाश्रयकाव्य तथा देशीनाममाला में मिलता है। अनाज से अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुएं बनती थीं। भक्त (भात), सूप (दाल), शफ्कुली (पूड़ी), समिध (गेहूँ के आटे की लप्सी यवागु मोदक (लड्डू), पलात्र, खाडव रसाल (शिखरणी), आमिक्षा, पक्वान्न, अवदश, उपदश (सब्जी), सर्पिषिस्तात (घी में तले गए पदार्थ), अगारपाचित (अगारो पर पकाए गए पदार्थ), दध्नापरिप्लुत (दही में डूबे हुए पदार्थ) पयसा विशष्क (सूखी सब्जी), पर्पट (पापड) आदि विभिन्न प्रकार के व्यञ्जन बनते थे।⁶

हेमचन्द्र ने अनेक प्रकार के व्यञ्जनों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार जिन पदार्थों के मिलाने या एक साथ खाने से खाद्य पदार्थ में रुचि अथवा स्वाद उत्पन्न होता था, वे दही, घी, शाक और दाल आदि पदार्थ व्यञ्जन कहलाते थे। दाल के मिलाने से भात में स्वाद आता था, दही मिलाने से ओदन स्वादिष्ट होता था, घी मिलाने से दाल रुचिकर होती थी तथा शाक को रुचिवर्धक बनाने के लिए उसमें तेल का छौक देते थे।⁷ अपूपिका⁸ गेहूँ के आटे में चीनी और पानी मिलाकर घी में मन्द-मन्द आँच में पके हुए पूए), औदशिवत्क⁹ (मट्ठे में बना हुआ पदार्थ), किलाट या कूचिका (खोया तथा मावा)¹⁰ गुडधान¹¹ (गुड़ को भुने हुए जौ में मिलाकर बना हुआ पदार्थ) मोदक¹² यवागु¹³ शफ्कुली¹⁴ (पूड़ी) इत्यादि व्यञ्जनों का उल्लेख मिलता है।

1 प्रबन्धचि० मेरू (कर्पूरपरिमलशालिशालिकरम्बेण, पृ० 77, टॉनी पृ० 117, 143

2 वही० पृ० 90, टॉनी पृ० 141-42

3 वही० पृ० 99, वही० पृ० 156, 196

4 वही० पृ० 107; वही० 172

5 वही पृ० 10

6 जयशकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक आर्थिक इतिहास, पृ० 435

7 शब्दानुशासन, 3 1, 132

8 द्वयाश्रयकाव्य, XVI 96

9 वही० XVI 5

10 वही, अभिधान III, 69

11 वही, XIX, 79

12 वही, XVII 40

13 वही, XI 73

14 वही, V 116

हेमचन्द्र के ही एक अन्य ग्रन्थ देशीनाममाला में भी कुछ व्यञ्जनो के नाम मिलते हैं—तोतडी (करम्ब) इसमें आटा और दही मिलाया जाता था।¹ उरुपुल्लो-जिसे अपूप कहा जाता था।² उण्हीआ (कसर) इसे तिल, चावल और दूध मिलाकर बनाया जाता था।³ सपणा (गेहूँ का आटा) जिसका प्रयोग मिष्ठान्न बनाने में किया जाता था।⁴ उबले हुए चावल में दही और मसाले मिलाकर बनने वाले पकवान को ककसारो कहा जाता था।⁵

तत्कालीन अन्य प्रबन्ध-ग्रन्थों में भी विभिन्न पकवानों का उल्लेख आया है। प्रबन्धकोश⁶ में क्षीर धृतपूर्ण कच्चोलक धृतगुडे रसवती राक्तून मोदक इत्यादि अनेक शब्द आए हैं। पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह⁷ में भी धृत तथा तैल से निर्मित व्यञ्जनो एवं पेय पदार्थों का उल्लेख मिलता है। मनसोल्लास में भी चावल, दाले तथा अन्य भोज्य पदार्थों को बनाने के कतिपय प्रसंग प्राप्त होते हैं।⁸

दुग्ध का प्रयोग अधीतकाल में प्रचुर मात्रा में होने लगा था तथा इसका उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता था। दुग्ध को दुग्ध के अतिरिक्त दधि मट्ठा मक्खन घृत आदि के रूप में भी उपयोग किया जाता था। दुग्ध को कुछ मिष्ठान्तों के रूप में यथा क्षीर (खीर) क्षीखट तथा क्षीरयष्टिका के रूप में भी खाया जाता था।⁹ प्रबन्धचिन्तामणि में दुग्ध तथा दुग्ध निर्मित पदार्थों का यत्र-तत्र उल्लेख हुआ है। एक स्थान पर यह उल्लेख मिलता है कि चरवाहे के पास पडित वररुचि को पिलाने के लिए पानी नहीं था अतः उसने कहा कि वह दूध पी ले।¹⁰ इसी प्रकार एक स्थल पर राजा भुञ्ज को भिक्षा में तक्र (Buttermilk) मट्ठा प्राप्त हुआ।¹¹ इसी सम्बन्ध में एक अन्य प्रसंग भी विवृत है। गोरस बेचने वाली के बर्तन के टूट जाने पर सारा दूध नदी के समान बहने का उल्लेख है।¹² इसके अतिरिक्त दधि का उल्लेख भी एक स्थान पर आया है।¹³ हेमचन्द्र कृत

1 देशीनाम, पृ० V 4

2 वही, पृ० 1 134

3 वही, पृ० 1 88

4 वही, पृ० VIII 8

5 वही, पृ० 11 14

6 प्रबन्धकोश पृ० 6, 14, 22, 10, 73, 11

7 पु० प्र० स०, पृ० 17, 21, 32, 75, 82, 89, 125, 126, 130-

8 मानसोल्लास—3 1345-1373

9 गुडौदन पायस च दृविष्य क्षीरयष्टिक दध्योदन हवि पूपान्मास चित्रान्नमेव च॥ अग्नि पुराण श्लोक 163-10

10 प्रबन्धचि०, मेरू० पृ० 4

11 वही, पृ० 23

12 वही, पृ० 49, टॉनी पृ० 71

13 वही, पृ० 12

द्वयाश्रयकाव्य मे ऊँट का दुग्ध रैवतक पर्वत पर लेने तथा उसका दही बनाने का भी प्रसंग उल्लिखित है।¹ दुग्ध निर्मित पदार्थों के अन्य उल्लेख भी मिलते हैं। दुग्ध तथा तक्र इस काल मे प्रमुख रूप मे प्रयुक्त होता था।² दुग्ध मे गुड मिलाकर³ तथा दुग्ध मे घी मिलाकर⁴ प्रयोग किया जाता था। मादा-हिरन के दुग्ध का भी उल्लेख मिलता है।⁵ प्रबन्धचिन्तामणि के अतिरिक्त राजशेखर के प्रबन्धकोश⁶ मे भी 'क्षीरात्र' का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त घृत तथा दधि के पदार्थों का उल्लेख भी अनेक स्थलो पर हुआ है। प्रबन्धग्रन्थो को श्रृंखला मे रचित पुरातन प्रबन्ध-संग्रह मे भी उक्त विश्लेषण से उपरोक्त भोज्य पदार्थों के व्यापक प्रचलन एव व्यवहरण का सकेत सूचित होता है। क्षीरतन्दुलमय भोज्य पदार्थ का उल्लेख हुआ है।⁷ इसके अतिरिक्त घृत, तक्र, रसवती इत्यादि का उल्लेख भी अनेक स्थलो पर आया है।⁸ उक्त विश्लेषण से उपरोक्त भोज्य पदार्थों के व्यापक प्रचलन का सकेत सूचित होता है। डॉ० गोकुल चन्द्र जैन⁹ ने लिखा है कि दुग्ध साक्षात् जीवन ही है। जन्म के साथ ही दुग्धपान प्रारम्भ हो जाता है। गाय का धारोष्ण दुग्ध आयुष्य करने वाला होता है। दूध प्रातः काल तथा सायं भोजन के बाद उपयुक्त मात्रा मे पीना चाहिए। उनका ही कहना है कि दधि स्थूलता करता है तथा वायु को दूर करता है। इसका सेवन वसन्त, शरद तथा ग्रीष्म को छोडकर अन्य ऋतुओं मे घृत (सर्पिष), सिता (शक्कर), आँवला तथा मूग के पानी के साथ करना चाहिए।¹⁰ ओम प्रकाश यह उद्घृत करते हैं कि उन भैसो के दूध का दही अधिक अच्छा माना जाता है जिनके बछडे बडे हो जाते हैं।¹¹ दही को मथकर उसमे शक्कर मिलाकर तथा कपूर से सुगन्धित बनाकर खाया जाता था।¹²

घृत का वर्णन करते हुए सोमदेव सूरि ने लिखा है कि वेद तथा आगमो के जानकारो ने घृत को साक्षात् आयु कहा। वैद्य लोगो ने वृद्धत्व नाशक होने से रसायन के लिए इसका विधान किया है, सारस्वतकल्प से निर्मल

- 1 वही XV 66
- 2 द्वयाश्रयकाव्य पृ० II. 48
- 3 वही० III 9
- 4 वही, VII 96
- 5 वही, VI, 49
- 6 प्रबन्धकोश, पृ० ६९ १४९ २२
- 7 पु० प्र० स०, पृ० 17
- 8 वही०, पृ० 21, 32, 65, 75, 82, 125, 126, 130
- 9 यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ९५९
- 10 वही० पृ० 95
- 11 द्वयद्विषद्वयणीपय सुत सुधाहृदानपङ्कमिवोद्धृत दधि नैषध-च' XVI 93
- 12 मानसोल्लास, III 1573

हुई बुद्धिवालो ने बुद्धि की सिद्धि (धिय सिद्धये) के लिए बताया गया है, ऐसे घृत द्रव स्वर्ण तथा केतकी के समान रस और छाया वाला उत्तम होता है। अर्थात् घृत आयुवर्धक, वृद्धतानिवारक तथा बुद्धि को निर्मल बनाता है।¹

विभिन्न प्रकार के पकवानो के अतिरिक्त फलाहार के उल्लेख भी प्रबन्धचिन्तामणि में प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थों में आम्र, कदली आमलक नारियल, फलो का उल्लेख भी मिलता है।² तदयुगीन प्रयुक्त होने वाले फल सतरे, अगूर खजूर, नारियल, अनार, आम, केला तथा कपित्थ थे।³ जैन लोग पाच प्रकार के फल उदम्बर (गूलर) अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष तथा न्यग्रोध नहीं खाते थे।⁴ एक स्थल पर विवृत है कि राजा भोज, कवि माघ के निवास स्थान पर गया। वहा भोज के द्वारा कवि के निवास स्थान पर मौसमी तथा गैर मौसमी देश विदेश से लाए गए विभिन्न फलो को देखकर कवि चकित हो गया।⁵

द्वयाश्रयकाव्य में भी आमलक, कण्ड, खर्जूर पीयुक्षा, कापिशामन बदर, बिम्बि जम्बु इत्यादि फलो का उल्लेख मिलता है।⁶ प्रबन्धचिन्तामणि में भोज्य-पदार्थों के अतिरिक्त हरिद्रा, सर्षप इत्यादि मसालों का भी उल्लेख आया है।⁷ द्वितीय भीमदेव के आबू अभिलेख⁸ में हींग, जायफल, जावित्री, मेथी, आवला, हरड, (हरै) खाण्ड, गुड, कालीमिर्च, बहेडा, महुआ और नारियल के प्रयोग का वर्णन मिलता है।

मांस—शाकाहारी भोजन के अतिरिक्त शोध-आधार ग्रन्थ में कुछ स्थलो पर मांस का उल्लेख हुआ है। प्रस्तुत ग्रन्थ प्रबन्धचिन्तामणि में कुमारपाल द्वारा जैन धर्म स्वीकार करने के पश्चात् वध-निषेध तथा मदिरापान न करने का आदेश जारी किया गया।⁹ इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय तक तथा उससे पहले भी मांस खाया जाता था। यह कहना भी सम्भव नहीं है कि इसके बाद पूर्ण रूप से मांस का प्रयोग बंद हो गया अथवा

1 यशस्तिलक, श्लोक 360 तुलना आयुवैर्धतम पृ० 517,

2 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 3, 11, टौनी पृ० 193

3 काव्यमीमांसा, XVIII, पृ० 254, कर्पूर 252-263, नैषध XVI, 95, भविष्यत् 11 3, XII, 3, एपि० इडि० XIII, पृ० 152

4 यशस्तिलक VII, 327, 330

5 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 34, टौनी पृ० 49

6 द्वयाश्रयकाव्य पृ० V 115, XV 81, कुमारपाल च० 1 36 वही० पृ० IV.23, द्वयाश्रय IV 4, वही० XVII, वही० XI 5, वही० V 116, कु० च० II 13, वही० पृ० V 10 वही० 1 35 द्वया० XV81

7 प्रबन्धचि० पृ० 59

8 एच० आई० जी०, 2, स० 170

9 प्रबन्धचि० टौनी पृ० 32-133

नहीं। पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में भी कुमारपाल की इस राजाज्ञा का उल्लेख हुआ है।¹ हेमचन्द्र के देशीनाममाला में 'वउअलिआ, तथा 'सुसन्धिला' शब्दों का उल्लेख है जिसका तात्पर्य आधुनिक युग के सीक-कबाब से लिया जा सकता है।² मास के प्रयोग की पुष्टि अन्य समसामयिक साक्ष्यों से भी होती है। द्वयाश्रयकाव्य में भी मासाहारी व्यञ्जनों का उल्लेख मिलता है। मासाहार केवल शाही व्यक्तियों में अधिक प्रचलित था।³ मास को चावल के साथ पकाने पर उसे मासौदनिक कहते थे।⁴ जंगली जातियों द्वारा गाय के मास खाए जाने का भी उल्लेख है।⁵ कुमारपाल द्वारा मासाहार पर लगाई गयी रोक का उल्लेख भी इस ग्रन्थ में प्राप्त होता है।⁶

कुछ ब्राह्मण मांसभक्षी भी होते थे।⁷ पुराणों में भी श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को साफ जानवरों का मास खाने को कहा है।⁸ क्षत्रिय लोग साफ की गयी मछली तथा भुना हुआ भेड़ का मास पसंद करते थे।⁹ लक्ष्मीधर¹⁰ और चण्डेश्वर¹¹ ने ब्राह्मणों को मास खाने का निर्देश किया है। उनके अनुसार ब्राह्मण तथा अन्य वर्ग के लोग देवताओं को मास चढ़ाने के बाद प्रसाद रूप में ले सकते थे। साथ ही उन्होंने अस्वस्थ व्यक्ति के लिए भी मास खाने का अनुमोदन किया है।

कल्हण के अनुसार मुर्गे, भेड़, बकरे तथा पालतू सुअर का मास लोग खाते थे।¹² मानसोल्लास से भी विदित होता है कि मध्य भारत में सुअर, मृग खरगोश भेड़, बकरे, पक्षी, मछली, कछुए, केकड़े आदि का मास खाया जाता था।¹³ सोमदेवसूरि के अनुसार पितरो को मात्स्य, हारिण औरम, शाकुनि, छाग, पार्श, एण, रोख, वराह, माहिष, शश, कूर्म गव्यण, पायस तथा वार्धीण, इत्यादि के मास से तर्पण करने पर क्रमश एक दो, तीन, चार, पाच, छ सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह वर्ष तक के लिए तृप्त हो जाते थे।¹⁴ मास निषेधाज्ञा जारी

1 पु० प्र० स०, पृ० 124

2 देशीनाम VII, 44, VIII, 39

3 द्वयाश्र पृ० VI, 98

4 वही० पृ० XVII, 41

5 वही० पृ० II 86

6 वही० पृ० XX 12

7 एपि० इडि०, XI, 43-44

8 स्कन्द पुराण-कासी 4 14-20, अग्नि पुराण 1630-1-32, 168-20-21 पञ्च पु०, आदि पु० 56 40 4

9 ओम प्रकाश, फूड एण्ड ड्रिंक्स पृ० 210, उद्धृत समरइचकहा, पृ० 258, 262

10 नियत, काण्ड, पृ० 311-317

11 गृहस्थरत्नाकर, पृ० 380-84

12 राजतरंगिणी, निधनावधि दुर्बुद्धिर्बुधुजे ग्राम्यसूकरान् 5-119, 7 1149

13 मानसोल्लास, 3-13, 1420-1547

14 यशस्तिलक, उत्तरार्द्ध-पृ० 127-128

करने से पूर्व चौलुक्य कुमारपाल को मास खाने का व्यसन था पर्यटनकाल में वह प्रायः मास पर ही निर्वाह करता था।¹ अरब लेखक अल-इदरीसी का कथन है कि नहरवण (अणहिलपाटन) के निवासी मछलिया खाते थे।² किन्तु ए० के० मजूमदार गुजराती साहित्य के आधार पर कहते हैं कि गुजरात में मछली खाने का रिवाज नहीं था।³ कुछ ऐसे भी पशु-पक्षी जिनका मास खाना निषिद्ध माना गया था। उनका उल्लेख अलबेरुनी ने किया है। उसके अनुसार गाय, घोड़ा, खच्चर, गधा, ऊँट, हाथी, पालतू, कुक्कट, कौआ, तोता, बुलबुल, आदि का मास नहीं खाया जाता था।⁴ ऐसे पशुओं का निषेध लक्ष्मीधर ने भी किया है।⁵ अलबेरुनी लिखता है कि भेड़बकरी, खरगोश, गैडा, भैंस, मछली, जल एव धल के पक्षी, गौरैया, कबूतर, मोर इत्यादि पशु तथा पक्षियों का वध आमिष भोज के लिए किया जाता था। घोड़ा, खच्चर, गधा, ऊँट, हाथी, पालतू, कौआ, बुलबुल, मुर्गी, अण्डे आदि का निषेध किया है लेकिन शूद्र के लिए यह वर्जित नहीं था। मानसोल्लास में भी मत्स्य के भक्ष्य का उल्लेख है। अतएव ए० के० मजूमदार क यह कहना कि मछली का प्रयोग गुजरात क्षेत्र में नहीं होता था या निषिद्ध था यह उपरोक्त साक्ष्यों के आलोक में तर्कसंगत नहीं है।

पेय-पदार्थ—अन्नाहार तथा फलाहार के अतिरिक्त कुछ पेय पदार्थ भी आहार के रूप में प्रयोग में आते थे। प्रबन्ध साहित्य तथा तत्कालीन अन्य ग्रन्थों में भी विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों का उल्लेख हुआ है। दुग्ध तथा दधि से निर्मित पेय पदार्थों के अतिरिक्त इक्षुरस भी पेय पदार्थ था। प्रबन्धचिन्तामणि⁶ में एक स्थल पर यह विवेचित है कि एक बार राजा भोज ने प्यास से आकुल होने पर पण्यस्त्री के इक्षुरस से अपनी प्यास बुझाई। देशीनाममाला⁷ में भी इक्षुरस बनाने के यन्त्रों के पढि-गेद यह भेद तथा कुंडे नाम मिलते हैं। पद्मपुराण में भी इक्षु को छ रसों से युक्त बताया गया है। कालान्तर में इसे यन्त्र से पेरकर निकाले जाने लगा।⁸

मद्यपान—प्रबन्धचिन्तामणि⁹ में कुमारपाल द्वारा जैन धर्म स्वीकार करने के पश्चात् मास-भक्षण के साथ-साथ मद्यपान निषेध का भी उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि समाज में मदिरा का सेवन भी किया जाता था।

1 मोहराजपराजय, अंक 4 पृ० 47

2 ग्यारहवीं सदी का भारत पृ० 235 इलियट एण्ड डाउसन I, पृ० 87

3 चौलुक्य गुजरात पृ० 354

4 ग्यारहवीं सदी का भारत पृ० 236, अलबेरुनीज इण्डिया II पृ० 151

5 नियत काण्ड मृगपक्षिणी क्रव्यादाश्च वर्जयेत् पृ० 304.8

6 प्रबन्धचि०० मेरू० पृ० 48, टॉनी पृ० 70

7 देशीनाम-पढि, VI 51 गेद, 45, कुंडे 33

8 पद्म पु०, 3/233-234

9 प्रबन्धचि० टॉनी पृ० 132-133

पुरातन-प्रबन्ध सग्रह¹ में भी मद्यपान निषेध का उल्लेख प्राप्त होता है। हेमचन्द्र के द्वयाश्रयकाव्य में भी सुरापान का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में इसके अनेक नाम गधु², सुरा³ मदिरा,⁴ तथा हाला बताए हैं⁵ हाला नामक सुरा शालि से बनाई जाती थी।⁶ अगूर से बनी शराब द्राक्षारस कहा जाता था।⁷ समाज में अनेक प्रकार की मदिराएँ प्रचलित थी, जिनमें गौडी, माध्वी, भैरेय, आजव, मधु आदि अधिक प्रसिद्ध थी।⁸ यद्यपि स्मृतिकारों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन उच्च वर्णों को सुरा-पान का विधान नहीं किया है।⁹ तथापि अधीतकाल में हमें इन वर्णों के सदस्यों द्वारा भी सुरा-पान किए जाने के बहुश प्रसंग प्राप्त होते हैं।

कुछ ब्राह्मण युवकों द्वारा मदिरापान किए हुए, स्त्रियों के साथ नृत्य करने का उल्लेख भी मिलता है।¹⁰ एक अभिलेख¹¹ के अनुसार गुर्जर प्रतीहार शासक हरिश्चन्द्र की क्षत्रिय वशीय रानी की सतति मधुपायी (मद्यपान करने वाले क्षत्रिय कहलाए। लक्ष्मीधर के अनुसार ब्राह्मण के अतिरिक्त राजा और वैश्य मदिरा-पान कर सकते हैं।¹² मैथिल लेखक चण्डेश्वर का भी यही कथन है।¹³ सोमदेवसूरि ने सुराविक्रयी के रूप में 'ध्वजिन' अथवा 'ध्वज' जाति का उल्लेख किया है।¹⁴ स्मृतिकारों के अनुसार इसी जाति के लोग सुरा बेचा करते थे।¹⁵ ग्याहरवीं सदी में भारत आने वाले अरब यात्री अलबेरूनी का कथन है कि आसव-पान की अनुज्ञा केवल शूद्र को ही है। वह उसे पी सकता है।¹⁶ कुछ महिलाओं के भी मदिरापान करने का उल्लेख प्राप्त होता है।¹⁷ हेमचन्द्र के एक विवरण के अनुसार चापोत्कटवश के लोग कुमारपाल के शासनकाल के समय में बहुत अधिक सुरापान करने के लिए बदनाम हो गए थे। यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी सुरापान करती थीं। उनका कहना है कि सिद्धराज की

1 पु०प्र० स० पृ० 100, 124

2 द्वयाश्रयकाव्य पृ० VII, 61-71

3 वही० XVI 46

4 वही० IV 49

5 वही XVII. 112, XVI 46

6 वही० XVII 119

7 कुमारपाल च० IV 10

8 देशीनाम, 3 41, 45, 804, 1 46, 2 2, 4 4, 5 2, 6 35, 41 50, 8.4; कृत्यकल्पतरू नियत० पृ० 393-95;

गृहस्थ रत्नाकर 390-96

9 प्रायश्चित्त प्रकरण पृ० 40

10 कुट्टनी 414

11 जे० आर० ए० एस०, 1895, पृ० 516, एपि, इडि० भाग XVIII, पृ० 95

12 कृत्यकल्पतरू, नियत० मद्य ब्रह्मणेन न गोक्तव्या राजन्यो वैश्यो न दोष किचिदृच्छत, पृ० 331

13 गृहस्थरत्नाकर पृ० 394

14 यशस्तिलक पृ० 430

15 मनु 4 85, याज्ञ० 1 141

16 ग्याहरवीं सदी का भारत पृ० 240 अल्बेरूनी II, पृ० 151

17 रविषेण जैन पद्य पु०, मदिरामत्तवनिता, अध्याय 2, 834 वि० स० ।

माता मयणल्लदेवी का अपने पुत्र को जन्म देने के पूर्व गर्भावस्था में मदिरा का त्याग करना पडा।¹ मेघातिथि का कथन है कि ब्राह्मण स्त्री को छोड़कर क्षत्रिय तथा अन्य स्त्रियां त्र्यौहार तथा विवाह के अवसर पर बहुत अधिक मदिरापान करती थीं।² साहित्यिक कृतियों में ऐसे अनेक विवरण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन युग की स्त्रियों भी सुरा-पान में रूचि लेती थीं।³

मदिरा का सेवन प्रायः विवाह के अवसरों त्र्यौहारों या खुशी के मौकों पर किया जाता था। शुक्र ने मदिरा के गुणों को विवेचित करते हुए कहा है कि इसके पान से उत्साह, बुद्धि प्रखरता, शीतलता और मस्तिष्क की विचार शक्ति बढ़ती है।⁴ क्षीरस्वामी ने चार प्रकार से मदिरा बनाने का विवरण दिया है—चाशनी, अनाज, मधूक के फूल से तथा फलों से।⁵ लेकिन जो जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त मदिरा प्रायः फल, अगूर, खजूर, मधू के फूल, गन्ना, शहद, नारियल, अनाज, सड़रा, वारुक्णी, मैरेय, तथा अरिष्ट से बनती थी।⁶ हेमचन्द्र ने भी सुरा बनाने की कई विधियों का उल्लेख किया है।⁷ देशीनाममाला में भी सुरा को मापने के विभिन्न बर्तनों के नाम मिलते हैं।⁸

ताम्बूल—प्राचीन काल से ही ताम्बूल का उपयोग मुख प्रसाधन के रूप में होता था। प्रबन्धचिन्तामणि⁹ में अनेक स्थलों पर ताम्बूल का उल्लेख मिलता है। प्रायः पान का उपयोग प्रसाधन, स्वागत-सत्कार तथा शान्ति शौकत के रूप में होता था। ताम्बूल शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में बहुत मिलता है। राजशेखर सुरि के प्रबन्धकोश में दहेज दिए जाने वाले पदार्थों में इसका उल्लेख है। वराह मिहिर ने बृहत्सहिता में इस शृंगार का साधन बतलाया है। दशकुमारचरित में पान की पीक थूककर उसके द्वारा चक्रवाक के जोड़े के चित्र बनाने का उल्लेख है। शुक्रनीतिसार में पान तैयार करने की विधि (ताम्बूलरक्षादिकृतिविज्ञानम्) को कला की कोटि में गिना है। सोमेश्वर ने ताम्बूल के सेवन को भी उपभोग माना है और इस उपभोग को एक साधारण उपभोग नहीं वरन् उत्तम उपभोग माना है।¹⁰ ताम्बूल के साथ प्रयुक्त सर्वप्रथम सुपाडी है। सुपाडी के लिए संस्कृत शब्द क्रमुक,

1 द्वयाश्रय, XI, 13, 14

2 मेघातिथि आन मनु पुत्रजन्मविवाहदय उत्सवा। क्षत्रियादि स्त्रीणाम् पिबेद्या यद्या। IX, 84,

3 सादुक्तिकर्णामृत, पृ० 118, सूक्ति मुक्तावली पृ० 266-67, शाङ्गधर पद्धति पृ० 36, 53

4 शुक्र० 1 116-171

5 अमरकोश पर टीका पृ० 43

6 पुलत्य ने मिताक्षरा में

7 शब्दानुशासन 5.1 157, 2.310

8 देशीनाम, पारिके VI41 पारय VI38, टोळण, IV, 4, खडे 11, 78 उवएइआ 1, 118

9 प्रबन्ध चि० मेरू पृ० 2, 19, 106, 46

10 मानसो०, 3/40/959

पूग तथा घोटा होते थे। सोमेश्वर देव ने मानसोल्लास में क्रमुक शब्द का प्रयोग किया है। इन प्रसंगों से विदित होता है कि चालुक्य नरेश महाराज सोमेश्वर (1129-1138 ई०) के समय में उनके राज्य में सुपाडी की खेती बहुतायत से होती थी। यह बात मानसोल्लास में सुपाडी के विस्तृत वर्णन से पुष्ट हो जाती है।

सुपाडी के अतिरिक्त ताम्बूल के साथ अन्य सुगन्धित वस्तुएँ भी मिलाई जाती थी, जैसे मोती की सीपी का चूर्ण ईशावास कपूर कस्तूरी का चिकनाचूर्ण, जावित्री आदि।

अरब लेखक इद्दीसी¹ ने पान की बहुत अधिक प्रशंसा की है। पान का विशद वर्णन करते हुए अल-मसूदी लिखता है पान एक प्रकार का पत्ता होता है जो भारत में उत्पन्न होता है। जब इसको चूना और डली मिलाकर खाते हैं। अब अनार दानों की तरह दौत लाल हो जाते हैं और मुँह सुगन्धित हो जाता है तथा मन भी बहुत प्रसन्न होता है। भारत के लोग सफेद दौतों और पान न खाने वालों को पसन्द नहीं करते।²

1 चौलुक्य ऑफ गुजरात पृ० 358

2 मुरुजुज जहब, खण्ड, १२ पृ० 84, 67

चतुर्थ अध्याय

कृषि

कृषि

कृषि भारतवर्ष के निवासियों का वैदिक काल से प्रमुख व्यवसाय रहा है। व्यापार तथा पशुपालन के साथ कृषि भी आर्थिक व्यवस्था का एक प्रमुख आधार थी। भूमि, सिंचाई-व्यवस्था, फसले उपकरण, कृषक, कर्षक इत्यादि कृषि के प्रमुख घटक हैं। प्रबन्धचिन्तामणि¹ तथा चौलुक्य नरेशों के अभिलेखों² से तत्कालीन कृषि-व्यवस्था पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है। कृषि-व्यवस्था के अन्तर्गत जिन पक्षों का अध्ययन अभीप्सित है वे इस प्रकार हैं—भू स्वामित्व, भूमि-व्यवस्था एवं भूधारण पद्धति एवं अवधि, भूमि का वर्गीकरण, सिंचाई के साधन, फसले, खाद-व्यवस्था, कृषि श्रम, मौसम आदि की जानकारी।

प्रस्तुत ग्रन्थ के समकालीन अन्य ग्रन्थों में भी कृषि सम्बन्धी विवरण प्राप्त होते हैं। राजशेखर कृत प्रबन्धकोश³ में भी सिंचाई, फसल, सम्बन्धी तथा अन्य विवरण प्राप्त होते हैं। पुरातन प्रबन्ध सग्रह⁴ में भी इसी प्रकार के उल्लेख आए हैं। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त हेमचन्द्र कृत द्वयाश्रयकाव्य, देशीनाममाला, अभिधानचिन्तामणि ग्रन्थों में हलायुधकोश, भोज द्वारा रचित समरागणसूत्रधार धनपाल कृत तिलकमंजरी, सुकृतकीर्तिकल्लोलिनी इत्यादि ग्रन्थों में भी इस सम्बन्ध में अनेक विवरण प्राप्त होते हैं।

भूमि का वर्गीकरण

यद्यपि प्रबन्धचिन्तामणि में भूमि का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं प्राप्त होता है, तथापि कृषि का उल्लेख होने से विवेच्यकाल के लोगों को भूमि का ज्ञान होने का अनुमान लगाया जा सकता है। भूमि का वर्गीकरण उसकी जलवायु की अवस्था तथा उपजाऊ होने के आधार पर किया जाता था। भूमि का वर्गीकरण करके उनमें अलग-अलग फसल बोई जाती थी। भूमि के अनेक प्रकार जैसे उपजाऊ, ऊसर, (बजर), परती इत्यादि प्राप्त होते हैं। नदी के समीप की भूमि अधिक उपजाऊ मानी जाती थी।। मेधातिथि⁵ कहते हैं: कि ऊसर भूमि वह है जहाँ मिट्टी की

1 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरू पृ० 3, 82, 1 21, पृ० 40, पृ० 24, पृ० 55, पृ० 99, 77, 56, 30, 37, 48

2 इडि० एटी०, VI, पृ० 48-55, जे० ए० एस० बी० XXX पृ० 195, एपि, इडि०-33 पृ०, 192, आर्के० सर्वे आफ इडिया ए० रि० 1936-37, पृ० 120, ए० बी० ओ० आर० आई० IX पृ० 179, एपि० इडि० XI, पृ० 47-48, आलइडिया VII ओरिएटल काफ्रेन्स पृ० 643, वही 649, एपि० इडि० I पृ० 293, एपि इडि० पृ० 316, इडि०, एटी VIII पृ० 108, वही पृ० 110

3 प्रबन्धकोश पृ० 9, 16, 17, 35, 56, 85, 101, 114, 109, 130, 176

4 पु० प्र० स० 11, 12, 14, 16, 24, 30, 34, 46, 59, 62, 65, 68

5 मेधातिथि आन मनु० II पृ० 112 उषरो भूमिभाग उच्यते यस्मिन्नरिवलेऽपि मृत्तिकदोषाद्बीज न प्ररोहति।

गडबडी के कारण बीज में अकुर ही नहीं निकता था। हेमचन्द्र ने धान्य अथवा फसल उत्पन्न होने वाली भूमि को 'क्षेत्र' खेत कहा है।¹ हरी फसल बोई जाने वाली भूमि को केदार (केदाराण्यश्च) कहा जाता था।² सूखी भूमि को 'ऊषर क्षेत्र' कहते थे।³ कुछ ऐसी भूमि थी जिसे कृषि-योग्य बनाया जाता था। अभिधानचिन्तामणि⁴ में भी विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए अलग-अलग शब्द प्राप्त होते हैं जैसे उपजाऊ भूमि के लिए 'ऊर्वरा', ऊसर भूमि के लिए इरिणम्, ऊसरम जो भूमि बिना तिपी पुती थी उसे स्थलम् स्थली कहते थे मारवाड आदि की निर्जल भूमि को मरु धन्वा कहते थे। हल आदि से बिना जुती हुई या खोदे गये खेत आदि के नाम हैं—अप्रहतम्, खिलम्, इसके साथ ही मिट्टी के लिए भी मृत या मृत्तिका शब्द, खारी मिट्टी क्षारा, ऊष और अच्छी मिट्टी मृत्सा, मृत्सना कहलाती थी। अभिधानरत्नमाला में भूमि का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है—उपजाऊ (ऊर्वरा), ऊसर (इरिण), परती (खिल), रेगिस्तान (मरु) और अत्युत्तम मृत्सा या मृत्सना। इसके अतिरिक्त घास के मैदान (शाद्वल) और सरकडे वाली (नडवल) काली मिट्टी, पीली मिट्टी और देवमातृका (वर्षा के पानी से सीची जाने वाली) और नदी मातृका (नदियों के पानी से सीची जाने वाली)⁵। इसी कोश में उन खेतों का भी उल्लेख है जिनमें अलग-अलग अनाज उपजाए जाते थे जैसे—दूरीहि, चावल, शालि चावल साठी कोदो चावल, मूग, उडद, तिल, अलसी, सन, जौ और विभिन्न प्रकार के शाक⁶ तथा फल है।

भूमि व्यवस्था—देश तथा समाज की समृद्धि उसकी आर्थिक स्थिति से आकी जाती है। अर्थ-व्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि-व्यापार वाणिज्य आदि पर निर्भर करती है। प्राचीन काल से कृषि ही भारतवासियों की जीविका का प्रमुख साधन है। भूमि सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए साहित्यिक तथा आभिलेखिक अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। भूमि-व्यवस्था के अन्तर्गत भू-स्वामित्व, भू-धारण-पद्धति, माप, अवधि इत्यादि पक्ष हैं।

शोध, आधार ग्रन्थ तथा समसामयिक साक्ष्यों से ज्ञात भूमि अनुदान, भूमि राजस्व, भू-अंतरण, विभाजन, आर्थिक इत्यादि से सम्बन्धित साक्ष्यों के अनुशीलन से भूमि स्वामित्व के स्वरूप की अवधारणा सम्भव है। उदाहरणार्थ प्रबन्धचिन्तामणि⁷ में थाहड (वाहड) नामक शिष्य द्वारा महावीर के मंदिर में श्रीदेव को ग्रामदान⁸ राजा सिद्धसेन

- 1 शब्दानुशासन, 71 78 क्षार भूमि जिसमें बीज अकुरित ही नहीं होता था, पाइअ सद-महाणवो पृ० 189
- 2 वही, 62 13
- 3 वही, 72 26 ऊषर क्षेत्र
- 4 अभिधानचि० IV, पृ० 233-234
- 5 अभिधानरत्न 2, 3-6, वैजयन्ती 124, 17-16
- 6 वही० 2, 7-9 वैजयन्ती 124, 19-20
- 7 प्रबन्धचिन्तामणि मेरू० पृ० 5, 11, 69, 71, 86, 87, टॉनी 107, 133, 136
- 8 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 69, टॉनी पृ० 103

द्वारा बालाक ग्राम में¹ वाग्भट्ट द्वारा भूमि का अनुदान² कुमारपाल द्वारा आलिग नामक कुम्हार को दिए गए दान³ के उल्लेख स्थान-स्थान पर प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कुमारपाल द्वारा भूमि-जब्दी के कानून बनाने का भी प्रमाण प्राप्त होता है।⁴ एक अन्य स्थान पर राजस्व भुगतान⁵ का उल्लेख भी मिलता है। पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह⁶ में भी इस प्रकार के अनेक उल्लेख आए हैं। इस काल में लिखे गए अन्य साहित्यिक साक्ष्यों सुकृतकीर्ति⁷ कल्लोलिनी⁷ तथा राजा भोज की कृति समरागणसूत्रधार⁸ में भी भूमि दान, राजस्व, विभाजन इत्यादि के उल्लेख प्रसंगित हैं। इसी प्रकार के उदाहरण द्वयाश्रयमहाकाव्य⁹ में भी अनुदान इत्यादि के उदाहरण प्राप्त होते हैं।

इन साहित्यिक प्रमाणों के अतिरिक्त भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध में चौलुक्यों एवं उत्तर-भारत में शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के बहुत से अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनसे तत्कालीन भूमि-व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है।

चौलुक्य लेखों में राजा सामंतों, तथा व्यापारियों एवं सम्राज्य व्यक्तियों द्वारा ब्राह्मणों, देवालयों तथा सार्वजनिक संस्थाओं को भूमि तथा दान के प्रसंग मिलते हैं।

भू-स्वामित्व

तत्कालीन समाज में भूमि पर राजकीय स्वामित्व व्यक्तिगत स्वामित्व तथा सामूहिक भू-स्वामित्व के प्रमाण उपलब्ध हैं। प्राचीन एवं पूर्वमध्य कालीन भारत में भू-स्वामित्व का क्या रूप था, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। ब्यूलर, हापकिन्स, मैकडॉनल, कीथ और स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने स्मृतियों व धर्मशास्त्रों के आधार पर मत प्रकट किया है कि प्राचीन भारत में कृषि भूमि राजा की सम्पत्ति मानी जाती थी।¹⁰ इसके विपरीत पी० एन० बनर्जी और काशी प्रसाद जायसवाल¹¹ ने भूमि पर वैयक्तिक स्वामित्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। यू० एन० घोषाल ने जायसवाल के विचारों से असहमति प्रकट की है।¹² अल्तेकर, आर० एस० शर्मा, आर० सी०

1 वही 71, टॉनी पृ० 106

2 वही 87, टॉनी पृ० 136

3 वही

4 वही 86, टॉनी पृ० 133

5 वही पृ० 53, टॉनी 77

6 पु० प्र० सं० पृ० 46, 52, 65, 66, 71, 77, 78, 111, 128, 132

7 सुकृतकीर्ति पृ० 15, 31, 44, 76, 87

8 समरागण पृ० 28-29

9 द्वयाश्रयकाव्य पृ० III, 181, III 18

10 रा० श० शर्मा०, भारतीय सामंतवाद पृ० 139

11 बनर्जी पी० एन०, पब्लिक एडमिन० इन ऐम्प्लान्ट इण्डिया, पृ० 179, जायसवाल का प्र० हिन्दू पालिटी, पृ० 343-51

12 द बिगनिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एण्ड अदर ऐसेज पृ० 158-66

पी० सिंह, एस० के० मैती, एल० गोपाल प्रभृति विद्वानो ने इस विषय पर प्रकाश डाला है।¹ विवेच्यकाल मे एव विवेच्य क्षेत्र मे राजकीय, वैयक्तिक एव सामूहिक तीनों प्रकारो के भू-स्वामित्व के साक्ष्य प्राप्त होते है किन्तु वैयक्तिक भू-स्वामित्व के साक्ष्य बहुसंख्यक तथा सबल प्रतीत होते है।² कौटिल्य भी राजा के भूमि-स्वामित्व के पक्ष मे है। उनके अनुसार राज्य की ओर से व्यक्ति को कृषि के लिए भूमि प्रदान की जाती थी। भली-भाँति कृषि न हो पाने की स्थिति मे उस व्यक्ति से भूमि ले ली जाती थी। 'अर्थशास्त्र' के टीकाकार भट्टस्वामी ने भूमि और जल का स्वामी राजा को माना है।³ मनु ने भी राजा को ही अधिकार दिया।⁴ मानसोल्लास (12हवी श०) मे भी राजा के स्वत्व को ही स्वीकार किया है।⁵ समय-समय पर राजा द्वारा भूमि पर राजस्व लगाया जाना उसके भूमि पर सैद्धान्तिक स्वामित्व का प्रमाण है। राजा को भूमि की उपज का कुछ भाग प्राप्त करने का अधिकार था। सम्पूर्ण राज्य का प्रभु (स्वामी) होने के कारण वह अन्न, फल फूल, वृक्ष, जल निधि इत्यादि लेने का अधिकारी था। इनके उत्पादकों से वह अपना भाग प्राप्त करता था। विचाराधीन युग के अभिलेखो मे राजाओं द्वारा खेत, भूमिखड तथा ग्राम ब्राह्मणों, मन्दिरो, पदाधिकारियो, सामन्तों इत्यादि को प्रदान किए जाने के प्रमाण मिलते हैं जो उसके भू-स्वामित्व के द्योतक है। लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरू⁶ मे कात्यायन को उद्धृत करते हुए राजा को भूमि का स्वामी कहा गया है।

यद्यपि कि विधिग्रन्थो मे राजा को ही भूमि का स्वामी माना गया है परन्तु इन्ही ग्रन्थो मे राजा की निरकुशता को बाध्य भी किया गया है। जैसा कि मनु ने पृथ्वी पर राजा के सर्वोच्च अधिकार की बात मोटे तौर पर कही, लेकिन इस सर्वोच्च अधिकार का मतलब भू-स्वामित्व ही रहा हो, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। उसके अनुसार, खानो से निकली कच्ची धातुओं के आधे हिस्से पर राजा का अधिकार था, क्योंकि वह पृथ्वी का अधिपति था और उसकी रक्षा करता था⁷। पूर्ववर्ती शास्त्रकारो के अनुसार राजा को करारोपण का अधिकार केवल इस कारण था कि वह लोगो की रक्षा करता था। इस प्रकार राजा को भूमि का केवल भोगाधिकार प्राप्त था। अधीतकाल मे लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरू मे राजा के स्वत्व का ही समर्थन किया है। इस काल मे

- 1 अत्लेकर, ए० एस०, प्राचीन भारतीय शासन पद्धति पृ० 198-203, सिंह, आर० सीपी, किंगशिप इन नार्दर्न इंडिया, पृ० 339-40, मैटी एस० के०, इकनामिक ला० आ० जी० इ० इन गुप्त पीरियड पृ० 11-23; गोपाल ल० इकनामिक ला० ना० इ० पृ० 1-31
- 2 यथा, शर्मा आर० एस०, भारतीय सामन्तवाद, अध्याय पूर्वमध्यकाल मे भूमि विषयक अधिकार पृ० 121
- 3 अर्थशास्त्र, 2/24
- 4 मनु स्मृ० निधेराज्ञा भाग ग्रहीतव्य इत्यस्य विधेरर्थवादोडयम् VIII,39
- 5 मानसोल्लास, सहस्रस्वामिनेखिलम् 1/161-62-
- 6 कृत्यकल्पतरू, राजधर्मकाण्ड पृ० 90
- 7 मनु० निधीनातु पुराणाना धातूनामेव च क्षितौ। अर्धभारप्ररक्षणान्राजा भूमेराधिपतिर्हि स VIII,39

कृषक को भूमि पर खेती करने का अधिकार तो प्राप्त था परन्तु भूमि पर राजा का स्वामित्व ही स्वीकार किया गया है। संभव है कि विभिन्न राजाओं के अधीन वास्तविक स्थिति में अन्तर पड़ता रहा हो, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व-मध्यकाल में भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सैद्धान्तिक पक्ष प्रबल था।¹

व्यक्तिगत भू-स्वामित्व

एतत्पुगीन ऐतिहासिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि भूमि पर निजी स्वामित्व भी होता था। इसमें कुछ व्यक्ति अपनी भूमि को व्यक्तिगत रूप से उपहार या दान में देते थे तथा राजा उन पर कर लगाता था।² चौलुक्य नरेश भीम द्वितीय के वि० सं० 1262 तथा 1266 के अभिलेखों में यह वर्णित है कि राजा भीम ने राजस्व की आय से प्राप्त निजी संपत्ति से ब्राह्मण को एक हल भूमि, वापी और प्रपा के रख रखाव के लिए दान दी।³ इसके अतिरिक्त चाहमान राज्य के केलहन के एक अभिलेख में राजा की निजी सम्पत्ति से उनकी पत्नी द्वारा निजी रूप से आणलदेवी के मंदिर को भूमिदान देने का उल्लेख मिलता है।⁴ इसी अभिलेख में एक रथकार द्वारा भी दान देने का उल्लेख मिलता है। एक अन्य अभिलेख (वि० सं० 1264 का भीमदेव द्वितीय) में एक व्यापारी तथा द्वारपाल द्वारा दान देने का उल्लेख भी मिलता है।⁵ सीयदोणि अभिलेख में भी व्यापारियों तथा शिल्पियों द्वारा देवालयों को भूमिदान देने के प्रसंग मिलते हैं।⁶ चौलुक्यों के इन अभिलेखों से भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की पुष्टि होती है।

ऐतिहासिक काल में जब से सामाजिक जीवन में वैयक्तिक भावना को प्रधानता दी जाने लगी तब से ही, राजा के भूमि स्वामित्व के सिद्धान्त के साथ व्यक्तिगत स्वामित्व का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया जाने लगा। पूर्व मीमांसा से ज्ञात होता है कि राजा यज्ञ के पश्चात् भूमि के अतिरिक्त सभी वस्तुओं का दान कर सकता था।⁷ कौटिल्य ने राजकीय भूमि और प्रजा जनो की व्यक्तिगत भूमि में स्पष्ट अन्तर किया है।⁸ नारद की व्यवस्थानुसार राजा को गृह एवं खेत इत्यादि पर व्यक्तियों के स्वामित्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।⁹

- 1 आर० एस० शर्मा, भारतीय सामंतवाद, पृ० 127
- 2 एपि० इडि०, II 125-130, मेघातिथि, VIII, 44, 148, 151, 165, IX, 49, 55
- 3 इडि० एटी XVIII वि० सं० 1262 पृ० 108, वही पृ० 110
- 4 एपि० इडि० XI, पृ० 47-48
- 5 इडि० एटी० XI, पृ० 336
- 6 एपि० इडि० I, पृ० 166
- 7 पूर्वमीमांसा, 6/7/3
- 8 अर्थशास्त्र, 2/23
- 9 नारद स्मृति, 9 42

राजा किसी किसान की भूमि केवल कर न देने की स्थिति में ही छीन सकता था। प्रजा को अपनी भूमि के विभाजन विक्रय करने दान देने तथा अधिरूप में रखने का अधिकार था।

मिताक्षरा¹ और मदनपारिजात² में यह तर्क दिया गया कि ब्राह्मण गोत्र के खेतों के अविभाज्य होने का नियम ब्राह्मण से उत्पन्न क्षत्रिय तथा अन्य पुत्रों पर ही लागू होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी ब्राह्मण के ब्राह्मण-पुत्र आपस में भू-संपत्ति का विभाजन कर सकते थे। गोत्री अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि पर वैयक्तिक अधिकार को बल मिला। वर्ण के आधार पर ब्राह्मणों के क्षत्रिय तथा अन्य पुत्रों को वैयक्तिक अधिकारों से वंचित रखा गया। तेरहवीं शताब्दी के देवणभट्ट का कहना है कि भूमि का विभाजन हो सकता है किन्तु विभाजन समस्त कुटुम्बियों की अनुमति से ही हो सकता है।³ ग्यारहवीं से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक के धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण परिवारों की भू-संपत्ति के विभाजन की स्पष्ट व्यवस्था की गयी है और जो नियम ब्राह्मण परिवारों के लिए बना था संभवतः वही अन्य जातियों के परिवारों पर भी लागू रहा हो। इस प्रकार व्यक्ति भूमि को आपस में बाँट सकते थे जिससे वैयक्तिक भू-स्वामित्व का एक लक्ष्य स्वीकार किया जाता है।

बिक्री सम्बन्धी कानून से भी भूमि पर व्यक्ति के अधिकारों के विकास का पता चलता है। प्रारम्भ में किसी भी धर्मशास्त्रकार ने भूमि विक्रय की बात नहीं की। सर्वप्रथम बृहस्पति ने भूमि के विक्रय-सम्बन्धी नियमों की रचना की⁴ कात्यायन ने भी भूमि विक्रय-सम्बन्धी उल्लेख किए हैं। उनके अनुसार यदि कोई किसी को जमीन देता है, या उसके हाथ बेचता अथवा गिरवी रखता है और वह जमीन बाद में बेकार हो जाती है, तो उसे उस व्यक्ति को फिर उतनी ही जमीन देना चाहिए।⁵ वह आगे कहते हैं जिस जमीन को क्रय करना हो उसकी ठीक से जाँच कर लेना चाहिए।⁶ वह यह भी कहते हैं कि जिस जमीन पर कर लगता हो, उसे कर चुकाने के लिए बेचना चाहिए।⁷ अर्थात् किसान को कर की बकाया रकम चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचने को बाध्य किया जा सकता था।⁸ बारहवीं शताब्दी में लक्ष्मीधर ने ग्राम, क्षेत्र आदि स्थावर संपत्ति की बिक्री का

-
- 1 धर्मकोश, यत्तुशानसा क्षेत्रप्वाविभाज्यत्वयुक्तविभाज्यमिती। तद् ब्राह्मणोत्पन्न क्षत्रियादि पुत्रोविषयम् 1 12 32,
 - 2 वही 1231
 - 3 वही, 1232
 - 4 धर्मकोश 1,896
 - 5 वही ०, 767,
 - 6 वही, 896
 - 7 वही, 899
 - 8 वही, 898

वर्णन किया है।¹ देवणभट्ट कहते हैं कि जब सीमा जल और वीथियों के साथ-साथ कोई ग्राम बेचा जाय तो वहा के पुरोहित वर्ग और ग्राम-देवता को नष्ट नहीं करना चाहिए।² तेरहवीं शताब्दी में जब वरदराज के व्यवहार-निर्णय का सकलन काल तक भूमि की बिक्री का चलन पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित और स्वीकृत हो गया, क्योंकि इस कृति में जमीन मकान आदि को पण्य-वस्तु (बिक्री की वस्तु) कहा गया है।³ इससे पहले भूमि के लिए इस विशेषण का प्रयोग शायद ही कही किया गया हो। बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में हम भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में अधिकाधिक नियमों की रचना होते देखते हैं जिसका सम्बन्ध इस काल में मुद्रा और व्यापार की पुन-प्रतिष्ठा से जोड़ना असंगत न होगा।

सर्वप्रथम बृहस्पति बंधक रखे मकान या खेत की उपज के उपयोग को भोग-लाभ की सजा दी है।⁴ यदि कोई व्यक्ति ऋणदाता से कर्ज लेता था तो मूलधन और ब्याज की अदायगी से लिए अपनी भूमि उसके पास बंधक रखता था। जब व्यक्ति के पास अपनी स्वयं की भूमि होगी तभी वह उसे बंधक रख सकता था। अधीतकाल में भूमि बंधक रखने के सम्बन्ध में विभिन्न नियमों के होने से यह तात्पर्य निकलता है कि भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व अवश्य रहा होगा।

किसानों को पट्टे पर जमीन देने के जो नियम बने थे उनसे भी भूमि पर व्यक्ति के अधिकार सिद्ध होते हैं। मिताक्षरा में व्यवस्था है कि खेती की उपेक्षा करने वाले काश्तकार से जमीन छीनकर दूसरे को दी जाय।⁵ इस प्रकार भू-स्वामी को पट्टेदार बदलने का अधिकार था भू-स्वामी का हिस्सा, भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता था। जो जमीन बहुत दिनों से परती रही हो उस पर वह उपज के दसवें हिस्से का हकदार था। जिस पर खेती होती रही हो उसकी उपज का आठवां हिस्सा उसका था और जिस पर बहुत अच्छी तरह खेती होती रही हो उसकी उपज का छठा हिस्सा उसका होता था।⁶ ये अनेक नियम भूमि पर बढ़ते हुए वैयक्तिक अधिकारों का पर्याप्त संकेत देते हैं।

विवेच्यकाल में चौलुक्य-नरेशों तथा अन्य राजाओं के अभिलेखों⁷ में राजा सामंतों व्यापारियों एवं सम्भ्रान्त

- 1 व्यवहारकल्पतरु, धर्मकोश, 886 में उद्धृत
- 2 स्मृतिचन्द्रिका, 23, धर्मकोश, 1, 977 में उद्धृत
- 3 हि० ध० शा० 3, 495, पा० टि० 878
- 4 वही० ११३ ७-८-
- 5 धर्मकोश 943
- 6 धर्मकोश, 954
- 7 पीछे उद्धृत है

व्यक्तियों द्वारा विभिन्न भूमि अनुदानों को मन्दिरों एवं ब्राह्मणों को देने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दान देने की प्रवृत्ति तभी अपनाई जा सकती थी, जब कि व्यक्ति के पास अपनी निजी संपत्ति हो। इस प्रकार व्यक्ति अपनी भूमि को स्वेच्छा से दान कर सकता था, विक्रय कर सकता था तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए उनका उपयोग कर सकता था।

सामुदायिक स्वामित्व

कुछ साक्ष्य ऐसे भी प्राप्त होते हैं जिनसे सामुदायिक भू-स्वामित्व की भी जानकारी होती है। प्रभूत मात्रा में उपलब्ध दान-शासनो का सम्बन्ध मन्दिरों और ब्राह्मणों को प्रदान की गई भूमि से है। ब्राह्मण और मंदिर भूमि का उपयोग समुदाय के नाम पर करते थे। प्रायः अभिलेखों के आरम्भ में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि जब कोई भूमि दान करे तो, चारों वेदों के ज्ञाताओं व्यापारियों, महत्तरो, सभी ग्राम-वासियों उस भूमि के स्वामियों तथा राज्याधिकारियों को सूचित कर देना चाहिए। इससे यह संकेत मिलता है कि भूमि पर ग्रामवासियों का भी कुछ हक होता था। प्रबन्धचिन्तामणि¹ में राजा सिद्धसेन द्वारा सिंहपुर अनुदान ब्राह्मणों को दान देना इसी सामुदायिक स्वामित्व के अन्तर्गत आता है। राजा भीमदेव प्रथम के लेख (111, 2 वि० सं०)² में यह अनुदान दिया गया—2 हल भूमि जो कि सादाक (Sadak) व्यापारी की थी, इससे अतिरिक्त एक अन्य भूमि जो 2 कलसिकवपाश (Kalasikavapas) की जैन मठ को दान दी गयी।

इसी प्रकार एक अन्य लेख³ जो राजा भीम प्रथम का है, उसमें भी 3 हल भूमि वारणावाडा (Varanavada) ग्राम में जो कि पाटु (Patu) की भूमि थी एक मोघ ब्राह्मण जानक को दान दी गयी।

बेरावल अभिलेख⁴ जो चौलुक्य राज वाघेल अर्जुनदेव का 1264 ईस्वी का लेख है। उसमें हरमूज से आए एक व्यापारी ने सोमनाथ मंदिर के अधिकारियों की सहमति से मंदिर की भूमि महाजनपल्ली का खरीदकर उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया।

रासमाला⁵ में उल्लेख है कि राजा का फसल में हिस्सा होता था, कभी-कभी राजा कृषकों से अपने

-
- 1 प्रबन्धचिन्तामणि, वही०
 - 2 एपि० इडि०, XXXI, पृ० 255-259
 - 3 वही०, XXI, पृ० 171-172
 - 4 सेलेक्ट्स 11, पृ० 402
 - 5 रासमाला पृ० 185

मंत्रियों के माध्यम से उपज का अंश लेता था। एक अन्य स्थान पर यह कहा है कि ग्रामस्वामी कृषको से अपना अंश लेते थे तथा राजा उस ग्राम स्वामी से अपना अंश लेता था। कभी-कभी निर्दयी शासक एव लोभी अपने अंश के साथ-साथ कृषको की सम्पूर्ण उपज को अपहृत कर लेते थे।¹

ईस्वी सन की प्रारम्भिक सदियों से लेकर बारहवीं शताब्दी तक भू-स्वामित्व पर प्रकाश डालने वाले धर्मशास्त्र ग्रन्थों में जो सामग्री मिलती है उसमें सामुदायिक अधिकारों का हल्का सा आभास-मात्र है। किन्तु राजकीय और वैयक्तिक अधिकारों को उसमें उत्तरोत्तर अधिकाधिक समर्थन दिया गया है। इस काल में सामन्त प्रथा विकसित हो चुकी थी राजकीय पदाधिकारियों को भी राजसेवा के बदले में वेतन न देकर भूमि दी जाती थी। वे अनुदान में प्राप्त भूमि का उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र थे, भूमि का अंश इच्छानुसार दान में भी दे सकते थे यद्यपि इसके लिए उन्हें कभी-कभी राजा से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी।

लौकिक सत्त्ववाद—यह उद्घरण परोक्ष रूप से भूमि पर बहुस्वामित्व का द्योतन करता है कि मिताक्षरा के अनुसार जिस आधि (बन्धक) का फल धनी व्यक्ति को मिलता हो (जैसे खेत आदि) किन्तु उसपर से बन्धक रखने वाले का अधिकार समाप्त नहीं होता इससे यह प्रतीत होता है कि एक ही समय में भूमि पर बहुत से लोगों का अधिकार होता था यथा जिसकी भूमि हो, जिसके पास बंधक रखी हो या जिनके द्वारा उस पर कार्य करवाया जा रहा हो।² इसी प्रकार जिसे भूमि को दान देने क्रय करने बंधक रखने या उसका अन्य प्रकार से उपयोग करने का अधिकार होता है, वास्तविक स्वामी वही होता है। विज्ञानेश्वर ने इसीलिए लौकिक सत्त्ववाद का उल्लेख किया है। इस शब्द पर टीका करते हुए वे लिखते हैं कि शास्त्रीय विधान पर निर्भर हुए बिना व्यापक लोक स्वीकृति के आधार पर सर्वमान्य भू-स्वामित्व को लौकिक स्वामित्व नहीं स्वीकार किया जा सकता (मिताक्षरा 11, 114) पूर्व भू-स्वामित्व का मुद्दा बहुत ही जटिल एवं विवादास्पद है। एतत् युगीन विधिकारों ने भूमिपर एक ही समय में बहुत से वर्गों का स्वत्व स्वीकार किया है। इसलिए इस भू-स्वामित्व को प्राचीनकाल की अर्धमुखीय रेखीय पद्धति से नहीं समझा जा सकता। वास्तव में भू-स्वामित्व का निर्धारण विवेच्यकाल की वास्तविक परिस्थितियों तथा तथ्यों के आलोक में ही किया जा सकता है। बी० एन० एस० यादव (सो० क० ना० ई० पृ० 251) ने उक्ति ही कहा है कि इस भूस्वत्व को विधि वेत्ताओं ने उपविभाजन स्वीकार किया है यथा- राजा का स्वत्व, स्वामी का

1 राजतरंगिणी, IV, 628, V 166-170, एपि० इडि०, XIV, पृ० 178
2 मिताक्षरा II, 58, पृ० 216

स्वत्व, काश्तकार कृषक का स्वत्व आधिकर्ता का स्वामित्व आर्थिक का स्वामित्व इत्यादि अपनी-अपनी सीमा में एक ही समय उक्त सभी भू-स्वामी होते हैं ऐसी स्थिति में विज्ञानेश्वर द्वारा प्रतिपादित लौकिक सत्त्ववाद के आधार पर निर्धारित भू-स्वामित्व ही वास्तविक भू-स्वामित्व माना जाना चाहिए।

भूमि के प्रकार—भूमि का एक अन्य वर्गीकरण भूमि की उपजाऊ शक्ति कर भी किया जाता था। देय राजस्व दरों के आधार पर भी भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। गुजरात क्षेत्र में तीन प्रकार की भूमि होने की जानकारी प्राप्त होती है तथा जिसकी उत्पादकता के आधार पर कर भी निश्चित किया जाता था।—लेख-पद्धति के एक दस्तावेज में सकर भूमि थी जिसका राजस्व 24 द्रम्म प्रति विसोवा था¹ तथा पचिला भूमि का राजस्व 20 द्रम्म प्रति विश्वा बताया गया है तथा तीसरी अनुपजाऊ भूमि थी, जिसको अधखिल कहते थे, जिसका कर 16 द्रम्म प्रति विशोपक था। चौलुक्य नरेश भीम के एक अभिलेख में उपजाऊ तथा बजर भूमि दान करने का उल्लेख मिलता है² द्वयाश्रयकाव्य पर अभयतिलकगणि की टीका से भी इस प्रकार की भूमि विभाजन की सूचना मिलती है। खिल या ऊसर भूमि का उल्लेख बुधगुप्त³ के दामोदर पुर कापर प्लेट में भी मिलता है। जिसमें तुलना करने पर यह पता चलता है कि इसमें खिल भूमि को साधारण भूमि से कम मूल्यांकित किया है लेकिन लेखपद्धति वि० सं० 802 एक दस्तावेज में इस प्रकार की ऊसर भूमि को एक कृषक द्वारा जोता जाता था, जो बाहर से आता था (नव्य समायात कुटुम्बिकै) उसको 16 द्रम्म प्रति विसोवा देना पड़ता था। गोचर भूमि पर भी कर देना पड़ता था। मूलराज को कडि लेख में गोचर कर का उल्लेख हुआ है। अभयतिलकगणि ने भी गोचर भूमि के उपभोगार्थ कर वसूलने के तथ्य की पुष्टि किया है।

भूमि की माप—अभिलेखों में हमें भूमिमाप सम्बन्धी हल पाश हस्त, शब्दावलिया प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त भोज के अभिलेख में निवर्तन शब्द का प्रयोग हुआ है।⁴ इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्व की दर से तय करने तथा सीमा विवादों को रोकने के लिए भूमि की पैमाइश होती थी। अभिधानचिन्तामणि⁵ में हस्त, फुट, गज, बास इत्यादि से प्रमाण करने के लिए पाय्यम् शब्द का प्रयोग किया है।

- 1 विशोपक/विशोवा—एक भूमि माप जो साधारण भूमि माप की 1/30 थी, लेखपद्धति में इसे एक बीघा माना है, एक भूमि जो 20 बीघा है—डी० सी० सरकार, इंडियन, एपिट्रैफिकल ग्लोसरी पृ० 374 दिल्ली, 1966
- 2 इडि एटी० XI, पृ० 337 वि० सं० 1264
- 3 एपि० इडि०, XV, पृ० 137
- 4 एपि० इडि० 33, पृ० 192-198, एपि० इडि० II पृ० 81, इडि० एटी० 61 पृ० 20, आई० एच० क्यू०, भाग, 8, पृ० 305-315
- 5 अभिधानचिन्तामणि, पृ० 219

भारतवर्ष में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भूमि माप का भिन्न-भिन्न तरीका था। जैसे—

- (1) हल-माप
- (2) हस्त रॉड नल आदि से माप निवर्तन
- (3) वपनार्थ बीज की मात्रा
- (4) भूमिकर या लगान की दर से आधार पर भूमि की माप¹

चौलुक्य अभिलेखों में अधिकतर भूमि के दान के सन्दर्भ में हल जो शब्द माप के लिए प्रयुक्त हुआ है यह उत्तर-भारत के अन्य क्षेत्र में भी प्रयुक्त हुआ है। जिन चौलुक्य राजाओं ने इसका प्रयोग किया है उनमें विशेषतः—भीमदेव की पालनपुर ताम्रपत्र (वि० सं० 1120),² दोहड अभिलेख जयसिंह देव (वि० सं० 1196) का,³ कुमारपाल का बालि अभिलेख⁴ त्रिलोचनपाल की सूरत प्लेट (1151 ईस्वी)⁵ इसके अतिरिक्त धुल्ला कापर-प्लेट ऑफ श्रीचन्द्र (10 वीं श० ई०)⁶ रेन कापर प्लेट गोविन्दचन्द्र (वि० सं० 1188)⁷ नरवर्मन का कदम्बपद्रक अनुदान (वि० सं० 1167)⁸

एक हल भूमि से तात्पर्य उतनी भूमि से होता था जितनी भूमि एक दिन में एक हल द्वारा जोती जा सकती थी। इस सन्दर्भ में विभिन्न अभिलेखों में अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। ~~भीमदेव~~ भीमदेव द्वितीय⁹ की बाम्बे एसियाटिक सोसाइटी कापर प्लेट में तथा परमार राजा धारावर्षदेव के एक अभिलेख¹⁰ में इसका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। अन्य अभिलेखों में इसे हलद्गाग, भू-हल कहा गया है।

इस सम्बन्ध में अभी तक 'हर' शब्द का प्रयोग गुजरात में होता है परन्तु यह भूमि की नाप के लिए नहीं बल्कि अनाज की माप के लिए होता है।¹¹ भूमि की माप के लिए हल का प्रयोग पाणिनी¹² तथा पतञ्जलि¹³

भूमि माप के लिए

- 1 पुष्पानियोगी, इकोनोमिक हिस्ट्री आफ नार्दर्न इण्डिया, पृ० 81
- 2 एपि० इडि०, XXI, पृ० 171
- 3 इडि० एटी, X, पृ० 158
- 4 आर्के० सर्वे आफ वेस्टर्न सर्किल 1907-8, पृ० 54-5
- 5 इडि० एटी० XII, पृ० 196, XXI, पृ० 255
- 6 आई० बी०, पृ० 165
- 7 इडि० एटी, XIX पृ० 249
- 8 वही XVIII, पृ० 14
- 9 इडि० एटी०, XVIII, पृ० 108
- 10 वही० LVI, पृ० 50 कुछ इतिहासकार हल का अर्थ यह मानते हैं कि एक हल द्वारा एक वर्ष में जितने बड़े क्षेत्र पर खेती किया जा सके।
- 11 इडि० एटी० LII पृ० 249
- 12 वही IV, 4, 97, एल हल भूमि के लिए हल्य शब्द प्रयुक्त है,
- 13 एपि० इडि० I, पृ० 162

उल्लेख गुप्तसूत्र^१ 207 के ध्रुवरोन प्रथम के गणेशगढ प्लेट मे हुआ है। वास्तव मे खण्ड का प्रयोग अनाज नापने के लिए होता था तथा पाश भूमि की सतह नापने के लिए होता था। 100 पाश भूमि मूहरद ग्राम मे थी जो 1 खण्ड अनाज उत्पन्न करने वाली थी इसी प्रकार एक भूमि जो 1 खण्ड उत्पन्न करती थी तथा 100 पाश नापी जाती थी दूसरे ग्राम मे दान दी गयी। एक पाश को नल के समान निश्चित भूमि नापने की लम्बाई बताया गया है।

चौलुक्य अभिलेख (1206 ई०)^१ मे भूमि माप के लिए 'पाथ' शब्द का प्रयोग हुआ है। विल्सन शब्दकोश के अनुसार एक पाथ मे 240 वर्ग गज होते है। उच्चारण साम्यता होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि लेख उत्कीर्णक की गलती से पाश को ही पाथ उत्कीर्ण किया है।

भोजदेव^२ के वि० सं० 1076 के बासवाडा प्लेट मे उल्लेख है कि उसने 100 निवर्तन भूमि दान दी। काणे^३ के अनुसार निवर्तन इसलिए कहा जाता था कि एक दिन मे छ या आठ बैलो द्वारा जो भूमि जोती जाती थी। विभिन्न विद्वानो ने निवर्तन के सम्बन्ध मे अपने-अपने मत दिए है। लीलावती (16) के अनुसार एक निवर्तन 400 वर्ग गज का होता था परन्तु कौटिल्य (220) के अनुसार यह 900 वर्ग गज का होता था।

इसी प्रकार अन्य क्षेत्रो मे विभिन्न राजवशो मे भी अनेक शब्दो का प्रयोग भूमि-नापने के सन्दर्भ मे किया गया है, परन्तु न तो चौलुक्य अभिलेखो मे न अन्य राज्यों मे इस सन्दर्भ मे कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध होता है, जिससे कि यह अनुमान लगाया जा सके कि एक हल मे या एक हस्त मे या अन्य नाप के अनुसार कितनी निश्चित भूमि है। इनमे हल आदि की कोई निश्चित नाप नही मिलती।

सिचाई-व्यवस्था—प्रबन्धचिन्तामणि मे कृषि की सिचाई के सम्बन्ध मे बहुत से उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अभिलेखो एव समकालीन साहित्य मे भी सिचाई सम्बन्धी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इन विवरणो से सिचाई के अनेक साधनो तथा अरघट्ट सरोवर तडाग, जलाशय, कुए, नहर इत्यादि के विषय मे जानकारी मिलती है। प्रबन्धचिन्तामणि मे अरघट्ट^४ तथा घटीर्जलयन्त्र चक्रे^५ का उल्लेख हुआ है। इसी ग्रन्थ मे राजा कर्ण द्वारा कर्णसागर बनवाने का उल्लेख मिलता है।^६ एक अन्य स्थान पर यह वर्णन है कि खेत के सेतु (बाध) टूट गए

1 इडि० एटी, XI, पृ० 337

2 एपि० इडि०, XI, पृ० 181

3 काणे, हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, III पृ० 145

4 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 40, 124

5 वही, त्व कि न पश्यसि घटीर्जलयन्त्रचक्रे रिक्ता भवन्ति भरित पुनरैव रिक्ता। पृ०, 24, 11, 5-6

6 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 55, टॉनी पृ० 78

थे।¹ इससे अनुमान लगता है कि बाध बनाकर भी सिचाई की जाती थी। इसके अतिरिक्त राजा जयसिंह ने अणहिल पुर में सहस्रलिंग सरोवर बनवाया। राजा भीम की पत्नी उदयपति ने पत्तन में एक नए जलाशय का निर्माण करवाया जो सहस्रलिंग झील से संबद्ध था।² सिद्धराज ने एक दूत से बनारस के राजा की बातचीत मदिरो हौजो, जलाशयो के विषय में होती है।³ इसमें ही एक अन्य स्थान पर वीरधवल के मन्त्री तेजपाल द्वारा बहुत से सरोवरो को बनवाने का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त चौलुक्य राजाओं के अभिलेखों में भी सिचाई सम्बन्धी व्यवस्था का वर्णन आता है। एक अभिलेख में तालाब तथा द्वारवती बनवाने का⁴ एक अन्य अभिलेख में वस्तुपाल द्वारा प्रपा बनवाने⁵ का भीमदेव द्वितीय के वि० सं० 1236 के अभिलेख में एक अरघट्ट आहड में मेवाड जिले में दान देने का उल्लेख है।⁶ राजा कर्ण ने वापी की देखरेख के लिए दान दिया।⁷ एक अन्य अभिलेख में भी भीमदेव द्वितीय द्वारा वापीपुटक भूमिदान दी गयी।⁸ कुमारपाल द्वारा तोयनिलम (प्रपा बनवाने का उल्लेख है⁹

प्रबन्धचिन्तामणि के अतिरिक्त तत्कालीन प्रबन्धकोश¹⁰ में भी सिचाई के बहुत से उल्लेख मिलते हैं। इसमें भी प्रचलित साधनों कूपों तडागों, सरोवरों तथा जलाशयों का वर्णन मिलता है। पुरातन प्रबन्ध संग्रह में भी वापी, घटीर्जलयन्त्रचक्र, सरोवर इत्यादि का वर्णन मिलता है।¹¹ इन ग्रन्थों के अतिरिक्त ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के अन्य ग्रन्थ जैसे—सुकृतकीर्तिकल्लोलिनी स्थावरावलीचरित¹² त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित¹³ समरागण-सूत्रधार¹⁴ इत्यादि ग्रन्थों में भी सिचाई के उपर्युक्त वर्णित साधनों का उल्लेख प्राप्त होता है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त तत्कालीन शब्दकोशों देशीनाममाला, अभिधानचिन्तामणि, अभिधानरत्नमाला में कृषि तथा सिचाई से सम्बन्धित बहुत से शब्द प्राप्त होते हैं।

- 1 वही० पृ० 108, टॉनी पृ० 172
- 2 वही०, पृ० 78 'नव्या वापी'
- 3 वही० पृ० 74, टॉनी पृ० 112
- 4 आर्के० सर्वे० आफ इंडिया, ए० रिपोर्ट 1936-37 पृ० 120
- 5 ए० बी० ओ० आर० आई० IX पृ० 179
- 6 आल इंडिया सातवा ओरिएटल कांफ्रेस पृ० 107
- 7 एपि० इंडि० I पृ० 316
- 8 इंडि० एटी० XVIII पृ० 108
- 9 एपि० इंडि० I पृ० 293
- 10 प्रबन्धकोश पृ० 9, 17, 56, 111, 114, 130
- 11 पु० प्र० सं० पृ० 11, 14, 24, 30, 34, 46, 59, 62, 65, 68
- 12 सुकृत० पृ० 15, 28, 27, 38, 45, 68, 84, 99
- 13 स्थाविरावलीचरित पृ० 78
- 14 त्रिषष्टि० पृ० 13, 64

सिचाई की व्यवस्था राज्य द्वारा तो की ही जाती थी समाज के अन्य सम्भ्रान्त नागरिक लोग शासक, व्यापारी सामन्त सम्भ्रान्त व्यक्ति प्रमुख अधिकारी राज्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु तथा पुण्यार्थ भी जलाशयो इत्यादि का सृजन करवाते थे। जिनसे खेतों की सिचाई की जाती थी।

शब्दकोशों में अरघट्टक से तात्पर्य है कुएँ से पानी निकालने के लिए चक्का या यन्त्र था। अमरकोश¹ के अनुसार अरघट्ट या घटीनयन्त्र में कोई अन्तर नहीं होता है। इसमें कुछ बर्तन या बाल्टी चक्के के साथ जुड़ी होती है तथा इनमें पानी एकत्र किया जाता तथा निकाला जाता है। प्रबन्धचिन्तामणि के कुछ पूर्व के ग्रन्थों में कुवलयमालाकहा (778 ईस्वी) तथा उपमितिभवप्रपञ्चकहा (905 ईस्वी) तथा आगे के साहित्य में ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के राजस्थान तथा गुजरात से प्राप्त अभिलेखों में भी इसका (अरघट्ट) उल्लेख प्राप्त होता है जिससे यह प्रकट होता है कि इस काल में सिचाई के क्षेत्र में तकनीकी प्रभाव बढ़ रहा था। आख्यानकमणिकोश (12 हवी शताब्दी)² में इनके चलाने वाले मनुष्यों को अरहट्टीय-नर कहा जाता था,। इनको बैल भी चलाते थे।

अरघट्ट एक रहट था या कि पारसीक चक्र यह विचारणीय प्रश्न है। कुछ विद्वान जैसे-दशरथशर्मा, इरफान हबीब तथा बी० पी० मजूमदार का यह विश्वास था कि अरघट्ट तथा पारसीक चक्र में कोई समानता नहीं थी जबकि लल्लन जी गोपाल, उपमितिभवप्रपञ्चकथा के एक साक्ष्य के आधार पर दोनों में समानता स्थापित करते हैं। डी० सी० सरकार के अनुसार 'अरघट्ट' एक पानी खींचने की मशीन थी। एक कुआँ जिसमें पानी का चक्का लगा होता था।³ दशरथ शर्मा⁴ का कहना है कि न तो अरघट्ट न ही घटीयन्त्र पारसीक चक्का के समान था। अरघट्ट भारत में ईसाई युग से पूर्व ही जाना जाता था। उस समय पारसीक⁵ चक्का के विषय में कुछ ज्ञात नहीं था। इरफान हबीब कहते हैं कि पारसीक चक्के के विषय में जो प्राचीन भारत में परिचय प्राप्त होता है वह विशेषत 'रहट' से संबंधित था, जो कि सतह से या नदी से पानी खींचने के काम आता था, जिसमें किसी बर्तन को उठाने के लिए जजीर लगे होने का अनुमान नहीं मिलता है। वास्तव में इरफान हबीब जिस यन्त्र का उल्लेख कर रहे हैं उसे नोरिया कहल जाता था वह अरघट्ट से भिन्न था क्योंकि अरघट्ट गहरे जलाशय अथवा कुएँ से

1 समरागण पृ० 29, 37

2 आख्यानक, पृ० 146, 12 ता पेच्छइ जबछित्ते पविसित गच्छदह चरणलोल हक्किनु अरहट्टियनरेश निसुणइ पडिञ्जजेते 112 पृ० 146,

3 सरकार डी० सी०, प्रपि ग्लो० पृ० 26

4 शर्मा दशरथ, 29 सवा सत्र इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 1967-68 पटना, पृ० 43

5 हबीब इरफान, टेक्नालाजिकल चेजेस एण्ड सोसाइटी, प्रोसीडिंग आफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस XXXI सेशन 1969

पानी निकालने के लिए प्रयुक्त होता था। उनके अनुसार भारत में पारसीक चक्र तेरहवीं और चौदहवीं श० में बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा था यह अरब समाज में चारों ओर फैला था। मृच्छकटिक¹ तथा गाथातमशती² में भी इसे रहट के समान बताया है। डा० बी० पी० मजूमदार³ इस सम्बन्ध में अपना समर्थन देते हुए कहते हैं कि भारतीय लोग 600-1200 ई० के मध्य रहट का प्रयोग करते थे। कुवलयमाला के आधार पर लल्लन जी गोपाल कहते हैं कि जन्म-वृद्धावस्था तथा मृत्यु का चक्र अरघट्ट की भाँति चलता रहता है जिसमें सौ 'घटिकाएँ' होते थे, वे एक दूसरे में पानी भरते थे।⁴

अरघट्ट के अतिरिक्त अन्य प्रचलित सिंचाई साधनों जैसे-झील नदिया, कुएँ, मशीन वाले कुएँ, अरघट्ट, सरोवर, नहर इत्यादि का उल्लेख समकालीन ग्रन्थ अपराजितपृच्छा⁵ में प्राप्त होता है।

प्राचीन समय से राजाओं का यह कर्तव्य था कि वे उपजाऊ भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करें तथा नहर, सरोवर, खुदवाएँ और अन्य सुविधाएँ प्रदान करें। इस काल में कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनमें मंत्रियों, सामंतों⁶ तथा निजी व्यक्तियों द्वारा नहर, सरोवर इत्यादि के निर्माण का विवरण मिलता है। कृषि के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करना राजा का कर्तव्य तथा राजधर्म तो था ही, अन्य व्यक्तियों द्वारा भी इस कार्य में योगदान देने का तात्पर्य यह हो सकता है कि वे सब पुण्यार्थ भी यह कार्य करते होंगे। ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में कश्मीर में राजा हर्ष (1089-1101 ई०) द्वारा पम्पा सरोवर बनवाया गया।⁷ द्वयाश्रयकाव्य⁸ में हेमचन्द्र ने सरोवर का उल्लेख किया है। प्रबन्धचिन्तामणि में भी इसी प्रकार राजा कर्ण द्वारा सहस्रलिंग सरोवर का निर्माण करवाने का उल्लेख प्राप्त होता है।

चौलुक्य द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य किए जाने के साथ ही, कृषि योग्य भूमि दान दिए जाने के भी वर्णन प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त तत्कालीन उत्तर-भारत के अन्य राजवंशों के द्वारा भी सिंचाई की व्यवस्था करवाने का विवरण मिलते हैं। कल्चुरि वंश के बहुत से सामंतों तथा मंत्रियों के द्वारा सरोवर तथा कुएँ खुदवाएँ गए परमार वंश के वादयतिराज द्वितीय (मुञ्ज) द्वारा पिप्परिका तडाग का दान, भोज परमार के द्वारा चित्तौड़ के

1 मृच्छकटिक, X;59

2 गाथातमशती V,90; ल० गोपाल पृ० 157-158

3 मजूमदार बी० पी०, इण्डस्ट्रीज एण्ड इन्टरनल ट्रेड इन अर्ली मेडीवल नार्दर्न इंडिया पृ० 78

4 गोपाल ल०, 'अरघट्ट'-द परसियन हवील हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन एशियेट-पृ० 114

5 सोसाइटीएण्ड कल्चर, यादव, पृ० 257 (अपरा० पृ० 188)

6 वही०, पृ० 25 (एपि० इंडि० IV, 310)

7 राजतरंगिणी, विविधाभिरसून्याम्ब विहङ्गमृगजातिमि । तेन व्यासदिगाभोगं चक्रे पम्पाभिधं सर

8 द्वयाश्रय, XV, 120-121 VII 940

निकट 'भोजसर' का निर्माण करवाया गया।¹ श्री हर्ष ने 'नैषधीयचरित'² (ग्यारहवीं-बारहवीं) के नायक द्वारा कुएँ इत्यादि बनवाने का सदर्थ प्राप्त होता है। लक्ष्मीधर ने 'द्वारीबन्ध' एक विशेष प्रकार के जलाशय का उल्लेख किया है। 'देशीनाममाला'³ में उतूहो (ढालू कुएँ) तथा उलित (ऊँचे कुएँ) के लिए आया है। इसके अतिरिक्त अन्य शब्द अडो तलआगती अवडो अधधू, अयडो प्राप्त होते हैं जो कुएँ के नाम हैं।⁴ इनके अतिरिक्त छोटे तालाब के लिए सूलच्छ, हिरिम्ब तथा तालाब के लिए पालीबधो, दूणाविद धूमद्धओ शब्द प्रयुक्त हुए हैं।⁵ कुएँ से पानी निकालने के लिए जो व्यवस्था थी उसमें एक समान्तर लकड़ी (beam) लगी होती थी जिसके एक सिरे पर पत्थर बंधा होता था तथा दूसरी ओर बाल्टी बाध कर उससे पानी निकाला जाता था, इसके लिए वड्डिआ, ठोलिच्छी तथा डेका शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिसका अर्थ कूपतुला होता है।⁶ 'अभिधानचिन्तामणि'⁷ में सिचाई के साधनों के लिए शब्द प्राप्त होते हैं—बावली की दीर्घिका, वापी, छोटे कुएँ भडकूई, चुरी, चुण्डी, चूतक, धुरई, घडारी के उद्धारकम्, घटीयन्त्रम् रहट को पादावर्त, अरघट्टक कहते थे। तडाग के पाचनाम पद्माकर तडाग, कासार, सरसी, सर मिलते हैं। बाध को आधार, झरना को निर्भर झर सरि, उत्स स्रवा प्रस्रवणम् जलाशय को जलाधार जलाशय कहते थे।

वापी गुजरात में अणहिलवाड, वायड तथा लोकेश्वर से कुछ 'वाव' प्राप्त होते हैं। काठियावाड में वडवान और धाधलपुर में भी यह प्राप्त होती है। वाव यह एक प्रकार का कुआँ होता है परन्तु साधारण कुएँ से एकदम भिन्न होते हैं। संस्कृत में इन्हे वापी कहा जाता है। अणहिलवाड में रानी की वाव⁸ सबसे अच्छी वापी थी, किन्तु इसका अब यह अवशेष मात्र ही है। वायड⁹ की वाप को सीढीदार कुआँ कहते हैं, जिसमें चार मजिले थीं और ये चबूतरे (प्लेटफार्म) के द्वारा अलग की जाती थी, जो कि चार खम्भों पर टिका होता था। वडवान का कुआँ (माधव वाव)¹⁰ तथा अणहिलवाड की बारोत वाव¹¹ धादलपुर की वाव¹² ये सब वायड की वाव के समान ही

- 1 एपि० इडि०, 24, पृ० 317
- 2 एपि० इडि० IV, 310
- 3 देशीनाम.1, 94, 89
- 4 अभिधानचिन्तामणि पृ० 268,159
- 5 वही VIII, 42, VIII, 69, VI, 45, V, 56, V 63
- 6 वही० VIII, 36, IV 44, IV, 17
- 7 अभिधानचिन्तामणि पृ० 268,160
- 8 बर्गीज ए० एस० डब्ल्यू० आई०, IX पृ० 37
- 9 बर्गीज, पृ० 112
- 10 कूजेन, सोमनाथ, पृ० 35
- 11 बर्गीज, ए० एस० डब्ल्यू० आई० IX पृ० 52
- 12 कूजेन, सोमनाथ पृ० 59

थी परन्तु इनमे कुछ चित्रकारी तथा सजावट की विशेषता थी। ये वापी धार्मिक भावना की प्रतीक थी।

इस प्रकार प्राप्त विवरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस काल में राजा तथा अन्य धनी व्यक्तियों द्वारा जलाशय सरोवर इत्यादि का निर्माण अपनी उदारता तथा प्रजा के कल्याण के लिए था। इसके अलावा राजाओं को इस प्रकार उदारता का कार्य करने से लोकप्रियता भी प्राप्त होती थी। इस काल में फसल की वृद्धि का कारण कृषि में तकनीकी विधि का प्रयोग थी। अरघट्ट के प्रयोग से यह निश्चित होता है।

फसल—प्रबन्धचिन्तामणि में विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे-चावल, गेहूँ, दालें-मुद्ग, माछ-अनाद, चणक आदि का उल्लेख प्राप्त होता है, इसके समकालीन साहित्य तथा अभिलेखों एवं विदेशी विवरणों में इन फसलों तथा कुछ अन्य के बारे में विवरण प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त बहुत से तिलहन, पान, सुपारी, फल-फूल इत्यादि का भी वर्णन मिलता है। तत्कालीन अन्य ग्रन्थों में भी विभिन्न प्रकार के धान्यों का उल्लेख आया है। त्रिषष्टिशालाकापुरुषचरित¹ में भी श्यामक (सोवा चावल) नीबार (तिन्नी धान्य) वालुक (एक तरह की लकड़ी), कुवलय केले या बेर), शालि, गेहूँ, चने और मूग आदि अनाज उत्पन्न होने का उल्लेख है। प्रबन्धकोश² में भी इसी प्रकार अनेक अनाजों के नाम मिलते हैं।

प्रबन्धचिन्तामणि³ में शालि धान का उल्लेख आया है। उस काल में चावल प्रमुख भोजन था। देशीनाममाला में हेमचन्द्र ने चावल के लिए कुछ देशी शब्दों का प्रयोग किया है। ये (अ) अणुओ (ब) जोण्णालिओ⁴ थे चाउला तथा किविड शब्द भी है। हेमचन्द्र के अनुसार इनका अर्थ जोवारी या धान्य था। इसके अतिरिक्त द्वयाश्रयकाव्य⁵ तथा मानसोल्लास⁶ में भी धान के विभिन्न नाम मिलते हैं। बगाल में पचास से अधिक प्रकार के धान पैदा होता था।⁷ राजतरंगिणी के अनुसार चावल कश्मीर का प्रमुख अनाज था। इस काल में देश के अन्य भागों में भी

1 त्रिषष्टि० पृ० 33, 200

2 प्रबन्धकोश पृ० 16 गुलसिउ चावइ तिलतोदली वेडिअ वजावइ वासली। पहिरणि ओढणि हुइ काबली इणपरि खालइपूरुज्जली। वही पृ० 17 सर्षपान, पृ० 35-
एरण्ड 85, षष्टि क तन्दुलोदकेन

3 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 77, टौनी 11—

4 इडि० एंटी० XIII, 213

5 द्वयाश्रय० 111.4

6 मानसोल्लास 111, 1346-48, 1358

7 टी० सी० दास गुप्ता पृ० 249-50

धान की खेती की जाती थी। अरब यात्री सुलेमान (851 ई०) ने तत्कालीन भारत के चावल गेहूँ जैसे अन्न की चर्चा की है।¹ अभिधानचिन्तामणि² में धान के कई भेद बताए गए हैं लाल रंग वाले साठी धान आशु तथा व्रीहि कहलाते थे। साठी धान को गर्भपाकी तथा षष्ठिक कहते थे। कलम (उत्तम जाति के धानों) शालि अच्छे धान या कलमदान धान-कलम कलामक, ठाकुरभोग कनकजीर बासमती इत्यादि) के नाम हैं महाशक्ति, सुगन्धिक सौंवा के श्यामक तथा कोदो को उद्दाला, कोद्रव कोदूषक कहते थे। अभिधानरत्नमाला में अनेक धान्यो और उनके पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख है। उसमें तीन प्रकार के शालि चावल, कोदो दो प्रकार की सरसो, पीपल, केसर, पियगु, जगली, तिल नीवार (जगली चावल) और मसूर, मटर, रल्ला³ और अरहर चार प्रकार की दालों का वर्णन मिलता है। इसी ग्रन्थ में विभिन्न फसलों को बोने वाले विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन मिलता है।⁴ इसके अतिरिक्त तिल, सन तथा अन्य शाकभाजी के क्षेत्र भी अलग होते थे।

चौलुक्यों के एक अभिलेख में गेहूँ, चावल, कोद्रव तिल मूग उत्पन्न होने का उल्लेख है।⁵ अभिधानचिन्तामणि में गेहूँ के गोधूम सुमन नाम मिलते हैं।⁶ लक्ष्मीधर ने 'गोधूम' के नाम से गेहूँ की व्याख्या की है।⁷ गेहूँ की खेती यहाँ प्राचीन काल से होती थी। गेहूँ के विषय में पेरीप्लस लिखता है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व गेहूँ सौराष्ट्र में तथा ब्रोच में पैदा होता था।⁸ अल-इदरीसी (1154 श० ई०) के अनुसार गेहूँ कैम्बे के क्षेत्र में भी होने लगा था।⁹ तथा लेखपद्धति (पृ० 21) में यह वर्णन मिलता है कि ज्येष्ठ के महीने में गेहूँ की फसल होती थी। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि गेहूँ की पैदावार गुजरात में होती थी तथा इसकी लवनी ग्रीष्म ऋतु में किया जाता था। देशीनाममाला में गेहूँ के सदृश में तबरती (गोधूमेषु कुडुमच्छाया) शब्द प्रयोग में आया है। पके गेहूँ के लिए उबी शब्द आया है। 1, 36)

प्रबन्धचिन्तामणि में चावल तथा गेहूँ के अतिरिक्त चना या चणक का उल्लेख भी हुआ है।¹⁰ देशीनाममाला

- 1 इलियट एण्ड डासन 1, पृ० 15, 16, 124
- 2 अभिधानचिन्तामणि, पृ० 284-285
- 3 अभिधानरत्नमाला, 2, 42, 5, 29
- 4 वही० मुद्गादीना क्षेत्र मौद्गीन कौद्रवीणमित्यादि। प्रैहेय शालेय भवति पुनत्रीहिशात्योर्यत्॥ पृ० 21
- 5 एपि० इडि०, 33, 1959-60 पृ० 192-198
- 6 अभिधानचि० पृ० 285, 240
- 7 कृत्यकल्पतरु, नियत० पृ० 393
- 8 स्टडीज इन द हिस्टारिकल एण्ड कल्चरल ज्योग्राफी एण्ड एथनोलॉजी पेरीप्लस ऑफ पृ० 39
- 9 इलियट एण्ड डासन 185
- 10 प्रबन्धचिन्तामणि-48

मे इसके लिए देशी शब्द अणुइयो, हिरिमथा झोडप्पो का प्रयोग हुआ है।¹ अभिधानचिन्तामणि में भी इसको चणक तथा हरिमथक कहा है।² इसके अतिरिक्त कुछ दालो जैसे मुद्ग (मूग) तथा माष शब्दों का उल्लेख प्रबन्धचिन्तामणि में हुआ है।³

माष धान्य के समान शब्द उडिदो का उल्लेख हेमचन्द्र के देशीनाममाला में किया है।⁴ अभिधानचिन्तामणि में उडद को माष मदन, नन्दी वृष्य बीजवर और बली कहा गया है। हरे रग की मूग के नाम मुद्ग प्रथन लौम्य बलाट, हरित हरि बताए गए हैं प्रस्तुत ग्रन्थ में ही मूसर के मङ्गल्यक, मसूरक, मटर के कलाय सतीनक, हरेणु, खण्डिक नाम मिलते हैं। मूग के अन्य प्रकार प्रवर वासन्त, हरिमन्थजा, शिम्बिजा, वन मूग-वन मुद्ग, राज मूग-राजमुद्ग मकुष्ठक, मयुष्ठका कहलाती थी। राजमाष काली उरद या एक प्रकार के गेहूँ को कहते थे।⁵ उक्त शब्दकोश में ही हेमचन्द्र ने सत्रह प्रकार के अनाजों का वर्णन किया है।⁶ ये अनाज इस प्रकार हैं—

- (1) व्रीहि—जो चावल बरसात में होता था। (2) यव-जौ (3) मसूर (4) गोधूम (गेहूँ) (5) मुद्ग (मूग) (6) माष—(कालाचना या उरद) (7) तिल (8) चणक (9) अणव (ज्वार) (10) प्रियगु (इटैलियन ज्वार) (11) कोद्रव (12) मयूष्ठक (13)

शालि—(पावस के समय पैदा होने वाला धान) (14) आधकी (15) कुलत्थ (16) कलाय (17) शण।

समवत हेमचन्द्र ने यह सूची उस समय गुजरात में पैदा होने वाली फसलों के आधार पर दी है।

ग्यारहवीं शताब्दी के ग्रन्थ मानसोल्लास⁷ में रग, गध, आकार, पकने के समय के आधार पर आठ किस्म के चावलों का और सात प्रकार की फलियों का उल्लेख किया है।

इन फसलों के अतिरिक्त अधीतकाल में गुजरात क्षेत्र में कुछ नकद फसलों के पैदा होने का उल्लेख मिलता है। प्रबन्धचिन्तामणि⁸ में गन्ने के लिए इक्षु शब्द का प्रयोग मिलता है। देशीनाममाला में इगाली, अगालियम्,

- 1 देशीनाम० 1, 21, VIII-60, 111-59
- 2 अभिधानचि० पृ० 284-85
- 3 प्रबन्धचि०, मेरू० पृ० 37, टॉनी, 54
- 4 देशीनाम० 1 98
- 5 अभिधानचि० पृ० 285,236
- 6 वही० IV, 233
- 7 मानसोल्लास० 3, 1346, 48, 1358 है।
- 8 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 48, टॉनी, 70

गडीरी तथा वाऊ, पाऊ उच्छू, छिषिआ¹ शब्द का प्रयोग मिलता है। गन्ने के बगीचे को उच्छुअरण² कहा जाता था। त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित मे हेमचन्द्र ने गन्ने का उल्लेख किया है।³ राजशेखर ने उत्तर बगाल पुण्ड्रवर्धन में गन्ने का उत्पादन होना लिखा है।⁴ गन्ने के अन्य नाम रसाल, असिपत्रक थे।⁵

कपास की उपज भी इस काल मे गुजरात के क्षेत्र मे बहुतायत होती थी। इसकी उपज के विषय में पेरीप्लस मार्कोपोलो-तथा मुस्लिम यात्रियों ने वर्णन किया है। गुजरात के कपास के पेड अपनी ऊचाई के लिए प्रसिद्ध थे।⁶ रेशमी के लिए तूलिणी तथा सामरा शब्द मिलता है।⁷

इनके अतिरिक्त तिल नील, सुपाडी, इत्यादि वस्तुओं का उत्पादन भी होता था। गुजरात में इस काल तक तिल पैदा होती थी।⁸ त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित मे हेमचन्द्र ने नील का रग उल्लिखित किया है।⁹ मार्को-पोलो कहता है कि गुजरात मे बहुत मात्रा मे नील पैदा होती थी।¹⁰ प्रबन्धचिन्तामणि¹¹ मे आम, केला, इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। वर्ष मे चार फसले बोई जाती थी—

(1) 'शारदा' जो फसल शरद ऋतु मे बोई जाती थी।

(2) 'हेमन्त' जो फसल हेमन्त ऋतु में बोई जाती थी।

(3) 'ग्रीष्मक' जो फसल आश्विन में बोई जाती थी।¹²

(4) अगहन मे पकने वाली फसल को 'अग्रहायणिक' कहते थे, वसन्त मे पकने वाली फसल 'वासन्त्य', शरद मे पकने वाली फसल को 'शारदा', और शिशिर मे पकने वाली को 'शैशिरा' कहते थे।¹³

1 देशीनाम, 1, 28, 79, II 82, VII-53, VI-75, 1,85 111, 27

2 देशीनाम 1-117

3 त्रिषष्ठि अनुवाद IV, 14

4 काव्य-मिमासा, XII, रामचरित 111, 17

5 अभिधानचि पृ० 286

6 मार्कोपोलो, ट्रैवेल्स, II, पृ० 393

7 देशीनाम V 17 VIII, 23

8 पेरीप्लस, 39

9 त्रिषष्ठि अनुवाद 111, 30, 156

10 मार्कोपोलो ट्रैवेल्स, 375, 393, 398

11 प्रबन्धचि मेरू० पृ० 3

12 अभिधानचि पृ० 63 118

13 अभिधानचि 63 116, 63 117

देशीनाममाला मे कतिपय ऐसे धान्यो के नाम दिए है जिनकी पहचान सदिग्ध है। (वरइओ, मेअज्ज, पियमा, अगलिनी इत्यादि।¹

खाद—भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए खाद देने का ज्ञान होना आवश्यक होता है। कृषि पराशर² (तिथि अनिश्चित) मे फसल की वृद्धि के लिए खाद देने के महत्व को जानते हुए कहते है कि बिना खाद के धान साधारण रूप से उग तो आएगा परन्तु उसका फल नही प्राप्त होता। प्रबन्धचिन्तामणि मे खाद से सम्बन्धित कोई उल्लेख नही प्राप्त होता है। किन्तु कृषि सम्बन्धी अन्य तथ्यों के उल्लेख से स्पष्ट है कि खेतों में खाद भी दिय जाता रहा होगा। इसके कुछ पूर्व के ग्रन्थ बाण के हर्षचरित³ (सातवी श०) मे यह कहा गया है कि गाय का गोबर तथा कूडे का प्रयोग खाद के रूप मे किया जाता था। एक स्थान पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक कृषक अपनी बैलगाडी मे कूडा तथा गोबर रखकर खेतों मे ले जाता था जो अनुपजाऊ हो गए थे।

बीज—कृषि मे बीज की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरुतुङ्ग आचार्य की प्रबन्धचिन्तामणि⁴ में भी एक स्थान पर यह कहा गया है कि जो बीज जल चुका है वह उगता नही है। कृषि पराशर मे कहा गया है कि यदि बीज उपजाऊ नही है तो दूसरे कारक भी कृषि मे व्यर्थ हो जाते है। बीज ही फसल की जड होती है, इसलिए बीज पर ध्यान देना चाहिए।⁵ मेघातिथि कहते हैं कि यदि बिना पका हुआ बीज बोया जाता है तो वह कृषक का अपराध होता है जो फसल को रोक देता है।⁶ कृषि पराशर में बीज एकत्र करने के तथा संरक्षित रखने के सभी प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है।⁷

बीज के गुणों को जानने के साथ ही उसको बोने के तरीके पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है।⁸ बीज के निश्चित समय पर बोना भी चाहिए। मेघातिथि कहते हैं कि उचित समय पर बीज न बोने से पैदावार पर प्रभाव पडता है।⁹ इसके साथ ही कृषक को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि किस खेत मे कौन सा बीज बोना चाहिए तथा बीज की मात्रा का ज्ञान भी आवश्यक है।¹⁰ वैजयन्ती मे किस खेत मे द्रोण, आधक, खारि

1 देशीनाम० VII, 49, VI, 138, VI, 49, 1, 32

2 कृषि पराशर, विना सारेण यद्धान्य वर्धते फल--वर्जित

3 हर्षचरित-पृ० 202

4 प्रबन्धचि० पृ० 82, 1 21 दग्धानामिव बीजाना पुनर्जन्म न विद्यते

5 कृषि पराशर, 166-167, सर्वे ते बन्धता याति बीजेबन्धत्वभागते। बीजे यत्नमत कुर्याद् बीजमूला फलश्रिय ॥

6 मेघातिथि आन मनु, निदान-अयोम्य-बीज-वापा VIII, 243-

7 कृषि पराशर वैशाखे वपन-----जायते कृषि, पृ० 168-81

8 कृषि पराशर, पृ० VI, 126

9 आन मनु, VIII, 243 अकाले वपन

10 वही०, इदं बीजमस्मिन् क्षेत्रे प्ररोहरतिदमन IX, 330,

इत्यादि बीज की मात्रा बोनी चाहिए इसके सबधित नाम प्राप्त होते है।¹ लल्लन जी गोपाल लिखते है कि पहले बीज छीट दिया जाता था फिर हल चलाया जाता था।²

खेतों की नाप 'काण्ड' के रूप में की जाती थी। एक काण्ड का क्षेत्रफल 24 x 24 वर्गफुट होता था। जोतने का 'कर्ष' कहते थे। कभी-कभी दो-तीन बार खेत जोते जाते थे।³ इस प्रकार यह भी निश्चित किया जा सकता था, कि कुछ प्रमुख खेत, कुछ निश्चित फसलों के लिए ही उपयुक्त होते थे जिनका नाम फसल बोने के बाद रखा जाता था। देशीनामाला में क्षेत्र के लिए वप्पो शब्द आया है।⁴

कृषि-उपकरण—प्रबन्धचिन्तामणि में कृषि उपकरणों के विषय में अल्प जानकारी ही प्राप्त होती है। इसमें एक स्थान पर कुदाल का प्रयोग खेत में बाध बनाने के लिए किया है।⁵ हेमचन्द्र के द्वयाश्रयकाव्य में लोहे के फाल वाले हल का उल्लेख मिलता है।⁶ शब्दकोशों में हमें कृषि उपकरण के सबध में विभिन्न शब्द प्राप्त होते हैं।⁷ इनमें मत्स्य उपकरण का प्रयोग बोर हुए खेत के स्तर को बराबर करने के लिए होता था। कोटिश का प्रयोग पृथ्वी के ढेलों को तोड़ने में होता था। खनित्र या अवदारण का प्रयोग साफ करने जोड़ने में होता था। मिट्टी हटाने में गोदारण या कुदाल का प्रयोग मिट्टी हटाने के काम में होता था जिसका मुख्य भाग अभ्रि या क्षु तथा ~~यत्~~ कहा जाता था। लवित्र या असिद का प्रयोग जिसका (हैडिल) बेट या बटक कहलाता था। यह हँसिए की भाँति होता था। हेमचन्द्र के अभिधानचिन्तामणि शब्दकोश में भी कुछ उपकरण सबधी शब्द प्राप्त होते हैं जैसे- हल के फाल के लिए फाल, कृषक फलम् शब्द मिलते हैं। हँसिया के दात्रम तथा लवित्र कहते थे, हल के नीचे वह काष्ठ जिसमें फार गाड़ा जाता था। निरीषम्, कुटकम् कहते थे। हँसिए के बेट को वण्ट कहा है।⁸ कृषि पराशर⁹ में हल के विभिन्न भागों का उल्लेख मिलता है—

ईशा (हलका डण्डा, युग (जुआ), हलस्थाषु (हल), निर्यौल (लगान), पाशिकाए (वार) अड्डचल्ल (कील) शौल (मूँठ) पच्चनी (लगा) दो प्रमुख उपकरण हल और मेदिका बताए हैं। हल बैलों द्वारा खींचा जाता था। लोहे

1 वैजयन्ती—पृ० 124, 11 42-43

2 इ० ला०क ना० ई०, पृ० ३०३

3 शब्दानुशासन 7 2.135

4 देशीनाम० VII, 83

5 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 108, टॉनी 172

6 द्वयाश्रय XIX 37

7 वैजयन्ती पृ० 125 11 56-60 अभिधानरत्नमाला 577

8 अभिधानचिन्तामणि 111. 553 -556, पृ० 222

9 कृषि पराशर, ईशायुगहलस्थाणुर्नर्यौलस्तस्य पाशिका। अड्डचलश्च शौलश्च पच्चनी च हलाष्टकम्॥V 112

के फल लगे हल को "शम्भ" कहते थे। इससे गहरी जोताई होती थी।¹भूमि के विस्तार और आधिक्य के अनुसार खेत जोतने के लिए एक हल दो हल और तीन हल या इससे अधिक हल भी चलते थे। "परमहल, उत्तम हल, या बहु-हल भी होते थे। एक हल भूमि 1-2/3 एकड़ के बराबर होती थी। दो हलो की 2-2/3, और तीन हलो की चार एकड़ के बराबर होती थी।²हल में जोता बैल 'हालिक' या 'सारिक' कहा जाता था।³किसान या कर्षक को अहल जिसके पास अपना हल न हो या एक हल की जोत बराबर भूमि न हो,। सुहल- जिनके पास अच्छा हल होता था। (जिनके पास जोतने के लिए पर्याप्त भूमि हो) और 'दुर्हल' जिनका हल पुराना, खराब होता था। कहा जाता था। हालिक हलवाह के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार निम्न वर्गीय कर्षकों तथा कृषकों में भी अनुक्रमनिष्ठता की सूचना मिलती है।

अकाल

प्रबन्धचिन्तामणि में चौलुक्यराज भीम के काल में अकाल पडने का उल्लेख है। थेरवली में भी अकाल का उल्लेख मिलता है। प्रबन्धचिन्तामणि, पुरातन-प्रबन्ध सग्रह⁴में भी दुर्भिक्ष का वर्णन है। बृहन्नारदीय पुराण (11हवीं श०)⁵में लिखा है कि दुर्भिक्ष के कारण मनुष्य अपने प्रदेशों को छोड़कर उन स्थानों में चले गये जहाँ गेहूँ और जौ बहुतायत से होते थे। त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित⁶में लिखा है कि दुर्भिक्ष के कारण प्रजा का सर्वनाश हुआ। धनपाल की तिलकमजरी⁷में भी अकाल का उल्लेख आया है। अपराजितपृच्छा में यह कहा गया है कि राजा को अकाल तथा सूखे से बचने के लिए सिंचाई के प्रबन्ध को और सुधारना चाहिए।⁸इसी ग्रन्थ में यह भी वर्णन मिलता है कि अकाल पीडित क्षेत्र में धर्म का पतन हो जाता था। कभी-कभी कतिपय शासक अकाल वाले सम्वत्सर का कर माफ कर देते थे। लेखपद्धति⁹में भी दुर्भिक्ष के कारण जो दशा होती है उसका सजीव चित्र विवृत है फिरिश्ता¹⁰ने लिखा है कि 1033 ई० में उत्तर भारत में ऐसा दुर्भिक्ष हुआ कि वहाँ के अनेक निवासी भूख के कारण मर गए।

1 शब्दानुशासन 7 2.135

2 वही 7.2 135

3 वही, हले वहतीति हालिक,, सैरिक, 7.1 6

4 पु० प्र० स० - पृ० 12,17

5 बृहन्नारदीय, 38,87

6 त्रि०शु०पु०च०, अनुवाद 1, पृ० 33

7 तिलकमजरी सार पृ० 18

8 अपराजित पृच्छा पृ० 187 श्लोक 24

9 लेख पद्धति पृ० 30 के आगे

10 त्रिन्स, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकुटाज ऑफ मुहम्मडन पावर, 1 पृ० 103

दुर्भिक्ष पडने के अनेक कारण बताए गए है। वर्षा न होना (सूखा) बाढ तो थे ही किन्तु लालची व्यापारियो तथा निर्दयी शासको के कारण भी खाद्यान्न दुर्लभ हो जाते थे¹

सामन्तीय व्यवस्था मे अत्यधिक करा-भार की स्थिति मे अकाल या दुर्भिक्ष की स्थिति ने कर्षको, कृषकों एव अन्य निम्नवर्गीय लोगो को अत्यन्त विपन्न बना दिया । इस काल की स्थिति के विपरीत प्रभाव-निवारण के लिए अत्यधिक जलाशयो सरोवरो वापी एव कूपो का निर्माण कराना आवश्यक था। एतत् कालीन शासको द्वारा इन जलाशयो के निर्माण के बहुश प्रमाणो का उल्लेख है।²

कृषि कर्मकर तथा कर्षक

प्रबन्धचिन्तामणि मे खेतो मे काम करने के लिए कृषि-कर्मकर रखने के उल्लेख मिलते है।³ इस ग्रन्थ में इनके विवरण खेतो की पक्षियो तथा अन्य परेशानियो से सुरक्षा करने, खेतो मे बाँध बनाने तथा सिंचाई करने के सम्बन्ध में प्राप्त होते हैं।

मनु के अनुसार कृषि वैश्यो का कार्य था। लेकिन ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी में बहुत से वैश्येतर जातियों के लोग भी यह कार्य करने लगे थे। ब्राह्मणो ने भी अपनी जीविका का साधन कृषि को बनाया था और शूद्र ब्राँ भी कृषि करने लगे थे। जिससे उनके लौकिक सामाजिक स्तर मे वृद्धि हुई मेघातिथि के अनुसार कुओं से पानी निकालकर जलाशय मे एकत्र करते थे तथा फिर खेतो मे मेड बनाकर एक खेत से दूसरे खेत मे पानी भरने का कार्य यही कर्मकर करते थे। खेतो मे सुरक्षा के लिए कटीले पेड (झाड) लगाने के कार्य भी यही कर्मकर करते थे। इस प्रकार खेतो मे काम करने के लिए अनेक कृषि कर्मकरो को रखा जाता था। देशीनाममाला मे हल चलाने वाले को माइल्लो और दोअणो कहा जाता था। किराए के कर्मकरो को पडिअंतओ गत्रे के लिए काम करने को तूओ (इक्षुकर्मकर) कहते थे।⁴

इसके अतिरिक्त किसान के लिए अनेक शब्द व्यवहरित थे जैसे- कटुम्बी, कर्षक, क्षेत्री, हली, कृषिबल अथवा 'क्षेत्रजीव', सीरस्त आदि।⁵ कर्मकर ही बीज को प्राय क्षेत्र मे छीटकर बोते थे। फसल पक जाने पर वे

1 अपराजित, पृ० 187,27

2 उपरोक्त, पृ० स०

3 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरू पृ० 77,56,108,टॉनी 117. 82,172,

4 देशीनाम, vi-104, v-50,vi,32,v16

5 शब्दानुशासन- 73 76,अभिधानचि०

कटनी, लवणी करते थे। फसल काटने वाले को वे लोग 'लूनक' कहते थे। खलिहान में लाने के बाद फसल की मडनी करते थे और तत्पश्चात् 'निकार' करते थे।¹ इस काल में साधारण कृषक के स्तर में गिरावट देखने को मिलती है। इस समय राजाओं के अधिकार में वृद्धि, सामंतवाद को बढ़ावा, भूमि पर कुलीन व्यक्तियों के अधिकार बढ़ने से किसानों के अधिकारों में कमी हुई थी। चौलुक्य राजा भीमदेव के अभिलेख में तीन व्यक्तियों (कृषकों) को दान देने का उल्लेख मिलता है।² कुछ क्षेत्रों में राजाओं तथा अधिकारियों का दबाव बढ़ रहा था, अकाल के कारण आर्थिक स्थिति विगड़ रही थी तथा कभी सैनिकों के द्वारा खेतों की फसलें नष्ट हो जाती थीं। इस काल के विधिवेत्ताओं ने लिखा है कि भूमि कभी-कभी पट्टे पर भी दी जाती थी।³ आस्थानक मणिकेश में बारहवीं शताब्दी में गुजरात राजस्थान में पाए जाने वाले कृषि-कर्मकरों के प्रकार को गिनाया गया है। जो अरघट्ट खीचने का कार्य करते थे उन्हें अरहट्टीय नर कहा जाता था।⁴

बी० एन० एस० यादव⁵ ने कर्षक का अर्थ हलवाहा बताया है जो कि छोटे किसानों के लिए एक जातिगत शब्द बन गया, जिसमें न केवल शूद्र आश्रित किसान तथा कृषि-कर्मकर आते थे बल्कि उसमें वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी आते थे जो हल चलाते थे।⁶ इस प्रकार कर्षकों में सभी वर्णों के लोग सम्मिलित होने लगे थे, जिससे उनके लौकिक समाजार्थिक स्तर बहुत निम्न नहीं रहा होगा। यद्यपि कर्षक वर्ग में चारों वर्णों के लोग थे तथापि इसको किसी वर्ण में सम्मिलित करना असंभव था। इसलिए वर्ण-व्यवस्था में कुछ शूद्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में अर्धमुखी प्रगति तो हुई परन्तु कर्षकों को शूद्रों से भी निम्न स्तर का माना गया। लेकिन समाजार्थिक रूप से उनका एक स्थान बन गया था। अधीतकाल में खेतों में कृषि कार्य करने वालों को वेतन के रूप में, में उपज का कुछ भाग, दिया जाता था। देवणभट्ट ने अपनी कृति स्मृतिचंद्रिका में यह स्पष्ट किया है कि उपज का दसवाँ भाग साधारण रूप से बिना श्रम के फसल होने पर देना चाहिए तथा उसे अपने स्वामी से भोजन और कपड़ा मिलना चाहिए। उक्त स्थिति के अभाव में उसे उपज का तीसरा हिस्सा देना चाहिए।⁷ मेघातिथि का यह कथन है कि प्रतिमास अनाज के सार का एक द्रोण और प्रत्येक छ महीने पर वस्त्र, एक साधारण श्रमिक को पारिश्रमिक के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। सम्मार्जन, शोधक इत्यादि कार्य में नियोजित करने पर भक्तार्थ एक पण प्रतिमाह होना चाहिए।

1 शब्दानुशासन 7 2 136, सेकार

2 इडि, एटी० XI, पृ० 337

3 द आर्टीकल ऑफ द आथर इन लैंड सिस्टम एण्ड फ्यूडलिज्म इन इंडिया- डी० सी० सरकार

4 वही०

5 यादव, प्राबलम ऑफ इन्टरेक्शन- 'आई० सी० एच० आर० III न० 1, पृ० 77

6 यादव, सोसाइटी एण्ड कल्चर-पृ० 260

7 स्मृति चंद्रिका, 2 20

कृषक - सामान्यतः अधीतकाल में कृषको के कई वर्ग हो गए थे। जिनके पास अपने खेत होते थे वे बड़े कृषक होते थे। कुछ लोग दूसरो से खेती करवाते थे या जमींदारी प्रथा जैसी व्यवस्था के अन्तर्गत आते थे खेती करने के बदले में उन्हें कुछ परिश्रमिक दिया जाता था। एक वर्ग साधारण किसानों का भी होता था जिनके पास कुछ अपनी भूमि होती थी और जिसपर वे स्वयं खेती करते थे। एक अन्य वर्ग कर्षको का था जिनके पास एक हल की जोत बराबर भूमि होती थी उन्हें अहल कृषक कहा जाता था जिनके पास ज्यादा भूमि होती थी उन्हें सुहल और, जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं थी उन्हें दुर्हल कहा जाता था।

बेगार - प्राचीन काल से ही बेगार की प्रथा का प्रचलन रहा है, जिसमें श्रमिक न तो दासों की भांति पूर्णतया परतन्त्र होता है और न स्वतन्त्र श्रमिकों की तरह पूर्णतया स्वतन्त्रतः विभिन्न स्रोतों में इसके लिए विट्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। ए० एस० अल्तेकर¹ के अनुसार प्रत्येक नागरिक को राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के बदले में कुछ कर, नकद या जिन्स के रूप में देना होता था। गरीब व्यक्ति जो कर नहीं दे सकते थे उन्हें राज्य के लिए श्रम के रूप में कुछ कार्य करना होता था।² मनु के अनुसार शिल्पियों तथा दासों को राज्य के लिए महीने में एक दिन कार्य करना चाहिए। इन श्रमिकों से कार्य लेने के लिए राज्य अधिकारी होते थे, जो कभी-कभी इन पर अत्याचार भी करते थे। कुल्लूकभट्ट ने कहा है कि शासक को अपने बुरे दिनों में भी शूद्रों पर कर नहीं लगाना चाहिए।³ शासक ही विट्टि का उपभोग नहीं करता था बल्कि सामन्त तथा दानग्रहीता भी इसका उपभोग किया करते थे। क्योंकि दानग्रहीता को अन्य करों के साथ-साथ कर्मकारों तथा शिल्पियों से 'विट्टि' लेने का भी अधिकार दिया गया। प्रायः बेगार या विट्टि का प्रयोग कृषि-कार्य में होता था।, किन्तु विवेच्य काल में यह स्थिति परोक्ष रूप से इस युग की आर्थिक सम्पन्नता विशेषतः, मौद्रिक स्थिति, का द्योतन करती है। पूर्वमध्यकाल एवं अधीतकाल में बेगार श्रम का उपयोग कृषि कार्यों के लिए अधिक दिखाई देता है। क्योंकि दानग्रहीताओं को जो भूमि दान दी जाती थी उन पर तथा राजकीय क्षेत्रों में फसले उगाने के लिए इस श्रम का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार बेगार श्रम की परम्परा अधीतकाल में अनवरत चल रही थी, उसका स्वरूप परिस्थितियों के अनुसार अवश्य बदलता रहा।⁴

1 अल्तेकर ए० एस०, राष्ट्रकूटाज एण्ड देअर टाइम्स पृ० 321

2 मनु, शिल्पिमात्रोपजीविनस्तान्मासं मासमेकमह कर्म कारयेत् 8 138

3 कुल्लूक, मनु शूद्रा, कारव सूपकारादथ, शिल्पिवन तदादथ, कर्मणोपकुर्वन्ति न तु तेभ्य आपद्यपि करो ग्राह्यः। 10,120

4 शुक्ल० डी० एन०, उत्तर भारत की राजस्व-व्यवस्था, पृ० 155

इस प्रकार प्रबन्धचिन्तामणि के काल में अथवा ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में कृषको एवं अन्य कर्मकरों की स्थिति में सुधारात्मक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इस काल में वेतनभोगी कर्मकर ही अधिक प्राप्त होते हैं। शिल्प-उद्योग-धंधों एवं व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण इस युग में कर्मकरों की स्थिति अपेक्षाकृत सुधरी थी।

पचम अध्याय

व्यापार तथा वाणिज्य

व्यापार तथा वाणिज्य

किसी देश की उन्नति तथा अवनति का अनुमान वहा की आर्थिक स्थिति के आधार पर लगाया जाता है। आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं में कृषि, उद्योग के अतिरिक्त व्यापार तथा वाणिज्य भी परिगणित किया जाता है।

गुप्तकाल के बाद से पूर्वमध्यकाल के पूर्वार्द्ध (600-900 A D) में व्यापारिक स्थिति में गिरावट परिलक्षित होती है। इसी काल में पश्चिम भारत में हूणों तथा अरबों के आक्रमण, समुद्री-लुटेरों का उपद्रवजन्य भय, राजनीतिक अस्थिरता, केन्द्रीय सत्ता का दुर्बल होना, सामंतीय युद्धों में वृद्धि, सिक्कों की कमी, नगरों का पतन, इत्यादि के कारण आन्तरिक तथा विदेशी, दोनों ही व्यापार-वाणिज्य प्रभावित हुए।¹ किन्तु ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी ईस्वी में व्यापार तथा वाणिज्य के स्तर में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई। इस कथन की पुष्टि तत्कालीन विभिन्न साहित्यिक तथा अभिलेखिक स्रोतों से होती है।

प्रबन्धचिन्तामणि तथा अन्य समकालीन साहित्यिक ग्रन्थों एवं अभिलेखों में व्यापार सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के प्रसंग उपलब्ध होते हैं यथा व्यापारिक मार्ग, यातायात के साधन, बाजार, नगर, बन्दरगाह, वजन माप प्रणाली, सघटित जीवन, व्यापारिक कर, व्यापारियों की विभिन्न कोटि, विनिमय इत्यादि।

आन्तरिक व्यापार—प्रबन्धचिन्तामणि में विवृत विभिन्न सन्दर्भों से यह ज्ञात होता है कि इस समय आन्तरिक व्यापार की स्थिति सन्तोषजनक थी। अन्य साहित्यिक तथा अभिलेखिक साक्ष्य भी यही द्योतित करते हैं कि ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में अन्तर्राज्यीय व्यापार का स्वरूप व्यापक था। प्रबन्धचिन्तामणि में एक स्थान पर यह प्रसंगित है कि विक्रमार्क (विक्रमादित्य) के राज्यकाल में दूसरे राज्यों से व्यापारी एवं यात्री आकर अवन्ति-देश के अतिथि-गृहों में ठहरते थे।² व्यापारी राजा को उपहार भी भेंट करते थे।³ एक अन्य स्थल पर यह भी विवृत है कि व्यापारियों की सुविधा हेतु मार्ग में सत्रागार इत्यादि भी निर्मित कराये जाते थे। वीरधवल के मन्त्री तेजपाल ने बहुत से जल सभर (Watersheds) बनवाये थे। सुदूर देशों के व्यापार में अधिक धनार्जन की सभावना होती थी। हेमचन्द्र की त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित⁴ में विवृत है कि दो व्यापारी मित्र अधिक धन अर्जित करने की इच्छा से बैलगाड़ियों में

1 यादव बी० एन० एस०, सोसाइटी एण्ड कल्चर पृ० 270 भारतीय सामन्तवाद, इत्यादि

2 प्रबन्धचि० मेरू पृ० 106, टॉनी पृ० 169

3 वही० पृ० 5

4 त्रि० श० पु० च० III, पृ० 280

विभिन्न प्रकार का सौदा भरकर अनेक ग्रामो, नगरो, प्रधान-ग्रामो इत्यादि स्थानो पर भ्रमण करते थे। प्रबन्धकोश मे गौड देश से धवलकड (धोलक) आने वाले हरिहर नामक एक व्यक्ति का उल्लेख है जो अपने साथ 50 ऊँट, 200 घोडे और 500 व्यक्ति लाया था।¹

सुदूर स्थानो के व्यापारी वहा के राजा को बहुमूल्य उपहार देते थे तथा राज्य मे व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करते थे। नाडोल शिलालेख (1141 ई०) के अनुसार नाडोल तथा अणहिलपुर के व्यापारियो के पारस्परिक सम्पर्क थे।

राजमार्ग या सडके—व्यापारिक मार्ग एक राज्य को दूसरे राज्यों से जोडने का प्रमुख साधन थे। प्रबन्धचिन्तामणि मे भी ऐसे मार्गों का उल्लेख हुआ है। राजा सिद्धराज ने जूनागढ के चूडासम के साथ युद्ध के लिए जाते हुए वधवन से जूनागढ तक के लिए एक मार्ग निर्मित करवाया था।² आलोच्य ग्रन्थ मे मार्गों की दूरी मापने के लिए योजन³ शब्द प्रस्तुत किया गया है।⁴ द्वयाश्रयकाव्य के अनुसार राजा सिद्धराज ने मालवा जाते समय बहुत से पर्वतो के शीर्ष को तोडकर समतल सडक बनवाई⁵ जो बाद मे गुजरात तथा मध्य भारत के लिए प्रमुख मार्ग बन गयी। कुमारपाल ने शत्रुञ्जय की तीर्थयात्रा पर आते समय अपने मन्त्री वाग्भट्ट के निवेदन पर अणहिलपुर से लेकर शत्रुञ्जय पर्वत तक रथ्या बनवाने मे प्रभूत धन व्यय किया।⁶ समराङ्गणसूत्रधार धार⁷ में नगर-विन्यास अध्याय मे विभिन्न प्रकार की रथ्याओं का उल्लेख मिलता है। इसमे सदेह नही कि गाँवो में नगरों की अपेक्षा सुनियोजित सडके बहुत कम थी।

तत्कालीन शब्दकोशो मे सडक, अर्धगामी रथ्या, वृहदरथ्या, लघुरथ्या, तिग्ग, चौग्ग, दुग्ग इत्यादि बहुश शब्द मिलते है।⁸ हेमचन्द्र के देशीनाममाला मे रथ्या भारवाही-यान (a carriage-street) या लघुरथ्या, लघु भार-वाहीयान (a small-carriage street) शब्द प्राप्त होते है।⁹ समकालीन अभिलेखो मे ग्राम की सडको तथा

1 प्रबन्धकोश, पृ० 58

2 प्रबन्धचि० टॉनी पृ० 95

3 दशकुमारचरित-चार कोस या आठ मील का एक योजन होता है। पृ० 10

4 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 33, 58, 59, टॉनी 48, 83, 85

5 द्वयाश्रय (अनु०) इडियन एटी IV पृ० 266

6 रासमाला पृ० 152-53

7 समरागण I 6-14 पृ० 39

8 वैजयन्ती पृ० 160 11 31-33, अभिधानरत्नमाला 289

9 देशीनाम० I 145, 111 31, IV 8, VI 39, VII 55, VIII. 6

राजमार्गों से उनके सम्पर्क के विषय में उल्लेख है। विदेशी विवरणों में अल्बेरूनी तथा अल-इदरीसी लिखते हैं कि उस समय (11वीं-12वीं शताब्दी) में देश के विभिन्न राजनीतिक तथा व्यापारिक केन्द्र (सडकों) व्यापारिक मार्गों से परस्पर जुड़े थे। अल्बेरूनी¹ ने पन्द्रह मार्गों का उल्लेख किया है जो कि कनौज, मथुरा अणहिलवाड धारा, बदि तथा बयाना से प्रारम्भ होते थे। बयाना से अणहिलवाड होकर दक्षिण पश्चिम को एक मार्ग जाता था। जो बयाना से 60 मील दूर पडता था एक मार्ग बयाना से सोमनाथ समुद्र-तट तक जाता था। अणहिलवाड से दक्षिण की ओर लाट्रदेश (Latrdesh) दक्षिण गुजरात होते हुए बिरोज (Bihroj) तथा रिंजूर (Rihanjur) तक एक मार्ग जाता था।

बयाना से पश्चिम की ओर मुल्तान तक एक अन्य मार्ग² जाता था। बयाना से शुरू होने वाला मार्ग मारवाड के मरुस्थल से होकर भाटी होते हुए लाहोरी पोर्ट या आधुनिक कराची तक जाता था। एक और मार्ग बयाना से धारा उजैन होते हुए जाता था।³

एक मार्ग धारा से प्रारम्भ होकर भूमिहर जाता था। यही से एक मार्ग दक्षिण की ओर नम्मया, घाटी, (नर्मदा घाटी) तथा मरट्टदेश होते हुए सुदूर दक्षिण तक जाता था।⁴ एक मार्ग कश्मीर से प्रारम्भ होकर मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, बनारस, धारा, अणहिलवाड और सोमनाथ तक जाता था। इसी मार्ग से होकर कश्मीर का विद्वान बिल्हण रामेश्वरम् तक गया था।

सडकों की स्थिति उस युग में बहुत अच्छी नहीं थी। वर्षा ऋतु में ये मार्ग दुर्गम हो जाते थे। त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित⁵ में उल्लिखित 'धन' नामक व्यापारी के सार्थ को ऐसी ही समस्या का सामना करना पड था। वर्षा के कारण चारों तरफ सडके कीचडयुक्त हो गयीं और आवागमन बहुत कठिन हो गया था।

व्यापारियों को दुर्गम मार्ग की कठिनाईयों के अतिरिक्त, डाकुओं, लुटेरों तथा जगली जातियों एवं हिंसक पशुओं का भी सामना करना पडता था। मेरुतुङ्गकृत प्रबन्धचिन्तामणि में यह प्रसंगित है कि एक बार चौलुक्यराज सिद्धराज मालवा से लौट रहा था तो मार्ग में भीलो की सेना ने उसे रोक लिया। येन-केन प्रकारेण वह सुरक्षित वापस आया।⁶ इससे यह प्रतीत होता है कि कुछ शक्तिशाली जगली जातियाँ मार्ग में सार्थ को लूट लेती थीं।⁷

1 साचरू, भाग I, पृ० 200

2 वही० पृ० 316-17

3 सार्थवाह, पृ० 25

4 साचरू पृ० 203

5 त्रि० श० पु० च० 1, पृ० 13-15

6 प्रबन्धचि० टॉनी पृ० 114

7 राजस्थान श्रु द एजेज-दशरथ शर्मा, पृ० 401-2 ए

पेशेवर डाकुओं के अतिरिक्त कुछ सामन्त और ग्रामपति भी थे। वस्तुपालचरित में एक माण्डलिक सामंत घुघुल (Ghughul) द्वारा व्यापारियों के एक सार्थ को जो गुजरात से मालवा जा रहा था को लूटने का उल्लेख मिलता है।¹ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित में रात्रि में एक नदी के किनारे पर ग्राम प्रमुख द्वारा सार्थवाह को लूटना विवृत्त है।² द्वयाश्रयकाव्य में गृहरिपु जो सौराष्ट्र देश का स्वामी था मूलराज प्रथम द्वारा हटाए जाने के बाद वामनास्थली में रहता था। वह प्रभासपत्तन (सोमनाथ) जाने वाले तीर्थयात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों को भी लूटता था।³ वनूराज जो अणहिलपुर का सस्थापक था डाकुओं का सरदार माना जाता था तथा सौराष्ट्र उत्तर गुजरात से जाने वाले कल्याण के व्यापारियों को लूटता था।⁴ दशरथ शर्मा⁵ के अनुसार पुरातनप्रबन्धसंग्रह में तथा नैन्सी-ख्यात में लक्ष्मण द्वारा कुछ सार्थों के लूटने का आख्यान है। उसकी इस क्रिया का प्रसार मेवाड तथा गुजरात तक बढ़ना भी प्रसंगित है। स्थविरावलीचरित (ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी)⁶ में भी एक व्यापारी तथा सार्थ को लूटने का उल्लेख मिलता है।

इस प्रकार लूट के भय से तथा मार्ग के सड़कों से व्यापारी भयभीत एवं त्रस्त थे। परिणाम स्वरूप पश्चिम भारत के कतिपय राजाओं ने सुरक्षा-व्यवस्था के नवीन कार्यक्रम अपनाए जिससे व्यापारियों की इन समस्याओं का निदान हो सका। लेखपद्धति⁷ में प्राप्त 'जलपथ-करण' शब्द से यह ज्ञात होता है कि चौलुक्य राजाओं ने राज्य में एक पृथक जल परिवहन विभाग की व्यवस्था की थी। यशोवर्मन के मालवा अभिलेख⁸ में 'मार्गपति' (जो सीमा शुल्क वसूल करता) तथा मानसोल्लास में 'मार्गाधिकरण'⁹ नामक अधिकारी (जो राजमार्गों के कार्यालय का प्रमुख होता था) का उल्लेख यह इंगित करता है कि चौलुक्य राजाओं ने राज्य में सड़कों के रख रखाव के लिये विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इनके अतिरिक्त स्थानीय निवासियों तथा भूमि अनुदान देने वाले लोगों को भी चौलुक्य राजाओं ने यह आदेश दिया था कि उनके क्षेत्र से गुजरने वाले यात्रियों तथा व्यापारियों को उनकी आवश्यकतानुसार धन तथा जनशक्ति उपलब्ध कराए। इस तथ्य की पुष्टि अभिलेखिक साक्ष्यों से भी होती है।¹⁰

1 वस्तुपालचरित, पृ० 100

2 त्रि० श० पु० च०, पृ० 111

3 द्वयाश्रय०, इडि, एटी, VI पृ० 73-74

4 रासमाला, पृ० 29

5 अर्ली चौहान डाइनेस्टीज पृ० 121

6 स्थविरावली, 11, 191, 92, 93, पृ० 62

7 ले० प०, पृ०, 48

8 एपि इडि० XX पृ० 41

9 मानसो० II, (श्लो० 1213 पृ० 104,

10 एपि० इडि० XI, पृ० 37, इडि० एटी, VI न० 10 पृ० 210, पूना ओरिएटल, VIII पृ० 69

इस प्रकार पश्चिमी भारत में 11वीं तथा 13वीं शताब्दी में चौलुक्य राजाओं ने कतिपय विशेष व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान कीं।

यातायात के साधन— युक्तिकल्पतरू में भोज परमार ने विभिन्न श्रेणियों में यातायात के साधनों को वर्गीकृत किया है, जैसे चतुष्पद (हाथी, घोड़े, खच्चर, बैल, भैसों इत्यादि), द्विपद (मनुष्य) तथा छोटी बैलगाड़ियाँ, रथ, नाव इत्यादि।¹ पश्चिम भारत से प्राप्त समकालीन अभिलेखों में राज्य द्वारा भारवाही गाड़ियों, ऊँटों, बैलों, मनुष्यों पर करारोपण भी यातायात के साधनों पर परोक्ष रूप से प्रकाश डालते हैं। लेखपद्धति में विभिन्न प्रकार की गाड़ियों, लागाड़ि, चकड़ा तथा पाटगहा इत्यादि नाम मिलते हैं।² त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित के अनुसार 'धन नामक व्यापारी के काफिले में ऊँटों, बैलों, भैसों, खच्चर तथा गधों पर भारवहन करना विवृत है।'³

अधीतकाल में पश्चिमी भारत में यातायात के साधनों के रूप में बैल, भैस, ऊँट तथा गाड़ियों के अतिरिक्त नावों का प्रयोग भी बहुतायत में होने लगा था। नावों के माध्यम से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की सुविधा थी, जिनका प्रयोग जलमार्ग द्वारा आन्तरिक व्यापार हेतु होता था। पृथ्वीराज रासो से ज्ञात होता है कि चौलुक्य राजा भीम द्वितीय के पास बहुत बड़ी सख्या में नावें थीं। जो सिन्ध से तटीय व्यापार करने में प्रयुक्त होती थीं।⁴

व्यापारी अपने भार-वहन हेतु भृत्यकर्मकरों को नियोजित करते थे। व्यापारिक कार्यों के लिए सवारियों, भृतिजीविनकर्मकरों, भृतकों, भृति सम्बन्धी नियमों का उल्लेख विज्ञानेश्वर, कुल्लूक, अपरार्क देवणभट्ट आदि के विधिग्रन्थों में मिलता है। यदि कोई व्यापारी व्यापार हेतु किसी श्रमिक या जानवर को किराए पर लेता था और किसी कारण से उनका प्रयोग नहीं करता था तो उसे उसके मालिक को एक चौथाई भाग, तय किए गए भाड़े का, देना पड़ता था।⁵ इसी प्रकार यदि आधे मार्ग में ही यदि वह उन सवारियों को छोड़ देता था तो भी उसे पूरा भाड़ा भुगतान करना पड़ता था।⁶ यदि किसी भारवाहक से व्यापारिक सामान को कोई क्षति होती थी या किसी कारण वह अपनी कार्य पूर्ण नहीं करता था तो उसकी क्षतिपूर्ति भारवाहक को करनी पड़ती थी।

1 एम्पेट एकाउन्ट्स आफ इंडिया एण्ड चाइना बाई टू मोहम्मडन ट्रेवलर्स पृ० 87

2 ले० प०, पृ० 48

3 त्रि० श० पु० च०, I पृ० 12

4 रासमाला, पृ० 161

5 याज्ञ-स्मृ०, II, 97

6 कुल्लूक आन मनु०, चक्रवृद्धिशब्देनात्र चक्रवच्छकटादिभार-रूपा वृद्धिरभिमतता VIII, 156

हट्ट या पण्यशाला—(बाजार एवं दुकानें)

अधीतकाल मे जीवनोपयोगी आवश्यक पण्यो के क्रय-विक्रय हेतु बाजार होते थे। यद्यपि प्रबन्धचिन्तामणि मे बाजारो से सम्बन्धित सजीव चित्रण नही उपलब्ध होता तथापि उनका सकेत अवश्य है। एतत्कालीन अन्य साहित्यिक ग्रन्थो तथा अभिलेखो से क्रयाण-स्थल विषयक प्रभूत साक्ष्य मिलते है। प्रबन्धचिन्तामणि¹ के उस विवरण से बाजारो के होने का सकेत मिलता है जिसमे राजा भोज के नगर के बाजारो को दीपमान करने की आज्ञा की पूर्ति मे तुन्नवाय तथा एक तैलिक द्वारा अप्रसन्नता वश बाधाएँ उत्पन्न किया जाना प्रसंगित है। अभिधानचिन्तामणि मे दूकानो के लिए पण्यशाला निषद्या अट्ट, हट्ट, विपणि, आपण शब्द बताए हैं।² उक्त ग्रन्थ में ही बाजार के अधिकारी को हट्टाध्यक्ष तथा अधिकर्मिक बताया गया है।³ कथासरित्सागर मे पुण्ड्रवर्धन स्थान के बाजार मे पक्तिबद्ध पण्यशाला का उल्लेख है।⁴ लेखपद्धति मे 'नाडियक' या अनाडियक शब्द का उल्लेख हुआ है जिसका तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ पर बैलगाडियो से सामान उतारा जाता था।⁵

तिमैन अनुदान पत्र (1207 ई०) मे काम्बलौलि तथा फूलसार ग्रामो के प्रत्येक दूकानो से एक-एक द्रम्म मन्दिरो को देय था।⁶ वीसलदेव के कडि अनुदान लेख (1260 ई०) के अनुसार मण्डली ग्राम मे बारह दूकानो के आठ नए (अपूर्व) ब्राह्मणो को खिलाने के लिए पथक प्राप्त होता था।⁷ परमार नरेश यशोवर्मन के कालवन ताम्रपत्र से यह ज्ञात होता है कि औद्रहादि विषय में चौदह दुकाने (वणिक हट्ट) थी।⁸ इसी प्रकार नगरों के बाजारो के विवरण भी प्राप्त होते है। जिनमडन के कुमारपालचरित मे अणहिलवाड नगर के 84 प्रकार के बाजारो का उल्लेख मिलता है।⁹ वहा विभिन्न पण्यो के लिए पृथक-पृथक पण्य वीथियो होती थी। हाथीदात, सिल्क, हीरे, जवाहरात इत्यादि तथा सोने के सिक्के बनाने की टकसाल भी थी। एक स्थान पर नाविको द्वारा लाई वस्तुओं का व्यापार होता था। इनके अतिरिक्त चिकित्सको शिल्पियो, स्वर्णकार की पृथक-पृथक वीथिया थी। प्रत्येक विक्रेय

1 प्रबन्धचि० मेरू पृ० 45

2 अभिधानचि० पृ० 247, 68

3 वही० पृ० 178

4 कथासरि II पृ० 86

5 ले० प० पृ० 16

6 इडि० एटी० XI, पृ० 338, II, II-16

7 वही० VI न II पृ० 211 प्ले II, 1 2; I, 1.14 (अपूर्व जिनको पहले न खिलाया गया हो)

8 एपि० इडि० XIX, न० 10, 11 22 23

9 ट्रैवेल इन वेस्टर्न इंडिया, टॉप, पृ० 156, रासमाला पृ० 191

की पृथक मण्डवी होती थी वहाँ प्रावेश्य निष्काम्य (आयात-निर्यात) देय होता था। यह सार्वजनिक वाणिज्य का स्थान था। कथाकोशप्रकरण में भी मिष्ठान, मदिरा वस्त्र इत्यादि के अलग-अलग बाजार होने का विवरण मिलता है।¹ कीर्तिकौमुदी में यह उल्लेख है कि वस्तुपाल कैम्बे के बाजार में मिलावट की जाच करता है।² मिलावट की प्रक्रिया प्राचीनकाल से ही प्रचलित थी। बेईमान व्यापारी लाभ के लिए मिलावट करते थे। अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्रकारों ने मिलावट के लिए दण्ड का विधान किया था वस्तुपाल ने भी वस्तुओं में मिलावट रोकने का प्रयास किया इस आधार पर वी० के० जैन ने यह कहा है कि सभवतः भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिए पृथक-पृथक दूकाने बनायी गई थी। दसवीं शताब्दी के सियादोणि अभिलेख से ज्ञात होता है कि दोसीहट्ट (वस्त्र-बाजार), प्रसन्न हट्ट (मदिरा बाजार) चतुष्क हट्ट (चौराहे की दूकाने) महत्तकहट्ट (प्रमुख बाजार) इत्यादि बहुत से बाजार होते थे।³

ग्रामों की दूकानों पर स्थानीय उत्पादित वस्तुओं की बिक्री होती थी। अधिकांश अभिलेखों में प्रायः व्यापारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अनुदान देने के प्रसंग मिलते हैं यह उनकी बेहतर स्थिति का परिचायक है। इसी प्रकार नगरों में सुव्यवस्थित बाजार तथा आकर्षक दूकानों के कारण नगरों के पृष्ठ प्रदेशों (Hinterland) से भी व्यापारी व्यापार के लिए आते थे। ग्राम तथा नगर के बाजारों के अतिरिक्त मदिरों की सीमा या प्राङ्गण में स्थित बाजारों में भी क्रय-विक्रय होता था। धार्मिक तिथियों पर आयोजित होने वाले मेलों में भी दूर-दूर से व्यापारी अपने-अपने विक्रेय के साथ वस्तु-विनिमय किया करते थे।⁴

प्रशासन भी बाजारों की उचित व्यवस्था तथा व्यापारियों की सुख-सुविधा का ध्यान रखते थे। नवीं शताब्दी के एक अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि राजा कङ्कुक ने जोधपुर के घटियाल में हट्ट निर्मित कराया तथा उसे विभिन्न पण्यवीथियों से अलङ्कृत करवाया।⁵ गुजरात के शासक मूलराज प्रथम (दसवीं शताब्दी) ने अपने राजा के बाजारों तथा अधिष्ठानों एवं ग्रामों के निर्माण कार्य की देखरेख करने के लिए भ्रातृत्रय माधव, लूल तथा भीम को नियुक्त किया था।⁶ ग्यारहवीं शताब्दी के राजा भोज ने अपनी नव-निर्मित राजधानी में बहुत से क्रयाण स्थल भी निर्मित करवाए। उपमितिभव प्रपञ्चकथा में रात में बाजारों की देखरेख के लिए सुरक्षाकर्मियों को नियुक्त करना भी प्रसंगित है।⁷

1 कथा इन्द्रोडक्शन, पृ० 87

2 कीर्ति०, पृ० IV 17 स्पृष्टापृष्टनिषेधाय

3 एपि० इंडि०, I न० 21, पृ० 162.

4 द किरात-इ-अहमदी (अनु, एम० एफ० लेखन्दवाला, जी० ओ० एस्० न० 146 बडौदा, 1965 पृ० 378

5 एपि० इंडि० IX, पृ० 277

6 वही० पृ० 440-41 9-10

7 उपमिति भव पृ० 851

राजाओं द्वारा बाजारों की व्यवस्था के लिए जो कार्य किए गए थे उनका ज्ञान हट्टकरण¹ (बाजार के विभाग) हट्टाध्यक्ष² या हट्टपति³ इत्यादि विभिन्न शब्दावलियों से भी होता है। प्रत्येक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र का एक अध्यक्ष होता था तथा उसकी सहायता के लिए मूल्याधिकारिण तुलाधिकारिण (माप-तौल कारक) भाराधिकारिण (वजन) इत्यादि होते थे।⁴ भार ले जाने में असफल होने पर भारवाहक को उस नुकसान को चुकाना पड़ता था।⁵ इस प्रकार जो बड़े व्यापारी होते थे वे अपने साधन रखते थे तथा अपने साथी व्यापारियों को उन्हें किराए पर या बिना किराए लिए भी भारवाहन हेतु देते थे।⁶

विदेशी व्यापार—ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में पश्चिमी भारत व्यापार तथा वाणिज्य का प्रमुख केन्द्र था। शोध-आधृत ग्रन्थ के कतिपय प्रसंगों से ज्ञात होता है कि जहाँ एक ओर आन्तरिक व्यापार में वृद्धि हो रही थी वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देशों से भी विभिन्न सामग्रियाँ आयातित एवं निर्यातित की जाती थीं। अनेकों साहित्यिक तथा अभिलेखिक साक्ष्यों तथा विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी इस क्षेत्र से होने वाले विदेशी-व्यापार की पुष्टि होती है। उत्तर-पश्चिम भारत से जिन देशों का व्यापारिक सम्बन्ध प्रसंगित है उनमें अरब, चीन, पश्चिमी तथा मध्य-एशिया प्रमुख हैं। **प्रबन्धचिन्तामणि** में विदेशों से व्यापार को द्योतित करने वाली कुछ शब्दावलियाँ जैसे सायत्रिक (समुद्री-व्यापारी), पत्तन जलदस्यु इत्यादि प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त कतिपय ऐसे स्थल मिलते हैं—जिनसे सामान से लदे हुए विदेशी पोतों के आने व सामान चढ़ाने उतारने के प्रसंग भी मिलते हैं। एक स्थल पर विवृत है कि विदेश से चलने वाला एक जहाज समुद्री तूफान की वजह से उसके क्षेत्र से बाहर सोमेश्वर पत्तन पर आ गया। उसमें दस-हजार घोड़े, एक सौ पचास हाथी और दस हजार अन्य सामग्रियों की संख्या थी। चावडा राजवंश के राजा योगराज के पुत्र क्षेमराज तथा अन्य पुत्र उसे रोकने के लिए राजा की आज्ञा लेने आए।⁷

एक अन्य स्थल पर यह विवरण प्राप्त होता है कि राजा भोज के दरबार में एक ऐसा व्यापारी मिलने आया जिसका यानपात्र (जहाज) अचानक समुद्र के बीच में रुक गया था।⁸ एक स्थान पर जलदस्युओं से सम्बद्ध

1 कदि प्रा० भीमदेव II (1230 ई०), इडि एटी, VI पृ० 202, 1 8

2 अभिधान चि०, III, 389

3 कुट्टनीमत (दामोद गुप्त 540

4 मानसील्लास, II 104-5 1208-22

5 नारद स्मृ०, भाण्ड व्यसन गच्छेद्यादि वाहकदोषत, सा दायो यत् प्रणष्ट स्याद्देवराज कृताद्दत्तो VI, 9

6 वी० के० जैन, पृ० 55-56

7 प्रबन्धचि० मेरू०, पृ० 14, टॉनी पृ० 19

8 वही मेरू०, पृ० 40, टॉनी पृ० 59

उद्धरण है कि आभड नामक व्यापारी कुछ मञ्जीष्ठा के बोरे विक्रयार्थ ले जा रहा था। उसमे कुछ स्वर्ण कम्बिकाए (सोने की चम्मचे) भी थी जिन्हे जलदस्युओं के भय से उसने बोरे मे छिपा दिया था। उस काल मे विदेशी-व्यापार की अभिवृद्धि इतनी अधिक थी कि विदेशो से व्यापारी बहुश इस क्षेत्र मे आते रहते थे। कुछ व्यापारी तो यहाँ आकर बस भी गए थे और वे इतने अधिक शक्तिशाली हो गए थे कि वे यहा के स्थानीय शासको एव राज्याधिकारियों से भी लोहा लेने लगे थे। इस प्रकार का प्रसंग प्रबन्धचिन्तामणि मे मिलता है¹ बाद मे उक्त दो उद्धरण पुरातन प्रबन्ध सग्रह² मे भी प्राप्त होते है। इस तथ्य की पुष्टि अभिलेखिक साक्ष्यो से भी होती है। अर्जुनदेव के वेरावल अभिलेख³ (वि० स० 1320) से यह पता चलता है कि अरब देश का एक व्यापारी (जहाज-मालिक) अमीर रुक्नुद्दीन अपना जहाजी बेडा लेकर सोमनाथपत्तन आया। उस क्षेत्र को उसने अपना निवास बना लिया। उसने श्रीसोमनाथदेव मंदिर के एक भूमिखड को वहा के एक स्थानीय शासक पदाधिकारी एव मंदिर के प्रमुख आचार्य की सहमति से खरीद लिया और वहा एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा उस मस्जिद के खर्च चलाने के लिए उसने एक मुश्त बडी धनराशि दान मे दी। उक्त लेख मे यह भी कहा गया है कि अवशिष्ट धनराशि मक्का-मदीना भेजी जायेगी।

जामि 'उल-हिकायत'⁴ (1211 ई०) में मुहम्मद ऊफी यह कहता है कि गुजरात का प्रधान व्यापारी वसा-अभीर ने गजनी में अपने अभिकर्ता (Agent) को कुछ व्यापारिक सामान लेकर बेचने को भेजा। बहुत से मुस्लिम व्यापारी उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र से होकर भारत के अन्य भागों में गए तथा वहा पर व्यापारिक संपर्क स्थापित किया, जो कि विदेशी व्यापार की वृद्धि का परिचायक है।⁵

उत्तर-पश्चिमी भारत के अनेक व्यापारी ईरान तक जाते थे किन्तु अरबो ने सिन्ध पर अधिकार के बाद विवेच्यकाल में बगदाद के खलीफाओं से घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हो गया था।⁶ इब्न खुर्दद्बाह,⁷ अल मसूदी⁸, अल इद्दीसी⁹, और अलबेरुनी¹⁰ ने इस मार्ग का उल्लेख अपने-अपने विवरणो मे किया है। अलबेरुनी

1 वही०, पृ० 102, टॉनी पृ० 16

2 पु० प्र० स० पृ० 132, पृ० 56

3 इडि० एंटी० XI, पृ० 242, डी० सी०, सरकार सेलेक्टेड, इसक्रिप्टान्स जि० 2 पृ० 406

4 इलियट एण्ड डॉसन, भाग II पृ० 201 उद्धृत यादव, वही पृ० 279

5 मो० हबीब, इलि० एण्ड डॉसन, भाग II पृ० 46, यादव वही० पृ० 279

6 एज ऑफ इम्पीरियल कन्नौज, पृ० 448-452

7 इलि० एण्ड डाउसन I, 14

8 वही० I, 21

9 वही I, 92

10 अलबेरुनी I, 198

का यह उल्लेख है कि मैं अपने देश (तुर्किस्तान) निमरोज (सिजिस्तान) होकर जाता हूँ।” वह फिर कहता है कि केवल एक यह मार्ग ही नहीं था जिससे हर क्षेत्र से भारत पहुँचा जा सके “जब मार्ग खुले रहते हैं तो रुकावट समाप्त हो जाती है।¹ अल इदरीसी से भी हमें कुछ व्यापारिक मार्गों के विषय में पता चलता है।² उसके अनुसार देबल तथा कैम्बे व्यापार के लिए ऐसे व्यापारिक स्थल थे जहाँ पर प्रत्येक देश में उत्पन्न होने वाला पण्य विक्रता था।

समुद्री मार्ग से होने वाला व्यापार

प्रबन्धचिन्तामणि में प्राप्त विवरणों में योगराज के शासन काल में एक दूसरे देश के एक जहाज का सोमेश्वरपत्तन पर आना³, सईद नामक अरबी व्यापारी का भारत में आना तथा वस्तुपाल से युद्ध⁴ तथा भडौच, कैम्बे इत्यादि बन्दरगाहों के व्यापारिक गतिविधियों से सम्बन्धित मुस्लिम यात्रियों के विवरणों से यह अनुमान किया जा सकता है कि विवेच्यकाल में विदेशों के साथ गुजरात के माध्यम से समुद्री-मार्ग द्वारा व्यापार की प्रक्रिया प्रगति पर थी। इस काल में सबसे अधिक व्यापार गुजरात के माध्यम से होता था। पूर्वमध्यकालीन तथा परवर्ती जैन-ग्रन्थों में बहुत से ऐसे विवरण प्राप्त होते हैं जिनसे भी उन्नत व्यापारिक अवस्था की पुष्टि होती है। पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में यह प्रसंग मिलता है कि जगदु नामक व्यापारी जलमार्ग से घोड़े लाता था।⁵ जगदुचरित में जगदु नामक व्यापारी हरमुज में अपने भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि या अभिकर्ता (Agent) रखता था। तथा जिनके माध्यम से अपने जहाज में सामान भरकर फारस भेजता और व्यापार करता था।⁶ धनपातिक नामक व्यापारी का जहाज (देवताडतिशयात्) टूट गया था ऐसा उल्लेख प्रबन्धग्रन्थों में प्राप्त होता है।⁷ कान्तिपुर के व्यापारी का समुद्रीमार्ग से व्यापार करने का उल्लेख भी पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में प्राप्त होता है।⁸ धनपालकृत तिलकमञ्जरी⁹ में सायात्रिक तथा यानपात्र के कतिपय उल्लेख प्राप्त होते हैं। वेरावल से प्राप्त अर्जुनदेव के अभिलेख से भी सामुद्रिक मार्ग द्वारा विदेशों से व्यापार की पुष्टि होती है।¹⁰ मोहराजपराजय में भी यह वर्णन मिलता है कि

1 इण्डिका भाग I, अध्याय XVII पृ० 198

2 इलियट एण्ड डॉसन I, पृ० 77

3 प्रबन्धचि०, 14, टॉनी, 77

4 वही, पृ० 102 (टानी)

5 पु० प्र० स०, पृ० 80

6 ए० के० मजूमदार, चौलुक्य, पृ० 267

7 पु० प्र० स०, पृ० 91, प्रबन्धकोश पृ० 85

8 पु० प्र० स०, पृ० 95

9 तिलकमञ्जरी, पृ० 19-20 श्लो 130, पृ० 21 श्लो 151 पृ० 59 श्लो 108

10 इडि० एटी० XI, पृ० 242; डी० सी० सरकार, सेलेक्टेड इडि 402

अणहिलवाड का कुबेर नाम का व्यापारी विदेश जाते समय अपने साथ भृगुकच्छपतन से भडौच 55 व्यापारी तथा 500 जहाज ले गया था।¹

इन साहित्यिक तथा अभिलेखिक साक्ष्यों के अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के विवरणों में भी व्यापारिक उल्लेख प्राप्त होते हैं। चाऊ-जू-कुआ² (12हवी श० ई०) के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार चीनी शासक के लिए गभीर चिंता का विषय बन गया था। वह लिखता है कि भारतीयों की विलासिता की वस्तुओं की चीन में भारी खपत के कारण चीनी मुद्रा तथा कीमती धातुएँ भारत जा रही थीं। चीनी शासक ने इस मुद्राप्रवाह को रोकने के लिए भारत के मालाबार तथा क्विलन से होने वाले व्यापार पर रोक लगाया था। जिसके फलस्वरूप 12हवी श० के अन्त में यह सुदूर पश्चिमी देशों से भी सामान वहा आता था।³ इसी स्रोत के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि अरब में क्विलन तक छोटे जहाजों के माध्यम से सामान पहुंचाया जाता था। उसके बाद उस बड़े जहाज पर लादा जाता था और वहा से प्लेम्बग होता हुआ चीन पहुंचता था पूर्वमध्यकाल के पूर्वार्द्ध में भारत का व्यापारिक सम्बन्ध, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तथा श्रीलंका से पूर्वी देशों के समुद्रतटीय मार्ग से होता था। परन्तु ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी में व्यापार के क्षेत्र में अरबों के प्रभुत्व की अभिवृद्धि के फलस्वरूप पश्चिमी देशों (मुस्लिम देशों) से होने वाले व्यापार में भी अभिवृद्धि मिलती है।

अबू जैद लिखता है कि भारतीय व्यापारी बड़ी संख्या में सिराफ जाते थे और वहा के मुसलमान व्यापारियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते थे। मार्कोपोलो (13 वी श०) कहता है कि भारतीय व्यापारी सोकोत्रा द्वीप जाते थे। वहा वे अपनी वस्तुओं का विक्रय करते थे।⁴

पत्तन—विदेशी व्यापार का अध्ययन बन्दरगारों के विवरण के अभाव में अनुचित होगा। प्रबन्धचिन्तामणि में भृगुकच्छ, स्तम्भतीर्थ तथा सोमेश्वरपत्तन का उल्लेख प्राप्त होता है। चौलुक्य राज्यकाल में कैम्बे, भडौच तथा सोमनाथ के बन्दरगाहों से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार से बहुत लाभ होता था।⁵

अरब लेखकों ने भी भारत के बहुत से पत्तनों का उल्लेख किया है। पश्चिमी भारत के प्रमुख पत्तनों में देवल (कराची तथा थाट्टा), लोहरानी या लाहोरी बदर जो कि सम्भवतः कराची में था, सोमनाथ पत्तन- वेरावल

1 मोहराज पराजय, III, पृ० 61,

2 चाऊ-जू-कुआ, पृ० 18

3 वही०, मसूदीज एनसाइक्लोपीडिया, I, पृ० 328

4 युले, II 389

5 प्रबन्ध० चि०, पृ० 102, प० 10 के आगे

(सामानथ के निकट) घोघा कैम्बे (गुजरात का प्रमुख पत्तन जो स्तभतीर्थ कहलाता था) सिन्दन तथा सुबारा (अल इदरीसी के अनुसार यह कैम्बे के दक्षिण में स्थित सोपार था भडौच (भृगुकच्छ या भरुकच्छ) सिन्दबूर (नर्मदा के मुहाने के समीप) थे। गुजरात का समुद्रीतट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से विवेच्यकाल में बहुत महत्त्वपूर्ण था। कतिपय साहित्यिक ग्रन्थों में ताम्रलिपि को पूर्वी भारत का एक प्रमुख बन्दरगाह विवृत्त किया गया है। अधीतकाल में यह सप्तग्राम द्वारा ग्रहण कर लिया गया था।¹

पश्चिमी भारत के कुछ अन्य पत्तनों का उल्लेख अरब लेखकों ने किया है, जो कुछ कम महत्त्व के थे —कूदाफरीद (अलीमुकम) सिजिली मालाबार के पास (बलभी) (कोदगल्लुर), तदियूर (कदलुडि), शालियात (चलियक) फदरीन (पतलापिनी कोल्लम्) दहफत्तान (धर्मदम्, श्रावस्ती, खोह सहित-माहेत का ग्राम) बुहफतान (बलियापतम् बलभी), जुर्बतम (श्रीकदपुरम्), फूफल (बेकल), हर्किल्या (कसरगोद), खुर्नल (कुम्बाला), फाकनूर (बार्कूट), बासरूर (बेसरूर), बरकली (भक्तल) हन्नूर (हनोवर), हबार (कारवार)²

भृगुकच्छ प्रथम शताब्दी से ही अन्तर्राष्ट्रीय पत्तन के रूप में पश्चिमी भारत में प्रसिद्ध था। प्रबन्धचिन्तामणि के समकालीन उसी क्षेत्र में रचित रासमाला³ में भी इसका वर्णन 'भृगुपुर' के रूप में हुआ है। भृगुकच्छ बन्दरगाह से अणहिलवाड का प्रमुख व्यापारी कुबेर व्यापार के लिए विदेशों को जाता था।⁴ अलइदरीसी⁵ कहता है कि बरुह (भडौच) चीन और सिंध से आने वाले जहाजों के लिए पत्तन था। मार्कोपोलो⁶ के विवरण से हमें पता चलता है कि गुजरात के उत्पादनों का नियमित निर्यात भी यहीं से चीन एवं अरब तथा अन्य देशों को होता था। प्राचीनकाल में इसे भृगुकच्छ या भरुकच्छ के आधार पर विदेशियों ने बेरीगाजा कहा है। अरब, मिस्र तथा अफ्रीका के पूर्वी तट को निर्यात करने के लिए कश्मीर और काबुल से भी यहाँ पर सौदा लाया जाता था।⁷ अल मसूदी (दसवीं शताब्दी) बरुस (भडौच) के लिए कहता है कि यहाँ के बल्लम तथा बरछी प्रसिद्ध थे जिन्हें बरुस कहा जाता था।⁸

-
- 1 यादव, सोसायटी एण्ड कल्चर, पृ० 313, पाद टिप्पणी 324
 - 2 नयनार, अरब ज्योग्राफर्स, इन्डेक्सपेस, इ० ला० ना० इ० द्वारा ल० गोपाल पृ० 148
 - 3 फ्लोर्ब, रासमाला पृ० 189
 - 4 मोहराजपराजय III, पृ० 61
 - 5 इलि० डासन, I, 87
 - 6 मार्कोपोलो II, 393
 - 7 पेरीप्लस (डब्ल्यू० एच० स्काफ 14, 21, 27, 32, 36, 48-49)
 - 8 बाम्बे गज़ेटियर I, pt I पृ० 513

कैम्बे—गुजरात के प्रमुख पत्तनो मे से कैम्बे एक था। अरबी यात्री सुलेमान¹ के अनुसार इसका एक अन्य नाम स्तम्भतीर्थ भी था। कैम्बे पत्तन मरुकच्छ के बहुत बाद मे महत्व मे आया। समभवत इसकी उन्नति गुर्जर-प्रतिहारो द्वारा भडौच की प्रतिस्पर्धा स्वरूप हुई थी जो राष्ट्रकूटो के प्रभुत्व मे था। प्रबन्धचिन्तामणि के अनुसार उदयन नामक व्यापारी खम्भात का निवासी था। उसने चौलुक्य शासक कुमारपाल को उसके प्रारम्भिक जीवन मे शरण दिया था। अन्य साहित्यिक ग्रन्थो मे भी इसे गुजरात का प्रमुख पत्तन माना गया है। जहा व्यापारियो की घनी बरती थी तथा व्यापारिक क्रिया-कलापो का प्रमुख केन्द्र था।² मार्कोपोलो³ के अनुसार व्यापारी सामान से लदे हुए जहाजो के साथ यहा आते थे। कैम्बे निश्चय ही विदेशी आक्रमणो से दूसरे बन्दरगाहो की अपेक्षा अधिक सुरक्षित था। दसवी शताब्दी से समुद्री-व्यापार मे अभिवृद्धि होने से कैम्बे शहर तथा पत्तन की समृद्धि और भी बढ गयी थी। वासफ (1300-1328 ई०) के इस कथन से कि गुजरात को वास्तव मे खम्भात कहा जाता था, इसका महत्व और भी बढ जाता है।⁴ विभिन्न स्रोतो से ज्ञात होता है कि कैम्बे मे बहुत से बाजार थे जहा व्यापारी भी रहते थे।⁵ जिसमे बहुत से मुस्लिम व्यापारी थे जिन्हे व्यापार करने की पूरी स्वतन्त्रता थी।⁶ पश्चिमी भारत मे यही एक प्रमुख पत्तन था जहा अरब देशो से घोडे जहाजो मे लादकर लाए जाते थे।⁷

सोमनाथ पत्तन—दसवी शताब्दी मे भृगुकच्छ और कैम्बे के अतिरिक्त सोमनाथ पत्तन भी प्रमुख बन्दरगाह था तथा यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी था। प्रबन्धचिन्तामणि मे यह उल्लेख है कि सोमेश्वर या सोमनाथ पर एक पश्चिमी देश का जहाज समुद्री तूफान के कारण आ लगा था जिसे चावड (चावडा) वश के राजा योगराज के पुत्रो ने पकड लिया था।⁸ एक अभिलेख से भी यह ज्ञात होता है कि कैम्बे की भांति यहा पर भी बडी सख्या मे मुस्लिम व्यापारी तथा समुद्री यात्री बारहवी-तेरहवीं शताब्दी मे यहा आया करते थे।⁹ अलबेरूनी इसके महत्व को बताते हुए लिखता है कि यह जञ्ज (अञ्जीबार दक्षिण अफ्रीका) देश में सुफला और चीन देशो के बीच जहाज रानी करने वालों के लिए अवस्थान था।¹⁰ रासमाला मे सुराष्ट्र मे स्थित वेरावल तथा सोमनाथ पत्तन का उल्लेख

- 1 अत्तेकर ए० एस०, एहिस्ट्री ऑफ इम्पार्टेन्ट टाउनस इन गुजरात, इडि० एटी० पृ० 47
- 2 बसन्त विलास, पृ० VI
- 3 मार्कोपोलो, II, 398
- 4 इलियट एण्ड ड्रासन, III, पृ० 31
- 5 फ्रेक, III, 8, सी पी एस आई पृ० 227
- 6 इलि० एण्ड ड्रासन, ऊफी, II, पृ० 162
- 7 वही III पृ० 33
- 8 प्रबन्धचिन्तामणि मेरू० पृ० 14, II, 3
- 9 वेरावल अभि० (1264 ई०), इडि० एटी, XI, पृ० 241
- 10 अल्बेरूनीज इडिया, II, 104

है।¹ कुछ विद्वान एक ही स्थान के ये दो नाम मानते हैं। मार्कोपोलो (तेरहवीं श० ई०) सोमनाथ के विषय में कहता है कि यह व्यापार का बहुत बड़ा स्थान था तथा यहाँ के लोग जलदस्यु नहीं थे बल्कि ईमानदार लोगों की भाँति व्यापार तथा उद्योग के माध्यम से जीवन व्यतीत करते थे।²

देबल—

इन पत्तनों के अतिरिक्त देबल भी यहाँ इस क्षेत्र का प्रमुख पत्तन था। यह सिंधु के मुहाने पर स्थित था अल इदरीसी कहता है कि ओमान के उत्पादों से भरे जहाज इस पत्तन पर आते थे। वह यहाँ के महत्व को इस प्रकार बताता है कि 'प्रत्येक देश में पैदा होने वाली व्यापारिक वस्तुएँ यहाँ पायी जाती थीं। यह खाड़ी के किनारे पर स्थित था, जहाँ जहाज प्रवेश करके लगर डाल सकते थे। यहाँ पर मिस्र द्वीप के निवासियों के आक्रमण से बचने के लिए तत्कालीन शासक ने एक दुर्ग निर्मित कराया था।³ यह पत्तन बारहवीं शताब्दी के अन्त तक उन्नत अवस्था में था। अलबेरूनी⁴ तथा इब्न बतूता⁵ ने एक बन्दरगाह लोहरानी या लहरी का उल्लेख किया है जो एक ही स्थान के दो नाम प्रतीत होते हैं किन्तु यह स्थान देबल की भाँति महत्वपूर्ण नहीं था।

गुजरात के पत्तन विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों की प्रमुख कड़ी का कार्य करते थे। यहाँ के पत्तन देशी तथा अन्तर्देशीय व्यापार के प्रमुख केन्द्र थे। दूरस्थ स्थानों से व्यापारिक सामग्री यहाँ के पत्तनों पर एकत्रित की जाती थी तथा पुनः वहाँ से स्थानीय व्यापारियों द्वारा उचित लाभ लेकर बेची जाती थी। स्थानीय राजा भी यहाँ पर समुद्री मार्ग से आने वाले व्यापारियों से राजस्व तथा अन्य कर लाभ रूप में प्राप्त करते थे। अधीतकाल में बढ़ते हुए समुद्री व्यापार तथा उनसे होने वाले लाभ के कारण राजा विदेशी व्यापारियों को सुरक्षा तथा सुविधाएँ प्रदान करते थे जिससे कि इनके राज्य से व्यापारिक सम्बन्ध बनाएँ रखे।⁶ लेखपद्धति⁷ से ज्ञात होता है कि पत्तनों से सम्बन्धित कार्यों की देखभाल के लिए एक अलग कार्यालय होता था। जिसे वेलाकुलकरण कहा जाता था। चौलुक्य राजा पत्तनों के प्रशासन एवं व्यापारिक क्रियाओं में विशेष रुचि लेते थे तथा इनके प्रशासन हेतु विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी करते थे।

- 1 रासमाला, पृ० 56, 189
- 2 मार्कोपोलो, II, पृ० 398-99
- 3 इलि० एण्ड डा०, 84, नयनार पृ० 52 मि० 87-88
- 4 इण्डिका I, पृ० 208
- 5 आर० आई० बी०, पृ० 10
- 6 वी० के० जैन, ट्रेड एण्ड ट्रेडर्स पृ० 136
- 7 ले० प०, पृ० I

समुद्री परिवहन एवं जलदस्युओं का संकट

प्रबन्धचिन्तामणि में यह विवृत है कि राजा योगराज के पुत्र ने सोमेश्वरपत्तन पर आए एक विदेशी जहाज को लूटने के उद्देश्य से पकड़ा जिसके सम्बन्ध में राजा योगराज कहता है कि उसके अपने पूर्वजों के आचरण के कारण इस क्षेत्र को गूर्जर डाकुओं का क्षेत्र कहा जाता है।¹ एक अन्य स्थल पर यह कथा मिलती है कि व्यापारियों ने जलदस्युओं को भय से सोने की चम्मचे (स्वर्णकम्बिक) मञ्जीष्ठ के बोरे में छिपा दी थी।²

अधीतकाल में गुजरात के तटीय क्षेत्र में जलदस्युओं का प्रकोप बहुत बढ़ गया था। पूर्वकाल में भी जल दस्यु होते थे परन्तु उनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था। लूट के भय से व्यापारी समुद्री-यात्रा करने से डरते थे। अधीतकाल में वृद्धिगत सामन्तवादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप समुद्री डकैती की घटनाएँ अधिक होने लगी थीं। छोटे-छोटे राज्य होने के कारण उनके लिए यह काम और आसान हो गया था। इब्न बतूता³ की जलदस्युओं से बचाव के लिए राजकीय संरक्षण दिए जाने की बात करता है। इस सदर्भ में यह कह सकते हैं कि दसवीं शताब्दी तक सर्वथा यह नियम व्यवहार में था कि सामान से लदे हुए जहाजों के किसी भी शासक के बन्दरगाह तक पहुँचने या छूटने पर उन वस्तुओं को अपहृत कर लिया जाता था। किन्तु यह स्थिति सर्वथा नहीं थी। चौलुक्य नरेश कुमारपाल ने यह दावा किया है कि इस पूर्वकालिक कुप्रथा पद्धति को समाप्त कर दिया। अब वस्तुओं के अपहरण के बजाय उनसे सम्बद्ध सामग्री का दसवा अंश कर के रूप में लिया जाएगा। इसी प्रकार का उल्लेख काकतीय वंश के मोतुपल्ली स्तम्भ अभिलेख⁴ में भी मिलता है। इसके अनुसार उसने इस प्रकार के पोतवणिकों को अभय शासन प्रदान किया। इसी प्रकार का उल्लेख मानसोल्लास⁵ में प्राप्त होता है कि जिसमें राज्य तटीय सुरक्षा के लिए अनुज्ञापत्र (Licence) व्यवस्था का निर्धारण करते हैं तथा उसे कड़ाई से लागू करते हैं। इस सम्बन्ध में प्रबन्धचिन्तामणि (पृ० 14) में जो योगराज के पुत्रों द्वारा दूसरे देश के जहाजों को जो समुद्री-तूफान में फँसकर आ गया था योगराज द्वारा उसे मुक्त करना समुद्री व्यापार के प्रोत्साहन की पूर्ण पीठिका प्रतीत होती है।

-
- 1 प्रबन्धचि०, मेरू०, पृ० 14
 - 2 वही, पृ० 69, टॉनी पृ० 104
 - 3 ए० के० मजूमदार, चौलुक्य आफ गुजरात पृ० 479
 - 4 एपि० इंडि०, XII, पृ० 195
 - 5 मानसो०, II, पृ० 62, 374-76

आयात—अधीतकाल मे विभिन्न वस्तुओं के आयात-निर्यात मे भी अभिवृद्धि मिलती है। प्रबन्धचिन्तामणि¹ में सोमेश्वर-पत्तन पर योगराज के शासन काल मे जो समुद्री पोत बन्दरगार के तट पर आ पहुँचा था उसमे दस हजार अश्व, एक सौ पचास हस्ति तथा दस करोड की कीमत की अन्य सामग्रिया भी थी। प्रबन्धकोश में राजशेखर ने कैम्बे पत्तन पर घोडो को उतारने का उल्लेख किया है।² हेमचन्द्र ने भी लिखा है कि अरबी घोडों का निर्यात किया जाता था।³ बहुश प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि भारत मे पश्चिम देशों से घोडो के आयात पर प्रभूत धन व्यय होता था। सामंतीयुग मे अनवरत चलने वाले युद्ध मे अश्वों का भारी सख्या में प्रयोग होना स्वाभाविक था। फलस्वरूप अश्वों की माग भी बढ गयी थी। अरबीनस्त वाले घोडों की कीमत भी अधिक थी। घोडो की सही ढग से रख-रखाव की जानकारी न होने के कारण वे जल्दी हो रोगग्रस्त हो मर जाते थे। भारत मे घोडो का सही इलाज करने वाले भी नहीं थे तथा विदेशी लोग अपने व्यापार की उन्नति बनाये रखने के लिए घोडो के जाचकर्ता को आने से रोकते थे।⁴ फलस्वरूप प्रतिवर्ष यहा के शासको को हजारों की सख्या में घोडे खरीदने पडते थे।

वासफ (1300-1328 A D) कहता है कि अब तक अबू वक्र के शासन काल मे प्रतिवर्ष 10,000 अश्व, कलिफ, लासा, बहरीन, हरमुज तथा कुल्हूत स्थानों जो अरब समुद्र तथा फारस की खाडी पर स्थित थे, से मालाबार खभात तथा अन्य पडोसी पतनों को निर्यात किया जाता।⁵ इब्न बतूता (14हवीं श०) कहता है कि दोफल (Zafar) क्रीमिया (Qiram) तथा अझोव से घोडे भारत में भेजे जाते थे। घोडे के व्यापारी सिन्ध में प्रवेश करते समय प्रति घोडे पर सात चादी का टड्ड कर देते थे।⁶

भारत में चीन का कौशेय वस्त्र (सिल्क) बहुत पहले से आयात किया जाता था, जिसे चीनाशुक कहते थे। कालान्तर मे भारत मे ही बनने वाले रेशमी वस्त्र या सिल्क को भी चीनाशुक कहा जाने लगा। पूर्वमध्ययुग मे भी भारतीय लोग चीन के रेशमी वस्त्र उपयोग मे लाते थे।⁷ मार्कोपोलो यह बताता है कि मालाबार तट पर पूरब से जो जहाज आते थे उनमे अन्य सामग्री के अतिरिक्त सिल्क के वस्त्र, सोना तथा चन्दन लदा होता था।⁸

1 प्रबन्धचि०, मेरू०, पृ० 14, टॉनी पृ० 19

2 प्रबन्धकोश, पृ० 121

3 द्वयाश्रय, पृ० 439

4 वासफ, इलि० एण्ड डा०, III, 33-34; मार्को, II, 340, 345, 450

5 इलि एण्ड डासन, III, 23

6 आर० आई० बी०, पृ० X/IV

7 कुट्टनीमतम्, श्लोक 66, 324; नैषधीयचरित, 21 21

गजाओं के द्वारा विभिन्न देशों के सिल्क (रेशम) प्रयोग किए जाते थे। परन्तु मानसोल्लास में विशेषकर चीन तथा श्रीलंका के वस्त्रों का ही उल्लेख किया गया है।¹ भारतीय साहित्य में हमें प्रायः सिल्क (रेशम) के लिए चीनाशुक शब्द का ही प्रयोग मिलता है।²

चीन से वस्त्र के अतिरिक्त कुछ धातुएँ भी भारत आती थीं। चीन से आने वाले टिन को 'चीनपट्ट' तथा नोहे को चीन कहा जाता था।³ इनके अतिरिक्त स्वर्ण और रजत जैसी धातुएँ भी चीन से भारत आती थीं।⁴ मार्कोपोलो के अनुसार थाना तथा कैम्बे पत्तन पर आने वाले जहाजों में प्रायः स्वर्ण, रजत, तृतीया, कसीस 'सल्फ्यूरिक अम्ल' होता था।⁵ उसके अतिरिक्त अन्य आयातित सामग्रियों में धूप (Incense) के लिए वैजयन्तीकोश⁶ में तुरुष्क शब्द का प्रयोग किया गया है। यह मध्य-पूर्व एशिया (संभवतः अरब) से आयात किया जाता था।⁷ ताम्र के लिए म्लेच्छ⁸ तथा शीसा के लिए यवनेष्ट⁹ शब्दों का प्रयोग किया है। ये धातुएँ भारत में पश्चिम से आयात की जाने वाली वस्तुओं में थीं। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो आदि द्वीपसमूहों से अन्यान्य मसालों के अतिरिक्त कालीमिर्च, सुगंधित लकड़ी, लौंग, तमाल, मन्दार आदि आयात किये जाते थे।¹⁰ कपिसा से शराब आयात होती थी।¹¹

अरब लेखक अलमसूदी का कथन है कि हाथी दाँत जज्ज या जज्जीबार (द० अफ्रीका का पूर्वी तटीय प्रदेश) से ओमान लाया जाता था और वहाँ से भारत तथा चीन भेजा जाता था।¹² पर्सिया से भारत के लिए रग (कृमिरग या किरमदान) लाया जाता था। नवीं सदी के एक अरब यात्री ने लिखा है कि सिराफ के जहाज लालसागर होकर मिस्र नहीं जाते बल्कि वे जेद्दा से लौटकर भारत चले जाते थे क्योंकि भारत और चीन के समुद्र में मोती, अम्बर होते थे, पहाड़ों में रत्नों और सोने की खानें थीं, हाथीदाँत पाये जाते थे। अन्य पैदावार

- ❖ मार्कोपोलो II, पृ० 389-90
 1 मानसो० II, पृ० 88, 1018-20
 2 कुट्टनीमतम् 66, 344, नैषधीयचरित, XXI, 21 2
 3 वैजयन्ती, 3 2 33
 4 चाऊ जू० कुआ, पृ० 101
 5 मार्कोपोलो II, पृ० 395, 398
 6 वैजयन्ती, 3 8 111
 7 द स्ट्रगल फार एम्पायर, पृ० 522
 8 वैजयन्ती 3 2 24-25
 9 वही 3 2 29-30
 10 समरइच्चकहा 6 पृ० 41, तिलकमञ्जरी पृ० 133, 135, 137
 11 अभिधानरत्नमाला II, 174
 12 फरेन्ड, पृ० 48

में आबनूस, बेत जत कपूर, लौंग, जायफल बकम, चन्दन, अनेकानेक सुगंधित द्रव्य होते थे तोते और मयूर जैसे पक्षी थे तथा वहाँ से कस्तूरी मिलती थी।¹

निर्यात—आयात के अतिरिक्त बहुत सी व्यापारिक वस्तुएँ निर्यात भी की जाती थी। विदेशी विवरणों से हमें भारत के विभिन्न बन्दरगाहों से निर्यात किए जाने वाले सामानों में बकरम, चमड़ा, चमड़े से बने सामान तथा वस्त्र आदि की जानकारी होती है। चाऊ-जू-कुआ² के अनुसार 'गुजरात से अरब निर्यात किए जाने वाले सामानों में नील, लालकत्था (Red kino), आवला, हरड तथा सभी रंग के सूती वस्त्र इत्यादि थे।³ मार्कोपोलो⁴ लिखता है कि कालीमिर्च अदरक तथा नील, गुजरात के प्रमुख उत्पादन थे तथा सुन्दर बकरम और सूत भी गुजरात राज्य से निर्यात किए जाते थे।⁵ बल्हरराज्य (Bengal) के प्रमुख उत्पादन सुन्दर तलवारें, सूती वस्त्र थे।⁶ तथा सुंदर फूलदार तथा लाईनदार सूती-वस्त्र (अणहिल-दाड) का उत्पादन था। वास्तव में ये वस्तुएँ गुजरात के तट से बाहर भेजी जाती थीं। गुजरात से फारस को नियमित रूप से दास भेजे जाते थे यह तथ्य कि वीरघवल क मन्त्री तेजपाल के द्वारा दास-व्यापार को रोकने के प्रयास से सुस्पष्ट था। अल इदरीसी कहता है कि व्यापार की बहुत सी वस्तुएँ देवल ले आयी जाती थीं।⁷ बाद में बाहर से निर्यात किया जाता था। कैम्बे तथा सिंदान के विषय में कहा जाता है कि "कैम्बे में अन्त देशों से व्यापारिक सामग्रियाँ लाई जाती थीं तथा वहाँ से फिर दूसरे देशों को भेजी जाती थीं। तथा सिंदान से आयात तथा निर्यात दोनों होता था।⁸ वह यह भी कहता है कि सिमर (Chaul) पत्तन पर बहुत से सुगंधित पौधे के निर्यात किए जाते थे⁹ लेकिन किन्न बन्दरगाहों से इनका निर्यात होता था, यह स्पष्ट नहीं होता। एक अन्य विवरण में यह उल्लेख है कि प्रत्येक वर्ष दो हजार या इससे अधिक बैलों पर लादकर स्थलमार्ग से वस्तु विनिमय के लिए भेजी जाती थीं।

व्यापारियों का वर्गीकरण—किसी भी देश अथवा काल में छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यापारी होना तत्कालीन विकसित व्यापारिक क्रिया-कलाप का परिचायक है विवेच्यकाल में ऐसी ही स्थिति का सञ्ज्ञान हमें प्रबन्धचिन्तामणि से होता है। इस ग्रन्थ में व्यापारियों के लिए विभिन्न शब्दावलियाँ मिलती हैं। इनमें वाणिज, श्रेष्ठि, सार्थवाह इत्यादि

- 1 अबू जैद सैराफी, पृ० 135
- 2 चाऊ जू कुआ, पृ० 92
- 3 जे० एन० बी० आर० ए० एफ०, XXXII (1959) पृ० 61
- 4 मार्को II, 383
- 5 वही, 379, 85, 88,
- 6 चाऊ जू० कुआ पृ० 9
- 7 इलि० डा० I पृ० 77
- 8 वही, पृ 77
- 9 वही 145-बन्तऊ० जू० कुआ० पृ० 93

प्रमुख है। समसामयिक कोश ग्रन्थ अभिधान-चिन्तामणि¹ में व्यापारियों के अनेक पर्यायवाची वाणिज्य, वणिक क्रयविक्रयिक, पण्यजीव आपणिक नैगम वैदेह, सार्थवाह प्राप्त होते हैं। हलायुधकोश—(अभिधान रत्नमाला)² में भी व्यापारियों के लिए अनेक शब्द बताए गए हैं। अमरकोश पर क्षीरस्वामी की टीका में भी इन नामों को परिभाषित किया गया है।³ इसमें वैदेहक के लिए विदेह उपचये भवो वैदेहक निगम के लिए आपणे भवो नैगम, परिभाषा दी है। वणिक शब्द को पणते वणिक तथा वणिज की वाणिगेव वणिज परिभाषित किया है।⁴ पुरातनप्रबन्ध संग्रह में विभिन्न स्थलों पर वणिक का प्रसंग आया है।⁵ भोजकृत समरांगणसूत्रधार में वणिक द्वारा व्यापार करने का उल्लेख प्रसंगित है।⁶ इन्हीं प्रसंग एवं सदर्थ में देखने एवं इनकी ज्ञात विभिन्न परिभाषाओं से यह प्रतीत होता है कि ये शब्दावली व्यापारियों के विभिन्न कोटियों महत्तक, मध्यम एवं लघु व्यापारियों का द्योतन करती है। ये वणिक व्यापारिक श्रेणी समूह के रूप में होते थे। मिताक्षरा⁷ में विभिन्न जातियों का समूह जो एक ही व्यवसाय से सम्बद्ध होते थे श्रेणी कहा गया था यथा हेडाबुकादीना (घोड़ों का विक्रेता) तथा ताम्बोलिक का उल्लेख मिलता है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में ही एक ही वस्तु बनाने वाले शिल्पियों के समूह को श्रेणी कहा है। वस्तुतः ये व्यापारिक श्रेणियाँ होती थीं। इन्हें हम उत्तम (श्रेष्ठाधिपति या अध्यक्ष) इत्यादि एवं मध्यम वणिकों को कोटि में परिभाषित कर सकते हैं। अन्य श्रेणियों का विस्तृत वर्णन आगे के अध्याय में है।

विभिन्न पण्यों के क्रय-विक्रय के आधार पर भी वणिकों का वर्गीकरण होता था। इन्हें हम उत्तम, मध्यम एवं निम्न कोटि में वर्गीकृत कर सकते हैं। उत्कृष्ट कोटि के बहुमूल्य पण्यों के विक्रेता तथा थोक-विक्रेता व्यापारी उच्चकोटि में आते थे यथा- सार्थवाह, नैमिक एवं अन्य। मध्यम वर्ग के अन्तर्गत वस्त्र, व्यापारी, वर्तन, मसालों,

कर्पूर, अगुरु इत्यादि को फुटकर विक्रेता दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के विक्रेता यथा- फल फूल-पान, सब्जी इत्यादि बेचने वाले निम्नवर्ग के अन्तर्गत आते थे। शोधग्रन्थ में एक स्थल पर यह विवरण मिलता है कि आमहु नामक वणिक कास्यकारों के बाजार में घटी बजाता हुआ पाच विशेषक कमा लेता था।⁸ इस वणिक

1 अभिधानचिन्तामणि, श्लोक न० 531 पृ० 214,

2 हलायुध, पण्यजीवा वणिज प्रापणिका नैगमाश्च वैदेहा श्लोक 157 पृ० 64

3 क्षीरस्वामी की अमरकोश पर टीका II, 9 78 (भूमिकाड) वैदेहक सार्थवाहो नैगमो वाणिजो वणिका पण्यजीवो आपणिक क्रय-विक्रयिकश्च चस

4 क्षीरस्वामी, पृ० II 9 87

5 पु० प्र० सं० 43, 54, 56, 95, 111, 132

6 समरांगण, 7, पृ० 28-29

7 मिताक्षरा II, 30 8 6

8 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरू पृ० 69-70, टॉनी पृ० 104

शब्द का प्रयोग स्थानीय व्यापारी के लिए प्रसंगित है। आलोच्य ग्रन्थ में ही मेरुतुङ्ग आचार्य ने चना बेचने वाले (चणक-विक्रयकार) साधारण व्यापारी का उल्लेख किया है।¹ हेमचन्द्र ने भी चणक-व्यापारी (पेडइओ) का उल्लेख किया है।² कथाकोशप्रकरण (1051 ई०) में हमें घी, तेल सब्जी फल दही अनाज इत्यादि बेचने वाले अनेक व्यापारियों की जातकारी उपलब्ध हाती है।³ समरागणसूत्रधार⁴ में घृत तथा फल विक्रेता का प्रसंग मिलता है। इसी प्रकार विभिन्न अभिलेखों सियादोनि अभिलेख (दसवीं शताब्दी)⁵ में नेमक वाणिक कल्लपाल दोसिक, कुम्भकार गोचिक ताम्बोलिक इत्यादि ग्वालियर अभिलेख में तैलिक इत्यादि व्यापारी सदर्भित हैं। विभिन्न पण्यों के विक्रेताओं का अलग-अलग समूह होता था। ये वाणिक व्यापारिक श्रेणी समूह के रूप में होते थे। कुमारपालचरित में विवृत भणहिलपाटन के दृष्ट में विभिन्न पण्यवीथिया से भी इस बात की पुष्ट होती है कि पृथक-पृथक पण्यों के विक्रयार्थ पृथक-पृथक विथिया थी। एक वीथी में एक ही तरह का सामान विकता था। जैन कथाओं में देशीयवाणिक भेतिय-का उल्लेख आया है जो व्यापार के लिष्टदेश के विभिन्न स्थानों पर जाते थे तथा आयात निर्यात का कार्य करते थे और अपनी यात्रा से लौटने पर उन्हें सुगन्ध ताम्बूल तथा माला से सम्मानित किया जाता था।⁶

व्यापारियों का एक वर्गीकरण श्रेष्ठि, साधु तथा सार्थवाह के रूप में भी प्राप्त होता है। श्रेष्ठि शब्द का प्रयोग चौलुक्य अभिलेखों में भी हुआ है।⁷ श्रेष्ठि स्थानीय श्रेणियों का प्रमुख होता था। जैसाकि शब्द सैही स्पष्ट है कि यह उत्कृष्ट कोटि का तथा बहुमूल्य वस्तुओं का थोक-व्यापारी रहा होगा। वेरावल लेख (1246 ई०) में हमें श्रेष्ठि मूलजोग के पुत्र जोजा का उल्लेख एक सुगन्धित द्रव विक्रेता के रूप में मिलता है।⁸ श्रेष्ठि व्यापारी नगरो तथा देशों में सामान का आदान-प्रदान करते थे तथा दूसरों को धन उधार देते थे।⁹ इन्हें थोक विक्रेता भी कहा जाता था। ये लोग एक साथ जहाज का सामान खरीदकर विभिन्न व्यापारियों के माध्यम से आदत या बट्टे (Commission) के आधार पर पण्य विक्रय करते थे। जगडु नामक व्यापारी पर्सिया में स्थित हरमुज में भारतीय व्यापारियों की मदद से व्यापार करता था।¹⁰ प्रबन्धचिन्तामणि में वसा आभीर नामक ऐसे व्यापारी का उल्लेख आया है जिसके

1 वही. मेरू०, पृ० 70, टॉनी पृ० 106

2 देशीनामः, पृ० VI 59, VII 57

3 कथा०, पृ० 165

4 समरागणः, 95, पृ० 38

5 एपि० इडि०, I न 21, II 27-28, 30-31

6 वनमाल मन्थोलकर, सोशियो इकोनोमिक स्टडी ऑफ द जैन कथा-लिट्रेचर, पृ० 113

7 एपि० इडि०, VIII, पृ० 220-21

8 वही III न० 41, पृ० 304, 13

9 आर्किव ओरिएटलियीन XXII, पृ० 238-65

10 चौलुक्य ऑफ गुजरात पृ० 267

हे कि विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह जो दूसरे देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से जाता था। नैगम कहलाता था। एक जैन ग्रन्थ में सार्थवाह की विभिन्न श्रेणियाँ बताई गयी हैं—(1) वे जो सामान बैलगाड़ियों पर ले जाते थे (2) वे जो सामान को ऊँट खच्चर या बैल पर ले जाते थे (3) वे जो अपना भार स्वयं उठाते थे, (4) वे व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाने के लिए साथ जाते थे तथा (5) वह, जिनमें जैन सन्त भी सम्मिलित होते थे।¹ पुरातन प्रबन्ध-संग्रह में भी सार्थवाह का प्रसंग प्राप्त होता है।²

उनका एक नेता होता था जो समूह के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखता था। तथा सुरक्षित मार्गों से उनके गन्तव्य तक पहुँचाता था और मार्ग में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। प्रबन्धचिन्तामणि³ में एक कथानक विवृत एक से ज्ञात होता है कि एक काफिला थोगराज के समय में सोमेश्वर पर अचानक आ पहुँचा था एक अन्य स्थल पर ऐसे ही सार्थ का उल्लेख ⁴बृहत्कथाकोश⁵ में सार्थवाह का सन्दर्भ मिलता है। धनपालकृत तिलकमञ्जरी⁶ (12हवीं श० ई०) में भी सार्थ स्थल सार्थ एवं जलसार्थ (समुद्री व्यापारियों) का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। के उहरने का उल्लेख मिलता है। त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित⁷ में यह विवरण प्राप्त होता है कि एक श्रेष्ठ व्यापारी धन' के नेतृत्व में एक सार्थ वसन्तपुर नगर को प्रमाण करता है। वह एक नगाड़े के ध्वनि के माध्यम से सब निवासियों को सूचना देता है कि यदि कोई उसके साथ व्यापार हेतु चलना चाहता है तो वह चल सकता है। इस प्रकार विभिन्न लोगों के साथ वह सार्थवाह के रूप में यात्रा प्रारम्भ करता है। उसमें महिलाएँ भी होती थीं।

प्रायः सार्थ दो प्रकार के होते थे प्रथम, वह सार्थ जिसमें व्यापार करने की इच्छा से व्यापारी व्यापारिक केन्द्रों को जाते थे तथा दूसरे वे सार्थ जिनमें धार्मिक उद्देश्य से सघपति के नेतृत्व में लोग तीर्थस्थानों को जाते थे। इन समूहों के नेतृत्व में लोग तीर्थस्थानों को जाते थे। इन समूहों में विभिन्न सम्प्रदाय, जाति तथा स्थान के लोग रास्ते में डाकुओं से बचने तथा अन्य प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सार्थ के रूप में यात्रा करते थे।

1 बृहत्कल्पसूत्रमात्र, 1, 3066 उद्धृत जे० सी० जैन, लाईफ इन एश्येट इंडिया ऐज डिपिक्टेड इन जैन कैमक्स एण्ड कमेन्ट्रीज पृ० 153

2 पु० प्र० सं०, पृ० 110
प्रबन्धचि० मेरू पृ० 14, टॉनी 19

वही, ता प्रपा कारितास्तेन यदीय पिबता पय तृष्यन्त्यास्यानि पान्याना न रूप पश्यता दृश पृ० 99

बृहत्कथाकोश LV 200

तिलकमञ्जरी, पृ० 117

त्रि० श० पु० च०, I पृ० 8

इस प्रकार पश्चिम भारत में ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में व्यापार तथा वाणिज्य के लिए विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकार के व्यापारी के होने का ज्ञान होता है। जिनमें श्रेष्ठि तथा सार्थवाह महत्वपूर्ण स्तम्भ थे। श्रेष्ठि स्थानीय सामानों को एकत्रित करता था तथा व्यापारियों को अपेक्षित धनराशि ब्याज पर देता था तथा सार्थवाह सुदूर स्थानों पर जाकर वहां से सामानों का विनिमय एवं अच्छी धनराशि अर्जित करने का कार्य करते थे जिससे प्रशासनिक एवं सामाजिक गतिविधियों में वे महत्वपूर्ण स्थान रखते थे।¹

संघटित जीवन (श्रेणी)

प्राचीनकाल में व्यवसायियों और शिल्पकारों ने अपने-अपने व्यवसाय और शिल्प को एक निश्चित दिशा में विकसित और सुगठित किया तथा उसकी सुरक्षा और उन्नति के लिए अपने-अपने सगठन बनाए।² इन्हीं व्यवसायियों तथा शिल्पियों के समुदाय या समूह को श्रेणी कहा गया। भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ पृथक-पृथक व्यवसायगत समूहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत के आर्थिक जीवन को समुन्नत प्रवर्धित और सुसम्पन्न करने में श्रेणी संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

मनु पर भाष्य करते हुए मेघातिथि का कथन है कि वणिक, शिल्पकार, साहूकार, तथा कोचवान आदि के सघ ही श्रेणी होते थे।³ मिताक्षरा के अनुसार विभिन्न जातियों का समूह जो एक ही व्यवसाय से सम्बद्ध होते थे श्रेणी कहा गया था⁴ यथा हेडाबुकादीना (घोडों के विक्रेता) तथा ताम्बोलिकाना (ताम्बोलिक)। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में एक ही वस्तु को व्यापारियों अथवा एक ही वस्तु के बनाने वाले शिल्पियों के समूह को श्रेणी कहा है।⁵ इसके अतिरिक्त इसी ग्रन्थ में मनुष्यों का व्यवहार देखने के कार्य में राजा द्वारा नियुक्त व्यक्ति 'पूग' (समूह), एक कार्य करने वालों की बिरादरी और जाति तथा सम्बन्धियों का समूह (कुल), एक ही वेद को ऋतने वाले 'नेगम' तथा शस्त्रादि विषयक एक ही कार्य द्वारा जीविका चलाने वालों को 'गण' कहा गया है। (याज्ञ० II-30, 192) हेमचन्द्र के अनुसार श्रेणी शिल्पियों का समूह था।⁶ त्रिषष्टिशालाकापुरुष

1 जैन बी० के, वही पृ० 221-222

2 जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास पृ० 615

3 मनु स्मृ० मेघातिथि की टीका वणिक कारू कुसीदि चातुरिकादय श्रेणय श्रेष्या समान व्यवहार जिविनो वणिक प्रभृत्य VIII, 41, 2.41

4 याज्ञ० श्रेणियो नानाजातीनामेकजातीनामप्येककर्मोपजीविना सघाता.-यथा हेडाबुकादीना 11.30

5 मिताक्षरा II 192

6 एकपण्यशिल्पोपजीविन श्रेणय पृ० 234

अभिधान III, 316

~~चरित~~

चरित¹ में हेमचन्द्र ने अठारह प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख किया है। जैनग्रन्थ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति² में विवृत्त सूची निम्नलिखित है-- (1) कुम्भकार (2) पट्टइला (शिलाकूट) (3) सुवर्णकार (4) सूवकार (बावर्ची) (5) गन्धव (6) कासवग (7) मालाकार (8) काच्छकार (पुष्पविक्रेता) (9) ताम्बोलिआ (तमोली) (10) चम्मयरू (चर्मकार) (11) जन्तुपिल्लक (तैलिक) (12) गञ्छिआ (वस्त्र-छापनेवाला) (13) कान्स्यकार (14) छिम्पाय (वस्त्र रगने वाले) (15) सीवग (दर्जी) (16) ग्वार (चरवाहा) (17) भिल्ल (शिकारी) 18 धीवर (मछुवारा)

जिनेश्वरसूरि ने कथाकोशप्रकरण में भी 'शिल्पकर्मकारसमुदाय' के रूप में सुवर्णकार, लौहकार, कुम्भकार, रजक तथा अन्य शिल्पियों के समूह को श्रेणी माना है।³ इस प्रकार ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी में पश्चिमी भारत में शिल्पियों के समूह के लिए श्रेणी शब्द ही प्रयुक्त होता था जो एक कर्म प्रवृत्त एक जातीय या नानाजातीय का समूह होता था।

इन विभिन्न श्रेणी सगठनों के उल्लेख तत्कालीन विभिन्न चौलुक्य अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। किराडु अभिलेख (1153 ईस्वी), मारवाड के रतनपुर अभिलेख⁴ में महाजन (Bankers), ताम्बूलविक्रेता तथा कुम्भकार का आनावाड शिलालेख में नाविक तथा कान्स्यकार⁵ का, अर्थुण अभिलेख बासवाडा⁶ (1080 ई०) काठियावाड के तिम्बानक अनुदान (1207 ई०) में⁷ तथा कैम्बे अभिलेख (1295 ई०)⁸ में व्यापारियों का उल्लेख आया है। लेखपद्धति⁹ में "श्रेणीकरण" का उल्लेख यह बताता है कि चौलुक्यों के काल में श्रेणी का कार्य देखने के लिए अलग विभाग था।

जिनेश्वर सूरि ने शिल्पियों के लिए श्रेणिगत शब्द का प्रयोग किया है, जिसके अनुसार ये श्रेणी के सदस्य होते थे। इस कथन की पुष्टि अल्बेरूनी के विवरण से होती है।¹⁰ अलबेरूनी¹¹ ने मास खाने वाले (fowler) चर्मकार जादूगर वेशकार नाविक धीवर, व्याध तथा बुनकरों का आठ व्यवसाय करने वाले लोगों को सगठनों को

- 1 त्रि० श० पु० च०, 1 पृ० 258 अनुवाद III 316
- 2 वही, 1 पृ० 258
- 3 कथाकोश प्रकरण, पृ० 116-17, पृ० 115
- 4 सी पी एस आई, पृ० 172, एपि इडि० XI, पृ० 45
- 5 इडि एटी० XLI न० 21
- 6 एपि० इडि० XIV पृ० 302
- 7 इडि एटी०, XI, पृ० 337
- 8 सी पी एस आई० पृ० 227
- 9 ले० प०, पृ० I,
- 10 साचज, भाग-I, पृ० 101
- 11 वही, पृ 101

श्रेणी माना है। वह श्रेणी का शिल्पियों का सगठन न मानकर अन्त्यजों का सगठन मानता है। इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हाता है कि ग्यारहवीं शताब्दी में इन निम्न वर्गीय शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में श्रेणी के सदस्य होने के कारण पूर्वकाल की तुलना से सुधार हुआ होगा।

श्रेणी के निवास-स्थान—श्रेणी से संबंधित उक्त तथ्यों के अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि इनके निवास की व्यवस्था कैसी थी। प्राचीन काल में श्रेणियों के अलग अलग ग्राम भी होने के विवरण प्राप्त होते हैं। यथा अभिलेखिक साक्ष्य भी यह प्रकट करते हैं कि कुछ प्रमुख जाति के शिल्पियों तथा कारीगरों सहित अष्टादश प्रकृतियों (श्रेणियों) के बड़े ग्राम थे।¹ कुछ लेख यह प्रकट करते हैं कि जाति समूह विभिन्न कलाओं तथा शिल्प को अपनाने वाले विभिन्न खेमों में रहते थे।² प्राचीनकाल में नगर-योजना के अन्तर्गत भी शिल्पी और कारीगरों के आवास का होते थे।³ लेकिन अभिलेखों में यह प्रमाण प्राप्त होते हैं कि गाँवों में मिश्रित जाति के लोग निवास करते थे।

लेखपद्धति में पाच प्रकार के शिल्पी थे (पञ्चकारु)⁴ इनमें वर्धकी, लौहकार, कुम्भकार नापित तथा रजक जो सम्भवतः ग्राम से सम्बद्ध थे। लक्ष्मीधर के अनुसार खर्वट में के शिल्पी तथा कृषक दोनों का निवास होता था।⁵ बारहवीं शताब्दी के भोज की पुस्तक युक्तिकल्पतरु⁶ में यह उल्लेख आया है कि स्पृश्य शिल्पी लोग गाँव या शहर में ऊँची जाति के लोगों के साथ विभिन्न क्षेत्र में रह सकते थे। किन्तु जिन्हें अन्त्यज या म्लेच्छ माना जाता था वे आबादी से बाहर क्षेत्रों में रहते थे। भोज के अनुसार उन्हें शहर की सीमा पर रहना चाहिए। अपराजितपृच्छा⁷ में भी यही प्रसंग है कि प्रत्येक शहर में जो लोग चार जातियों से अलग हैं तथा जो मिस्त्री हैं उन्हें प्रमुख आबादी वाले क्षेत्रों से अलग रहना चाहिए। राजतरंगिणी⁸ में चर्मकार को गाँव से बाहर रहने को बताया है। अल्बेरूनी⁹ का कथन है कि न केवल चाण्डाल बल्कि बुनकर बेशकार तथा चर्मकार इत्यादि जो अन्त्यज

1 यादव, वही पृ० 42 पादपाठ 464-66

2 वही, महोबा प्लेट आफ परमाद्रिदेव (एपि इडि XVI पृ० 9)

3 एन० सी० बन्दोपाध्याय, इकोनोमिक लाईफ एण्ड प्रोग्रेस इन एश्ये इ० भाग I, पृ० 231

4 ले० प० पृ० 19 (सूत्रधार, लौहकार, कुम्भकार प्रभृति)

5 व्यवहार काण्ड, खर्वट बहुकरकृषिवतो ग्राम -पृ० 461

6 युक्तिकल्पतरु, पृ० 24

7 अपराजितपृच्छा पुरे च विप्राश्व क्षत्रियावैश्य शूद्रका तद्बाह्यस्तथा चान्यस्तथा स्थापतिसकुला पृ० 179 V 42,

8 राज० IV 55

9 यादव वही पृ० 45, 2056 सो० क० न० ई० पृ० 269

के अन्तर्गत आते थे वे गाँव या शहर के बाहर रहते थे। बी० एन० एस० यादव ने ठीक ही लिखा है कि सभी क्षेत्रों में यही स्थिति नहीं पायी जाती थी।¹ लेकिन इन प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि जो शिल्पी अन्त्यज के अन्तर्गत वे उन्हें आबादी से दूर, शहर के बाहर सीमावर्ती क्षेत्र में रहते थे।² कृत्यकल्पतरु में वणिक प्रतिबद्ध शिल्पियों का उल्लेख है कि यही स्थिति नारद के टीकाकार असहाय ने भी बताया है। ऐसे शिल्पी नगरो में अधिक सख्या में निवास करते रहे होंगे।

श्रेणी संगठन—

प्राचीन कालीन साहित्य तथा अभिलेखों में प्रत्येक श्रेणी संगठन के एक प्रतिनिधि के होने का उल्लेख प्राप्त होता है। जेष्ठक सेदि, प्रमुख श्रेणीमुख्य, महत्तर, महर, प्रधान, महाश्रेष्ठ महागणस्थ, राजा, पट्टकिल इत्यादि नाम से श्रेणी के नेता होते थे।³ इनके अतिरिक्त श्रेणी^{अध्यक्ष} तथा श्रेणीःश्वर शब्द भी श्रेणी प्रमुख के लिए प्रयुक्त होते थे⁴ अभिलेखों में भी श्रेणी प्रमुख के लिए राजा एवं महत्त उपाधियों भी मिलती हैं। यह स्थिति वृद्धिगत सामन्तीय व्यवस्था का द्योतन करती है। अधीतकाल के भाष्यो में तथा धर्मग्रन्थों में श्रेणी द्वारा अपने नियम-कानून बनाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं।⁵ जिनका उल्लघन करने वाले को दण्डित किया जाता था।⁶ इस युग तक आते-आते श्रेणी संगठनों में श्रेणी प्रमुखों की महत्ता बढ़ी थी। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार अपरार्क⁷ ने वृहस्पति का अनुमोदन करते हुए श्रेणी प्रमुख को श्रेणी के सदस्यों द्वारा गलत काम करने पर उनको दण्डित करने के लिए अधिकार दिया है। इस काल के प्राप्त अभिलेखों में भी श्रेणी प्रमुखों के प्रसंग प्राप्त होते हैं। ए० के० मजूमदार ने यह उल्लेख किया है कि चौलुक्यों के काल में श्रेणी का कार्य राजकीय विभाग द्वारा चलाई जाती थी जिसको श्रेणी-करण कहते थे।⁸ तत्कालीन प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि श्रेणी अपने सदस्यों पर सावधि कर भी लगाती थी, जो कि एक राशि के रूप में भुगतान किया जाता था, या उनमें जमा किया जाता था।⁹

- 1 सो० क० ना० इ०, पृ० 269
- 2 व्यवहार काण्ड, वाणिन्मध्ये वासिभि, कारुपभृतिभि पृ० 23
- 3 गिल्ड आर्गनाइजेशन पृ० 98
- 4 दृष्टव्य बी० एन० एस० यादव का प्राचीन इतिहास अनुभाग का अध्यक्षीय भाषण पो० इ० हि० का० जि० XLI, बाम्बे 1980 पृ० 50 आगे
- 5 स्मृतिचन्द्रिका 111, पृ० 520-33 अपरार्क तथा विज्ञानेश्वर आन याज्ञ० II, 185-9
- 6 मेघातिथि आन मनु० VII 41 तत्रपदि कश्चिद्व्यतिक्रामति स एव श्रेणीधर्मन्यतिक्रामन्दण्डय ।
- 7 अपरार्क पृ० 794 ल० गोपाल, इकोनोमिक पृ० 85
- 8 ए० के० मजूमदार, चौलुक्य ऑफ गुजरात पृ० 263
- 9 वही.

झालरपत्तन के अभिलेख (1086 ई०)¹ में तैलिक श्रेणी प्रमुख (तैलिक पट्टकिल) का उल्लेख मिलता है। जिसने उदयादित्य के राज्य में एक शिव मंदिर तथा वापी बनवाया था। शेरगढ² से प्राप्त एक अभिलेख में भी तैलिक श्रेणी प्रमुख (तैलिकराज) द्वारा तेल मिल से मंदिर के दीपो को तेल देने का उल्लेख प्राप्त होता है। ग्वालियर अभिलेख³ में बहुत से तैलिक श्रेणी प्रमुखों (तैलिक महत्तक) का नाम आया है। इसी प्रकार मालियों के प्रमुख (मालिक महर)⁴ का उल्लेख तथा मदिरा-विक्रेता (कल्लपाल-महत्तक)⁵ एवं ताम्बूल विक्रेता (ताम्बूल महर) के प्रमुखों के नाम आते हैं। स्मृति-चन्द्रिका में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि श्रेणी के दो, तीन या पाच सदस्य (कार्यचिन्तक) मिलकर एक परिषद बनाते थे तथा अपने विवाद स्वयं निबटाते थे।⁶ विवाद बढ़ने पर राजा भी उसमें हस्तक्षेप कर सकता था यह राजा के ऊपर निर्भर था कि वह सोचविचार कर निर्णय दे।

श्रेणी के कार्य—श्रेणी सगठन के कुछ अपने कानून भी थे जिनके अनुसार श्रेणी के सदस्यों को कार्य करना पड़ता था। ये कानून विभिन्न परंपराओं एवं रीति-रिवाजों पर आधारित थे। श्रेणी धर्म के अन्तर्गत रहकर ही इसके सदस्य व्यापारिक लेन-देन तथा सामान्य धर्म का पालन करते थे। इन कानूनों को सविद कहा जाता था। जिसमें सविधान के विविध नियम तथा उनका पालन भी सम्मिलित था झगड़े निपटाना, लाभ का बटवारा, श्रम का विभाजन तथा विभिन्न अन्य कार्य श्रेणी को करने पड़ते थे। इसको 'समय' भी कहा जाता था।⁷ बृहस्पतिस्मृति में स्थिति पत्र⁸ तथा कात्यायनस्मृति में सविदापत्र⁹ कहते थे।

इसी प्रकार स्मृतिचन्द्रिका में भी श्रेणीधर्म के अन्तर्गत फुटकर विक्रेताओं, शिल्पियों इत्यादि के अपने-अपने समूह के नियमों के अनुसार अमुक दिन सामान बेचना है।¹⁰

ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के प्राप्त कुछ अभिलेखों से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि धार्मिक सस्थाओं के रख रखाव का ध्यान भी श्रेणी सगठन रखते थे, जो कार्य वे अपने जमा धन द्वारा करते थे।

- 1 जे० ए० एस० बी०, 1914 पृ० 241-43
- 2 एपि० इंडि०, XXIII 131-138
- 3 वही 1 159
- 4 वही 1 17
- 5 वही 1 75, 1 26
- 6 वही पृ० 174, II 8-10 लाईन
- 7 नारद, X, I, आपस्तम्ब धर्मसूत्र 1, 1, 2, 2
- 8 बृहस्पति VI, 19
- 9 कात्यायन V, 254
- 10 स्मृति० भाग 111 1 पृ० 65

लगभग प्रत्येक दुकान से सामूहिक रूप से भी दान दिया जाता था। 1207 ई० के एक चौलुक्य अनुदान में ऐसा विवरण मिलता है कि व्यापारी (श्रेष्ठिन) वलहल तथा तिम्बनक के दूसरे व्यापारी (महाजन) लोगो ने भगवान के लिए दान दिया, जो मेहर राजा श्री जगमल्ल द्वारा वार्षिक एक रुपया एक दुकान पर निश्चित किया गया था।¹ इसी अभिलेख में प्रत्येक व्यापारी तिम्बनक में एक द्रम्म वार्षिक भगवान को देने में गौरवान्वित महसूस करता था। इसी प्रकार तलझ तथा अन्य स्थानों पर भी एक द्रम्म वार्षिक रूप से दिया जाता था।

एक स्थान पर ऐसा विवरण प्राप्त होता है, जिसमें श्रेणी प्रमुख द्वारा मन्दिर बनवाया गया तथा उसने अपने व्यवसाय के सदस्यों की ओर से उसके लिए दान किया।² ग्वालियर से प्राप्त अभिलेख में यह उल्लेख है कि तैलिक श्रेणी के सदस्य मन्दिर के प्रत्येक दिन दीप के लिए एक पल तेल दान देते थे।³ कल्हणदेव के सन्देखशिलालेख (वि० सं० 1221)⁴ में रथकारों के समूह द्वारा दान देने का वर्णन है।

श्रेणी प्रमुख दान भी प्राप्त करते थे। सीयदोणि अभिलेख में कुम्भकारों द्वारा प्राप्त दान श्रेणी प्रमुख ने मदिरा देने वाले को दिया जो आधे विग्रहपालद्रम्म के बदले भगवान विष्णु के लिए मदिरा देगा। इसी प्रकार इसी अभिलेख में एक ताम्बूलिक महर भी अपने सदस्यों से भगवान विष्णु के लिए प्रत्येक पान के पत्ते पर एक विग्रहतुङ्गीयद्रम्म विशेषक लेता था तथा उसे मन्दिर निर्माण के लिए देता था।

विवेच्यकालीन श्रेणी सगठन आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक सम्पन्न होते थे इसलिए उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य सम्पन्न किए जाते थे जो समाज और देश दोनों के हित में होते थे। जनकल्याणकारी धार्मिक, आर्थिक, वैधानिक, सैनिक आदि विभिन्न कार्य उनके द्वारा होते थे।

चौलुक्य शासन-काल में अणहिलपुर के वणिकों की स्थिति सुदृढ़ थी। प्रबन्धचिन्तामणि में ऐसे वणिकों का उल्लेख है जो कि कोटिश्वर (एक करोड़ या अधिक के मालिक) होते थे। उनके घरों पर बड़े झंडे तथा बजती हुई घटी लगाने की परम्परा थी। ये व्यापारी इतने धनी होते थे कि राजा और राजकुमार भी उनसे आर्थिक मदद ले सकते थे। चौलुक्य नरेश कुमारपाल ने जैनधर्म के प्रचार के लिए इन्हीं व्यापारियों का विश्वास प्राप्त किया था, जिससे उन्हें आर्थिक मदद प्राप्त हो सके।

-
- 1 पुष्पा नियोगी, द कन्ट्रीव्यूशन टू द इकोनामिक हिस्ट्री आफ ना० इन पृ० 257
 - 2 बी० एन० पुरी, हिस्ट्री आफ द गूर्जर प्रतिहार, पृ० 131
 - 3 एपि० इडि०, I पृ० 154
 - 4 वही XI, पृ० 46

श्रेणी वर्ग, व्यापारियों का भी एक वर्ग था। मार्कोपोलो ने अब्राहमण्य (Abraiaman)¹ का उल्लेख किया है। जिसका तात्पर्य ^{उप}बनिया² से लिया गया। मार्कोपोलो ने इनके सत्य भाषण की प्रशंसा की है।³

इस काल के प्राप्त साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि श्रेणी अपना सैन्यबल भी रखती थी। मानसोल्लास⁴ में श्रेणीबल का उल्लेख जाति और व्यवसाय (जन्म-कर्म) में सबधित सेना के रूप में हुआ है। प्राचीनकाल में व्यापारिक श्रेणियाँ कभी-कभी अपनी मुद्राएँ भी चलाती थीं।⁵ किन्तु विवेच्य काल में श्रेणियों द्वारा मुद्रा प्रवर्तन का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

श्रेणी सगठन अपनी आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा हेतु जो श्रेणीबल रखते थे वे अस्त्र-शस्त्र भी रखते थे, परन्तु नारद ने इसे गैर कानूनी तथा समाज के लिए शांति में बाधक बताया है।⁶ विपत्ति के समय तथा आत्म रक्षा के लिए वे शस्त्र प्रयोग कर सकते थे। कत्यायन का यह कहना था कि जो चोर से बचाता या पानी और आग से बचाता, उसे इसका दसवा भाग देना चाहिए।⁷ मानसोल्लास में श्रेणीबल को विभिन्न जाति तथा व्यवसाय का समूह कहा है।⁸ श्रेणीबल श्रेणिसदस्यों के अतिरिक्त राज्य के कार्यों में भी मदद करती थी। यदि राज्य पर कोई विपत्ति आती थी तो ये श्रेणी अपनी सहायता देते थे।

मुद्रा

किसी भी देश या काल की अर्थव्यवस्था का मानदण्ड उस देश या काल की मौद्रिक स्थिति होती है। मुद्राशास्त्र-अर्थशास्त्र का एक अवयव होता है। अतएव शोध ग्रन्थ प्रबन्धचिन्तामणि के आधार पर विवेच्यकाल में प्रचलित विनिमय के माध्यमों पर विचार करना भी अभिप्रेत है। प्रस्तुत ग्रन्थ में तथा उसमें वर्णित नरेशों के प्राप्त अभिलेखों से भी विभिन्न प्रकार के सिक्कों की जानकारी होती है। प्रबन्धचिन्तामणि⁹ में दीनार,¹⁰ निष्क¹¹ द्रम्म¹²,

- 1 ट्रेबेल II, पृ० 363-365
- 2 अप्पादोराई, इकोनामिक कडीशन ऑफ साउदर्न इंडिया पृ० 382
- 3 ट्रेबेल, II, पृ० 363-365
- 4 मानसोल्लास 1, पृ० 79, 558
- 5 जयशंकर मिश्र वही पृ० 665
- 6 नारद, X, 5 गिल्ड आर्गनाइजेशन पृ० 142
- 7 कात्यायन V 631
- 8 मानसोल्लास भाग I, V 558 पृ० 79, LAI पृ० 318
- 9 प्रबन्धचिन्तामणि टॉनी, पृ० 8, 10
- 10 पृथ्वीराज विजय पर टिप्पणी में V 90 रूपक ही दीनार का एक प्रकार था।
- 11 प्रबन्धचि० टॉनी पृ० 10
- 12 वही, 104, 121, 163, 167, 183-84

विशोपक¹ टड्ड² का भी उल्लेख मिलता है। चौलुक्यो के अभिलेखों में द्रम्म विशोपक, रूपक तथा कार्षापण उल्लिखित है।³ अभिलेखों में वीसलप्रिय द्रम्म तथा भीमप्रिय विशोपक का भी प्रसंग मिलता है।⁴ चौलुक्यो के युग में मुद्रा का प्रचलन अपेक्षाकृत बहुत अधिक नहीं था मूलराज सिद्धराज अजय पाल कुमारपाल इत्यादि की लगभग 150,150 ~~से अधिक~~ अधिक मुद्राएँ मिलती हैं।⁵ ए० के० मजूमदार के अनुसार वस्तु-विनिमय ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य रहा होगा लेकिन भडौच कैम्बे, धोलक, तथा अणहिल-पाटन जैसे व्यावसायिक नगरों में सिक्कों के अभाव की बात समीचीन नहीं प्रतीत होती। विभिन्न अभिलेखों में सिक्कों के उल्लिखित नाम एवं प्रकार तथा उनकी उपलब्धि के आधार पर भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। कुमारपाल के मगरोल अभिलेख में भीमद्वितीय के कडि अभिलेख संख्या छ (1229 ईस्वी) में अनावड अभिलेख जिसमें करो का भुगतान द्रम्म में किया जाना प्रसंगित है। राजाओं द्वारा शुल्क-मण्डपिका से दिया जाने वाला दान जिनका अभिलेखों में प्रसंग आया है वे नकद दिए जाते थे। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विनिमय का माध्यम मुद्रा ही था। इसके अतिरिक्त सिद्धराज जयसिंह के सिक्के तथा भीमप्रिय एवं वीसलप्रिय द्रम्म के अभिलेखिक प्रसंग तथा सोमल देवी (पत्नी-भीम द्वितीय) द्वारा प्रचलित रजत एवं ताम्र मुद्राओं का प्रचलन स्पष्ट है कि उस काल में सिक्कों का व्यापक प्रचलन था।

दीर्घ अन्तराल के बाद ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन से उत्तर-भारत के व्यापार तथा वाणिज्य में प्रगति होने का प्रमाण प्राप्त होता है। भारतवर्ष में गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद जो स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन लुप्त प्रायः सा हो गया था। वह त्रिपुरी के कल्चुरि राजा गागेयदेव (1019-1040 ई०) द्वारा पुनः आरम्भ किया गया है।⁶ कश्मीर के राजा हर्ष (1089-1101 ई०) ने स्वर्ण मुद्राओं को चलाया।⁷ रत्नपुर के कल्चुरि, चन्देल राजा कीर्तिवर्मन मदनवर्मन परमार्दि तथा त्रैलोक्यवर्मन, गहडवाल राजा गोविन्दचन्द्र, ग्यारहवीं, बारहवीं, शताब्दी के कुछ तोमर राजाओं, परमार, उदयादित्य (1060-1087 ईस्वी) गुजरात के सोलकी नरेश जयसिंह

1 वही, 104

2 प्रबन्धचि० मेरु० 15, टॉनी पृ० 36

3 विशोपक एपि० इडि० I, 166, एपि० इडि०, X पृ० 19, द्रम्म, इडि० एटी VI, पृ० 202, एपि० इडि०, I 272 इत्यादि कार्षापण भण्डारकर इसक्रिष्णन्स, 158 रूपक इडि, एटी XLI, 202, 203, इडि, एटी XI, 337, जर्नल ओरिएण्टल इस्टी० आफ बडौदा II, 368

4 वीसल प्रिय द्रम्म एपि० इडि० XI, पृ० 58, भीमप्रिय-वही 595 नाडोल प्लेट कर्ण

5 ए० के० मजूमदार, चौलुक्य आफ गुजरात पृ० 269 यह तथ्य हमें अपने निर्देशक ओ० पी० श्रीवास्तव जी से ज्ञात हुआ, मुद्राशास्त्र पर प्रकाशित विभिन्न कृतियों तथा जे० एन० एस० आई० तथा ए० एस० ई० रि० के बहुत से जिल्दों के अध्ययन के पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं।

6 यादव, सोसाइटी एण्ड कल्चर पृ० 282

7 क्वाइन्स मेडीवल इंडिया, कनिंघम पृ० 35

सिद्धराज ने (1098-1143 ई०) ने सोने के सिक्के चलाए।¹ जयसिंह सिद्धराज के दो सोने के सिक्के² उत्तर प्रदेश के झासी जिले के पण्डवहा नामक स्थान से प्राप्त किए गए इनका वजन क्रमशः 65 तथा 66 ग्रेन है।³ 65 ग्रेन के सिक्के का आकार गोल एव 8" है। दूसरे सिक्के का आकार अनिश्चित है तथा इसकी माप 8" से 9" है। इन सिक्कों पर श्री सिद्धराज लिखा है तथा प्रत्येक पक्ष के बाद दो चिह्न प्रतीत होते हैं परन्तु ये शब्द हैं या आकृति या जान पाना कठिन है।⁴ इन सिक्कों की विशेषता यह है कि इनमें किसी देवी का चित्र भक्ति नहीं है जैसा कि पहलु के सिक्कों में प्रचलन था।⁵ रजत मुद्राओं पर भी किराी देशी का चित्र नहीं प्राप्त होता है। 13 रजत मुद्राओं पर भी श्रीमञ्जयसिंह अंकित है।⁶ अमृत पाण्डेय⁷ कहते हैं कि यह सिक्के गुजरात के नरेश जयसिंह सिद्धराज के थे लेकिन यू० पी० शाह⁸ ने इसे अजयपाल के बाद अल्प अवधि के लिए चौलुक्य राज को अपहृत करने वाले जयसिंह के बताए हैं परन्तु यहाँ शाह इस नरेश के ताम्र पत्र को प्रमाण मानते हैं जिसमें श्रीमञ्जयसिंह देवस्य अंकित है। जिन्हें 1142-1173 ई० के बीच प्रवर्तित किया। किन्तु राय इस मत को उचित नहीं मानते हैं।⁹ इन सिक्कों के दूसरी ओर हाथी का चित्र है। अमृत पाण्डेय¹⁰ के अनुसार वे या तो लक्ष्मी का प्रतीक हैं या फिर अबन्ति विजय की यादगार स्वरूप था। इनका वजन 1715 ग्राम (लगभग 20 ग्रेन्स) तथा आकार एक इंच का 3" है।¹¹

जयसिंह के कुछ ताम्र सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ये हाडीवाला के संग्रहालय में हैं।¹² जी० वी० आचार्य¹³ के अनुसार ये आकार में छोटे तथा वजन में हल्के थे। इसी प्रकार कुमारपाल तथा अजयपाल द्वारा प्रचलित सिक्कों के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। कुछ सोने के सिक्कों, जो बैठी हुई देवी प्रकार के हैं पर श्रीमत् कुमारपाल

-
- 1 कैटलॉग ऑफ क्वाइस इन द इंडियन म्यूजियम कलकत्ता भाग I ^{ले०, अहमद} गोपाल, ^{एच०} मेडीवल क्वाइस टाईप आफ नार्दन इंडिया,
 - 2 जे० ए० एस० बी० (1907) पृ० 51
 - 3 वही
 - 4 वही पृ० 5
 - 5 राय पी० सी०, द कॉइनेज आफ नार्दन इंडिया पृ० 80
 - 6 जे० एन० एस० आई०, XV, पृ० 284-श्रीम जयसिंह इह
 - 7 वही XVI, पृ० 283-284
 - 8 वही गुप्ता पी० एल०, XVIII, पृ० 207
 - 9 राय, द काइनेज-पृ० 82
 - 10 जे० एन० एस० आई० XVI, पृ० 284
 - 11 वही, पृ० 283
 - 12 अल्तेकर ए० एस०, वही, पृ० 284
 - 13 वही

देव अंकित है।¹ कुछ रजत सिक्को पर भी अजयपाल देव अंकित है।² कनिघम³ ने इन्हे तोमर वश के राजकुमारों का माना है परन्तु इन्हे गुजरात के ही कुमारपाल तथा अजयपाल का बताया गया है। कुमारपाल ने केवल स्वर्णमुद्रा ही प्रवर्तित की थी। दो सिक्के इसमें इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में और एक मथुरा म्यूजियम में रखा है।⁴ अजयपाल ने केवल रजत के ही सिक्को को प्रचलित किया, उसके सिक्के कुमारपाल की अपेक्षा घटिया थे। ब्रिटिश म्यूजियम⁵ में दो सिक्को हैं तथा कनिघम⁶ ने इसे शासक के एक सिक्के को प्रमाणित किया है।

प्राचीनकाल में सिक्को पर राजा लोग अपने नाम के साथ उपाधि भी लिखवाते थे। कुछ शासक ऐसे भी थे जो केवल श्री ही लिखवाते थे⁷—जैसे जेठदत्त, धनभूति, ज्येष्ठ मित्र इत्यादि। इसी प्रकार विवेच्यकालीन नरेश भी अपने नाम के साथ श्रीमत जोड़ते थे। इसके साथ ही प्राचीन परम्परानुसार सिक्के के दूसरी ओर जानवर, देवी, देवता इत्यादि के चित्र अंकित होते थे, वैसे ही जयसिंह के सिक्के पर हाथी का चित्र है।

अधीतकाल में सिक्को के वजन में कुछ अन्तर प्रतीत होता है। प्रारम्भिक युग की तुलना में इस काल के सिक्को का वजन कुछ कम था। जो स्वर्ण सिक्के पूर्व के युगों में 120 ग्रेन के होते थे तथा बढ़ते हुए इनका वजन लगभग 146 ग्रेन हो गया था। वह इस काल में केवल 60 ग्रेन ही रह गया।⁸ इसी प्रकार का अवमूल्यन रजत तथा ताम्र सिक्को में भी देखा जाता था। अधिकतर सिक्को का वजन स्तर यूनानी ड्रैकम 56 ग्रेन से 67.5 ग्रेन के बराबर था। केवल रजत का ही नहीं बल्कि तत्पुगीन राजवंशों के स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राओं के वजन-स्तर में भी ग्रीक ड्रैकम वजन प्रणाली का ही अनुकरण मिलता है।

मध्य भारत, उत्तर-प्रदेश, मालवा, राजस्थान, पंजाब तथा भारत के उत्तर पश्चिम में भी सोने के अतिरिक्त अन्य धातुओं जैसे रजत, ताम्र, रजत, कांस्य तथा ताम्र सिक्को के प्रचलन होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मौद्रिक प्रमाण यह स्पष्ट करते हैं कि सिक्कों का प्रवर्तन चौलुक्य शासकों द्वारा एवं परवर्ती राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था जो तत्कालीन आर्थिक समृद्धि एवं वृद्धिगत व्यापार एवं वाणिज्य का द्योतन करते हैं।

- 1 सी० एम० आई०, पृ० 85 प्लेट IX, 3
- 2 वही पृ० 85 प्लेट IX, 2
- 3 वही पृ० 84-85
- 4 स्मिथ, वी० ए० सी० सी० आई० एम० I पृ० 259
- 5 म्यूजियम रिपोर्ट, जे० एन० एस० आई० XXIII, पृ० 486
- 6 प्लेट 16 न० 20 तथा 21
- 7 के० के० थपलियाल, स्टडीज इन एन्वयन्ट इण्डियन सील्स पृ० 84
- 8 जे० एन० एस० आई० II, पृ० 2

ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी की पुस्तको में मुद्रा व्यवस्था का वर्णन तो किया है परन्तु स्वर्ण-रजत तथा ताम्र के मूल्य का अनुपात नहीं बताया है।¹ भास्कराचार्य की लीलावती² के अनुसार 16 पण एक द्रम्म के बराबर थे तथा 16 द्रम्म एक निष्क के बराबर थे। मुद्रा का नाम पण द्रम्म तथा निष्क क्रमशः ताम्र रजत एव स्वर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन इस पुस्तक में द्रम्म तथा निष्क सिक्को के वजन का उल्लेख नहीं हुआ है। इसलिए स्वर्ण तथा रजत के मूल्यों के अनुपात के विषय में कोई भी गणना केवल अनुमान हो सकती है। यदि यह माना जाय कि द्रम्म तथा निष्क पूर्वमध्यकाल के रजत एव स्वर्ण सिक्के थे जो कि ड्रैकम के वजन पर आधारित थे। इस आधार पर स्वर्ण एव रजत के बीच 1 16 का अनुपात अनुमानित कर सकते हैं।

इसी युग के एक चादी के द्रम्म का वजन 50 ग्रेन (जिसमें मिलावट के 20% तथा वास्तविक चादी का मिश्रण 40 ग्रेन्स ही था) तथा एक ताम्र पण का वजन 140 ग्रेन्स था। ए० एस० अल्तेकर³ ने रजत तथा ताम्र की बीच 1 56 का अनुपात अनुमानित किया है। तथापि लीलावती के एक पण को 20 - - - माश⁴ माने तो दोनों धातुओं का अनुपात 1 70 हो जायेगा। तत्कालीन प्रचलित सिक्को का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है—

द्रम्म—अधीतकाल में द्रम्म सर्वाधिक प्रचलित था। प्रबन्धचिन्तामणि में कई स्थलों पर द्रम्म का प्रयोग क्रय-विक्रय दान, विनिमय इत्यादि के सदर्थ में प्रसंगित है। प्रस्तुत ग्रन्थ में आम्ड नामक व्यापारी द्वारा तीन लाख द्रम्म तक सग्रह करने का उल्लेख है।⁵ एक अन्य स्थल पर यह उल्लेख मिलता है कि सोलाक नामक सगीतकार ने अपनी सगीतकला से राजा कुमारपाल को प्रसन्न किया तथा (116) एक सौ सोलह द्रम्म पारितोषिक प्राप्त किया।⁶ इसी प्रकार के अन्य सदर्थ भी हैं। कवितापाठ करने पर सोमेश्वर पंडित को सोलह हजार द्रम्म से सम्मानित किया।⁷ इसके अतिरिक्त चौलुक्य राजाओं के अभिलेखों में भी द्रम्म प्रसंगित है।⁸ हेमचन्द्र ने द्वयाश्रयकाव्य⁹

1 शुक्रनीति, IV 2 181-182

2 लीलावती, वराटकाना दशकद्वय यत् सा काकिणी, ताश्च पणश्चतस्र । ते षोडश द्रम्म इहावगम्यो द्रम्यैश्च तै षोडशमिश्च निष्क । पृ० 1 न० 2

3 जे० एन० एस० आई० II, 13

4 यावोविशतितमो भाग पणस्य परिकीर्तित मिताक्षरा आन याज्ञ० 1 365, गृहस्थकाण्ड पृ० 218

5 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 69, टॉनी पृ० 104

6 वही, पृ० ८०३ टॉनी पृ० 120

7 वही, पृ० १०३ टॉनी पृ० 163

8 एपि०, XI, पृ० 47-48, वही से० 1228 पृ० 48, इडि एटी, XI, पृ० 337 इडि० एटी० VI, 202, वही, वि० स० 1317 पृ० 212, आर्केलाजिकल सर्वे आफ इंडिया 1937/6-37, पृ० 120 ए० बी० ओ० आर० आई० भाग XXIII, पृ० 314-15, एपि० इडि०, XXI, पृ० 171

9 द्वयाश्रयकाव्य XX, 10

मे द्रम्म का प्रयोग विभिन्न सदर्भों में किया है। पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह¹ में भी दान, भिक्षा, पुरस्कार इत्यादि के लिए द्रम्म का ही प्रयोग होता था। सुकृतकीर्ति-कल्लोलिनी में भी दान हेतु द्रम्म का प्रयोग किया गया है।² डी० आर० भण्डारकार³ तथा वी०वी० मिराशी⁴ के अनुसार द्रम्म केवल चादी का ही होता था। लेकिन अभिलेखिक तथा मौद्रिक साक्ष्य यह बताते हैं कि द्रम्म रजत के अतिरिक्त स्वर्ण तथा ताम्र के भी होते थे।⁵ ए० के० मजूमदार⁶ ने यह कहा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य⁷ के उत्तरी क्षेत्र में द्रम्म रजत एवं स्वर्ण दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तथा चौलुक्यों के अभिलेखों में चादी तथा सोने दोनों द्रम्म का उल्लेख हुआ है। त्रिमान अनुदान पत्र में कि एक मंदिर को एक रौप्य तथा एक द्रम्म देने की बात कही गयी है यह स्वर्ण सिक्का प्रतीत होता है।⁸ इसी में यह भी प्रसंगित है कि मंदिर को एक रौप्य प्रतिदिन तथा एक द्रम्म वार्षिक अनुदान दिया जाता था परन्तु इसमें यह सदेह है कि यह दो अलग-अलग अनुदान थे, या एक ही अनुदान में प्रतिदिन तथा वार्षिक दान की बात कही गयी है।⁹ इससे यह प्रतीत होता है कि यह स्वर्ण द्रम्म रहा होगा। लीलावती¹⁰ भी द्रम्म को रजत मुद्रा ही कहा गया है। प्रसंगित साहित्यिक एवं अभिलेखिक साक्ष्यों में भी द्रम्म के रजत एवं स्वर्ण दोनों मुद्रा होने का ही आभास मिलता है।

कभी-कभी राजाओं द्वारा प्रचलित किए जाने पर सिक्के उन्हीं के नाम से जाने जाते थे। पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में चौलुक्य नरेश भीम द्वारा प्रचलित द्रम्म 'भीमप्रिद्राम' का उल्लेख आया है।¹¹ अभिलेख में भी गुजरात तथा मारवाड़ के महाराज वीसलदेव द्वारा प्रवर्तित वीसलप्रिय द्रम्म का उल्लेख आया है।¹² वि० स० 1345 के अभिलेख¹³ में 'रौक्म-वीसल प्री० द्र उल्लिखित है इसमें वीसलप्री द्र०, वीसलप्रिय-द्रम्म वीस-द्र, तथा वीसलपुरी द्र¹⁴

1 पु० प्र० स० पृ० 17, 30, 34, 39, 43, 51, 52, 59, 62, 68, 75, 95, 100, 105

2 सुकृत पृ० 13

3 भण्डारकार, वही, पृ० 206

4 जे० एन० एस० आई०, III, पृ० 25

5 इडि० एटी, XIII,

136 (कचन-द्रम्म शतम्), जे० एन० एस० आई० VIII, पृ० 140

6 ए० के० मजूमदार, वही पृ० 273, जे० एन० एस० आई०, XVII, 77

7 ए० एस० अल्तेकर, राष्ट्रकूटाज पृ० 364

8 इडि० एटी०, XI, 307

9 जे० एन० एस० आई०, XIX, 118

10 लीलावती I 24

11 पु० प्र० स० पृ० 33, 34

12 एपि० इडि०, XI, पृ० 57

13 बाम्बे गजेटियर I पृ० 488

14 जे० एन० एस० आई०, XVII 72

शब्दावलिया मिलती है। लेखपद्धति ने इसे विश्वमल्ल प्रिय तथा वीसलप्रिय द्रम्म कहा है।¹ चौलुक्यो के अतिरिक्त अन्य राजवंशो के द्वारा भी द्रम्म का प्रवर्तन किया गया जो उनके नाम से जाने जाते थे। राजस्थान से प्राप्त एक सिक्के का उल्लेख धोड (मेवाड) 1171 ई० में भी हुआ है वह चाहमान द्वारा जारी किया गया अजयदेव द्रम्म कहलाता था।² भोज-प्रतिहार वंश के विनायकपाल द्वारा (914-33 ईस्वी० में) द्रम्म जारी किया गया।³ इससे यह प्रतीत होता है कि शासक अपने नाम से मुद्रा प्रवर्तित करते थे यह परम्परा सर्वथा नवीन नहीं है।

पचीयक-द्रम्म—सीयदोगि अभिलेख⁴ में पचीयक-द्रम्म का उल्लेख मिलता है जिसका सही अर्थ स्पष्ट नहीं है। इस सम्बन्ध में एक विचार यह है कि यह स्थानीय पचायत द्वारा चलाया गया होगा।⁵ इसे पाच बोडिक भी कहा है एक बोडिक 112 ग्रेन के बराबर होती है। एक पचीयक, 5 बोडिक का अर्थ 56 ग्रेन होता है। इसके वजन की समानता ओहिन्द के ब्राह्मणशाही शासको द्वारा प्रवर्तित रजत मुद्राओं से की जा सकती है।⁶

पारुथ्य-द्रम्म—प्रबन्धचिन्तामणि⁷ में यह उल्लेख मिलता है कि कान्यकुब्ज के पञ्चकुल ने महणिका के विवाह में प्राप्त हुई भेट से होने वाली आमदनी, जो 24 लाख पारुथ्य द्रम्म थी वसूल कर उससे एक हजार घोड़े मगवाये थे। इन पारुथ्य द्रम्म का उल्लेख पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह⁸ में भी आया है। इन्हे पारुथक-द्रम्म या पारुथ कहा गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में एक पारुथ्यक द्रम्म को आठ द्रम्म के बराबर बताया गया है। ये सिक्के शुद्ध चादी के होते थे। खरतरपगच्छ वृहद्गुर्वावलि (1010-1336 ई०) में भी पारुथ्य द्रम्म आया है।⁹ लेखपद्धति में इसका नाम पारौपथ¹⁰ या पारुपथक¹¹ द्रम्म मिलता है। इसका प्रचलन राजस्थान, मालवा, गुजरात, कोकण तथा मारवाड के क्षेत्रों में था। कुछ विद्वानों ने इस सिक्के को विदेशी बताया है, चूँकि इसका प्रचलन मारवाड तथा कोकण में व्यापक रूप से हो रहा था इसलिए इसे किसी विदेशी सिक्के का रूप बताना उचित नहीं है।¹² लेखपद्धति में

1 ले० प०, 33, 37, 39, 55, 42

2 एपि० इडि०, I पृ० 162

3 सी० सी० आई० एम० पृ० 239, ए० एस० आई० 1927-28 पृ० 108

4 एपि० इडि०, I, पृ० 162

5 भडारकर, इडि० न्यूमिस्मैटिक्स पृ० 208

6 जे० आर्० ए० एस० बी० XXVI, पृ० 33

7 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 13

8 पु० प्र० पृ० 51, 53, 78, 128

9 खरतरपगच्छ, पृ० 2, 13

10 ले० प० पृ० 34, 41, 35, 36

11 वही पृ० 43

12 जे० एन० ए० एस० आई०, XV14, 75

यह कहा गया है कि यह सिक्का श्रीमाल से जारी किया गया। वी० एस० अग्रवाल का विचार है कि यही भिल्लमाल या श्रीमालीय द्रम्म है।¹

बहुत से राजवंशों के अभिलेखों में द्रम्म-मुद्रा का उल्लेख बिना किसी विशेष उपसर्ग आदि के हुआ है। उदाहरणार्थ चाहमान वंश के हर्ष के अभिलेख (वि० सं० 1030)² अश्वक के बालि अभिलेख (वि० सं० 1200)³ में अल्लणदेव के नडोल पत्र में (वि० सं० 1218)⁴ कीर्तिपाल का 'नडोल (1218)⁵ परमार यशोवर्मन का कलवन⁶ अर्थुण अभिलेख⁷ परनारायण शिलालेख⁸ कन्नौज के प्रतिहारों के आहार⁹ एवं पेहोमा¹⁰ अभिलेख इत्यादि। अतः विभिन्न अभिलेखों में उसके प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि विवेच्य काल में द्रम्म विनिमय का प्रमुख साधन था।

द्रम्म नवीं शताब्दी के उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी। यह केवल उत्तर-भारत तक ही नहीं सीमित थी बल्कि दक्षिण-भारत के अभिलेखों में भी इसके प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं।¹¹ सबसे पहले सियदोणि में इसका प्रयोग मिलता है। बाद में प्रायः इसका प्रयोग हुआ है इससे ऐसा लगता है कि द्रम्म के निम्नतम विभाजक अश के रूप में विशेषक का उल्लेख मिलता है दसवीं-बारहवीं के बीच जो व्यापक रूप से प्रचलित हुआ।

विंशोपक—**प्रबन्धचिन्तामणि** में विभिन्न मुद्राओं का उल्लेख आया है जिनमें विशेषक भी एक है। इस ग्रन्थ में एक कथा मिलती है जिसमें एक गरीब आदमी अपने पिता की मृत्यु के बाद एक दिन का वेतन पाच विंशोपक स्वीकार करता है।¹² ऐसा प्रतीत होता है कि एक द्रम्म का यह सबसे निम्न अंश था। यह द्रम्म का 20वाँ भाग था।¹³ पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह¹⁴ में भी विंशोपक, विसोपक, विसोपक, विशेषक, विसोपक तथा विसोपक

1 वही XVII, पृ० 75

2 एपि० इडि० II, पृ० 116

3 वही XI पृ० 32

4 वही IX, पृ० 63

5 इडि० एटी, XL पृ० 144

6 एपि० इडि०, XIX, पृ० 69

7 वही, XIV पृ० 295

8 इडि० एटी, XLV पृ० 77

9 इडि० एटी, XVI पृ० 173

10 ए० वी० ओ० आर० आई०, XXIII

11 एपि० इडि०, XVI, पृ० 285 जे० एन० एस० आई० III, पृ० 37

12 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 69, टॉनी पृ० 104

13 ए० के० मजूमदार, वही पृ० 274

14 पु० प्र० सं० 132

कहा जाता था।¹ डी० आर० भडारकर² ने विशोपक को एक ताम्र का सिक्का बताया है और इसका मूल्य द्रम्म का 1/20वा बताया है। मरुतुङ्ग के वर्णन के आधार पर एक व्यक्ति को सबसे कम वेतन 150 विशोपक मासिक मिलता था यदि विशोपक द्रम्म का बीसवा भाग था तो एक व्यक्ति को 7-1/2 द्रम्म प्राप्त होते थे।³ विशोपक ताम्र-मुद्रा थी यह तथ्य सियदोणि अभिलेख⁴ से भी स्पष्ट है जिसमें मासिक कर विग्रहतुगीयद्रम्म 10 विशोपक लगता था। भिनमल के अभिलेख (1182 ई०)⁵ में इसका मूल्य द्रम्म से बहुत कम आका गया है। इस अभिलेख में प्रत्येक द्रम्म पर एक वि कर लगता था। ठक्कर फेरु (13हवी श०) के द्रव्य-परीक्षा में भी द्रम्म का मूल्य 20 विशोपक कहा जाता है।⁶ कुछ अभिलेखों में विशोपक को द्रम्म में नहीं बदला गया है, अभिलेखों में विशोपक को विग्रह-द्रम्म, वराह, द्रम्म तथा भीमप्रिय-द्रम्म से सम्बन्धित किया गया है।⁷ अर्थुण अभिलेख (1079 ई०) में इसे वृष-विशोपक से सम्बोधित किया है।⁸ इन विशोपकों को सम्भवत वृष या अश्व प्रकार की मुद्रा भी कहा जाता था।⁹

रूपक—तत्कालीन प्रचलित मुद्राओं में रूपक भी उल्लिखित है। विभिन्न स्रोत यह प्रकट करते हैं कि रूपक कोई नवीन मुद्रा नहीं अपितु द्रम्म का ही अवमूल्यन है। प्रबन्धचिन्तामणि¹⁰ में अर्द्धरूपक का उल्लेख आया है। हेमचन्द्र का द्वयाश्रयकाव्य में भागक तथा विशतिक शब्द आया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के टीकाकार अभयतिलकमणि ने भागक को रूप्यकार्ध¹¹ रूपया का आधा बताया है। विशतिक से तात्पर्य है कि कोई वस्तु जो बीस रूपक में खरीदी जाती थी।¹² द्वयाश्रयकाव्य में ही रूप्य शब्द प्रयोग हुआ है जिसका तात्पर्य रूपक से है, यह चाँदी का सिक्का था (द्वया XVII-79) । राजतरंगिणी तथा कथासरित्सागर¹³ में सुवर्ण-रूपक का उल्लेख हुआ है लेकिन अधिकांशत रूप्य रूपक का प्रयोग चाँदी के सिक्कों के लिए किया गया है।¹⁴

1 जे० एन० एस० आई० XVIII, 80

2 एपि० इडि०, X, पृ० 19

3 ए० के० मजूमदार, पृ० 274

4 एपि० इडि० I, 173, 1-20

5 बाम्बे गजेटियर, तेषा प्रति द्र० वि० 1 लम्ब 1, पृ० 47

6 द० शर्मा, अर्ली चौहान, डाइनेस्टीज पृ० 319

7 सी० आई० आई० IV, पृ० C/XXXIX पाद टिप्पणी 7

8 जे० एन० एस० आई० XVII 81

9 एपि० इडि०, XIV 295

10 प्रबन्धचिन्तामणि टॉनी पृ० 38

11 द्वयाश्रय XVII 93-94

12 वही पृ० 81

13 जे० एन० एस० आई० XIV 116 राज० 1, VI, 45, पृ० 239 कथा 78, 11, 13

14 वही पृ० 117

चौलुक्यो के एक अभिलेख मे भी रुपक शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसमे एक द्रम्म वार्षिक तथा एक रुपक प्रतिदिन अनुदान देना प्रसंगित है।¹ गुहिलराज अल्लट के आहार (मेवार) अभिलेख (953 ईस्वी) मे भी हाथी के विक्रय पर एक द्रम्म कर तथा घोड़े के विक्रय पर दो रुपक का उल्लेख है² ऐसा प्रतीत होता है कि रुपक रजत तथा द्रम्म स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयुक्त हुआ होगा या रुपक द्रम्म का कोई एक अंश रहा होगा।

यहा पर द्रम्म की कीमत रुपक की तुलना मे बहुत अधिक रही होगी। यहा पर प्रयुक्त द्रम्म पारुहथ द्रम्म हो सकता है जिसकी कीमत 8 चादी के सिक्के बताई गई है। कल्चुरि राजा कृष्ण राज ने भी (कृष्ण राज-रुपक)³ परवर्तित किया था जिसका वजन 30 ग्रेन था।

रुपक वास्तव मे चादी का सिक्का था तथा इसके द्रम्म के समान माना गया है। बी० एन० पुरी⁴ कहते है कि इसका मूल्य द्रम्म के 1/4 तथा 1/20 के बीच था। गणितसार की गुजराती टीका से यह ज्ञात होता है कि एक द्रम्म पाच रुपक के बराबर था।⁵ इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विवेच्यकाल मे चादी के जो सिक्के प्राप्त हुए है जिनका वजन लगभग 13.5 ग्रेन्स था, वे सभी रुपक थे।⁶

दीनार—अधीतकालीन प्रचलित स्वर्ण मुद्राएँ निष्क, दीनार तथा टड्ड थी। दीनार मुद्रा का प्रसंग प्रबन्धचिन्तामणि⁷ मे आया है। दीनार का उल्लेख प्रबन्धकोश⁸ तथा पुरातन प्रबन्ध-संग्रह⁹ मे भी प्राप्त होता है। राजतरंगिणी¹⁰ में हमे सोने चाँदी तथा ताबे की दीनारो का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराजः खजय महाकाव्य¹¹ के आलोचक जोनराज ने अपने भाष्य मे अजयदेव के चादी के सिक्के को रुपक दीनार का एक विशेष भाग बताया है।

दीनार प्रथम शताब्दी ईस्वी मे कुषाण राज्य मे रोमन डिनेरियस से लिया गया एक भारतीय सोने का सिक्का था¹² लल्लन जी गोपाल¹³ के अनुसार पुराना दीनार लैटिन डिनेरियस शब्द से निर्मित है। बृहत्कथाकोश¹⁴ मे

1 इंडि० एटी, XI, पृ० 337

2 इंडि० एटी, LVIII, पृ० 162

3 जे० एन० एस० आई०, III, पृ० 36

4 प्रतिहार, पृ० 136

5 जे० एन० एस० आई०, VIII, पृ० 144

6 ई० एल० एन० आई०, पृ० 206 (इकोनोमिक लाइफ ल० गोपाल)

7 प्रबन्धचि०, मेरू पृ० 5, टॉनी पृ० 8

8 प्रबन्धकोश पृ० 78

9 पू० प्र० स० पृ० 5, 6, 22, 30, 33, 117

10 राज० VII 950

11 जे० एन० एस० आई०, XIX 117

12 भण्डारकर, आर० जी०, एक्स्पेट इंडियन न्यूमिस्मैटिक, पृ० 67

13 इकोनोमिक लाइफ आफ नार्दन इंडिया पृ० 209

14 बृहत्कथाकोश, 142-43 जे० यू० पी० एच० एस० 1446, भाग XIX भाग I-II

दीनार शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्के के लिए हुआ है। सस्कृत शब्दकोश में इसे स्वर्ण मुद्रा कहा है। डा० अल्तेकर के अनुसार सोने दीनार का वजन समवत 3/4 तोला था।

टड्ड—प्रबन्धचिन्तामणि में एक प्रसंग है कि राजा भोज ने याचको को सोने के टड्ड (सुवर्णटड्डान्)¹ दान दिया। प्रबन्धकोश² में भी राजशेखर ने (हेमटड्ड तथा सुवर्णटड्ड) का प्रयोग कई स्थानों पर किया है। पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में भी टड्ड का प्रयोग आया है।³ (खरत्तरगच्छ-बृहदगुर्वावली)⁴ में हेमटड्ड तथा रोप्यटड्ड का उल्लेख हुआ है, दशरथ शर्मा ने इसे मुस्लिम सिक्का बताया है और जिसे राजस्थान तथा गुजरात के युद्ध के बाद खिलजियो ने चलाया था। किन्तु इसका उल्लेख कल्हण के राजतरगिणी⁵ में भी है जिससे यह प्रमाणित होता है कि इसका प्रयोग भारत में मुस्लिम आक्रमण के पहले से ही हो रहा था⁶ टड्ड मूलतः वजन में साधारण 4 माश या 8 रती या 14 64 ग्रेन के थे। गणितसार की टीका⁷ में ठुक्कर फेरू ने 50 द्रम्म को 1 टड्ड के बराबर बताया है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि टड्ड सिक्का सोने का था। वी० वी० मिराशी⁸ इसे गागेयदेव के स्वर्णमुद्राओं के समकक्ष का बताया है जिसमें भगवती या लक्ष्मी का चित्र बना था। वह कहते हैं कि इस युग के सोने के सिक्कों को टड्ड कहा जाता था। यद्यपि अन्य किसी भी अभिलेख में सोने के सिक्कों के लिए इसका उल्लेख नहीं हुआ है। बल्कि निष्क सुवर्ण और दीनार का उल्लेख ही हुआ है जिनका वजन तकनीकी ढंग से प्रयोज्य था। कनिधम⁹ महोदय ने इसकी भारतीय उत्पत्ति बताई है तथा इसे ताबे का सिक्का भी कहा है।

निष्क—प्राचीनकाल में निष्क सिक्के के अतिरिक्त स्वर्णहार को भी कहा जाता था प्रबन्धचिन्तामणि¹⁰ में भी इसका प्रयोग मौद्रिक प्रसंग में ही हुआ है। द्वयाश्रयकाव्य¹¹ में निष्क को सोने का टुकड़ा बताया गया है तथा इसका वजन 108 पल बताया है। गणितसार पर गुजराती भाष्य में एक पल को चार कर्ष के बराबर बताया है।¹² प्रत्येक कर्ष में आठ रती माना गया है। जिससे निष्क को एक बड़े आकार का सोने का सिक्का बताया

- 1 प्रबन्धचि० मेरू० पृ० 25
- 2 प्रबन्धकोश पृ० 10, 29, 31, 37
- 3 पु० प्र० स० पृ० 117
- 4 जे० एन० एस० आई०, XXII, 119
- 5 राज० VIII, 142
- 6 एच० आई० ई० टी० III, पृ० 445, आर० आई० बी० पृ० 357
- 7 दशरथ शर्मा, अर्ली चौहान डाइनेस्टीज, पृ० 356 पा० टि० 4
- 8 सी० आई० आई० पृ० (ixxxiii)
- 9 जे० आर० ए० एच० बी०, XXVI, पृ० 33
- 10 प्रबन्धचि० टॉनी पृ० 10
- 11 द्वयाश्रयकाव्य, XVII 83-84
- 12 जे० एन० एस० आई० VIII, पृ० 140-142

है। अधीतकाल में इतने वजन का कोई सिक्का नहीं प्राप्त होता है। वास्तव में निष्क का वजन एक सिक्के की अपेक्षा धात्विक अधिक है लीलावती के अनुसार एक निष्क सोलह द्रम्म के बराबर था जो चादी का सिक्का था।¹

कार्षापण—चौलुक्यों के अभिलेखों में कार्षापण का उल्लेख आता है। इसके अतिरिक्त समकालीन अन्य साहित्यिक साक्ष्यों और अभिलेखों में भी इसका वर्णन मिलता है।² कार्षापण को एक चादी का सिक्का माना गया है तथा इसका वजन एक कर्ष या 80 रत्ती या 146.4 ग्रेन बताया गया है। लीलावती में सोलह पण को एक द्रम्म के बराबर बताया गया है, जिससे पण और कार्षापण का सम्बन्ध जाना जा सकता था। एक अन्य समावना यह भी है कि कार्षापण का वजन रजत पुराण के बराबर था। गणितसार³ पर गुजराती भाष्य में एक पुराण जो कि प्राचीन कार्षापण था उसे सोलह पण के बराबर विवृत किया गया है। भोजदेव के कामन शिलालेख में द्रम्म के साथ पण का उल्लेख मिलता है।⁴ 16 पण को एक पुराण, द्रम्म तथा कार्षापण के बराबर बताया गया है। पण सिक्के का वजन एक कर्ष या 146.6 ग्रेन्स था।⁵

80 कौडी 16 पण=1 पुराण, गणितसार के अनुसार था, इस आधार पर ए० के० मजूमदार ने 1 पण को 5 कौडी के बराबर बताया है। सिक्कों की सूची में हमें 20 वराटक या कु० व =1 काकिणी या बोडी और 4 काकणी =1 पण⁶ यह विवरण दिया है। इस प्रकार प्रचलित मूल्य में 1 पण = 80 कौडी के बराबर था।

कौडी—कपर्दक, वराटक, श्वेतिका चूर्ण या, चूर्णिका इत्यादि कौडी के पर्याय हैं। प्रबन्धचिन्तामणि⁷ में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि कौडी ही विनिमय का प्रचलित माध्यम थी। प्रबन्धकोश में भी वराटक का उल्लेख मिलता है।⁸ एक अन्य ग्रन्थ पुरातन प्रबन्ध संग्रह में भी कपर्दीना तथा वराटिकाणा उल्लिखित है।⁹ बृहत्कथाकोश में भी एक कथा में प्रसंगित होता है कि एक मिट्टी का जार जो कि घी से भरा था वह केवल कुछ ही कपर्दकों में ही खरीदा जा सकता था।¹⁰ जबकि कुछ प्रसंगों में इसकी कीमत सबसे कम बताई गई है। इसके आधार

1 लीलावती 1 2-4

2 द्वयाश्रय० XVII, पृ० 79, 84

3 जे० एन० एस० आई० VIII.141

4 एपि० इंडि० XXIV, 329

5 वैजयन्ती कोश पृ० 189-179

6 लीलावती I 2-4, गुजराती भाष्य गणितसार पर जे० एन० एस० आई० VIII, 141; बंगाली अर्थमैटिकल टेबल जे० यू० पी० एच० एस०, VIII. 196

7 प्रबन्धचि० पृ० 46, एपि इंडि, I, पृ० 162; XX41 पृ० 131

8 प्रबन्धकोश, पृ० 54

9 पु० प्र० स० पृ० 100, 123

10 बृहत्कथाकोश पृ० 182 घृतपूर्ण घट कृत्वा वणिक वीथीकपादकै

पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कौडी की उन दिनों में सबसे कम कीमत थी। कल्हण ने भी कौडी की कीमत सबसे कम बताते हुए लिखा है कि राजा सग्राव वर्मन (A.D. 1003-1028), जिसने एक कौडी से प्रारंभ करके करोड़ों डेर लगाए।¹ क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित एक प्रसंग में एक कृपण वणिक् था जो केवल तीन कौडियाँ ही घर खर्च के लिए देता था यद्यपि यह सख्या गलत हो सकती है, परन्तु इससे कौडी के प्रचलन की अधिकता का पता चलता है परन्तु इससे गहडवाल राज्य के साधिविग्रहिक लक्ष्मीधर के कृत्यकल्पतरु में भी यह प्रसंग मिलता है कि कपर्दक एक विशिष्ट वस्तु थी जिसे अर्थ गणना में प्रयोग किया जाता है।²

सीयदोणी अभिलेख (दसवीं शताब्दी) में वराटक तथा कपर्दक का उल्लेख कौडी के पर्याय के रूप में हुआ है।³ चाऊ-जू-कुआ (बारहवीं शताब्दी) भी कहता है कि भारत के लोग विनिमय के लिए कौडियों का प्रयोग करते थे।⁴ विभिन्न साहित्यिक तथा आभिलेखिक साक्ष्य यह प्रमाणित करते हैं कि प्रतिदिन की खरीद-फरोख्त के लिए कौडी ही प्रमुख साधन थी। कौडी का प्रयोग भारतवर्ष में प्राचीनयुग से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक प्राप्त होता रहा है। बाजार में वस्तुओं के अनुपात में उनकी उपलब्धता के आधार पर उनकी कीमत घटती या बढ़ती रहती थी।⁵ निम्नलिखित सूची से कौडी के विनिमय मूल्य का ज्ञान होता है जो इस प्रकार है-

20 कौडी = 1 काकणी

4 काकणी = 1 ताबे का पण = कार्षापण

16 कार्षापण = 1 चादी का द्रम्म

इस प्रकार $20 \times 4 \times 16 = 1280$ कौडी एक चादी के द्रम्म और 16 पण के बराबर थी।⁶ गणितसार⁷

तथा लीलावती⁸ में यह सूची कुछ अन्तर के साथ प्रस्तुत की गयी है।

1 राजतरंगिणी VII, 112

2 व्यवहारकाण्ड पृ० 124, द्वारा ल० गोपाल, इकोनोमिक पृ० 279

3 एपि० इडि० I पृ० 173

4 चाऊ जू० कुआ० प्र० 77, 111

5 जे० एन० एस० आई०, VII पृ० 82

6 जी० पाट, द इकोनोमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया भाग I पृ० 429

7 जे० एन० एस० आई० VIII, 1946 पृ० 140 सूची 2

8 लीलावती 1,2

षष्ठम् अध्याय

उद्योग शिल्प एवं शिल्पी

उद्योग शिल्प एवं शिल्पी

आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत कृषि के बाद व्यापार एवं उद्योग का स्थान आता है। प्राचीनकाल से लेकर ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी ईस्वी तक उद्योग विषयक विभिन्न साहित्यिक तथा अभिलेखिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे व्यावसायिक समुदायो के भी प्रसंग प्राप्त होते हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन समाज में बहुविध उद्योग प्रचलित थे। गुजरात-राजस्थान के क्षेत्र से भी आलोच्यकाल में उद्योग-सम्बन्धी प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्रबन्धचिन्तामणि में यद्यपि उद्योगों की व्यवस्था का स्पष्ट विवरण नहीं प्राप्त होता है परन्तु कुछ शिल्पियो इत्यादि का सदर्थ मिलता है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अधीतकाल में हस्त-उद्योगों का भी अस्तित्व था।

ग्यारहवी बारहवी शताब्दी में विदेशी लेखों तथा भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों में उद्योगों की उन्नति प्रकट होती है तथा आन्तरिक और विदेशी व्यापार में विकास से भी यही प्रमाणित होता है। भोज की युक्तिकल्पतरु (11हवी शताब्दी) में अनेक उद्योगों का परिचय प्राप्त होता है। अभिधानचिन्तामणि तथा देशीनाममाला, जिसका प्रणयन गुजरात काठियावाड क्षेत्र में १२हवीं श० ई० में हेमचन्द्रचार्य द्वारा हुआ था उसमें ग्यारहवी-बारहवीं शताब्दी के अनेक उद्योगों के प्रचलन का संकेत या परिचय प्राप्त होता है।

वस्त्र उद्योग

गुजरात तथा राजस्थान के क्षेत्र वस्त्र-निर्मित करने हेतु प्राचीनकाल से ही प्रसिद्ध थे। प्रबन्धचिन्तामणि¹ग्रन्थ में तन्तुवाय, सूचक, छिम्पिक्या तथा वेशकार का उल्लेख प्राप्त होता है, इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी में भी इस क्षेत्र में वस्त्र-बनाने का कार्य व्यापक रूप से प्रचलित था। प्रस्तुत आलोच्यग्रन्थ में ही उत्तरीय, दुकूल चणनक, कम्बल इत्यादि वस्त्रों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। पुरातन प्रबन्ध-संग्रह²में भी तन्तुवाय का प्रसंग प्राप्त होता है। हेमचन्द्रकृत शब्दकोश अभिधानचिन्तामणि³में बुनकर के लिए तन्त्रवाय. (तन्तुवाय) एवं कुविद शब्द प्राप्त होते हैं तथा दर्जी के लिए तुन्नवाय. तथा सौधिकः शब्द मिलता है। हेमचन्द्र के ही तत्कालीन एक अन्य शब्दकोश देशीनाममाला⁴में वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित जो शब्द प्राप्त

1 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरु, छिम्पिक्या, पृ० 56, 32, 73, टॉनी 32

2 पु० प्र० स०, पृ० 48, 77, 100

3 अभिधानचिन्तामणि, VII 574 श्लोक पृ० 227

4 देशीनाम, पृ० VII-45, VI-56, V-28, I-69, VIII29, II-65

होते (वस्त्राश्रय), पूरी तथा थूरी (तन्तुवायोपकरण), आसीओ (सूची-जीवक) सिबिणी (सूची), कोलिओं (तन्तुवाय) है उनसे वस्त्र-उद्योग के विकसित स्वरूप का स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है।

साहित्यिक साक्ष्यों के अतिरिक्त अभिलेखों में भी इस उद्योग सम्बन्धी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सीयदोणि अभिलेख¹ में दोसीहट्ट (वस्त्र-बाजार) का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य अभिलेखों में भी² वस्त्र-व्यापार पर लगने वाले करों का प्रसंग आया है। लेखपद्धति में अशुभ करण का संदर्भ आया है जिसमें १० के० मजुमदार ने अच्छे वस्त्र बुनने का विभाग बताया है।³

प्रायः सूती, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग वेश-भूषा के रूप में होता था। वस्त्र बुनने की प्रक्रिया से लेकर उनकी रगई तथा सिलाई इत्यादि शिल्प-कार्य इस क्षेत्र में प्रचलित था।

मानसोल्लास में⁴ सोमेश्वर ने बारहवीं शताब्दी में वस्त्र-उद्योग के प्रमुख केन्द्रों को गिनाया है उनमें से जो इस प्रकार हैं—(1) मूलस्थान (Multan) (2) अणहिलवाड (अमहिलपतन) (3) वग (बगाल), (4) पोद्दालपुर (पैठन), (5) सीरपल्ली (6) नागपतन (नागपटनम्) (7) चोलदेश (8) तोडीदेश (तोडीमण्डल), (9) पचपट्टन (10) कर्लिंगदेश, तथा (11) अल्लिकाकुल (शिकाकोल)

मानसोल्लास में उल्लिखित ये स्थान वस्त्रों के व्यापार के केन्द्र थे। उत्तर-भारत के सम्बन्ध में विदेशी यात्रियों के विवरण से स्पष्ट होता है कि बगाल इस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध था। बगाल, गुजरात तथा पैठन वस्त्र-उद्योग के प्रमुख केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध थे। जैन साहित्य भी यह बताते हैं कि (गौड) बगाल रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था तथा पूर्व से वस्त्र लाकर पश्चिम (लाट-दक्षिणी गुजरात) में अधिक मूल्य पर बेचे जाते थे।⁵

वस्त्र-निर्माण का कार्य गुजरात में पूर्व के युग से ही होता आ रहा था, प्रथम शताब्दी ईस्वी के लेखक पेरीप्लस ने गुजरात में वस्त्रों के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया है कि उस समय गुजरात में मोटे प्रकार के वस्त्रों का निर्माण होता था।⁶ वेनिस का यात्री मार्को पोलो (13वीं शताब्दी) के अनुसार कैम्बे में बकरम तैयार की जाती

1 एपि० इडि० I, पृ० 166

2 एपि० इडि० XIV पृ० 302, 72; इडि० एटी० VI न० 6 पृ० 202 II 18-19, सी० पी० एव आई० पृ० 229 1.41

3 ले० प०, पृ० I चौलुक्य ऑफ गुजरात पृ० 215

4 मानसो: III. 6 1017-20 II पृ० 88

5 जगदीश चन्द्र जैन, पृ० 115

6 पेरीप्लस, 39

थी तथा कैम्बे और भडौच से ही भारत के अन्य प्रदेशों में भेजी जाती थी¹ गुजरात में वस्त्रों के विभिन्न प्रकार बनाए जाने लगे थे जिनमें गरीबों एवं अमीरों दोनों के लिए ही वस्त्र होते थे।²

धातु-उद्योग.-

प्राचीन काल से ही भारत वर्ष में विभिन्न प्रकार की धातुओं के होने का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रबन्धचिन्तामणि में तथा समसामयिक साहित्य में भी कुछ अस्त्र-शस्त्र-क्षुरिका, तलवार, भाले, तीर तथा कृषि-उपयोगी उपकरण इत्यादि के प्रसंग प्राप्त होते हैं। सभी धातुओं में लोहे का उपयोग औद्योगिक, कृषि तथा घरेलू उपयोगी वस्तुओं के निर्माण हेतु सर्वाधिक होता था। भोज के युक्तिकल्पतरु से उद्धृत रासेन्द्रसार सग्रह में लोहे का वर्गीकरण पिण्ड (Pig), ढला हुआ (Cast) तथा पिटावा लोहा (Wrought) एवं उसके भी उपविभाजन प्राप्त होते हैं। राजशेखर के प्रबन्धकोश, में खड़, कृपाण, कुद्दाल का उल्लेख है।³ एक अन्य प्रबन्ध ग्रन्थ पुरातन प्रबन्ध सग्रह में भी धातुओं से संबंधित उल्लेख खनित्र, कुद्दालक, पल्यडू, खड़, क्षुरिका, कृपाण इत्यादि तथा लौहकार, का भी उल्लेख प्राप्त होता है।⁴ हेमचन्द्रकृत समकालीन शब्दकोश अभिधानचिन्तामणि⁵ में विभिन्न धातुओं के अनेक पर्याय प्राप्त होते हैं- लोहे के ग्यारह नाम लोहम्, कालायसम् शस्त्रम्, पिण्डम्, पारशवम्, वनम्, गिरिसारम्, शिलासारम्, तीक्ष्णम्, कृष्णाभिषम्, अय प्राप्त होते हैं। तौबे के भी बारह पर्याय ताम्रम्, म्लेच्छमुखम्, शुत्वम्, रक्तम्, द्वयष्टम् उदुम्बरम्, म्लेच्छम्, शावरम्, मर्कटास्पयम्, कनीयसम् ब्रह्मवर्धनम्, वरिष्ठम्, प्राप्त होते हैं। एक अन्य शब्दकोश देशीनाममाला⁶ में भी विभिन्न धातुओं एवं शिल्पकारों के नाम प्राप्त होते हैं जिनसे उस युग के धातु उद्योग के प्रचलन की पुष्टि होती है ये इस प्रकार हैं- पेंडघवो (खह), फूओं (लौहकार) पवद्धो (लौहकुटनोपकरण), टको (खड़) घुरहत्थो क्षुरहस्त) अमप्यो (खड़), उडिडाहरणम् (क्षुरिकाग्रयुक्तम्) आसिअओं (लोहमय) सयन्धी (घरट्टी, A kind of Weapon) कट्टारी (क्षुरिका) हैं। तेरहवीं शताब्दी के ग्रन्थ रासरत्नसमुच्चय⁷ में लोहे से बनने वाले विभिन्न सामानों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अलदरीसी⁸ ने भारतीय लोहे की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भारतीय लोहे की पैनापन (Sharpness)

1 मार्को पोलो, 334

2 देशीनाम्; 1 24 II 33. 59

3 प्रबन्धकोश, पृ० 63 62, 24

4 पु० प्र० स० प्र० 1 3.10 39 48 52 59

5 अभिधानचिन्तामणि, 103-105 श्लोक, पृ० 255-256

6 देशीनाम्; पृ० VI 59, VI 85, VI II IV 4, III, 31, I-12, 1-121, 1 67, VII 5 11-4

7 रासरत्नसमुच्चय; X 5-6. प्र० 43-44

8 अल इदरीसी, पृ० 23, न० 3

की तुलना में कोई लोहा नहीं है तथा इसकी श्रेष्ठता से कोई इकार नहीं कर सकता लौह उद्योग के अन्तर्गत तलवार बनाने का काम प्रमुख रूप से होता था। प्रबन्धचिन्तामणि तथा अन्य ग्रन्थों में प्राप्त खड्ग के उल्लेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है। तत्कालीन सामन्तवादी युग में इसकी मांग देश विदेश में और भी बढ़ गयी।¹ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के शारङ्गधर ने कुछ तलवार बनाने के केन्द्रों खटि खट्टर, ऋषि, बग, शूर्पारक, विदेह, मध्यमग्राम, वेदिदेश शहग्राम तथा कालिंजर का उल्लेख किया है।² उत्पी ने भी भारतीय तलवारों की आक्रामक शक्ति की प्रशंसा की है।³ अल-मसूदी (915 शताब्दी) भी ब्रॉच के बल्लम (Lances) तथा बरछी (Shaft) की प्रशंसा करता है।⁴ भोज के युक्तिकल्पतरु⁵ में सौराष्ट्र को तलवार बनाने का प्रमुख केन्द्र बताया है। अभिधानचिन्तामणि में तलवार के अनेक नाम प्राप्त होते हैं चन्द्रहास, करवाल, निमिश कृपाण, खड्ग, तरवारि, कौक्षेष्का, मण्डलाग्र, असि, ऋष्टि,। यहाँ कहा जा सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र से ही विदेश तथा भारत के अन्य भागों में भी तलवारे भेजी जाती थी। समकालीन साहित्यिक ग्रन्थों में लौहकार⁶ शिल्पियों के नाम प्राप्त होते हैं।

लोहे के अतिरिक्त पीतल तथा तांबे के बर्तनों का भी उल्लेख मिलता है। स्वर्णकार का भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। प्रबन्धचिन्तामणि में विभिन्न आभूषणों का प्रसंग आया है, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि सोने-चाँदी के आभूषण इत्यादि भी बनाये जाते थे।⁷ अभिधानचिन्तामणि⁸ में सोने के लिए सुवर्णम्, स्वर्णम्, हेम, हिरम्यम्, हाटकम्, वसु, काञ्चनम्, अष्टापदम्, कल्याणम्, कनकम्, महारजतम्, ;,, गाङ्गेयम्, रुम्यम्, कलघौतम्, लोहोत्तमम्, वहिनबीजम्, गारुडम्, गैरिकम्, जातरुपम्, तपनीयम्, चामीकरम्, चन्द्रम्, अर्जुनम्, निष्क, कार्तस्वरम्, कर्बुरम्, जाम्बूनदम्, शातकुम्भम् राजतम्, भूरि, भूतमम् शब्द प्राप्त होते हैं तथा चाँदी के रुप्यम्, कलघौतम्, तारम्, रजतम्, खेतम्, दुर्वर्णकम्, खजूरम्, हिमांशु, हस, कुमुद नाम प्राप्त होते हैं। देशीनाममाला⁹ में स्वर्णकार के लिए

1 बी० के जैन, ट्रेड एण्ड ट्रेडर्स . पृ० 69

2 शारङ्गधर पद्धति, संपादित-पीटर्सन 1888-4672-79

3 इति० एण्ड डाउसन, II, पृ० 33, 227

4 बाम्बे गजेटियर, I Pt I पृ० 513

5 युक्ति, पृ० 170VI, 24-29

6 प्रबन्धचिन्तामणि, पृ० 123

7 जायसवाल उमा, "प्राचीन एवं पूर्व मध्याकालीन भारत में सुवर्णकारों की सामाजिक स्थिति," जै० ग० जे० के० वि० इलाहाबाद, जिल्द XXXVI, भाग 1-4 पृ० 24-8-260

8 अभिधान चिन्तामणि, 108, 109, पृ० 256-57

9 देशीनाम, पृ०-१११ 54 V 39

झरो तथा दिअञ्जो शब्द प्राप्त होते हैं। क्षेमेन्द्र ने कलाविलास के आठवे अध्याय में स्वर्णकार का उल्लेख किया है।¹ पुरातन प्रबन्ध संग्रह² तथा प्रबन्धकोश³ में भी स्वर्णकार एवं स्वर्ण से संबंधित उल्लेख प्राप्त होते हैं। धातुओं की मूर्ति बनाने वाले रूपकार⁴ तथा पीतल के सामान बनाने वाले पीतलहार⁵ कहे जाते थे। पुरातन प्रबन्ध संग्रह⁶ में भी पीतल का उल्लेख हुआ है।

चर्म उद्योग

ग्यारहवीं-बारहवीं सदी में प्रचलित उद्योगों में चर्म उद्योग भी एक था। यद्यपि प्रबन्धचिन्तामणि में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता है तथापि अन्य प्रबन्ध एवं अन्य ग्रन्थों में चर्म उद्योग से सम्बन्धित प्रसंग आए हैं।

राजशेखर के प्रबन्धकोश में चर्मकार तथा चर्म से बने सामानों का उल्लेख मिलता है।⁷ इसी प्रकार के विवरण पुरातन-प्रबन्ध संग्रह⁸ में भी प्राप्त होते हैं। हेमचन्द्र ने भी अपने शब्दकोशों में चर्मकार से सम्बन्धित शब्द दिए हैं।⁹ उन्होंने जूते बनाने वालों का उल्लेख किया है। चमड़े के जूते सर्वाधिक लोकप्रिय तथा जनसाधारण रूप से प्रयोग किए जाते थे¹⁰ चर्म के ही अन्य सामान भी बनते थे। पानी ले जाने के लिए थैला (बैग) होता था। 'चिरिका' चर्म का ही एक बड़ा थैला को 'चिरिका' कहते थे बनता था, जिसको हेमचन्द्र ने 'चर्म-मय-जलमाण्ड' कहा है। तेल रखने वाली चमड़े की बोतल को हेमचन्द्र ने 'कुटुप' कहा है।¹¹

गुजरात क्षेत्र में चर्म-उद्योग प्रचुर मात्रा में होता था जिसका उल्लेख मार्को पोलो¹² ने किया है। उसके अनुसार गुजरात में बहुत से चर्म का प्रयोग होता था। ये चमड़ा अधिकतर भेड़, भैंस, जगली बैल, गैंडा तथा अन्य जगली जानवरों का होता था। तैयार चमड़े (Tanned leather) से जूते तथा थैले बनाए जाते थे। कम्बे (खम्भात) प्राचीनकाल से ही सैडल बनाने के लिए प्रसिद्ध था। नवीं शताब्दी का मसूदी यह वर्णन करता है कि

1 कला वि०, न० 1.

2 पु० प्र० सं०, पृ० 2,8,25,83,113

3 प्रबन्धकोश, पृ०-067,79,81,82,92,101,111,120,121

4 खजुराहो जैन इमेज, इसक्रिसन, एपि० इंडि० 1. पृ० 151

5 सेमर ग्राट आफ परमार्दि, एपि इंडि० I, IX 153-170

6 पु० प्र० सं०, पृ० 52

7 प्रबन्धकोश, पृ० 28,82.

8 पु० प्र० सं०, पृ० 38,39

9 अभिधानचिन्तामणि, पादुकाकृत, चर्मकृत; देशीनाम, 1 33 अध्याय II 37 कुट्टाओं, VII, 578, पृ० 228

10 सदेशरासक V. 141

11 देशीनाम, 11.21, V, 22

12 युले, मार्कोपोलो, भाग II, पृ० 383

कैम्बे की सैडल बहुत प्रसिद्ध थी।¹

विदेशी व्यापार के लिए चमड़े की चटाईयो का प्रयोग महत्वपूर्ण था। मार्को पोलो ने इनके सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन किया है। इन चटाईयो को लाल और नीले चमड़े पर पक्षियो तथा जानवरो के चित्र अंकित करके बनाया जाता था तथा सोने और चाँदी के जरी के तार से कढ़ाई की जाती थी जिनको मुसलमान लोग सोने के लिए प्रयोग करते थे। मार्को पोलो के अनुसार गुजरात् ही विश्व भर मे सबसे अच्छा और महगा चमड़े का सामान बनाता था²

प्रबन्धचिन्तामणि मे चर्म-उद्योग की जानकारी न मिलने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस ग्रन्थ के लेखक जैन आचार्य थे तथा इसमे जैन धर्म का ही अधिक महत्व रहा है। जिससे इसके लेखन में चर्म-उद्योग को महत्व नहीं दिया था।

पाषाण तथा काष्ठ उद्योग

प्रबन्धचिन्तामणि मे बहुत से मदिरोँ तथा भवनों के निर्माण करवाने का उल्लेख प्राप्त होता है। ये भवन तथा मदिर प्राय लकडियो तथा पत्थरो से बनते थे। कुछ पुराने लकडी के मदिरो को प्रस्तर मदिरो में पुनर्निर्मित किए जाने का उल्लेख भी मिलता है। इस प्रकार लकडी तथा पत्थर के कार्य करने वालों का भी एक वर्ग बन गया था। भवन निर्माण अपनी उन्नत अवस्था मे था। समकालीन बहुत से लेखो मे अनेक नगर जैसे-अणहिलपाटन, धवलका केंबे तथा भडौच और अन्य नगर आवासीय भवनों से युक्त थे। इसके अतिरिक्त बहुत से बडे और सुन्दर मन्दिरोँ का निर्माण इस काल में हुआ था।³ इस व्यवस्था में बहुत से बुद्धिमान शिल्पि तथा सामान्य श्रमिक भी थे। इसमे अन्य सहायक उद्योगों को भी बढावा मिला यथा लकडी तथा पत्थर काटने के उपकरण निर्मित करना, ईटो का निर्माण कार्य करना, गारा-चूना का कार्य, पत्थरो पर सुन्दर डिजाईन से प्रतीत होता है कि लोहे के अच्छे उपकरणों का भी प्रयोग होता था। प्रबन्धकोश⁴मे पाषाण तथा काष्ठ का उल्लेख कई स्थानों पर आया है। पुरातन प्रबन्ध सग्रह⁵मे भी काष्ठ का कार्य करने वालों के प्रसंग आए है। हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि में पत्थर के लिए पाषाण, प्रस्तरा, दृषत्, ग्रावा, शिला, उपला शब्द बताए है।⁶ देशीनाममाला⁷में भी काष्ठ उपकरण

- 1 फेरन्डः, Cpcit 95,
- 2 मार्कोपोलो-332-33
- 3 ए० के० मजुमदार, चौलुक्य ऑफ गुजरात पृ० 261
- 4 प्रबन्धकोश, पृ० 628, 52, 81, 91, 130
- 5 पु० प्र० स०, पृ० 5, 8, 84, 117
- 6 अभिधानचिन्तामणि 101 श्लोक, पृ० 255
- 7 देशीनाम-VI-15, V-7, 11-39, 11-47.

के नाम मुसलम् उडुप , कुबिल्लम् कोट्टिम्बो प्राप्त होते हैं।

ग्यारहवीं शताब्दी में मदिरो के निर्माण के लिए पत्थरो का प्रयोग अधिकता से होता था। माउट आबू पर बने सगमरमर के मदिरो उत्कृष्ट प्रकार से बनाए गए थे। काले पत्थरो से निर्मित मूर्तियाँ भी प्राप्त होती थी¹ अपराजितपृच्छा में तथा अन्य साक्ष्यों से यह विदित होता है कि मूर्तिकारों का एक अलग शिल्प वर्ग ही था। कल्हण की राजतरंगिणी में यह उल्लेख है कि एक राजा ने हजारों मठों का निर्माण करवाया।² राजा हर्ष ने बहुत भव्य भवन निर्मित करवाया था।³ अल इदरीसी का कहना है कि मसूर में मकान, ईट खपरैल तथा पलस्तर से बनते थे।⁴ ब्रोच में भी ईट तथा पलस्तर की सहायता से मकान बनाये जाते थे। लकड़ी के कार्य में नक्काशी मकानों के मुख्य भाग⁵ को सजाने के लिए गुजरात में किया जाता था। ढाका-सम्राज्य⁶ में एक लकड़ी की मूर्ति में शिल्पकार की कला देखने योग्य है। इसके अतिरिक्त रोजाना प्रयोग की जाने वाली बहुतसी लकड़ी से निर्मित होती थी। नाव तथा पलग, कुर्सी, कोच, स्टूल तथा हर प्रकार के खिलौने लकड़ी के बने होते थे।⁷ लकड़ी के पुल भी बहुत से प्रमुख मार्गों पर बनाए गये थे।⁸ वर्धकी (तक्षक) अपनी कला में बहुत निपुण होते थे। कथासरित्सागर⁹ में एक वर्धकी ने लकड़ी का एक हंस का जोड़ा मशीन से बनाया तथा उसे एक लड़ी (String) से जोड़ा।

इस प्रकार इन साक्ष्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि गुजरात के क्षेत्र में ग्यारहवीं शताब्दी में भवन-निर्माण में लकड़ी की अपेक्षा पत्थर का अधिक प्रयोग होने लगा था। प्रबन्धचिन्तामणि में भी भवन निर्माण में प्रस्तर का ही अधिक प्रयोग होने लगा था, तथा पुराने लकड़ी के भवनों एवं मदिरो का जीर्णोद्धार करवाने के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त उत्तर-भारत में लकड़ी तथा पत्थर का प्रयोग प्रचलित था।

-
- 1 एन० के भट्टसाली, इकोनोग्राफी ऑफ बुद्धिस्ट एण्ड ब्राह्मनिकल स्कुल्चर्स इन द ढाका म्यूजियम, पृ० XVII XVIII
 - 2 राज० VII 608
 - 3 वही, VII, 611.
 - 4 इलि० एण्ड० डासन०, पृ० 78, 87
 - 5 वर्गस एण्ड कूजन, आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ बेस्टर्न इंडिया पृ० 52
 - 6 एन० के भट्टसाली, पृ० XXI
 - 7 नर्ममाला, I, 134
 - 8 महापुराण, II, 29, 32
 - 9 कथासरित्सागर, III, पृ० 282

मृण्भाण्ड उद्योग

मृण्भाण्ड शिल्प अत्यन्त प्राचीन शिल्प है। प्रबन्धचिन्तामणि¹ में कुम्भकार का उल्लेख अनेक स्थानों पर आया है। इसके अतिरिक्त मिट्टी के बर्तनों का उल्लेख अनेक स्थानों पर आया है। मिट्टी के बर्तनों को भी उपयोग में लाया जाता था। तत्कालीन समाज में कुम्भकार तथा मृण्भाण्ड शिल्प का महत्वपूर्ण स्थान था। आर्लिंग नामक कुम्भकार को चौलुक्य नरेश कुमारपाल द्वारा भूमि दान देने का उल्लेख भी प्रबन्धचिन्तामणि में हुआ है। प्रबन्धकोश में कुम्भकार के लिए कुलाल शब्द का उल्लेख हुआ है। तथा मिट्टी से निर्मित बर्तनों के प्रसंग भी प्राप्त होते हैं।² चौलुक्य नरेशों के अभिलेखों³ में भी कुम्भकार का उल्लेख हुआ है।

ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के साक्ष्यों में भी इनके विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। कथासरित्सागर⁴ तथा राजतरंगिणी⁵ में भी मिट्टी का कार्य करने वालों के उल्लेख मिलते हैं। घरेलू सामानों में - स्याही की दवात, दीपक, तश्तरिया, पकाने के बर्तन लोटा घड़ा इत्यादि मिट्टी के बने होते थे⁶ इनके अतिरिक्त लाल या भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन ढाका के सग्रहालय में देखे जा सकते हैं।⁷ मिट्टी के सामान सरस्ते होने के कारण आम लोगों द्वारा अधिक प्रयोग किए जाते थे। उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र तथा कच्छ की मिट्टी उत्तम श्रेणी के बर्तन बनाने के लिए उपयुक्त थी।

चीनी उद्योग

ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में देश में गन्ने की पैदावार बगाल, मध्य भारत, कश्मीर तथा राजपूताना में होती थी। इनमें बगाल तथा दक्षिणी भारत चीनी बनाने में अग्रणी थे। प्रबन्धचिन्तामणि⁸ में भी गन्ने तथा उसके रस से बनने वाले खाद्य प्रदार्थों का उल्लेख हुआ है। इसके समकालीन साहित्यिक ग्रन्थ द्वयाश्रयकव्य⁹ में भी गन्ने का उल्लेख मिलता है देशीनाममाला में गन्ने के रस को बनाने वालों के लिए हेमचन्द्र ने तूओ (इक्षु-कर्मकर) शब्द प्रयुक्त किया है।¹⁰ चीनी बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का उल्लेख देशीनाममाला में प्राप्त होता है।

- 1 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरु., 1 77 111 टॉनी 3, 117, 180
- 2 प्रबन्धकोश 5, 64, 43, 51, 66, 67, 68
- 3 एपि० इंडि०, भाग I, पृ० 166
- 4 कथासरित्., V पृ० 23 II पृ० 226
- 5 राज., VII
- 6 आर० सी० मजुमदार एच० वी० भाग 1 पृ० 656
- 7 एन० के० भट्टसाली, पृ० XXII (प्लेट, Ixa)
- 8 प्रबन्धचिन्तामणि टॉनी पृ० 70
- 9 द्वयाश्रय III 9
- 10 देशीनाम V 16

गन्धम् एक छडी थी जिससे गन्ने को निचोडा जाता था। इक्षु निपीडन काण्डम्¹ और पीडम् तथा कोल्हू गन्ने को दबाने वाली मशीन थी जिसे इक्षु पीडन काण्डम्² के रूप में उल्लिखित किया है, जो एक पुराना गन्ने का रस निकालने का यन्त्र था और बास का बना होता था।

सुगन्धित पदार्थों का उद्योग

गुजरात क्षेत्र में सुगन्धित पदार्थों का प्रयोग अधिक मात्रा में होता था। प्रबन्धचिन्तामणि में भी चन्दन कस्तूरी केसर तथा इनसे बनने वाले उपयोगी पदार्थों का भी उल्लेख मिलता है। देशीनाममाला में प्राप्त बहुत से मल्हमों के पर्यायवाची से यह पुष्ट होता है कि ये सुगन्धित पदार्थ सफाई-सजावट के लिए प्रयुक्त होते थे। सलखमपुरी के व्यापारी केवल अनाज चीनी तथा सूती धागो इत्यादि का व्यापार नहीं करते थे बल्कि वे मूंगा, चन्दन, कपूर, कस्तूरी, कुकुम, अगरु, मालपत्र, जायफल, हींग इत्यादि भी बेचते थे तथा उन पर कर भी भुगतान करते थे।³ अबुल फजल कहता है कि नोसरी में एक सुगन्धित तेल बनता था जो भारत में कहीं नहीं मिलता था।⁴

इन उद्योगों के अतिरिक्त कुछ छोटे उद्योग भी अस्तित्व में थे।

शिल्प एवं शिल्पी

शोध आधृत ग्रन्थ प्रबन्धचिन्तामणि युगीन (ग्यारहवीं-तेरहवीं शताब्दी) में उत्तर-पश्चिमी भारत में विभिन्न उद्योगों के प्रचलित होने का परिचय विभिन्न स्रोतों से भी प्राप्त होता है। इन उद्योगों में कार्य करने वाले शिल्पियों तथा कर्मकरों का समाज में एक वर्ग बन गया था। जिनमें विभिन्न जाति के लोग आते थे। इनमें कुछ शिल्पकार चतुर्थ वर्ण (शूद्र) में आते थे, परन्तु कुछ निम्न स्तर का कार्य करने वाले (चर्मकार, डलिया बनाने वाले इत्यादि) शिल्पी अन्त्यज के अन्तर्गत आते थे।

प्रबन्धचिन्तामणि⁵ में विभिन्न शिल्पकारों कुम्भकार, पुरकुम्भकार लौहकार, छिम्पिकया, तैलिक, चणक-विक्रेता, चिकित्सक, रत्न-परीक्षक, कास्यकार, सूचिका-वेशकार इत्यादि का उल्लेख आया है।

प्राचीन काल से ही आर्थिक-व्यवस्था की दृष्टि से चार प्रकार के शिल्पी तथा कारीगर होते थे। पहले वर्ग

1 वही IV-45

2 देशीनाम; II 33

3 इडि० एटी० VI न० 6 पृ० 202, प्लेट 2 II 8-24 वी० के० जैन प० 65)

4 आहने अकबरी, II, 262

5 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरु; पृ० स० 56, 69, 53, 77, 111, 123, 32, 73

मे वे शिल्पकार थे जिन्हे वस्तु के रूप में निश्चित वेतन प्राप्त होता था, दूसरे वर्ग में वे शिल्पी का अपना अलग गाँव होते थे।, तीसरे वर्ग के लोगो को राजा, मुखिया या धार्मिक सस्थाओं द्वारा विस्थापित किया जाता था तथा चतुर्थ वर्ग के लोग वे शिल्पी थे जिनका शहरो में अपना निश्चित क्षेत्र होता था।¹

प्रबन्धचिन्तामणि में प्राप्त विभिन्न उल्लेखों द्वारा उस काल के शिल्प तथा उद्योग धन्धों की सम्पन्नता के विषय में ज्ञान होता है। इनमें से बहुत से उद्योग इन्हीं शिल्पियों द्वारा चलाए जाते थे। इन शिल्पकारों में कुम्हार, वर्धकी लौहकार स्वर्णकार चर्मकार तथा वेशकार महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। जो त्कालीन व्यापार उद्योग की समृद्धि में सहायक थे।

प्रबन्धचिन्तामणि में यत्र-यत्र आभूषणों का उल्लेख प्राप्त होता है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि तत्कालीन समाज में स्वर्णकार भी थे। इनके द्वारा निर्मित आभूषणों को राजा-रानी तथा सामान्य लोग धारण करते थे। अन्य समसामयिक ग्रन्थों में भी स्वर्णाभूषणों के लोकप्रिय होने की जानकारी प्राप्त होती है। हेमचन्द्र कृत 'अभिधानचिन्तामणि (12 हवी शता०) में विभिन्न धातुओं में स्वर्ण-रजत का उल्लेख प्राप्त होता है।² इस कथन की पुष्टि इस बात से होती है कि स्वर्णकार के लिए तत्कालीन कोशों में विभिन्न शब्दावलियों मिलती है। अभिधानचिन्तामणि³ में इसके चार पर्याय नाडिन्धम,, स्वर्णकार, कलाद तथा मुष्टिक बताए हैं। देशीनाम माला⁴ में झरो तथा दिअज्जो शब्द मिलते हैं। तथा पुरातनप्रबन्ध⁵ सग्रह तथा प्रबन्धकोश⁶ में भी स्वर्णकार एवं स्वर्ण से संबंधित प्रसंग प्राप्त होता है। कथाकोशप्रकरण (1051) ईस्वी⁷ में जिनेश्वरसूरि ने स्वर्णकार को निम्न कोटि के शिल्पियों में गिनाया है। क्षेमेन्द्र ने अपने कलाविलास के आठवें सर्ग में स्वर्णकार की उत्पत्ति एवं कार्य का विवेचन किया है⁸ वृहन्नारदीय पुराण (9वीं श० ई०)⁹ में स्वर्णकार की अनुष्ठानिक स्थिति बुनकरो से निम्न परन्तु चर्मकार, चाण्डाल, शिकारी, तथा घोबी, कुम्भकार और लौहकार से उच्च बतायी गयी है।

-
- 1 मैक्स वेबर, द रिलीजन ऑफ इण्डिया पृ० 95 उद्धृत द्वारा वी० एन० एस० यादव, पूर्वोद्धृत पृ० 45
 - 2 अभिधान चिन्तामणि १०३-१०५ श्लोक पृ० 256-57
 - 3 वही० पृ० 226
 - 4 देशीनाम पृ० III 54 v. 39
 - 5 पु० प्र० सं० २२६-२५२-२६१-२७३
 - 6 प्रबन्धकोश पृ० 67, 79, 81, 82, 92, 101, 11, 120, 121
 - 7 कथाकोश प्र०, इन्दोक्शन 116-117
 - 8 कलाविलास न० 1
 - 9 सोसाइटी एण्ड कलचर, यादव, पृ० 46

प्रबन्धचिन्तामणि¹ में लौहकार का उल्लेख मिलता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य समसामयिक ग्रन्थों में भी लौहकार एव विभिन्न लौह-उपकरणों यथा-क्षुरिका तलवार भाले, हल फाल, कुद्दाल, खनिज इत्यादि के प्रसंग प्राप्त होते हैं। पूर्व मध्यकाल में लौहकार को भी निम्न स्तर का माना जाता था। पुरातन-प्रबन्ध सग्रह में भी लौह निर्मित खनित्र कुद्दाल खड्ग क्षुरिका, कृपाण इत्यादि के अतिरिक्त लौहकार का भी उल्लेख हुआ है।² राजशेखर के प्रबन्धकोश में खड्ग, कृपाण कुद्दाल का उल्लेख आया है।³ अभिधानचिन्तामणि⁴ में कुद्दाल के लिए गोदारणम् तथा खनित्र के लिए अवदारणम् शब्द का प्रयोग किया है जो खोदने के काम आते थे। इसी ग्रन्थ में लौहकार के लिए तीन नाम ब्योकरा कर्मार, लोहकार प्राप्त होते हैं।⁵ हेमचन्द्र के ही देशीनाममाला⁶ में लोहार के लिए इकारो, लौहकार, फूओं शब्द आए हैं, जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि तत्कालीन समाज में इस शिल्प वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था।

प्रबन्धचिन्तामणि⁷ में मृष्माण्ड शिल्प की उन्नति की भी सूचना मिलती है। इन शिल्पियों के लिए कुम्भकार एव कुलाल दो शब्दों का प्रसंग आया है। एक अन्य स्थल पर नगर क्षेत्रवासी कुम्भकारों के लिए पुरकुम्भकार का प्रयोग हुआ है।⁸ इससे यह प्रतीत होता है कि उनके कुम्भकारों की सामाजिक स्थिति ग्राम के कुम्भकार से भिन्न होती थी। इसी कृति में एक स्थल पर आलिंग नामक कुम्भकार को राजा कुमारपाल द्वारा ग्राम दान देने का उल्लेख है। जिससे कि अन्य शिल्पियों की अपेक्षा कुम्भकार की उक्त सामाजिक स्थिति की पुष्टि होती है। प्रबन्धकोश में भी कुलाल शब्द का उल्लेख आया है तथा मृष्माण्ड के बहुश प्रसंग भी प्राप्त होते हैं।⁹ चौलुक्य नरेशों के अभिलेखों में भी कुम्भकार का उल्लेख हुआ है।¹⁰ इनके अतिरिक्त तत्कालीन विभिन्न साहित्यिक ग्रन्थों में कुम्भकार का उल्लेख हुआ है।¹¹

उपर्युक्त शिल्पियों के अतिरिक्त प्रबन्धचिन्तामणि में छिम्पिकया, रत्न-परीक्षक, कास्यकार, सूचिका या देशकार

- 1 प्रबन्धचिन्तामणि, मेंरू पृ० 123
- 2 पु० प्र० सं०, 1,3,10,39,40,52,59
- 3 प्रबन्धकोश, पृ० 63,62,24
- 4 अभिधानचिन्तामणि, ५५६, पृ० 222
- 5 वही, II 584, पृ० 229.
- 6 देशीनाम, VII-44, 1-144, VI-85
- 7 प्रबन्धचिन्तामणि, मेंरू पृ० 77
- 8 वही पृ० III
- 9 प्रबन्धकोश, 5, 43, 51,66, 67,68
- 10 एपि० इडि० भाग I पृ० 166
- 11 कथासरितसागर, V पृ० 23 II पृ० 226,

इत्यादि का उल्लेख मिलता है। इनके साथ ही चिकित्सक स्थापक, ताम्बूल विक्रेता, तैलिक चरवाहा इत्यादि का उल्लेख मिलता है। तत्कालीन अभिलेखों में भी इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है।

छिम्पिकया¹ नामक शिल्पी कपड़ों पर रंगाई का कार्य करती थी। तत्कालीन अन्य ग्रन्थों से इस रंगरेजा शिल्प पर प्रकाश पड़ता है। देशीनाममाला² एवं अभिधानचिन्तामणि³ में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। इससे तत्कालीन समाज में व्यवहृत वेश-भूषा के प्रति होने वाले शौक एवं तौर तरीकों का भी संकेत प्राप्त होता है। पुरातन-प्रबन्ध संग्रह⁴ में भी छिम्पिकया आया है।

प्रबन्धचिन्तामणि में एक स्थान पर कास्यकार ऋष्ट का उल्लेख हुआ है जहाँ आमड नामक एक वणिक का पुत्र घटी बजाकर पौंच विशेषक कमा लेता था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस काल में कास्य भाण्ड निर्माण उद्योग एवं व्यापार भी विकसित अवस्था में था।

आलोच्य ग्रन्थ में सूचिकार⁵ तथा वेशकार⁶ शब्दों का प्रयोग दर्जियों के लिए हुआ है। ये लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की सिलाई करते इस कार्य के लिए कभी-कभी राजाओं द्वारा पुरस्कृत भी किए जाते थे। पुरातन प्रबन्ध-संग्रह में भी सूचिका का उल्लेख हुआ है।⁷ इनके अतिरिक्त चिकित्सक, ताम्बूल-विक्रेता, तैलिक चरवाहों, इत्यादि भी आलोच्य ग्रन्थ में प्रसंगित हैं। अभिधानचिन्तामणि में चिकित्सक के लिए दोषज्ञ, भिषक, वैद्य, आयुर्वेदी, चिकित्सक, रोगहारी, अगदङ्कार पर्याय मिलते हैं।

-
- 1 प्रबन्धचिन्तामणि, टॉनी पृ० 82
 - 2 देशीनाम, VII 44
 - 3 अभिधानचिन्तामणि, II 584 229
 - 4 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरू 69. टॉनी 104
 - 5 वही०, मेरू- पृ० 32
 - 6 वही०, पृ० 73
 - 7 पु० प्र० सं०, पृ० 119

सप्तम् अध्याय

कराधान के सिद्धान्त तथा व्यवहार

कराधान के सिद्धान्त तथा व्यवहार

किसी भी राज्य के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सुदृढ अर्थ-व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है और राजस्व राजकीय आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अधीतकाल में विभिन्न प्रकार के करों के साहित्यिक तथा अभिलेखिक प्रमाण प्राप्त होते हैं।

प्रबन्धचिन्तामणि में भी विभिन्न प्रकार के करों-धन-धान्य पर वसूल किया जाने वाला कर, तीर्थयात्रियों से लिया जाने वाला कर इत्यादि, का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में वर्णित चौलुक्य राजाओं के अनेक अभिलेख भी प्राप्त होते हैं जिनमें अनेक करारोपण के विवरण प्राप्त होते हैं। भूमिकर, कृषिकर, सिंचाईकर, तीर्थयात्रा-कर, व्यापारिक वस्तुओं पर लगने वाले कर इत्यादि तत्कालीन राजस्व-व्यवस्था के प्रमुख स्रोत थे। इनके अतिरिक्त कर वसूल करने वाले अधिकारी एवं विभिन्न सस्थाओं के प्रसंग से भी तत्कालीन सुदृढ राजस्व-व्यवस्था होने के संकेत प्राप्त होते हैं।

यद्यपि प्रबन्धचिन्तामणि में प्रमुख रूप से तीर्थयात्रा पर लगने वाले कर¹ तथा 'राजदेय-विभाग से सम्बन्धित सस्यनिदानि भूतादानि सम्बन्धे'² एव सपत्ति जब्त करने इत्यादि का ही उल्लेख प्राप्त होता है। तत्कालीन अभिलेखों में प्रमुख रूप से सहिरण्य भाग-भोग कर का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त चौलुक्य नरेशों के अभिलेखों में दानीभाग³ नवनिधान,⁴ भूतबात-प्रत्याय,⁵ मार्गणक⁶ का प्रसंग प्राप्त होता है। 600 ई० में से 1200 ई० के काल के अभिलेखों में करों और उपकरों की सबसे लम्बी सूची चौलुक्य राजा भीम द्वितीय के 1230 ई० वी० के (किराड) अभिलेख में है।⁷ जिससे ज्ञात होता है कि फलो और वस्तुओं जैसे मेथी, आंवला, बहेडा, मजीष्ट, हींग, त्रपुक, हिंगुल, श्रीखड, कर्पूर, मालपत्र, जायफल, जावित्री, नारियल, हरड, ईख, गूगुल, मिर्च, मरुमास, बथलेह, चीमहल, खजूर इत्यादि पर भी कर लगाया जाता था।

चौलुक्य लेखों के ही नहीं वरन् विभिन्न राजवंशों जैसे परमार, प्रतीहार, गहडवाल, कल्चुरि, चाहमान इत्यादि

1 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरु पृ० 57, टॉनी पृ० 84

2 वही, पृ० 53.

3 इकोनोमिक लाईफ ऑफ नार्दन इंडिया पृ० 64

4 वही, 64

5 वही, 64

6 ए० के० मजूमदार, चौलुक्य ऑफ गुजरात पृ० 250, इडि० एटी० xvii पृ० 80

7 इडि-एटी, vii पृ० 202

के भी अनेक अनुदान सम्बन्धी अभिलेख का उल्लेख आता है। "हिरण्य भाग-भोग, उपरिकर-सर्वादाय-समेत आदि का भी अनिवार्य रूप से उल्लेख मिलता है। इससे प्रमाणित होता है कि उस समय भू-राजस्व कराधान का प्रमुख अंग था तथा भाग, भोग, कर हिरण्य एवं उपरिकर उस समय के महत्वपूर्ण कर थे।

कराधान का प्रयोजन एवं सिद्धांत

राज्य की अर्थव्यवस्था को सतुलित रखने के लिए करारोपण आवश्यक होता है। इसके लिए राज्य मेबहुत से नियमकानूनो का सृजन भी प्राचीन विधि-वेत्ताओं ने किया है प्राचीनकाल से सम्पूर्ण भूमि का स्वामी राजा को माना जाता था। अतः प्रजा की रक्षा करने का दायित्व भी राजा का ही होता था इसलिए उपज में षष्ठांश भाग के रूप में राजा को प्राप्त होता था। भूमि के अतिरिक्त राज्य की सुरक्षा हेतु भी राजा के कर्तव्य थे जिसके लिए उसे सैनिक तथा सैन्य सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाओं को करने के लिए भी व्यय करना पड़ता था, जिसकी पूर्ति के लिए भी करारोपण आवश्यक था।

व्यापार तथा वाणिज्य के माध्यम से भी राज्य को आर्थिक लाभ प्राप्त होता था। सुदूर देश तथा विदेशों से पण्य (सौदा) तथा सार्वथाह इत्यादि के आवागमन हेतु भी सुचारु व्यवस्था करना राजा का कर्तव्य था। राजा उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करता था, जिसके बदले में उसे शुल्क आदि प्राप्त होता है। मेघातिथि (9वीं शता०) इस बात पर जोर देती है कि शुल्क जंगलो से होकर गुजरने वाले काफिलों पर उनकी डाकुओं, जगली-जातियों, तथा कतिपय आततायी शसको द्वारा लूटने से सुरक्षा करने पर हुए खर्च को ध्यान में रखकर कर वसूल करना चाहिए। तत्कालीन अन्य साहित्यिक साक्ष्यों में भी व्यापारियों को लूटने की प्रक्रिया के उद्धरण प्रसंगित हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि उस काल में लूट-पाट की प्रक्रिया बढ गयी थी। वस्तुपालचरित में घुघुल द्वारा लूट का कार्य करना प्रसंगित है इसके अतिरिक्त व्यापार के क्षेत्र में अन्य कर जलपथ कर, वेलाकुल करण इत्यादि भी थे।

इनके अतिरिक्त प्रबन्धचिन्तामणि³ तीर्थयात्रा कर का उल्लेख आया है, जो संभवतः देवालया के रख-रखाव में होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए था।

इस प्रकार कृषि, भूमि तथा व्यापार वाणिज्य की सुचारु व्यवस्था का भार राजा पर होता था, वह उनके

-
- 1 मेघातिथि, परिचयमस्तुदुपकरणं सर्षिः सूपशाकादि घनादि च। योगक्षेममरण्ये कान्तारे वा गच्छतो राजभय, चौरभय निश्चौरता केल्यादि। एतदपेक्ष्य वणिग्भय करा अदातव्या ॥ VII, 127
 - 2 वस्तु०, पृ० 23
 - 3 मेरु, प्रबन्ध पृ० 54, टॉनी 79

लिए विभिन्न प्रकार से व्यवस्था करता था, जिसमे राज्य से व्यय भी करना पडता था, जिसकी पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के करारोपण का प्रयोजन किया जाता था। प्राचीन विधि-वेत्ताओं एव धर्मशास्त्र के रचयिताओं ने इसी प्रकार का विधान किया था। कि राजा प्रजा के सुविधा को ध्यान मे रखकर ही करारोपण करे, व्यर्थ मे प्रजा का उत्पीडन करके उनपर आवश्यकता से अधिक कर लगा कर केवल राजकोष की पूर्ति न करे। इसके लिए विभिन्न धर्मग्रन्थों मे अनेक सिद्धान्तो का प्रतिपादन हुआ है। धन लेने की युक्ति का वर्णन करते हुए सोमदेव ने लिखा है कि राजा इस प्रकार प्रजा से धन ले कि उसे कष्ट न हो। और ऐसी क्षति न पहुचाए कि भविष्य के स्रोत भी बन्द हो जाय।¹ कुल्लुक भट्ट का कथन है कि प्रजा का रक्षण करके धन ग्रहण करने से शास्त्र सम्मत है लेकिन ऐसा न करके धन ग्रहण करने से राजा अपयश का भागी होता है।² व्यापारियो से कर ग्रहण के सम्बन्ध में कुल्लुक भट्ट का विचार है कि क्रय-विक्रय मार्ग बाधा, लाभ आदि का ध्यान रखकर लेना चाहिए। जिस तरह जौक, बछड़ा, भौरा, मूल का नाश न करके थोडा-थोडा खून, दूध तथा पराग ही क्रमशः ग्रहण करते हैं उसी प्रकार राजा भी प्रजा से थोडा-थोडा ही कर ग्रहण करे।³ विज्ञानेश्वर की मान्यता है कि करारोपण का उद्देश्य प्रजा की रक्षा है। अतः जो राजा अपने राष्ट्र से अन्यायपूर्वक धन लेकर कोश की वृद्धि करता है वह सपरिवार नष्ट हो जाता है। राजा को चाहिए कि रिश्वत लेने वाले अधिकारियो का धन छीन कर उन्हे देश से निष्काषित कर दे।⁴

सामान्यतः कुछ लोगो को कर से मुक्त भी रखा जाता था। आपस्तम्ब के व्याख्याकार हरदत्त (1150-1300 ई०) ने विद्वान् ब्राह्मण, गरीब, अल्पवयस्क, अपाहिज, सन्यासी इत्यादि को कर मुक्त करने का विधान किया है।⁵ कुल्लुक भट्ट ने श्रोत्रिय ब्राह्मण को करमुक्ति प्रदान करने का उल्लेख किया है।⁶ अधीतकाल में उत्तर भारत में भूमिदान की परम्परा थी। ये सभी दान ब्राह्मणों को उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर या धार्मिक भावना से प्रेरित होकर धार्मिक पर्वों के अवसर पर या पितरो की स्मृति मे पुण्यार्थ दिए गए। उपर्युक्त उल्लेखों से विदित होता है कि करारोपण के सामान्य सिद्धान्त इतने उच्च आदर्शों पर अवलम्बित थे कि उनकी तुलना किसी भी युग के करारोपण के सिद्धान्तो से की जा सकती है। मनु के टीकाकार कुल्लुक भट्ट ने कर लगाते समय शासकों को यह सलाह

1 नीतिवाक्यामृतम्, 7/24-25 16 23-26 29/100

2 कुल्लुक भट्ट, 7/111-112 मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनभेक्षया। सोऽचिराद् भ्रम्यते राज्याञ्जीविताश्च सवान्धवः ॥

3 वही ७/127-129-ऋय विक्रयमध्वान. . . . कर ॥129.

4 विज्ञानेश्वर, 1/137-140

5 हरदत्त, 2/10 26

6 कुल्लुक, श्रोत्रिय ब्राह्मणात्कर न गृहणीयात्। VII, 133

होने की आशका थी अतः ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए जनता को अपना सर्वस्व देकर भी राज्य की शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अधीतकाल में युद्धों की बहुलता के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। विदेशी आक्रमणों तथा आन्तरिक समस्याओं के दबाव में आत्यायिक परिस्थिति हर समय उपस्थित रहने लगी। आत्यायिक परिस्थिति में कराधान की जो छूट शास्त्रकारों ने दी है वह राजा या राज्य की निरकुशता को बढ़ावा देने के लिए नहीं, अपितु सामूहिक विनाश की सभावना से जनता के उद्धार के लिए थी। स्मृतिकारों¹ ने भूमिकर के रूप में केवल उपज के 1/6 भाग को ही मान्यता दी है। आपात स्थिति में उसे बढ़ाकर 1/4 या 1/2 भी किया जा सकता था।

प्रबन्धचिन्तामणि² में एक स्थान पर यह प्रसंग प्राप्त होता है कि एक बार गुजरात देश में वर्षा के अभाव में प्रजा उत्पादन में से निश्चित भाग राजा को नहीं दे सकती थी (राजदेय विभाग निर्वाहक्षमेषु)। अतः कर उगाहने हेतु नियुक्त अधिकारी प्रजा को राजा के पास पत्तन ले आए। एक दिन प्रातः काल राजकुमार मूलराज वहाँ घूम रहा था तो उसने देखा कि राजा के अधिकारियों के द्वारा प्रजा को सताया जा रहा था। प्रत्येक उत्पीड़न की जानकारी होने पर राजा ने सभी को राजा का भाग देने से मुक्त करने को कहा तथा अगले वर्ष अधिक अनाज पैदा होने पर राजा को दोनों वर्षों का भाग देने को कहा लेकिन राजा ने उसे लेने से इकार कर दिया। इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि शासक प्रजा के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण भी अपनाते थे। इस प्रकार की उदारवादिता निश्चय ही अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक व्यवस्था, श्रम में वृद्धि, हेतु तथा कारों की चोरी को हतोत्साहित करने आदि की स्थितियों में की गयी होगी।

राज्य द्वारा प्रजा से लिए जाने वाले कर विभिन्न प्रयोजनों के आधार पर लगाए जाते थे। प्राचीन काल से ही राजा को प्रजा की रक्षा करने के बदले में 1/6 भाग प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जिसकी पुष्टि अधीतकाल में भी शास्त्रकारों द्वारा की गयी है। धार्मिक प्रयोजन से भी कर ग्रहण करने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। प्रबन्धचिन्तामणि में एक प्रसंग में मयणल्लदेवी गुजरात के राजा को बाहुलोड नगर तीर्थ में प्रवेश हेतु कर न दे पाने के कारण सोमेश्वर नहीं जा सकी।³ एक अन्य प्रसंग में सिद्धराज के गवर्नर सञ्जन सौराष्ट्र में उज्जयन्त का मंदिर बनवाने के लिए तीन साल तक राजा को बताए बिना कर लेता रहा।⁴ इसी प्रकार अन्य

- 1 मनु०, 10/118-20 पूर्व उद्धृत
- 2 प्रबन्धचिन्तामणि मेरु पृ० 53, टॉनी पृ० 77
- 3 वही० पृ० 54, टॉनी 79
- 4 पृ० 65, टॉनी 69

अभिलेखों में भी धार्मिक-प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कर लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं।

आलोच्यकाल के अभिलेखीय साक्ष्यों का अध्ययन करने से भू-राजस्व की एक लम्बी शृंखला देखने को मिलती है। डी० सी० सरकार ने इनकी संख्या 59 तक बताई है।¹ अब केवल भाग, भोग, कर, हिरण्य, उपरिकर तथा दशापराध ही कर के मुख्य स्रोत नहीं थे बल्कि इस समय अनेक नवीन करों के उगाहने का भी कार्य होने लगा था।

करों के प्रकार

अधीतकाल के बहुत से साहित्यिक ग्रन्थों एवं अभिलेखों में अनेक प्रकार के करों के विवरण प्राप्त होते हैं। ये कर विभिन्न आधारों पर लगाए जाते थे। प्रायः कर भूमि, व्यापार-वाणिज्य, सिंचाई, जंगल इत्यादि पर लगते थे। भूमि पर लगने वाले करों से भाग, भोग, कर, हिरण्य, उद्रग, उपरिकर, दानीभाग, दानीभोग, भाग इत्यादि थे। इसी प्रकार सिंचाई से सम्बन्धि जलकर उदक भाग इत्यादि थे। व्यापार एवं वाणिज्य पर लगने वाले करों में घट्टादिदेय, भागीदाय, मण्डपिकादाय, शुल्क इत्यादि बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नवीन कर मार्गणक,² नवनिधान,³ भूतवात प्रत्याय,⁴ का उल्लेख भी चौलुक्य नरेशों के अभिलेखों में आया है। तत्कालीन अन्व राजवंशों के अभिलेखों में भी विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। कर वसूल करने के लिए विभिन्न संस्थाओं एवं अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। (जिनका विवरण आगे है) कुछ कर धार्मिक प्रयोजन के लिए होते थे। चौलुक्य नरेशों के विभिन्न अभिलेखों में पूजा हेतु दान एवं कर देने के उल्लेख प्राप्त होते हैं।

भाग

उपज का षष्ठाश परम्परागत राज्य का भाग होता था। यह साम्राज्य^५ उपज का छठा भाग था। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन भी हो सकता था।⁵ यह राजा का उपज का भाग था। इस प्रकार के कर की दर भूमि की उपजाऊ शक्ति⁶ के आधार पर 1/6 1/8, 1/10 तथा 1/12 भाग लिया जाता था। यह राजा की प्रभुता आधृत⁷ थी पश्चिमी भारत तथा राजस्थान में भू-राजस्व के रूप में उड़ंग और दानी शब्द का प्रयोग होता

8 वही-मेरु, पृ० 65; टॉमी 69.

1 डी० सी० सरकार, लैण्ड सिस्टम एण्ड फ्यूडलिज्म इन ऐस्यैट इण्डिया, कलकत्ता 1966.

2 ए० के० मजुमादार, चौलुक्य ऑफ गुजरात पृ० १५०

3 ल० गोपाल, इ० ला० ना० इ० पृ० 69

4 वही०,

5 डी० सी० गांगुली, द परमार इंसक्रिप्शन्स पृ० 26.

6 हरदत्त, गौतमप्रियाभरत, क्षेत्रे तस्य दशमभागोऽष्टः षष्ठो बांडशो राज्ञो बलिदानं कररूपेण देयः। उद्धृत धर्मकोश भाग 1, पार्ट 3, पृ० 1661

था।¹यू० एन० घोषाल²इसे राजा का उपज मे भाग बतलाते हुए कहते है कि इसके लिए अर्थशास्त्र मे भाग तथा स्मृतियों मे बलि शब्द का प्रयोग मिलता था। फ्लीट³भी भाग और भोग को एक दूसरे से भिन्न मानते है। क्षीरस्वामी⁴ तथा भट्टस्वामी⁵ ने भी उसे उपज मे राजा का षष्ठांश माना है। इसमे विभिन्न प्रकार की उपज वाले क्षेत्रों के आधार पर एक तिहाई या एक चौथाई भाग भी लिया जाता था। अल्तेकर ने भागकर और भोगकर को अलग-अलग माना है। उनके अनुसार भागकर भूमिकर है तथा भोगकर आकस्मिक कर।⁶

भोग

भाग के साथ ही भोग का उल्लेख भी साहित्य एव अभिलेखों मे प्राप्त होता है। कही भाग-भोग का उल्लेख है तो कही भोग-भाग का।⁷ चौहान तथा सेन अभिलेखों मे राजकीय भोग तथा राजभोग कर मिलता है।⁸ आर० एस० त्रिपाठी ने इसका अर्थ उपभोग लगाया है।⁹ डी० सी० सरकार ने इसका प्राथमिक अर्थ उपभोग माना है। उनके अनुसार बाद मे इस शब्द के अर्थ का लाक्षणिक विस्तार जागीर तथा उसके बाद मे जिले के एक भाग के रूप मे हुआ है।¹⁰ आर० के दीक्षित तथा ए० के० मजुमदार ने इसका सम्बन्ध अष्टभोगों से माना है।¹¹ दक्षिण भारतीय अभिलेखों मे ये अष्टभोग इस प्रकार है—(1) जखीरे (2) पृथ्वी के नीचे गडा हुआ धन (वेक्षेप) तालाब (जल) (4) पत्थर (खाने), (5) इस समय का लाभ (अक्षिणी), (6) भविष्य का लाभ (आगामी), (7) ऐसी भूमि जिसमे खेती हो रही है (सिद्ध) (8) ऐसी भूमि जिसे खेती योग्य बनाया जा सकता है (साध्य), परन्तु कुछ अभिलेखों मे ग्यारह¹² उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख है किन्तु उन्हें भी अष्टभोग कहा गया है। इसका अर्थ है कि अष्टभोग उपभोग की जाने वाली परम्परागत शब्दावली थी। उसमे आठ ही वस्तुएँ होना आनिवार्य नहीं थी।¹³

भोगवसूल करने वाले अधिकारियों के लिए भोगपति, भोगिन, भोगिक पदावलिया मिलती है। भोग वास्तव

-
- 8 यादव, वही पृ० 289
 1 वही, पादपाठ, 424, पृ० 317
 2 घोषाल, वैवेन्यू सिस्टम पृ० 349
 3 सी० आर्च०, III पृ० 349
 4 अमरकोश पर टीका, II 8 28
 5 अर्थशास्त्र II 15, जे० वी० ओ० आर० एस० XI III pt पृ० 83
 6 अल्तेकर, राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स पृ० 214-215
 7 इडि० एटी०, भाग VI पृ० 56, 16, 203, 255, 18/17, 131, 25/207, एपि० इडि० भाग 2/363, 3/58, 4/97, -113, 5/49. 10/99, 11/182, 18/1224, 299-323
 8 एपि० इडि०, भाग XI, पृ० 47
 9 हिस्ट्री ऑफ कन्नौज पृ० 348
 10 डी० सी० सरकार, एपि० इडि० XI, पृ० 48
 11 आर० के दीक्षित, जरनल ऑफ उ० प्रदेश हिस्टा० सोसाइटी पृ० 543
 12 एपि० इडि० I 32 42
 13 ओम्-प्रकाश, पूर्वोक्त 67, ए० के० मजुमदार, चौलुक्य पृ० 248, 456

मे राजा को सामयिक रूप से दिए जाने वाले पदार्थ जैसे- लकड़ी फल-फूल दूध आदि का बोध कराता है। लल्लन जी गोपाल के अनुसार भोग ऐसी सामग्री थी जो विशिष्ट अवसरों पर राजा को भेंट की जाती थी¹ ब्यूलर ने² भी उसे सामयिक रूप से ग्रामीणों द्वारा राजा को दिए जाने वाले फल-फूल, लकड़ी इत्यादि को ही भोग शब्द का स्पष्ट अर्थ माना है।³ इस तथ्य की पुष्टि मेघातिथि एव कुल्लूक⁴ की टीकाओं से भी होती है।

कर

कर' शब्द का प्रयोग विभिन्न अभिलेखों तथा साहित्यिक साक्ष्यों में हुआ है। कः' शब्द को विद्वानों ने भिन्न-भिन्न व्यवस्था दी है। भोज की समरांगणसूत्रधार⁵ सोमेश्वर की मानसोल्लास⁶ तथा धर्मशास्त्रस्थों में कर शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से विभिन्न करों के लिए किया गया है। चौलुक्यों के तथा अन्य राजवंशों के अभिलेखों में इसका प्रयोग प्रायः 'भागभोगकर' के रूप में हुआ है। परन्तु लक्ष्मीधर के गृहस्थ काण्ड में कर एक स्थिर कर के रूप में शिल्पियों तथा कृषकों से लिया जाता था⁷ यह एक अलग प्रकार का कर हो सकता है। हेमचन्द्र के द्वयाश्रयकाव्य में आए कर शब्द को अभयतिलक गणि ने भूमिकर बताया है।⁸ गुप्तकाल के बाद से कर का अभिप्राय सामन्तों द्वारा दी जाने वाली भेंट से लिया जाने लगा है।

अर्थशास्त्र में कर को शासक द्वारा लिया जाने वाला सामयिक अन्नभाग तथा सम्पत्ति पर लिया जाने वाला राजदेय माना गया है। यह नियमित राजस्व के अलावा आपत्तिकाल में वसूला जाने वाला राजदेय भी था। मनु ने इसे व्यापारियों से लिया जाने वाला लाभांश माना है। लल्लन जी गोपाल की धारणा है कि कृषकों से नियमित रूप से लिये जाने वाले उपज के भाग के अतिरिक्त जो कुछ नकद लिया जाता था उसे कर कहा गया है।⁹ मेघातिथि में कर का समीकरण द्रव्यदान तथा कुल्लूकभट्ट में ग्रामीणों या पुरवासियों द्वारा मासिक या भाद्रपद या पौषमास में दिए जाने वाले अशदान से स्थापित किया है।¹⁰ क्षीरस्वामी इसे अचल या चल सम्पत्ति पर लगाया गया एक अधिभार मानते हैं¹¹ राजतरंगिणी में कर का अर्थ बहुत से स्थानों पर भेंट से लिया गया है।¹² इस काल

1 इ० ला० ई०, पृ०, 36

2 एपि० इडि०, I 75 पा० टि०

3 मनु०, धान्यानामष्ट मो भाग, इत्यादिक तानि ग्रामाधिपति र्त्यर्थं गृहणीयात्। VII, 118

4 आन मनु, VIII, 307, पूर्वोद्धृत

5 समरांगण वितरन्त्यधिक यस्या भागभोगादिकान करान पृ० 29

6 मानसो I, फलक क्षेत्रानुरूपेण गृहणीयात् तत्करं नृय स्पीकुर्यादियषड् भागम् पण्योर्मधु सर्पिषः। 1 पृ० 44

7 गृहस्थकाण्ड, बलि उपायनम् कर कारुकृषीवलेम्यो नियतधानादनम् पृ० 225

8 आन द्वयाश्रय, कृषिपशुचारनदिकृत राजकीय अन्यदि पभोगकेतुक राजग्राह्यो भाग III, 18

9 लल्लन जी गोपाल, (इकोलानाइ पृ० 32-33.

10 मेघातिथि तथा कुल्लूक, बलि धान्ययाद षड्भाग, ग्रामवासिम्य प्रतिमास वा भाद्रपौषनियमेन ग्राह्य शुल्कं VIII, 307

के शब्दकोशों में कर भाग तथा बलि शब्द का प्रयोग भूमि-करके लिए हुआ है।¹अधीतयुग के भाष्यो में यह उल्लेख है कि वार्षिक भूमिकर या सामयिक कर जो कृषि-भूमि पर लगता था तथा राजा का भाग पर जो उपज तथा सम्पत्ति-भूमि तथा गायो पर लिया जाता था।²

हिरण्य - पश्चिम तथा उत्तर भारत के साक्ष्यो में प्राप्त होने वाले प्रमुख करो में से हिरण्य भी एक कर था विद्वानों ने उसका भिन्न-भिन्न अर्थ माना है। व्यूलर, शामशास्त्री मेमेर, फ्लीट, आर० डी० बनर्जी डी० आर० भण्डारकर तथा एन जी० मजुमदार ने इसका अर्थ 'सुवर्ण माना है।³ जबकि सेनार्ट⁴ ने इसे 'धन पर लिया जाने वाला कर माना है कीलहार्न⁵ ने 'नगद-भुगतान' तथा बोगेल⁶ ने 'नकद-कर' माना है। घोषाल⁷ ने इसे कुछ फसलो पर लिया जाने वाला नकद कर माना है। एन० सी० बन्धोपाध्याय ने इसे आयकर माना है।⁸ बेनी प्रसाद इसे सोने तथा अन्य कर पर आधारित कर मान लिया है।⁹ घोषाल ने हिरण्य को भाग से अलग करते हुए लिखा है कि यह भू-राजस्व का वह भाग था जो नकद रूप में लिया जाता था। डी० सी० सरकार तथा अन्य अधिकाधिक विद्वान इस बात से सहमत हैं कि यह वार्षिक राजस्व का वह भाग था जो नकद लिया जाता था। वास्तव में हिरण्य शब्द का अर्थ इससे लिया जा सकता था कि यह ऐसी वस्तुओं की उपज से सम्बन्धित था जो अधिक समय तक रखी नहीं जा सकती थी। ऐसी वस्तुओं पर लगा कर नकद रूप में देय होता था। अल्बेरुनी¹⁰ कहता है कि यह आयकर का एक रूप था जो लोगों पर लगाया जाता था। मानसोल्लास¹¹ में इसे सुवर्ण पर तथा पशुधन पर 1/50 वा राजदेय माना है।

धान्य और हिरण्य दोनों शब्दों का उल्लेख होने पर हिरण्य का अर्थ नकद में किया जाने वाला कर समझना चाहिए।

८८

-
- 14 क्षीरस्वामी, टीका 2 8 28
 - 15 राज०, VII 265-67, 991, VIII 1970
 - 1 बैजयन्ती, पृ० 107 1 89 अभिधानरत्नमाला 433
 - 2 ल० गोपाल, वही पृ० 38
 - 3 घोषाल, हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम, पृ० 60 पादपाठ 5
 - 4 एपि० इंडि०, VII पृ० 61-62
 - 5 वही, पृ० 160
 - 6 एटीक्यूटीज ऑफ चम्पा स्टेट, 167-69
 - 7 घोषाल, वही, पृ० 61-62
 - 8 बन्धोपाध्याय, कौटिल्य पृ० 139-40
 - 9 बेनी प्रसाद, द स्टेट इन एशियट इंडिया पृ० 302
 - 10 साचउ, भाग II, 149
 - 11 मानसो, पचाशतम आदेयो भाग पशुति वम्यायो। 1 44

उद्वग

घोषाल ने उद्वग को स्थायी काश्तकारो से लिया जाने वाला नियमित भूमिकर माना है।¹ अल्तेकर एव रोमा नियोगी ने इसे भाग के बदले मे लिया जाने वाला कर माना है।² दशरथ शर्मा, अशोक मजुमदार, बी० पी० मजुमदार ने इस धारणा से अपनी असहमति व्यक्त की है। तथा अभिलेखों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि चूकी भाग भोग के साथ ही उद्वग का भी नाम आया है अत इन दोनों को एक नहीं माना जा सकता है यह भाग-भोग के अलावा लिया जाता था।³ पुष्पा नियोगी ने इसे सैनिक स्थान (चौकी) पर लिया जाने वाला कर माना है।⁴ डी० सी० सरकार एव लल्लन जी गोपाल ने भी इसे स्थायी काश्तकारों से लिया जाने वाला नियमित भूमिकर माना है।⁵ अत विद्वानों की आम धारणा से यही पता चलता है कि यह किसानों से लिया जाने वाला नियमित भूमिकर ही था।

उपरिकर

घोषाल ने उपरिकर को अस्थायी काश्तकारो से लिया जाने वाला कर माना है।⁶ बार्नेट ने इसे राजकीय भाग माना है।⁷ अल्तेकर ने इसको भोग की तरह माना है। और समय-समय पर लिए जाने वाले कर की सजा से अभिहित किया है।⁸ सरकार ने इसे अतिरिक्त कर ही माना है। मैतीने भी इसे अतिरिक्त कर माना है।⁹

इन प्रचलित करो के अतिरिक्त चौलुक्यों के अभिलेखों में निधान,¹⁰ दानीभाग¹¹ तथा नवमार्गणक¹² प्राप्त होता है।¹³ अजयपाल द्वारा एक अनुदान 'नव मार्गणक' के साथ दिया गया । गुर्जर-प्रतिहार महेन्द्रपाल II के अभिलेख मे भी मार्गणक के साथ भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है। जिसका अर्थ उदारता से लिया गया है जो कि ग्रामीणों पर एक कर लगाया जाता था।¹⁴ अभिनव-मार्गणक शब्द का अर्थ इस प्रकार लिया गया है कि इस प्रकार के अस्थायी कर को स्थायी कर दिया गया तथा इसके साथ एक अतिरिक्त कर लगाया गया ।¹⁵ इन अभिलेखों

- 1 घोषाल, वही० पृ० 276-77
- 2 अल्तेकर, राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स पृ० 214, रोमानियोगी, ऑफ गहड़वाल डाइनेस्टी पृ० 168.
- 3 आर० एस० शर्मा०, लैण्ड रेवेन्यू सिस्टम पृ० 21, इडि० एटी VII पृ० 53 एपि इडि० III 49
- 4 पुष्पा नियोगी, द कन्ट्रीव्यूशन द इकोनोमिक लाईफ . पृ० 286
- 5 डी० सी० सरकार, पृ० 349 ल० गोपाल पृ० 40-43
- 6 घोषाल, वही० पृ० 276-77
- 7 बार्नेट जे० आर० ए० एस० 1931 पृ० 165
- 8 अल्तेकर, पृ० 216
- 9 डी० सी० सरकार, सेलेक्ट इसक्रिप्शन पृ० II 266
- 10 मैती०, इ० ला० गुप्त पीरियड०, पृ० 24
- 11 इडि० एटी०, VI पृ० 204
- 12 वही, VI, पृ० 204
- 13 इडि एटी०, xviii पृ० 80
- 14 एपि० इडि०, III 263

में मार्गणक को एक विशिष्ट कर के रूप में बताया गया है। घोषाल ने इसे एक प्रकार का आपात कालीन कर बताया है।¹ लल्लन जी गोपाल भी घोषाल का समर्थन करते हुए कहते हैं कि किसान इसे स्वेच्छा से देता था।²

निधान तथा दानी भाग

चौलुक्य अभिलेखों में निधान तथा दानी-भाग का उल्लेख प्राप्त होता है³ घोषाल ने निधान का अर्थ भूमिकर के रूप में लिया है।⁴ लेकिन अधिकतर विद्वान उनके इस विचार से असहमत हैं तथा वे इसे लेखपद्धति में वर्णित नवनिधान (खनि आकर, निधिनिक्षेप) जैसे पृथ्वी के अन्तर्गत छिपी हुई निधि मानते हैं।⁵ डी० सी० सरकार तथा लल्लन जी गोपाल ने नव का अर्थ नौ से लिया है तथा उसकी समता अष्टभोगों से की है।⁶ निधि अष्टभोगों में से एक है। अभिलेखों में निधि-निधान, सानिधि, निधिनिक्षेप आदि का उल्लेख हुआ है।⁷ अधीतकाल के अभिलेखों में जो दान दिए गए हैं उसमें निधि का भी उल्लेख प्राप्त होता है।

यू० एन० घोषाल⁸ यह कहते हैं कि दानी भाग के अन्तर्गत ग्रामीणों द्वारा फल-फूल तथा लकड़ी की सामयिक आपूर्ति की जाती थी। लेकिन लेखपद्धति⁹ में इसे एक भूमिकर बताया गया है तथा चौलुक्य अभिलेखों में इनका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है।

भूतवातप्रत्याय

गुजरात के राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में इस कर का उल्लेख आय के एक स्रोत के रूप में किया गया है। एस० के० मैती¹⁰ के अनुसार यह बात प्रेत को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले धार्मिक कृत्यों के लिए कर था, परन्तु ए० एस० अल्तेकर¹¹ ने इसे गाँव में उत्पन्न और बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कर बताया है। लल्लन जी गोपाल, देवराज सिरोद (गोआ)¹² दानपत्र के आधार पर अल्तेकर के विचार से सहमत हैं।¹³ यू०

15 घोषाल, वही 256

1 - घोषाल, वही० पृ० 256

2 ल० गोपाल० वही० पृ० 69

3 वेरावल, अर्जुन देवका अभिलेख, सेलेक्ट, इ० स०, भाग 2, पृ० 406

4 घोषाल, वही० 115.

5 दशरथ शर्मा, हिस्ट्री ऑफ चौहान डाइनेस्टी पृ० 273

6 डी० सी० सरकार, एपि० ग्रेसरी, 216, गोपाल, वही पृ० 69

7 एपि इंडि०, भाग 3, 4, 15, 27, 32, इंडि० एटी० xvii, xix

8 घोषाल 256.

9 ले० प० 7, 16, 18,

10 मैती० इ० ला० गुप्त पीरियड० पृ० 63

11 राष्ट्रकूट एण्ड देअर टाइम्स पृ० 228 के आगे

12 एपि इंडि०, 24 145

एन० घोषाल इसे आकाश से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर मानते है।¹ आकाश का अर्थ असभावित धन के मिलने से है।

भूमि के अतिरिक्त व्यापार तथा वाणिज्य पर भी करवसूल करने की व्यवस्था अधीतकाल में देखने को मिलती है।

शुल्क

शुल्क एक सामान्य राजस्व पदावली है जो सभी प्रकार के व्यापारिक करों के लिए आता है।² इसका स्वरूप निर्धारण अभिलेख एवं साहित्यिक स्रोतों के प्रसिद्ध स्थलों से ही संभव है। आयात-निर्यात से प्राप्त होने वाले कर, नदियों के घाटों पर व्यापारिक यातायात से होने वाली आय, शराब के व्यापारियों पर लगाए गए राजस्व के लिए शुल्क का ही प्रयोग किया गया है।³ अमरकोश (II 8 27) तथा अनेकार्थ संग्रह (II 19) अभिघनचिन्तामणि (III, श्लोक) में शुल्क को 'घट्टादिदेय' कहा गया है। शुल्क के विषय में बहुत से विद्वानों में मतभेद है तथा उन्होंने अपने-अपने विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त किए हैं। कुछ विद्वानों⁴ यह कहते हैं कि शुल्क नगर के द्वार पर आने-जाने वाले व्यापारिक सामानों पर लिया जाने वाला चुगी कर था। कुछ अन्य विद्वानों⁵ शुल्क का सम्बन्ध विदेश से आयात-निर्यात होने वाले सामानों पर लगने वाले आबकारी एवं सीमा शुल्क से जोड़ते हैं, तथा देश के आन्तरिक भागों से विक्रय हेतु जाने वाले सामानों पर लगने वाले कर से लगाते हैं। विभिन्न विद्वानों का मत उद्धृत करते हुए ओ० पी० श्रीवास्तव ने यह विचार व्यक्त किया है कि शुल्क व्यापारियों से सड़कों के उपकर, मार्गकर एवं घाटों पर लिया जाने वाला कर भी था।⁶ बारहवीं शताब्दी के कुल्लूक भट्ट⁷ मनु पर भाष्य लिखते हुए कहते हैं कि शुल्क एक राजकीय भाग था जो, व्यापारिक सामानों पर, जो कि जल तथा स्थल मार्ग से आते थे उन पर लिया जाता था। सोमदेव (11 हवीं श०) के कथासरित्सागर⁸ में यह उल्लेख मिलता है कि व्यापारियों ने पंजाब से वलमी जाते समय अत्यधिक शुल्क भय के कारण आम प्रचलित मार्ग छोड़ दिया था इससे यह इंगित होता कि शुल्क अधिकतर राजमार्गों पर स्थिति शुल्क स्थान में लिया जाता था। यादव प्रकाश के वैजयन्ती⁹ तथा

15 गोपाल, वही, पृ० 70

1 यू० एन० घोषाल, का हि० रे० सि०, पृ० 337

2 ओ० पी० श्रीवास्तव, शुल्क इन एंशियट एण्ड मेडीवल इंडिया जे० जी० जे० के० वि, भाग 37, पृ० 130

3 याज्ञ-पर, मिताक्षरा, 2/263

4 के० आर० सरकार, पब्लिक फाइनेन्स इन एंशियट इंडिया, पृ० 93

5 यू० एन० घोषाल, हि० रे० सि० पृ० 92, के एन शास्त्री, द चोल पृ० 599.

6 वही० पृ० 136

7 कुल्लूक, VIII, 398, स्थलपथ-जलपथ व्यवहार तो राजमार्गों भाग शुल्क

8 कथासरित्सागर, VI 3 10 5

हेमचन्द्र के द्वयाश्रयकाव्य¹ में मार्ग में लिए जाए वाले धनराशि या कर को शुल्क कहा है। अभिधान चिन्तामिणि² में शुल्क को घाटो पर लिया जाने वाला या इसी के समान कर बताया है। कुछ बाद के समय का गन्थ सुक्रनीति³ में जो पूर्वमध्यकाल की कुछ सूचना देता है, उसमें सड़को के रख-रखाव के लिए मिलने वाले कर को शुल्क कहा है। भास्कराचार्य के बीजगणित (1150 ई०)⁴ से यह स्पष्ट होता है कि शुल्क नगर प्रवेश समय लिया जाने वाला चुगी कर था। पुरातन-प्रबन्धसंग्रह⁵ में एक स्थान पर यह विवरण मिलता है कि एक मंत्री का पुत्र अपने पिता से उन लोगों को मुक्त करने की अनुमति लेता है जो अपने सिर पर कुछ सामान लिए हुए थे और शुल्क ग्राहक अधिकारियों ने रोक लिया था। इससे अपरोक्ष रूप से यह प्रकट होता है कि फेरीवाले-व्यापारियों से भी शुल्क लिया जाता था। सोमेश्वर के मानसोल्लास (12हवीं श०)⁶ में चौलुक्य वंश के एक राजा द्वारा पत्तन पर आए हुए जहाजों से शुल्क वसूलने का प्रसंग आया है। अबू-जैद (916 ईस्वी)⁷ भी अपने विवरण में इसी बात का समर्थन करता है।

तीर्थयात्रा कर

प्रबन्धचिन्तामिणि⁸ में तीर्थयात्रा पर जाने वालों पर कर लगाने का उल्लेख मिलता है। इसमें सोमेश्वर जाते समय बाहुलोड नामक स्थान पर तीर्थयात्रा कर लिया जाता था जिसको सिद्धराज ने अपनी माता के कहने पर समाप्त कर दिया। यह कर इतना कठोर था कि यदि गरीब व्यक्ति इसको नहीं दे पाता था तो उसे निराश होकर लौटना पड़ता था। रासमाला⁹ में भी इस कथा का उल्लेख प्राप्त होता है। वस्तुपाल प्रबन्ध¹⁰ तथा राजशेखर के प्रबन्धकोश में है कि तेरहवीं शताब्दी में बहुत से प्रधान लोग शत्रुञ्जय की तीर्थयात्रा पर कर लेते थे। रैवतक पहाड़ी पर स्थित एक पूजा स्थल से भी पहले के कुछ राजा कर लेते थे। कुछ प्रमाण यह प्रदर्शित करते हैं कि कभी-कभी कर इतने कष्टदायक होते थे कि वे स्थानीय करो को जो दान-दाता से सम्बन्धि होते थे कठोर बनाते थे। मन्त्रियों को इन करों को हटा लेने के लिए कहा जाता था तथा उसके बदले में उन्हें दूसरे ग्राम

15 वैजयन्ती vi 5 89 (पथिदेओँ शुल्क)

1 एस० पी० नारग, द्वयाश्रय, 9 176 xviii, 55

2 नेमिचन्द्र शास्त्री, वाराणसी 1964 II, अभिधानचि० III, 388 पृ० 178 शुल्कस्तु घट्टादिदेय

3 अनु० बी० के० सरकार, झासी 1975, 257-58 पृ० 149

4 बी० जी० आन्टे विध्व जयकुर कमेटी ऑफ कृष्णदेव पूजा 1930 vii.10 पृ० 122

5 पु० प्र० स०, पृ० 103.

6 जी० के० श्री गोदेगर, जी० ओ० एस० न० 28. बडौदा भाग I 374-376, पृ० 62.

7 पुष्पा नियोगी, 1962 पृ० 146

8 प्रबन्धचिन्तामिणि, टॉनी: पृ० 84.

9 रासमाला, बाम्बे गजेटियर I पृ० 172

10 प्रबन्धकोश, 120-21

दिए जाते थे।¹ राजतरंगिणी² में उद्धृत है कि गया में श्राद्ध करने पर स्थानीय प्रमुखों द्वारा कर लगाया जाता था। तीर्थयात्रा कर लेना मुस्लिम प्रभाव प्रतीत होता है।

संपत्ति जब्तीकरण या अपुत्रिका धन

प्रबन्धचिन्तामणि³ में विवृत है कि उत्तराधिकारी रहित मृतक की संपत्ति (अपुत्रिका धन) कुमारपाल के काल के पूर्ण जब्त कर ली जाती थी। इस कुप्रथा का समापन कुमारपाल ने किया था। गुजरात में प्रचलित इस प्रकार के कानून का वर्णन समकालीन अन्य साहित्यिक स्रोतों में भी प्राप्त होता है।⁴ सम्भवतः कुमारपाल ने यह राजाज्ञा जैन धर्म से प्रभावित होकर प्रवर्तित की।

गुर्जर- प्रतिहार शासक के सामंत मथनदेव के एक अभिलेख में एक शैव मंदिर को जिन करों को लेने का अधिकार दिया गया है, उसमें अपुत्रिकाधन का भी उल्लेख है।⁵ घोषाल ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि जो व्यक्ति पुत्रविहीन होता है और उसकी पुत्री से भी यदि कोई पुत्र नहीं होता वह जब मर जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार शासक को मिल जाता है।⁶ अर्थशास्त्र⁷ एवं स्मृतियों का कथन है, कि यदि कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी के मरता है तो उसकी विधवा के भरण-पोषण की उचित व्यवस्था तथा उसके श्राद्ध के खर्च की व्यवस्था करने के बाद शेष धन राजा ले सकता है।⁸ डी० सी० सरकार की मान्यता है कि अभिलेखों में उल्लिखित अपुत्रिका धन नामक राजस्व का स्रोत सन्तानविहीन मृतक की ही सम्पत्ति का बोध कराता है जिस पर शास्त्रों के अनुसार राजा का अधिकार होता था।⁹ इस नियम के अपवाद ब्राह्मण थे क्योंकि पुत्रविहीन होकर मरने पर भी उनकी संपत्ति शासक नहीं बल्कि कोई ब्राह्मण ही ले सकता था।¹⁰ राजतरंगिणी में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शासक 'कलश' उस व्यक्ति की संपत्ति हड़प लेता था जो पुत्र विहीन होकर मरता था।¹¹

- 1 वही, पृ. 120, 121
- 2 एपि० इंडि०, xx पृ० 64 राज० से
- 3 प्रबन्धचिन्तामणि, टोनी पृ० 133.
- 4 मोहराजपराजय, 4 66 67; क० पृ० 114
- 5 मोह० पराजय, पृ० 66-67, केपी० पृ० 114
- 6 एपि० इंडि० भाग III स० 36
- 7 घोषाल, का हि० रे० सि० पृ० 237
- 8 अर्थशास्त्र, 3/5, गौतम, 9, 28/41-42, विष्णु 17/13-14 मनु 9/188, नारद, 3/16-17, मिताक्षरा, 2/264 देशान्तरगते
- 9 डी० सी० सरकार, एपि० इंडि० पृ० 56 . नृपा 126
- 10 गौतम, 28/41-42, बृहस्पति, 26/29
- 11 राजतरंगिणी, धनानि निरपत्यानामाहर्तुं व्यवसायिना। न्यवार्यताहर्द्वयमर्यादा क्रेर्या क्रीन्तेन भूभुजा।।II, 697

दण्ड दशापराध—

दण्ड दशापराध शब्द भी चौलुक्यो के अभिलेखो मे प्राप्त होता है¹ यह कही पर दण्ड, दण्ड-दाय, दण्ड-दशापराध मिलता है। यद्यपि जुर्माना राजस्व का अंग नहीं था तथापि यह राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत अवश्य था। नारद द्वारा प्रतिपादित दश-अपराध सूची का सुकनीतिसार मे भी वर्णन हुआ है।² वे इस प्रकार है 1. राजा के आदेश का पालन न करना 2 स्त्री हत्या 3 वर्ण-सकरता 4 व्यभिचार 5 चोरी 6 पति से भिन्न व्यक्ति के साथ सहवास से गर्भ रहना 7 गाली और निंदा 8 अश्लील प्रदर्शन 9 आक्रमण करना और 10. गर्भपात ।

अधीतकालीन साहित्यिक साक्ष्य भी दीवानी और फौजदारी अपराधो के लिए विभिन्न प्रकार के दण्डों का विधान करते हैं। जुर्माने की व्यवस्था सभवत इन अपराधो को समाप्त करने हेतु ही की गयी होगी।³ इस प्रकार जुर्माने भी अधीतकाल में आय का एक प्रमुख स्रोत था।⁴ इसे वसूल करने के लिए दशापराधिक नामक सरकारी अधिकारी का उल्लेख मिलता है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जुर्माना यह अधिकारी वसूल कर होगा और उन जुर्मानों की आय अनुदान ग्राहियो को मिलती होती।

राजस्व अधिकारी एवं राजस्व ग्रहण प्रक्रिया—

इन विभिन्न करो को वसूलने के लिए राजा द्वारा विभिन्न व्यवस्था की गयी थी। इसके लिए विभिन्न विभागों की स्थापना तथा अधिकारियो की नियुक्ति की जाती थी। प्रबन्धचिन्तामणि⁵ मे पञ्चकुल का उल्लेख विभिन्न स्थानों पर आया है, जो अन्य कार्यों को करने के अतिरिक्त कर उगाहने का भी कार्य करते थे। सिद्धराज के समय में बाहुलोड का तीर्थयात्रा कर पञ्चकुल द्वारा लिया जाना प्रसंगित है।⁶ मोहराजपराजय में भी यह प्रसंग प्राप्त होता है कि सतान हीन मृतक की सम्पत्ति जब्त करने का काम पञ्चकुल ही करता था⁷ वीसलदेव के पोरबन्दर अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि ये पञ्चकुल पाच व्यक्तियो का समूह होता था, जो विभिन्न कार्यों को देखता था।

अधीतकालीन साहित्य एव अभिलेखो मे उनके विभागों तथा उनके सहायकों आदि का व्यवस्थित विवरण

1 इडि० एटी० xviii, 80 दण्ड- दोष प्रदत्तदाय

2 सुकनीति, 45 161=64

3 - मिताक्षर, प्रतिलोभ्यापवादेशु द्विगुणत्रिगुणा दशा । वर्णानायानुलोभ्येन तस्माद्धार्षधीनत ॥ मिताक्षर 2/206, 207, मिताक्षर; चन्द्रिका 2/243, स्मृति चन्द्रिका 3/27 28

4 एपि० इडि०, भाग 27 29.

5 प्रबन्धचिन्तामणि, १० मेरु, पृ० 133

6 वही 84 वही० 133 मेरु पृ० 86

7 वही० 133 मेरु पृ० 86

न होने से राजस्व प्रशासन-तन्त्र की कोई निश्चित रूपरेखा नहीं उभर पाती।

बहुत से अभिलेखों में यह उल्लेख मिलता है कि शुल्क जो व्यापारिक वस्तुओं पर लगता था वह शुल्क-मण्डपिका में एकत्रित किया जाता था।¹ कश्मीर में यह पुलिस-स्टेशन (उद्वग) में लिया जाता था।² अधीतकालीन अभिलेखों में एक अधिकारी का उल्लेख हुआ है जिसे विद्वानों ने लेखाविभाग का अध्यक्ष या अभिलेखागार का अधिकारी माना है।³ गुर्जर प्रतिहार अभिलेख में इनकी सेवा के बदले मिलने वाले देय के लिए अक्षपाटलप्रस्थ आया है।⁴

कोषाध्यक्ष के गुणों का वर्णन अधीतकाल के साहित्यिक साक्ष्यों में हुआ है। ग्रन्थों में राजा को यह सलाह दी गयी है कि वह उसी व्यक्ति को कोषाध्यक्ष नियुक्त करे जो आय-व्यय की समस्याओं से परिचित हो। 'नीतिवाक्यामृतम्',⁵ मानसोल्लास⁶ आदि ग्रन्थों में कोष के साथ कोषाध्यक्ष के गुणों का भी विधान किया गया है तथा लिखा है कि कोष ही प्रजा का जीवन होता है अतः उसके रक्षक को सर्वगुण सम्पन्न होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त भू-राजस्व वसूल करने का कार्य ग्रामपति भी करते थे। वस्तुपाल चरित⁷ तथा वस्तुपाल प्रबन्ध⁸ में यह उल्लेख है कि ग्रामपति एक सप्ताह तक कर लेते रहे और प्रमुख बन गए। इसी प्रकार द्वयाश्रय काव्य⁹ में भी वर्णन है कि राजस्व का एक भाग ग्रामपति लेता था तथा अन्य राजा लेता था। लेखपद्धति¹⁰ में भी इसके कार्यों तथा अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

घाटों पर कर वसूल करने वाले को घट्टपति कहा जाता था। मिराशी ने इसे घाटो का अधिकारी माना है तथा जो नावों द्वारा आए हुए सामान की देख-भाल तथा उन पर कर वसूलने का कार्य करता था।¹¹

दशापरार्धिक नामक अधिकारी का उल्लेख आर० सी० मजूमदार ने दस अपराधों को करने वाले अपराधियों से दण्ड वसूल करने वाले के रूप में किया है।¹²

- 1 सी पी एस आई० पृ० 156
- 2 राजतरंगिणी, II 399, VII 140, VIII 2407
- 3 सी० आई० आई०, भाग IV, एपि० इडि० भाग 30
- 4 एपि० इडि०, भाग II III इडि एटी० भाग XIV
- 5 नीतिवाक्यामृतम्, पृ० 151 श्लोक 51
- 6 मानसोल्लास, 2/55
- 7 वस्तुपालचरित, जामनगर प्रेस, पृ० 96
- 8 वस्तुपाल प्रबन्ध, वसंत विलास में I पृ० 83
- 9 द्वयाश्रयकाव्य, III 2
- 10 ले० प०, पृ० 8-9
- 11 सी० आई० आर०, पृ० 161

दशापराधिक नामक अधिकारी का उल्लेख आर० सी० मजूमदार ने दस अपराधों को करने वाले अपराधियों से दण्ड वसूल करने वाले के रूप में किया है।¹

पट्टकिल नामक अधिकारी को विद्वानों ने ग्राम का अधिकारी या ग्राम का प्रधान माना है। यह राजा की ओर से राजस्व की वसूली किया करता था।² इसकी सेवा के बदले ग्रामीण लोग पट्टकिलदाय दिया करते थे। कलचुरि शासक जयसिंह के अभिलेख में पट्टकिल का उल्लेख हुआ है।³

पथकीयक का उल्लेख 'लेखपद्धति' में बाजार के अन्य अधिकारियों के साथ आया है। इसका कार्य मार्गकर वसूल करना था।⁴

भोगपति भोगपतिक या भोगिन अधिकारी का उल्लेख साहित्यिक तथा अभिलेखीय दोनों प्रकार के साक्ष्यों में उपलब्ध होता है।⁵ घोषाल ने इसे दान में दी गयी भूमि से सम्बन्धित अधिकारी माना है।⁶ आर० सी० मजूमदार ने राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों में भोगपति को भी रखा है।⁷

शौक्तिक नामक अधिकारी को शुल्क ग्रहण कार्य से सम्बन्धित माना गया है। घोषाल, डी० एन० झा तथा प्लीट आदि विद्वानों ने इसे शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी माना है।⁸ परमार अभिलेख में भी इस अधिकारी का उल्लेख करते हैं।⁹ शुल्क व्यापार एवं वाणिज्य से सम्बन्धित कर था।

प्राचीनकाल में प्रजा की सुविधा को ध्यान में रखकर ही धर्म शास्त्रकारों ने कराधान की व्यवस्था दी थी। परन्तु अधीतकाल में बढ़ती हुई सामन्तवादी प्रथा विदेशी आक्रमण एवं दैवी आपदाओं (अकाल) इत्यादि आपत्तियों के कारण, राजाओं एवं सामन्तों में वृद्धिगत विलासिता तथा अधिकारियों एवं ग्रामपतियों द्वारा मनमानी ढंग एवं दर से कर वसूल करने के कारण प्रजा पर कर भार अत्यधिक हो गया था।

-
- 1 आर० सी० मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, पृ० 278-295
 - 2 आर० एस० शर्मा, लैण्डग्राण्ट्स टू बासल्स एण्ड आफिसिल्स इन नार्दन इंडिया, (ए० डी० 1000-1200), पृ० 6
 - 3 लेखपद्धति, पृ० 8
 - 4 वही, पृ० 54.
 - 5 मिताक्षरा, 1/318- भोगपतेरिति दर्शितम्; एपि० इडि० भाग 12, 28, 29, 30
 - 6 घोषाल, का० हि० रे० सि० पृ० 394
 - 7 आर० सी० मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, पृ० 227-78
 - 8 घोषाल, वही, पृ० 320-27, डी० एन० झा० रे० सि० पो० मौ० गु० ठा० पृ० 170, प्लीट, इण्डियन इन्सक्रिप्सन्स, पृ० 171
 - 9 एपि इडि, भाग 19 पृ० 73 2. 27, 28.

अष्टम अध्याय

धार्मिक-जीवन

धार्मिक जीवन

प्राचीन काल में भारत वर्ष में हिन्दू धर्म ही प्रचलन में था, जिसके अन्तर्गत वैदिक, ब्राह्मण-(विष्णव शैव) शाक्त इत्यादि देवी- देवताओं की उपासना की जाती थी। कालान्तर में हिन्दू धर्म में विभिन्न जटिलताएँ उत्पन्न हो गईं जिसके परिणामस्वरूप बौद्ध-धर्म तथा जैन-धर्म का भी उदय हुआ। पाचवी-छठी शताब्दी ई०-पू०- में इन धर्मों का बहुत प्रभाव रहा है। बाद के युगों में भी अनेक राजवंशों में इन धर्मों को राजाश्रय भी प्राप्त हुआ।

छठी शताब्दी तक जैन धर्म का धार्मिक और दार्शनिक रूप प्रचलन में था। धीरे-धीरे इस धर्म में भी बहुत से विभाजन तथा उप-विभाजन हुए जिसमें दिगम्बर तथा श्वेताम्बर प्रमुख थे। कालान्तर में इनका भी उपविभाजन विभिन्न उप-विभाजन गणों कुलों, शाखा तथा गच्छों में हुआ¹ अधीतकाल तक आते-आते जैन धर्म का पश्चिमी भारत में विकसित स्वरूप मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दसवीं शताब्दी तक पश्चिम-भारत को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में इसका प्रभाव क्षीय हो गया था।² बंगाल, बिहार तथा कश्मीर में हमें इसके कुछ ही प्रमाण प्राप्त होते हैं।³ मजूमदार के अनुसार "बौद्धधर्म के प्रभाव के कारण जैन-धर्म का प्रभुत्व पूर्व भारत से समाप्त हो गया।"⁴

साहित्यिक तथा अभिलेखिक प्रभावों से यह प्रतीत होता है कि ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में राजस्थान गुजरात तथा मालवा में जैन धर्म लोक प्रिय था। प्रबन्धचिन्तामणि में विभिन्न राजाओं द्वारा जैन धर्म को राजाश्रय प्रदान करने का उल्लेख प्राप्त होता है। चौलुक्य वंश के राजाओं द्वारा जैन धर्म को सरक्षण प्रदान करने का उल्लेख तत्कालीन अन्य साहित्य एवं अभिलेखों में भी प्राप्त होते हैं।

गुजरात में पत्तन क्षेत्र में चावडा वंश के संस्थापक वनराज के शासन में आचार्य शीलगुण सूरि को बहुत सम्मान प्राप्त था।⁵ उसके बाद के अन्य शासकों ने भी जैन धर्म को सम्मान दिया। विमल सूरि ने विक्रम संवत् 1030 में विमलवसही मंदिर का निर्माण आबू पर्वत पर करवाया था।⁶ राजा मुज्ज के दरबार के आभूषण घनेश्वर सूरि आचार्य थे।⁷ प्रबन्धचिन्तामणि में विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित अनेक देवी-देवताओं का उल्लेख हुआ है। चौलुक्यवंश

- 1 डॉ० एस० बी० देव, हिस्ट्री ऑफ जैन मोनैकिज्म, पृ० 371-74
- 2 कमल चौहान, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ नादर्न इंडिया पृ० 181
- 3 वही, आई० सी० भाग VI पृ० 134
- 4 वही,, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, IV, पृ० 44
- 5 बी० एन० शर्मा, सोशल लाईफ इन नादर्न इंडिया पृ० 208
- 6 वही, पृ० 208
- 7 वही, पृ० 208

के शासक भी प्रारम्भ में ब्राह्मण धर्मनुयायी ही थे, परन्तु तत्कालीन समाज में बढ़ते हुए जैन प्रभाव के कारण तथा प्रभावशाली आचार्यों के प्रभुत्व के फलस्वरूप कुमारपाल, वस्तुपाल, तेजपाल इत्यादि ने जैन धर्म अपना लिया। परन्तु वे पूर्णतया जैन धर्म के ही अनुयायी नहीं रहे अपितु वे शैव तथा अन्य धर्म के देवताओं समान रूप से आदर करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता मेरुतुड, जैन आचार्य होने के कारण भी धर्म को प्रबन्धचिन्तामणि में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उक्त ग्रन्थ में एक स्थल पर मानतुङ्ग आचार्य द्वारा जैन धर्म की महिमा का वर्णन करना प्रसंगित है।¹ एक अन्य स्थल पर राजा भोज से संबंधित विवरण है कि पहले वह शिव का उपासक था, बाद में जैन धर्म का अनुयायी हो गया। उसके शासनकाल में एक ब्राह्मण का पुत्र शोभन ने जैन धर्म अङ्गीकार कर लिया। उसके प्रभाव में आकर उसका भ्राता धनपाल भी जैन धर्म को मानने लगा² प्रस्तुत ग्रन्थ में ही श्वेताम्बर तथा दिगम्बर का उल्लेख भी आया है।³, जिसमें उनके विचारों तथा कर्त्तव्यों का भी उल्लेख हुआ है। राजा कुमाङ्गपाल जैन धर्म स्वीकार करने के बाद हेमचन्द्र के साथ जैन तीर्थों के अतिरिक्त सोमनाथ की यात्रा पर भी नहीं गया। वरन इसका मन्दिर का जीर्णोद्धार भी करवाया।⁴ चौलुक्य शासक सिद्धराज ने जो पहले जैन मदिरो पर पताका फहराने पर रोक लगाई थी, उसे रोक को हटा लिया था⁵ प्रस्तुत प्रमाणों के अतिरिक्त शासकों एवं सामन्तों द्वारा विभिन्न जैन मदिरो के निर्माण कराए जाने का उल्लेख भी इस ग्रन्थ में प्राप्त होता है। सिद्धराज ने सिद्धपुर में रुद्रमहाकाल का मदिर बनवाया।

विक्रम संवत् 1033, के मूलराज प्रथम के शासनकाल के एक अभिलेख में युवराज चामुण्डराज द्वारा वरणसरमक द्वारा एक खेत जैन मदिर हेतु दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है, जो मेहसन जिले में स्थित था⁶ दुर्लभराज के शासन-काल में धर्म स्मबन्धी वाद-विवाद हुआ था।⁷ द्वयाश्रयकाव्य⁸ में भी इस वाद-विवाद का उल्लेख आया है जयसिंह सिद्धराज के राज्यकाल में श्वेताम्बर तथा दिगम्बर के वाद-विवाद का उल्लेख प्रबन्धचिन्तामणि के अतिरिक्त मुद्रित कुमुदचन्द्र तथा प्रभावक चरित में भी प्राप्त होत है।⁹ शिजाओ के अतिरिक्त वर्ग भी जैन धर्म के अनुयायी हुए तथा उन्होंने भी मदिर निर्माण इत्यादि धार्मिक कार्यों में सहयोग दिया।

1 प्रबन्धचिन्तामणि, पृ० 65-66 (टॉनी)

2 - प्रबन्धचिन्तामणि, टॉनी, पृ० 19.

3 वही, पृ० 100 मेरु पृ० 67

4 वही, पृ० 130

5 वही, मेरु पृ० 65; टॉनी पृ० 96

6 भारतीय विद्या (हिन्दी-गुजराती) I 73.

7 भण्डारकर 1882-83, पृ० 45; I a XI, 249, I HQ. xi, 77

8 - द्वयाश्रय, ६४

9 प्रबन्धचि०, मेरु ६६-६८, टॉनी पृ० 97-100; प्र० चरि XXI, 81251

जैनधर्म एवं स्थापत्य

अधीतकाल मे गुजरात काठियावाड तथा राजस्थान क्षेत्र मे चौलुक्य (सोलकी) वंश के अतिरिक्त चाहमान, परमार, प्रतिहार इत्यादि राजवंशो के नरेशो ने जैन धर्म को अपनाया था तथा विभिन्न स्थानो पर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। चौलुक्य नरेश कुमारपाल जैन धर्मानुयायियो मे अग्रणी था। तथा उसने सोमनाथ पत्तन में कुमार-विहार नामक मंदिर का निर्माण करवाया था।¹ जो उसने हेमचन्द्र सूरि के आग्रह पर बनवाया था² मेरुतुङ्ग आचार्य के अनुसार देशभर मे कुल 1440 मंदिरों का निर्माण कुमारपाल ने करवाया था।³ इनके अनुसार कुमारपाल ने एक भूषक बिहार का भी निर्माण करवाया जो उसने सिद्धराज से छिपकर भागते समय एक चूहे को नुकसान के पश्चात् के फलस्वरूप इसका निर्माण करवाया।⁴ मेरुतुङ्ग ने प्रबन्धचिन्तामणि में कुमारपाल द्वारा निर्मित अनेकों मंदिरों का उल्लेख किया है। एक व्यापारी की पुत्र-बधू द्वारा कुमारपाल को तीन दिन तक व्रत के उपरान्त चावल तथा दही खिलाने पर उसके प्रति दया के फलस्वरूप उसने पत्तन मे करम्ब-विहार बनवाया।⁵ इसी प्रकार एक अधिकारी द्वारा जीव-हत्या निषेध होने पर एक जूँ के मारने पर उसके जुमाने के फलस्वरूप हेमचन्द्र के कहने पर यूका-विहार बनवाया।⁶ स्तम्भतीर्थ में उसने दीक्षाविहार तथा सालिगवसहिका, झोलिका विहार मंदिर बनवाए।⁷ कुमारपाल के अतिरिक्त उसके मन्त्री उदायन ने कर्णावती में मंदिर बनावाये⁸ कुमार पाल के एक अधिकारी ने शत्रुञ्जय पर्वत पर 1164-65 ई० में तथा उसके भाई आमरभट्ट ने भृमुकच्छ में आकर⁹ मंदिर बनवाये। बहुत से अन्य मंदिर गिरनार, शत्रुञ्जय, आबू, खम्भात, स्तम्भतीर्थ, अणहिलवाड तथा धन्वुक में बनवाए गए।⁹ जैन धर्म के प्रभाव के बाद कुमारपाल ने जीव-हत्या की निषेधाज्ञा लागू किया।¹⁰

कुमारपाल के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी अजयपाल जैन धर्म का विरोधी हुआ। प्रबन्धचिन्तामणि¹¹ में

-
- 1 बर्गीज, आर्कैटेक्चरल एन्टीक्यूटीज ऑफ नार्दर्न गुजरात पृ० 15
 - 2 जालैर स्टोन इस्क्रीप्शन, उद्घृत, डॉ० हि० ना० ई० II, पृ० 982-83
 - 3 ए० के० मजुमदार, वही, पृ० 318
 - 4 वही
 - 5 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरु० पृ० 91; टॉनी पृ० 143
 - 6 वही.
 - 7 वही मेरु पृ० 86; टॉनी 133; मेरु पृ० 93, टॉनी पृ० 146
 - 8 बर्गीज पृ० 13
 - 9 वही पृ० 15
 - 10 किराडू स्टोन-पिलर इस्क्रीप्शन्स (डॉ० हि० ना० ई० II, पृ० 979-80)
 - 11 प्रबन्धचिन्तामणि मेरु० पृ० 96; टॉनी पृ० 151

एक स्थान पर यह उल्लेख प्राप्त होता है कि एक विदूषक के उपहास करने पर उसने सभी जैन मंदिरों को तुड़वा दिया और ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके ऐसा करने से जैन धर्म का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। उसके पश्चात् वस्तुपाल तथा तेजपाल के सरक्षण में यह धर्म पुनरुत्थापित हुआ। इनके सरक्षण में बहुत से जैन- मंदिरों का निर्माण हुआ तथा फलस्वरूप, सम्भवतः समकालीन साहित्य में इन्हें महान जैन-भिक्षु की सजा से अभिहित किया गया। वस्तुपाल-तेजपाल द्वारा अनेक जैन-मंदिरों तथा साहित्यिक ग्रन्थों में जैन वास्तु के निर्माण प्रसंगित है। आबू में निर्मित जैन मंदिरों का प्रमाण अभिलेखों में प्राप्त होता है।¹ वर्तमान गिरनार मंदिर में केन्द्र में उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लिनाथ तथा दोनों पार्श्व में सुमेर तथा समेत शिखर की मूर्तियाँ स्थापित हैं।² इस मंदिर में ही छ अभिलेख उल्लिखित हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि सन् 1276 में वस्तुपाल तथा उसके छोटे भाई तेजपाल ने एक करोड़ मंदिरों का निर्माण (अतिरजना प्रतीत होती है।) करवाया तथा बहुत से पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया।³ ये मंदिर विभिन्न तीर्थस्थानों पर निर्मित करवाए गए- जैसे- शत्रुञ्जय, अर्बुदाचल, (राजपूताना के सिराही राज्य में अरावली श्रखला में) तथा बहुत से समृद्ध नगरों में अणहिलपुर (वेरावल-पतन) भृगुपुर (भृगुकच्छ - बीसवें जैन तीर्थंकर) स्तम्भनकरपुर (सुवृत का मंदिर) स्तम्भतीर्थ, (खभाते) दर्भवती, (दमोई गुजरात में) धवलक (धोलक (गौड) प्रदेश) तथा बहुत से अन्य स्थान पर। इन मंदिरों में तेजपाल द्वारा आबू में निर्मित नेमिनाथ बाईसवें तीर्थंकर का मन्दिर निश्चित रूप से पहचाना जा सकता है, जिसे उसने अपनी पत्नी अनुपमादेवी तथा पुत्र लवणसिंह की धार्मिक धर्म अर्भिवृद्धि के लिए निर्मित करवाया था।⁴ इस मंदिर से बत्तीस अभिलेख प्राप्त होते हैं।

विभिन्न साहित्यिक ग्रन्थों में भी वस्तुपाल तथा तेजपाल द्वारा निर्मित बहुत से मंदिरों एवं अन्य इमारतों का उल्लेख प्राप्त होता है। तीर्थकल्प में दोनों भ्राताओं द्वारा शत्रुञ्जय पर 18 करोड़ तथा 90 लाख, 12 करोड़, 80 लाख गिरनार पर तथा आबू पर 12 करोड़, 53 लाख और अन्य जनकल्याण पर 300 करोड़ तथा 14 लाख खर्च करना प्रसंगित है।⁵ यह आकड़ा भी अतिरंजित प्रतीत होता है। इससे केवल इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि जैन मंदिरों के निर्माण हेतु उक्त दोनों जैन मन्त्रियों-वस्तुपाल एवं तेजपाल ने प्रभूत धन व्यय किया।

1 ए० के० मजुमादार, चौ०गु० ...पृ० 320.

2 वही

3 वही (कोटिरभि. नव- धर्मस्थानानि प्रभूत- जीर्णोद्धारश्च कारितः)

4 गिरनार अभिलेख, ए० आर० बी० पी० 283-302.

5 सी० डी० दलाल, वसन्तविलास इन्द्रोडकशान पृ० xvi

वस्तुपाल-तेजपाल प्रशस्ति में उल्लिखित है कि वस्तुपाल ने एक इन्द्रमण्डप का निर्माण ऋषभ भगवान के मंदिर के सामने शत्रुञ्जय में करवाया जिसके दोनों ओर पार्श्वनाथ तथा नेमिनाथ का मन्दिर भी बनवाया, उसने एक तोरण भी शत्रुञ्जय मन्दिर में बनवाया। पादलिप्तनगरी में एक झील बनवाई, तथा अर्कपालित ग्राम बनवाया। वस्तुपाल ने नाभेय, नेमिनाथ तथा स्तम्भनेश का मंदिर बनवाया। उसने अन्य भी बहुत से मन्दिर निर्मित हुए, तालाब, बगीचे, यात्रियों के लिए आराम ग्रह समागार पौसला, निर्मित करवाया तथा मदिरो को स्वर्ण-दण्ड दान किया वस्तुपाल ने शकुनिका-विहार भडौच में पार्श्वनाथ की तथा महावीर की मूर्ति प्रतिमा स्थापित कर 25 स्वर्ण दण्ड देवकुलिका (Small Shries) को भी दान दिया।¹ छद्व प्रमसूरि द्वारा विरचित सुकृतकीर्तिकल्लोलिनी² में भी वस्तु पाल तथा तेजपाल द्वारा निर्मित उपरोक्त मन्दिरो एव पौषघ शाला तथा स्वजन कल्याणार्थ विभिन्न भवनों के निर्माण की पुष्टि होती है। वि० स० 1285 में अरि सिंह द्वारा रचित सुकृत संकीर्तन में भी वस्तुपाल द्वारा निर्मित मन्दिरो की एक लम्बी सूची प्राप्त होती है।³

अधीतकाल में न केवल चौलुक्य वंश अपितु अन्य राजवंशों के नरेश भी जैन धर्म में आस्था रखते थे। इसके प्रमाण बहुत से अभिलेखों तथा साहित्यिक ग्रन्थों से प्राप्त होते हैं। विजोलिया शिलालेख⁴ (ई० 1170) में यह विवृत है कि जावालपुर (मेवाड़) के चाहमान लोग पार्श्वनाथ तथा दूसरे जैन देवताओं में आस्था रखते थे तथा उन्होंने पार्श्वनाथ को एक ग्राम का अनुदान भी दिया था। बारहवीं शताब्दी के बहुत से अभिलेख जो नड्डलु के चाहमानों से सम्बन्धित थे, यह उल्लिखित है कि इन राजाओं द्वारा महावीर⁵, नेमिनाथ⁶, आदिनाथ⁷, तथा शान्तिनाथ⁸ मन्दिरो की पूजा तथा रखरखाव के लिए अनुदान दिया गया। नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथ के प्रसिद्ध मन्दिर दक्षिण राजस्थान के कुम्भारिया में स्थित है जो ग्यारहवीं शताब्दी के है, तथा ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी का आदिनाथ (विमल वसही) का मंदिर दिलवाड़ा में माउट आबू पर स्थित है।⁹

चाहमानो के अतिरिक्त कतिपय चन्देल तथा परमार भी जैन धर्मानुयायी थे 1085 ई० में 15 फिट ऊँची

- 1 वस्तुपाल-तेजपाल प्रशस्ति 45-69.
- 2 सुकृत कीर्तिक; पृ० 157-176.
- 3 चौलुक्य गुजरात, ए० के० मजुमादार वही पृ० 322
- 4 डॉ० हि० ना० इ०, II, पृ० 1081-1082
- 5 वही० पृ० 1109, 1113.
- 6 वही 1112
- 7 वही.
- 8 वही. 1109-10
- 9 स्टेला क्रमरिस्क, द आर्ट आफ इंडिया, प्लेट, 132, 133, 134

शातिनाथ की मूर्ति कायोत्सर्ग मुद्रा मे खजुराहो के अवशेषो मे प्राप्त होते है¹ वही पर आदिनाथ तथा पार्श्वनाथ² के मन्दिर भी प्राप्त होते हैं। बुन्देलखण्ड से भी जैनधर्म से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार के जैनधर्म से सबधित उदाहरण मालवा से प्राप्त होते है। एक अभिलेख³ से यह प्रकट होता है कि ग्यारहवीं शता० में परमार राज्य के दक्षिणी क्षेत्र खानदेश में एक श्वेताम्बर आचार्य अम्भदेव ने बहुत से लोगो को धर्म परिवर्तित कराकर जैन धर्म स्वीकार करवाया। इसी प्रकार ग्यारहवी शताब्दी मे मध्य भारत⁴ से भी जैन धर्म के अवशेष प्राप्त होते हैं।

जैन-धर्म की उन्नति—

जैन धर्म 7 वीं 8वीं शताब्दी से ही उन्नत अवस्था में था। ग्यारहवीं बाहरहवी शताब्दी मे राजस्थान तथा गुजरात क्षेत्र में यह धर्म बहुत फूला फला यद्यपि तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जैन धर्म ने उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था⁵ वसन्त विलास महाकाव्य⁶ में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि चौलुक्य मन्त्री वस्तुपाल (1219-1233 ई०) जब तीर्थयात्रा पर जा रहा था तब उसके साथ लाट, गौड, वंग, मरु, कच्छ डाहल तथा अवन्ति देश के सघपति भी थे) प्रबन्धकोश⁷ में वस्तुपाल द्वारा बहुत से मन्दिर तथा मरु बनवाने का उल्लेख है। राजस्थान, गुजरात तथा अन्य क्षेत्रों में जैनधर्म की उन्नति का सम्बन्ध मध्यम वर्गीय वैश्य वणिकों तथा व्यापारियों से था। जिसके दो कारण थे प्रथम, यह अहिंसावादी था, जिससे व्यापारिक कार्य शांतिपूर्ण ढंग से तथा सुचारु रूप से चलता था। द्वितीयत इससे उन्हें तत्कालीन समाज में सम्मान प्राप्त हुआ । इस प्रकार अधीतकाल में तत्कालीन समाज में व्यापारिक उन्नति के साथ-साथ जैनधर्म की भी उत्तर भारत में प्रगति हुई।⁸ यही नहीं कुमार पाल तथा वस्तुपाल के समय में वैश्य संघ ने गुजरात के प्रशासनिक कार्यों में भी हस्तेक्षप प्रारम्भ कर दिया था।⁹ जैन साहित्य तथा स्थापत्य के निर्माण के प्रमाण भी इस युग में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं, जो कि विकसित

1 जैन एन्टीक्यूरी, भाग XIX, न० I जून 1953 पृ० 53

2 एम्० ए० एस० आई० 1922, न० 11.

3 एपि० इंडि० भाग XIX, पृ० 71.

4 आर० डी० बनर्जी, द हयहव ऑफ त्रिपुरी एण्ड देअर मोनूमेंट्स एम्० ए० एस० आई न० 24,1932, पृ० 100.

5 गांगुली, हिस्ट्री ऑफ द परमार डाइनेस्टी, पृ० 253

6 वसन्तविलास सर्ग X

7 वस्तुपाल प्रबन्ध

8 वैद्य, हिस्ट्री ऑफ मेडीवर हिन्दू इंडिया, पृ० ४१२

9 डॉ० हि० ना० ई० ११, पृ० 997

जैन धर्म की स्थिति को प्रमाणित करते हैं।

जैन स्थापत्य—

शिल्प शास्त्रों में प्रमुख रूप से स्थापत्य की तीन शैली नागर, द्रविड, और वेसर बताई गयी है। गुजरात के स्थापत्य 'नागर' शैली पर ही आधारित थी, इसमें लाटी शैली का प्रयोग किया गया है। चौलुक्य मंदिरों के निर्माण में सबसे प्रमुख बात उसका शिखर है। गुजरात के शिल्पशास्त्रों में शिखर के 24 प्रकार बताए हैं¹ पूर्व के मंदिरों में वक्र रेखा ऊर्ध्वधर (Vertically) होती थी और ऊपरी शिखर की ओर झुकी होती थी परन्तु बाद के मंदिरों में शिखर का वक्राकार मुख्य शिखर की ओर झुकता है जिसे उरुशृंग या अग शिखर कहते हैं, जो नीलकण्ठ महादेव के सूनक मंदिर में देखने को मिलता है। लेकिन मध्य शिखर हमेशा मुख्य मंदिर के ऊपर ही होता था। शिखर के शीर्ष भाग पर एक गडढेदार परिधि के रूपी में एक पत्थर रखा होता था जिसे आमलसर कहते थे इसके ऊपर इससे छोटा एक और आमलसर होता था तथा उस आमलसर के ऊपर एक कलश रखा जाता था।

चौलुक्य मंदिरों में मूलतः एक मंदिर (वेदी) होती थी तथा एक खम्भों वाला हॉल (बड़ा कमरा) होता था। जिसे गूढ-मंडप कहा जाता था। छोटे मंदिरों में तो एक ही हाल होता था परन्तु बड़े मंदिरों में इसी से लगा हुआ एक अन्य हाल भी होता था जिसे सभा मंडप (assembly hall) कहते थे, जैसा कि मोढेरा के मंदिर में प्राप्त होता है। इसे रंग-मण्डप या नृत्य शाला भी कहते हैं।

चौलुक्य मंदिरों का मुख्य आधार प्रायः तीन भाग में विभक्त होता था, पहला भाग पी० या आधार, दूसरा मण्डोवर या दीवार और तीसरा ऊपरी भाग या शिखर कहलाता था। इन मंदिरों की एक अन्य विशेषता यह थी कि इनमें नक्काशीदार खम्भे, होते थे जो छत को साधते थे खम्भे के विभिन्न अवयवों द्वारा मंदिर की उच्चता को विभिन्न भागों में बाटा जा सकता था। खम्भे के आधार को कुम्भी कहते थे जिसमें आले बने होते थे। ये एक साचे जैसे होते थे जिन्हें केवल कहते थे जो ग्रासपट्टी या नक्काशीदार चेहरो से घिरे होते थे। खम्भों का ऊपरी भाग भरणी कहलाता था जिस पर छत का हिस्सा टिका होता था। कुम्भी से लेकर भरणी तक के भाग को स्तम्भ कहा जाता था। इन स्तम्भों पर विभिन्न प्रकार की नक्काशी की गयी होती थी।

1 फरगुसन, ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, 11, 431, 437, 439, 444 बर्गीज एण्ड कूजन, आर्किटेक्चरल एन्टीक्यूटीज ऑफ नार्दन गुजरात, पृ० 27

चौलुक्य मदिरो का गुम्बज अन्य मन्दिरों से भिन्न विशेष प्रकार का होता था। यह अष्टभुजी खम्भों से घिरा होता था जो कि एक मध्य भाग बनाता था तथा मूर्ति के ऊपर केन्द्र भाग में ऊँचाई पर एक पैण्डुलम की भाँति होता था। ये अष्टभुजावाले स्तम्भ कुछ इस प्रकार ज्यामितीय विधि से बने होते थे कि ये बाहर की ओर एक गलियारा का रूप बनाते थे। इस प्रकार यह स्थापत्य शैली में परिस्तम्भ होता था।

आन्तरिक सजा भी चौलुक्य मदिरो का एक अंग थी। प्रायः मदिरो में बाहरी सजावट को देखने को मिलती है परन्तु आन्तरिक सजा विल्कुल नगण्य होती है, लेकिन गुजरात में अन्तर भाग तथा मूर्ति आदि की सजावट का पूरा ध्यान रखा जाता था। इसका एक कारण था कि गुजरात के मदिरो में बहुत बाद तक लकड़ी का प्रयोग होता रहा है जिस पर नक्काशी वगैरह की जाती थी। बाद में पत्थरों का प्रयोग होने पर भी स्तम्भों एवं मेहराबों पर लकड़ी की भाँति नक्काशी करने के प्रयास किए गए, जिसके लिए आबू मंदिर की छत तथा मोडेरा मंदिर के स्तम्भ, मेहराब लकड़ी की ही भाँति नक्काशी किए जाने के कारण विश्व में प्रसिद्ध हैं।

इन मदिरो में तोरण तथा मंदिर के सामने तालाब खुदवाने या बनवाने की परम्परा भी थी। ये तोरण दो स्तम्भों पर टिके होते थे। सम्पूर्ण ढाँचे पर नक्काशी होती थी। इन्हीं तोरणों के मध्य कभी-कभी मूर्तियों का निर्माण होता था। मदिरो के सामने तालाब होते थे जहाँ पर देवता आते थे ऐसी लोगों में धारणा थी।

प्रमुख जैन- तीर्थ—

प्रमुख जैन तीर्थों में शत्रुञ्जय, गिरनार आबू पर्वत का दिलवा मंदिर इत्यादि हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य जैन-मंदिर भी हैं जिनका महत्व था।

शत्रुञ्जय इन तीर्थों में प्रमुख था। यहाँ पर जैनों के चौबीसवें तीर्थङ्कर आदिनाथ का मंदिर है। यह मैदान से दो हजार फीट की ऊँचाई पर स्थित है। इसे जैनों का प्रथम तीर्थस्थान कहा गया है। यहाँ पर आदिनाथ की मूर्तियाँ विभिन्न मुद्राओं में बनी हैं।

इन पर चौंटी के छत्रों से हल्की रोशनी पड़ती है। हवाओं में भीनी महक होती है, पालिश युक्त फा पर नगे पैर, लोहित (scarlet) तथा स्वर्णिम पैरों से युक्त उपासिकाएँ, गोलाकार घूमती थीं तथा एक शुर में गी गाकर मधुर सगीत प्रस्तुत करती थी। सौराष्ट्र के राजा शीलालित्य के नेतृत्व में दानेश्वर ने वलभी में शत्रुञ्ज महात्म्य पर 8,700 पक्तियाँ संस्कृत में लिखीं तथा 108 नाम शत्रुञ्जय पर्वत के बताए।

माँउट आबू पर भी दो मंदिर पहला विमल शाह तथा दूसरा तेजपाल ने बनवाया जैन मंदिर है, जो f

दक्षिणी राजपूताने में पडते हैं तथा ये तीर्थ से अधिक पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। माउट आबू मंदिर के अभिलेख के अनुसार विमल ने 1031-32 ई० में ऋषभनाथ को समर्पित करके एक मंदिर बनवाया था। अन्य जैन मंदिरों की भाँति ही यह मंदिर भी चारों ओर से एक दीवार द्वारा घिरा हुआ था जिसे देवकुलिका कहते थे। यह चारों ओर से आगन से जुड़ा होता था।

इन मंदिरों में एक मूलगर्भ है, दो हाल हैं जिनमें एक गूढ-मण्डप, एक सभा मण्डप तथा एक प्रदक्षिणा मार्ग था। सभा मण्डप में चार कोने बने थे, इसमें एक केन्द्र बिन्दु भी होता था। इसके गुम्बज में 11 केंद्रीय छल्ले बने थे। जिनमें गुम्बज के पाँच छल्लों एक दूसरे से बराबर दूरी पर सन्निवेशित हैं। तथा इन पर बहुत से पशुओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार के चित्र भी अंकित हैं। इसके शीर्ष में एक केन्द्रीय लटकन होती थी तथा इसमें चारों ओर छोटी-छोटी लटकनें भी थीं। इसकी अन्दरूनी छत में भी नक्काशी की गयी थी।

दिलवाड़ा के एक अन्य मंदिर को तेजपाल ने अपनी पत्नी अनुपमा देवी तथा पुत्र लूण प्रसाद की ख्याति हेतु निर्मित कराया था। यह मंदिर विमलवसहिका मंदिर से आकार में बड़ा था। यह मंदिर केवल आन्तरिक सजावट एवं स्तम्भों की बनावट में विमल व सहिका से थोड़ा भिन्न है शेष वास्तु के पहलुओं से सम्बन्धित मंदिर विन्यास तथा अलाकरणों का अन्याङ्कन में दोनों में साम्यता मिलती है।

ब्राह्मण धर्म एवं स्थापत्य— भारत वर्ष में प्रचलित विभिन्न धर्मों में शैव धर्म का प्रमुख स्थान है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न शासकों द्वारा शैव धर्म अपनाने के अनेक अभिलेखिक तथा पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं।

गुजरात के चौलुक्य नरेश सिद्धराज जो वैयक्तिक रूप से जैन धर्म में विश्वास रखता था, ने एक मंदिर गणनाथ का बनवाया¹ वेरावल-प्रशस्ति² से ज्ञात होता है कि चौलुक्य नरेश कुमारपाल जिसे प्रायः जैन धर्म से सम्बद्ध ही बताया जाता है, उसने (महेश्वर - नृपाग्रणीह) की प्रशंसा की तथा सोमनाथ शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और एक ग्राम भी मंदिरों को दान दिया। उसने समिहेश्वर देव (शिव) की पूजा करके कित्तौडगढ मंदिर का भी दान किया।³ उसके एक सेनापति ने भी महेश्वर की मूर्ति स्थापना किया तथा व्यय हेतु कुछ अनुदान दिया⁴ उसके एक सामंत ने भी जूनागढ में एक शिव मंदिर बनवाया⁵ एक अन्य सामंत ने भीवडेश्वर का एक मंदिर

- 1 मंगरौल शिलालेख, वही, II-978
- 2 जूनागढ शिलालेख वही, II, पृ० 984
- 3 नाडलाई शिलालेख II, पृ० 984
- 4 उदयपुर शिलालेख वही III, पृ० 999
- 5 डी० एच० एन आई० II पृ० 1000

का मण्डप बनवाया।¹ उसके उत्तराधिकारी अजयपाल के काल में एक लाभन्त ने उदयपुर में एक शिव मंदिर वैद्यनाथ हेतु एक ग्राम दिया।² भीम द्वितीय ने भी सोमनाथ में एक मेघनाद का मंदिर बनवाया।³

चौलुक्य राजवंश के अतिरिक्त तत्कालीन अन्य राजवंशों यथा नड्डुल के चाहमानो, कनौज के गहड़वाल्लों, चन्देलों, एव त्रिपुरी के कल्चुरि, राजवंशों के अभिलेखों एव पाल तथा सेन के अभिलेखों में भी ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनसे अधीतकाल में शैव धर्म के भी प्रचुर रूप से प्रचलन में होने का ज्ञान प्राप्त होता है।

शिव के अतिरिक्त गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा विष्णु, कृष्ण इत्यादि देवताओं की उपासना भी पश्चिमी भारत में होती थी, परन्तु गुजरात-कठियावाड़ क्षेत्र से इनके पर्याप्त साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। गुजरात से जिस प्रकार से शिव मंदिर का निर्माण राजाओं ने करवाया, उस प्रकार विष्णु भगवान को कोई मंदिर निर्मित नहीं हुआ। हेमचन्द्र कहते हैं कि जयसिंह ने दस अवतारों वाले विष्णु भगवान का मंदिर सहस्त्रलिंग तालाब पर निर्मित करवाया था।⁴ इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस साक्ष्य विष्णु पूजा अस्तित्व में तो थी लेकिन इसके पर्याप्त साक्ष्य अनुपलब्ध हैं।

जयसिंह तथा कुमारपाल⁵ के समय दोहद अभिलेख में यह उल्लेख आया है कि जयसिंह ने एक मंत्री को गोगा नारायण का मंदिर बनवाने के लिए नियोजित किया। तथा इस मंदिर को अनुदान दिया गया। इसके दो अन्य रूपनारायण तथा बल्लालनारायण के मंदिर भी थे⁶ संभवतः उक्त दोनों नारायण वाची नाम सूर्य तथा विष्णु के ही स्थानीय नाम बताएँ हैं। श्रीधर की देव पत्तन-प्रशस्ति में विष्णु मंदिर के निर्मित होने का अप्रत्यक्ष रूप से प्रसंग प्राप्त होता है⁷ श्रीधर ने एक रोहिणीस्वामी का मंदिर निर्मित कराया जिसमें केशव की तथा अन्य देवताओं की मूर्तियाँ थीं।

शारङ्गदेव के अनावाड प्रस्तर अभिलेख (वि० सं० 1348) से कृष्ण देव के भी अस्तित्व में होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं।⁸ अभिलेख में यह उल्लेख है कि कृष्ण की उपासना के लिए अनुदान, भेंट इत्यादि दिए गए। गुजरात

- 1 इयाश्रय, xy 119
- 2 अपेंडिक्स न० 173, 182 आर्क० गु०
- 3 अपेंडिक्स न० 235 आर्क० लाजी ऑफ गुजरात
- 4 अपेंडिक्स न० 215 वही
- 5 अपेंडिक्स न० 245 वही
- 6 अपेंडिक्स न० 177 वही
- 7 ई. ई. आई- I, पृ० 268.
- 8 विएना ओरिएंटल जर्नल III. पृ० 1

मे भी कृष्ण उपासना के एक-दो उदाहरण प्राप्त होते हैं। समकालीन साहित्य तथा स्थापत्य से भी विष्णु तथा कृष्ण देव के किसी विषिष्ट मंदिर का उदाहरण नहीं प्राप्त होता । विष्णु तथा उनके अवतारों की कतिपय मूर्तियाँ केवल सूर्य तथा शिवमंदिरों में प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार कृष्णावतार से सम्बन्धित दो प्रमुख व्याखाओं कालियमर्दन तथा गोवर्धनोद्धारण माउट आबू, मानद सोमनाथ तथा मगरोल से प्राप्त होते हैं।

उत्तर-भारत से गणेश-भगवान के उल्लेख अल्प ही प्राप्त होते हैं परन्तु प्रत्येक मंदिर में उनका चित्र अवश्य प्राप्त होता है। चौलुक्य नरेश जयसिंह¹के एक अभिलेख में भट्टारिकादेवी के साथ विनायक की मूर्ति वाले एक मंदिर का उल्लेख हुआ है। संभवता यह मंदिर अवशेष मात्र ही रह गया है। एक अन्य अभिलेख में गणेश मंदिर का गणेश्वर के नाम विख्यात होने का उल्लेख है। इस मंदिर के मण्डप का निर्माण वस्तुपाल ने करवाया था इससे यह स्पष्ट है कि बारहवीं शताब्दी में गुजरात काठियावाड क्षेत्र में गणेश देव की गणेशोपसिता प्रचलन में थी।

सोमनाथ मंदिर— दसवीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर काठियावाड में सबसे पवित्र तथा प्रसिद्ध तीर्थस्थान था।² सोमनाथ मंदिर के विषय में अंतिम अभिलेख वेरावल प्रशस्ति में प्राप्त होता है।³ नूतन पुरातात्त्विक उत्खनन के फलस्वरूप एक गर्भगृह से ही तीन निर्गम द्वार एक दूसरे के सिरोभाग ऊपर से निकलते हुए प्रतीत होते हैं। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि एक ही स्थान पर तीन बार मंदिर का निर्माण हुआ जिसमें हर बार गर्भ-गृह एक ही स्थान पर बनाया गया, यह मंदिरों विभिन्न युगों में विनष्ट हुआ ।

बारहवीं शताब्दी में इस मंदिर के पुनः प्रकट होने के कोई ठोस प्रमाण नहीं उपलब्ध होते हैं। अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि चौलुक्य नरेश भीम द्वारा निर्मित यह मंदिर पत्थर का बना हुआ था। लेकिन मेरुतुङ्ग के अनुसार कुमारपाल ने जिस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया वह लकड़ी का बना था⁴ जो बाद में समुद्र के जल के कारण विनष्ट हो गया था। मंदिर को देखरेख करने वाले वृहस्पति का कथन है कि भीम ने प्रस्तर का ही मंदिर बनवाया था जिसका पतन अधिकारियों के भ्रष्टाचार के फलस्वरूप हुआ था। अधीतकालीन विदेशी यात्री इब्न आसिर कहता है कि सोमनाथ मंदिर छप्पन चीड के स्तम्भों पर बना था जो पट्टे से ढका था।⁵

1 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरु 82, टॉनी 126 (सोमेश्वरस्य काष्ठमय प्रासाद)

2 इति० डासन० II, 476 (246) 472, (150)

3 प्रबन्धचिन्तामणि, मेरु० पृ० 61; टॉनी पृ० 90

4 साचऊ, II, 146

5 तीर्थ विवेचन काण्ड पृ० 28

इससे यह प्रतीत होता है कि दसवीं शता० के पूर्वार्द्ध में सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था इस मंदिर के मण्डप के ऊपर की छत काष्ठ के स्तम्भों पर आधारित थी, जिसके लिए छप्पन स्तम्भों की आवश्यकता थी। इससे सम्पूर्ण मंदिर काष्ठ का निर्मित रहा होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। पीठ और मण्डप (मंडोवर) तथा निर्गम द्वार प्रस्तर के बने होंगे।

इस प्रकार दसवीं शताब्दी में इस स्थान पर प्रथम मंदिर का निर्माण हुआ। एक शताब्दी के बाद भीम प्रथम ने द्वितीय मंदिर का निर्माण करवाया, इसके भी नष्ट हो जाने पर सौ वर्षों बाद कुमारपाल ने एक अन्य नए मंदिर का निर्माण इसी स्थल पर करवाया। चौलुक्य नरेशों में ही भीम द्वितीय ने भी इस मंदिर में एक मण्डप जिसे मेघनाद कहते हैं निर्मित करवाया।

एच० कूजन इसी की निर्माण शैली के विषय में लिखते हैं कि पूर्वी द्वार वाले इस मंदिर में एक गूढ मण्डप था, जिसमें तीन प्रवेश मार्ग थे और जो उच्च द्वार मण्डप द्वारा सुरक्षित थे। विशाल कक्ष के पश्चिमी भाग की ओर एक मुख्य कमरा था, जिसमें चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ था। इसके तीनों ओर दरवाजे युक्त खिड़कियाँ थीं। इसमें एक सभा-मण्डप भी था। उसे बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा मस्जिद के रूप में बदल दिया गया।

मोढेरा का सूर्य मंदिर—अणहिलपाटन से लगभग 29 कि०मी दक्षिण की ओर पुष्पावती नदी के तट पर एक ग्राम मोढेरा था। इस ग्राम के पश्चिम में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित था, जिसके सामने के भाग में एक स्वस्तिकाकार तालाब था। यह पूर्वामुखी था तथा इस प्रकार निर्मित किया गया था कि सूर्य उगने पर उसकी किरणें सीधी सभा-मण्डप पर पड़ें।

सम्पूर्ण मंदिर जों खरशिला पर बना था, जिसमें एक गर्भगृह, गूढ मण्डप, सभा मण्डप थे। इसके सामने एक कुण्ड था। इसी के समीप छोटे-छोटे अन्य मंदिर भी थे जो कालांतर में नष्ट हो गए।

रुद्रमहालय— यह मंदिर अणहिलपाटन से लगभग 27 किलो मीटर उत्तर-पूर्व में सरस्वती नदी के तट पर सिद्धपुर में स्थित था। जिस प्रकार गया तथा प्रयाग में पितृयज्ञ होता है, उसी प्रकार सिद्धपुर में मातृयज्ञ हेतु इस मंदिर को निर्मित किया गया। कपिल आश्रम में यहाँ मातृयज्ञ सम्पन्न होता था, जहाँ पर एक कुआँ तथा दो तालाब थे जिन्हें ज्ञान-वापिका, अल्प सरोवर तथा बिन्दुसरोवर कहते थे। इस स्थान का मूल नाम श्रीस्थल है। मेरुतुङ्ग कहते हैं कि सिद्धराज ने सिद्धपुर में रुद्रमहाकाल का मंदिर बनवाया। (प्रबन्धचिन्तामणि मेरु 61, टॉनी 90)। इस मंदिर का निर्माण कार्य मूलराज ने प्रारंभ किया था तथा तेरहवीं शताब्दी में इसे सिद्धराज ने समाप्त करवाया था।

अन्य मंदिर— अन्य मंदिरों को एक दो तीन तथा चार देवताओं तथा पुजा स्थलों के आधार पर चार भागों में विभक्त किया गया सूनक मन्दिर प्रथम प्रकार का विशिष्ट मंदिर था । इससे ही मिलते जुलते कतिपय अन्य मंदिरों का निर्माण किया गया था।

मानसार झील पर स्थित वीरमणाम मंदिर दो पूजा स्थलों वाला मंदिर था। इसके पूर्व भाग में शिव की तथा पश्चिम भाग में विष्णु की पूजा होती थी।

तीन देवताओं वाला मंदिर कसर में था। पश्चिमी भाग में शिव की, उत्तरी भाग में विष्णु की तथा दक्षिणी भाग में ब्रह्मा की पूजा होती थी।

सौराष्ट्र के सण्डेरा तथा वधवन के मंदिर भी अपने शिखर के कारण प्रसिद्ध थे।

रथयात्रा इस काल में बहुत प्रचलित थी। अशोक के समय में रथयात्रा प्रचलित थी। यहाँ तक रथयात्रा का महत्व बढ़ गया था कि अनेक मंदिरों का निर्माण भी इसी आधार पर होने लगा, यथा- महाबलीपुरम्, रथमंदिर, पुरी का कोणार्क मंदिर। जैनियों के अतिरिक्त बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्म में भी रथयात्रा थी।

तीर्थों का सामाजिक महत्व—

प्राचीनकाल में ही विभिन्न तीर्थ स्थान एवं उनकी यात्रा करने का प्रचलन समाज में रहा है। पवित्र नदियों, पर्वतों, देव स्थानों, तडागों, मंदिरों इत्यादि, स्थानों पर तीर्थयात्रा हेतु जाने का प्रचलन सामान्य जन में ही नहीं अपितु शासक वर्ग में भी प्रचलन में था। शोध आधृत ग्रन्थ प्रबन्धचिन्तामणि में अनेक चौलुक्य शासकों एवं व्यापारियों, सभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों को निर्मित करवाने एवं उनकी यात्रा हेतु जाने के अनेक प्रसङ्ग प्राप्त होते हैं। विभिन्न शासकों द्वारा प्रतिवर्ष शत्रुञ्जय, सोमनाथ इत्यादि तीर्थस्थानों पर जाने के भी उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ में प्राप्त होते हैं।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि तीर्थ यात्राएँ प्रायः धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण, नैतिक उत्थान, मानसिक समतुलन बनाए रखने तथा खुशहाली एवं मोक्ष हेतु की जाती थी। अल्बेरुनी के अनुसार सामान्य व्यक्ति तीर्थयात्रा के गौरव को जाने बगैर ही केवल धार्मिक विश्वास के कारण यात्राएँ करते थे।¹ देश के कोने-कोने से इन विभिन्न तीर्थस्थलों पर लोग आते जाते थे, यह एक सांस्कृतिक भावना की ओर संकेत करते हैं। बारवहीं शताब्दी में उत्तर-भारत में तीर्थों का महत्व अधिक बढ़ गया था। चौलुक्यों के अतिरिक्त ब्राह्मण तथा गहडवाल वंश भी

तीर्थस्थानों की सुरक्षा हेतु जागरूक रहते थे। अधीतकाल में तीर्थों का महत्व अत्यधिक होने का प्रमाण लक्ष्मीधर के तीर्थविवेचन-काण्ड से होता है। अल्बेरुनी भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखता है।

लक्ष्मीधर¹ के अनुसार तीर्थयात्रा केवल द्विजों के लिए ही नहीं अपितु शूद्रों, चाण्डाल एवं अन्य निम्न जातीय लोगों हेतु भी थी, उन्हें सभी को काशी जाने का अधिकार था जहाँ सभी के पाप नष्ट होते थे। इस प्रकार छुआछूत की निवारण एवं विभिन्न क्षेत्रों स्थानों में आने वाले लोगों के बीच सामायिक तथा सास्कृतिक भावनाओं द्वारा जुड़ने का अवसर प्राप्त होता था।

तीर्थ स्थानों पर उपहार देने की प्रथा सामान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त शासक वर्ग में भी थी। सातवीं शताब्दी के हर्ष द्वारा प्रयाग में सगम तट पर कुछ दान देने की महत्वपूर्ण घटना प्राप्त होती है। बाद में समय में बहुत से भूमि अनुदान धार्मिक स्थलों एवं शिक्षित ब्रह्मणों पुरोहितों को शासकों, सामन्तों एवं सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा दान देने के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं।

व्रत—जैन धर्म में व्रतों का महत्वपूर्ण स्थान था, जो कि अन्य धर्मों में प्रचलित प्रथाओं से भिन्न था।² व्रत से तात्पर्य होता है कि कुछ निश्चित अवधि अथवा पूर्ण दिवस, व्यक्ति अन्न एवं जल का त्याग करे। आत्म-शुद्धि एवं आध्यात्मिक साधना के लिए व्रत किया जाता था। व्रत से व्यक्ति कर्म के बन्धन से मुक्त होता था यद्यपि प्रबन्धचिन्तामणि में व्रतों का विस्तृत उल्लेख नहीं आता तथापि उसकाल में गुजरात काठियावाड़ क्षेत्र में विभिन्न पर्वों यथा अष्टाहीनका, पञ्चकल्याणिका एवं अन्य जैन पर्व एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित दुर्गापूजा, इन्द्र पूजा, बलि पूजा ग्रीष्म एवं वसन्तोत्सव, आयलक एकादशी इत्यादि पर्व मानने का उल्लेख ए० के० मजूमदार करते हैं।³ प्रायः इनमें पर्वों पर व्रत भी किया जाता था। कुवलय मालाकहा⁴ में उल्लेख है कि तप और ज्ञान से जीव मुक्ति प्राप्त करता है, जिस प्रकार कीचड़ रहित तूबा जल के ऊपर तैरता रहता है उसी प्रकार जीव ससार में कर्म से मुक्त होकर उच्च स्थिति को प्राप्त करता है।

जैन कथाओं में भारतीय कार्तिक, फाल्गुन तथा आषाढ मासों के अंतिम आठ दिन व्रत के लिए बताए हैं

1 तीर्थविवेचन काण्ड-पृ० 26

2 बृहत्कथाकोश, पृ० 53 उद्धृत वनमाला, सोशियो-इकोनोमिक स्टडी ऑफ द जैन कथा लिट्रेचर पृ० 219 पा० टि० 68

3 चौ. सु०, पृ० 301-331

4 कुवलयमाला, पृ० 98. 22-23

जिन्हे त्रि-अष्टाहिनक कहा है। बृहत्कथाकोश में अष्टाहिनक पूजा का उल्लेख हुआ है। इसको नन्दीश्वर पर्वत भी कहा जाता था। इस दिन नन्दीश्वर द्वीप में भगवान आते थे और 52 मदिरो में भगवानों की पूजा होती थी ऐसी कथा का उल्लेख भी मिलता है। जैन लोग वर्ष में ती नबार इस पूजन का आयोजन करते थे। इस पूजन के दिन लोग किसी को न मारने की शपथ लेते थे तथा स्थयात्रा भी निकालते थे।¹

बृहत्कथाकोश में रोहिणी तथा पचमी-व्रत करने की विधि का भी उल्लेख हुआ है। पचमी-व्रत कृष्ण-पचमी एव शुक्ल पचमी को व्रत करते थे। व्रत के समापन पर जिन महोत्सव होता था। इस समय मदिरो को फूलों, धान, तम्बू एव अन्य प्रकार से सजाते थे, फिर जैन- भिक्षु एव भिक्षुणियों को 'पचमी-पुस्तक' तथा अन्य पुस्तकें, भोजन तथा वस्त्र इत्यादि देते थे।² रोहिणी व्रत चन्द्रमा के रोहिणी-नक्षत्र में होने पर किया जाता था। यह तीन वर्ष में चालीस व्रत या सरसठ व्रत पाच वर्ष, नौ दिनों में होते थे।³ अडतालिस घंटों का एक व्रत प्रोषधोपवास करने का उल्लेख बृहत्कथाकोश में प्राप्त होता है। इस व्रत को प्रारंभ करने के पूर्व 48 घंटों तक कुछ अन्न जल न खाने का सकल्प किया जाता था। तीसरे दिन मध्याह्न भोजन से इस व्रत का पारण किया जाता था यह व्रत 36 या 24 घंटों का भी हो सकता था।

1 बृहत्कथाकोश, पृ० 118, न० 57 अनुवाद 525-26, 532-36
 2 वही पृ० 111 स्ट, न० vv 324-326
 3 वही, स्ट ने 10 पृ० 14 प०-3

उपसंहार

शोध आधार ग्रन्थ प्रबन्धचिन्तामणि तथा अन्य समकालीन ग्रन्थों में आए विभिन्न तथ्यों के अनुशीलन से तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का जो स्वरूप सामने आता है वह इस प्रकार है—वर्ण एवं जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस काल में एक ओर ब्राह्मणों की अनुष्ठानिक परम्पराओं का निर्वाह हो रहा था, तो दूसरी ओर कुछ ब्राह्मण वर्णों को कार्य करने लगे थे। जो ब्राह्मण विधि विहित कार्य करके जीविका चलाने में असमर्थ थे, वे निम्न वर्णों के व्यवसाय को अपनाने लगे थे इसके अतिरिक्त कतिपय लोभवश, वर्णों के व्यवसायों को अपनाने लगे थे। साक्ष्यों के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि आर्थिक घटक कहीं-कहीं कुछ सीमा तक अनुष्ठानिक सामाजिक स्थिति को अपेक्षा अधिक प्रमाणी थे। ब्राह्मणों की जन्म के आधार पर प्रतिष्ठित सामाजिक स्थिति क्षीयमान होने लगी थी। इस स्थिति के लिए पश्चिमोत्तर भारत में वृद्धिगत जैन प्रभाव एवं उनका ब्राह्मण विरोध भी कुछ सीमा तक उत्तरदायी था।

इसकाल में क्षत्रियों की स्थिति में भी कुछ परिवर्तन परिलक्षित होता है। ग्यारहवीं शताब्दी में क्षत्रिय राजपूतों के रूप में उभर रहे थे। इसका कारण था कि इस समय बहुत सी विदेशी जातियाँ यहाँ प्रवेश कर गयी थीं और उनके अन्तर्जातीय विवाहों के कारण रक्त मिश्रणता में वृद्धि हुई और अलग-अलग वर्ण के रूप में राजपूतों का उदय हुआ। उस समय सामन्तवादी व्यवस्था के वृद्धिगत होने के फलस्वरूप समस्त उत्तर-पश्चिम भारत के विभिन्न प्रदेशों में पृथक-पृथक राजपूत वंशों का शासन हो गया था।

ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में पश्चिम भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति के फलस्वरूप वैश्यों की स्थिति में भी सुधार हुआ और वे समृद्ध होकर सामन्तीय स्थिति को प्राप्त हो रहे थे। ग्यारहवीं शताब्दी में शूद्र और वैश्य को एक ही स्तर का स्वीकार किया जाने लगा परन्तु पश्चिम भारत के परिप्रेक्ष्य में यह कथन समीचीन नहीं प्रतीत होता है। यद्यपि शूद्रों का स्तर भी बढ़ा था, परन्तु वैश्य पूर्वकाल की अपेक्षाकृत अधिक उन्नति कर रहे थे। कभी-कभी कतिपय वैश्य सामन्तीय स्थिति को प्राप्त होते थे। बहुत से वणिकों द्वारा विभिन्न देवालयों के निर्माण एवं पुण्यार्थ अनुदान आदि देने के प्रसंग भी उनकी समृद्ध एवं उन्नत सामाजिक स्थिति का द्योतन करते हैं।

इस काल में शूद्रों की स्थिति में भी सुधार था। शूद्र भी अन्य वर्णों पर आश्रित होने की अपेक्षा कृषि एवं शिल्प व्यवसायों को अपनाकर आत्म-निर्भर हो रहे थे, परन्तु कुछ व्यवसायों को अभी भी अनुष्ठानिक दृष्टि से हीन

समझा जाता था तथा उनको अपनाने वालों को अन्त्यज की कोटि में, चारोवर्णों से बाहर, रखा जाता था। विभिन्न शिल्पो तथा व्यवसायों में लगे होने के कारण लौकिक दृष्टि से तन्तुवाय स्वर्णकार इत्यादि कतिपय अन्त्यजों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पूर्वकाल की अपेक्षा बेहतर थी। इस प्रकार के उल्लेखों से यह अनुमानित होता है कि इस समय यद्यपि वर्ण-सम्बन्धी कर्तव्यों के लिए उतनी कट्टरता नहीं रह गयी थी वर्णोत्तर कार्य करने की अनुमति भी कभी-कभी प्राप्त थी, परन्तु सामान्य रूप से अन्त्यजों के समाज में पिछड़ापन व्याप्त था।

प्रबन्धचिन्तामणि में भी गृहस्थ धर्म के पालन के लिए जैन आचार्यों ने गृहस्थों के विभिन्न कर्तव्य बताये हैं हिन्दू परिवार का ढांचा प्राचीनकाल से सयुक्त परिवार के इर्द-गिर्द घूमता था। समाज में एक परिवार के तीन सामाजिक कार्य सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बताया गया है सामाजिक सम्बन्ध बनाना, दूसरा श्रम का पुनरुत्पादन तथा तीसरा परिवार को चलाना तथा इसके सदस्यों का पोषण करना। सयुक्त परिवार में पिता ही परिवार का मुखिया होता था। जीमूतवाहन ने यह कहा है कि पिता के जीवन काल में पुत्र को हिस्सा मागने का अधिकार नहीं है। पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र के गृहपति होने का गौरव प्राप्त होता था। कथासरित्सागर के अनुसार पुत्री की प्रायः इच्छा नहीं की जाती थी। परिवार में पति, पत्नी, माता का भी महत्वपूर्ण स्थान होता था। ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य शूद्र अपने-अपने कार्यों के अनुसार अपने दैनिक कार्यों को सम्पन्न करते थे।

अधीतकाल में भी विवाह के आठ प्रकार ही बताए गए हैं। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गन्धर्व, राक्षस तथा पैशाच। गृहस्थ काण्ड में लक्ष्मीधर ने इन विवाहों को भिन्न ^{भिन्न} ^{भिन्न} वर्णों के लिए बताया है। प्रबन्धचिन्तामणि में मयणल्लदेवी का कर्ण से गन्धर्व विवाह करने का उल्लेख मिलता है। अधीतकाल में अनुलोम विवाह करने की अनुमति प्रदान की गयी है परन्तु प्रतिलोम विवाह का निषेध हुआ है। सजातीय विवाह को ही महत्व दिया जाता था। जनसाधारण में एक ही विवाह करने का प्रचलन था, जबकि शासकवर्ग के लोग बहु विवाह करते थे।

विवेच्यकाल में स्त्रियों की स्थिति में निरन्तर उतार-चढ़ाव आता रहा है। विभिन्न युगों में स्त्रियों की पृथक-पृथक स्थिति रही है। जैन ग्रन्थों में भी उनके सम्बन्ध में अनेक उल्लेख आए हैं। जैन लेखकों ने उन्हें सम्माननीय उल्लिखित किया है फिर भी स्त्रियों को सन्यासियों ने पतन का कारण माना है। प्रबन्धचिन्तामणि में भी दिग्गम्बर जैन स्त्रियों को अच्छे कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। इसी काल के कतिपय उल्लेख स्त्रियों की उच्च स्थिति को भी द्योतित करती हैं। नाई-की देवी द्वारा म्लेच्छों से युद्ध करना, मयणल्लदेवी द्वारा सोमनाथ की यात्रा पर जाना तथा प्रभूत दान देना, ^{पाल-} विधवा-विवाह इत्यादि विवरण उनकी अच्छी स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। चौलुक्यराज कुमारपाल द्वारा पुत्रहीन विधवा की संपत्ति जब्त किए जाने वाले कानून को समाप्त करना भी

इनकी स्थिति में सुधार पर प्रकाश डालता है। आलोच्यग्रन्थ में वेश्याओं के लिए पणस्त्री शब्द का प्रयोग किया है, तथा इन्हे शिक्षा का धर्मिक कार्य करने का तथा विवाह का अधिकार था। प्रबन्धचिन्तामणि में सती का कोई प्रमाण नहीं मिलता है।

(12वीं-13वीं शताब्दी)

अधीतकाल में पूर्व मध्यकाल के पूर्वार्द्ध (600-1000) की अपेक्षा तत्कालीन साहित्यिक ग्रन्थों तथा अभिलेखों में दास दासियों के कार्य व्यवहार, व्यापार इत्यादि पर प्रकाश पड़ता है। प्रायः युद्ध में बन्दी बनाए जाने, ऋण न चुकाने तथा दुर्भिक्ष पड़ने के कारण अपने जीवन यापन में अपने को असमर्थ व्यक्तियों द्वारा स्वयं आगतदास या दासी रूप में दासता स्वीकार करनी पड़ती थी। ^{इन्के द्वारा} ~~किसी~~ अन्य कारण भी थे, विज्ञानेश्वर ने नारद को उद्घृत करते हुए दासों के 15 प्रकार बताए हैं। इस युग में दासों को घर तथा बाहर, दोनों जगह कार्य करना पड़ता था, जिसके बदले में उन्हें केवल भोजन तथा वस्त्र प्राप्त होता था। यदि उनसे कोई अपराध होता था तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। बढ़ती हुई सामंतवादी प्रथा के कारण दास अधिक बनाए जाते थे और धीरे-धीरे करके उनका व्यापार भी प्रारम्भ हो गया। पश्चिमी प्रांतों में यह प्रथा और भी बढ़ रही थी। वहाँ से व्यापार के साक्ष्य अनेक साहित्यिक ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं। ^{लेखपद्धति} ~~लेखपद्धति~~ में दास दासियों के विक्रय एवं व्यापार के विवरण प्राप्त होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ^{11वीं} 12 वीं से 13 वीं शताब्दी ई० में, इसके पहले की चार शताब्दियों की अपेक्षा दास-प्रथा में विकास हुआ।

समाज में राजा राजपरिवार के सदस्य, अधिकारी, एवं समृद्ध वर्गों के अतिरिक्त एवं जनसाधारण द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्रों एवं आभूषणों का उल्लेख हुआ है। जहाँ तक वेश-भूषण का प्रश्न है इस काल में स्त्री तथा पुरुष दोनों उत्तरीय तथा अधोवस्त्र धारण करते थे। पुरुष उत्तरीय के साथ धोती तथा पायजामा पहनते थे तथा स्त्रियाँ साड़ी या धोती पहनती थीं। सिरोवेहन सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता किन्तु मूर्तियों में कही-कही रानियों या स्त्रियों को सिर ढके हुए दिखाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि इस समय कुछ सीमा तक पर्दा किया जाता था। पुरुषों तथा स्त्रियों द्वारा नरव-शिख आभूषण धारण करने की भी परम्परा थी। आभूषणों में कर्णाभूषण-वाली, ताडपत्र इत्यादि, कष्ठा-भूषण में ग्रैवेयक, हार इत्यादि (हारों के लिए विभिन्न लड्डियों के अनुसार उनके नाम बताए गए हैं) हाथ के आभूषणों में ककण, केयूर, मुद्रिका इत्यादि, इसी प्रकार पाँव के आभूषणों में नूपुर इत्यादि का प्रचलन था। स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का भी प्रयोग करती थीं। सुन्दर वेश भूषण एवं आभूषणों का अत्यधिक प्रयोग तथा सौंदर्य-प्रसाधन की विविध विधियों का ~~अभ्युत्थ~~ ^{अभ्युत्थ} तत्कालीन सामाजिक स्थिति में शानोशौकत विलासितापूर्ण फिजूलखर्ची जहाँ एक ओर विकसित सामन्तीय व्यवस्था का द्योतन

करती प्रतीत होती है तो वही दूसरी ओर अपेक्षाकृत विकसित अर्थ व्यवस्था का भी संकेत करती है। इसी प्रकार खान-पान में विविधता को देखते हुए उस काल की उन्नत कृषि-व्यवस्था का भी पता चलता है। गेहूँ के आटे, चावल में गुड, शकर दुग्ध दही मसाले इत्यादि मिलाकर जो व्यञ्जन बनाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं उनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विवेच्यकाल में सम्पन्न कृषि व्यवस्था थी तथा लोग अतिथि सत्कार हेतु विशिष्ट एवं विभिन्न प्रकार के व्यञ्जन तैयार करते थे। मास-मदिरा का भी प्रयोग होता था, परन्तु कुमारपाल ने जैन-धर्म अपनाने के बाद इस पर प्रतिबन्ध लगाया, परन्तु इसका कबतक एवं किस सीमा तक प्रभाव रहा इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिर भी जैनियों पर तो इसका विशेष प्रभाव पड़ा ही।

इस शोध-कार्य से तत्कालीन कृषि-व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। इसके अन्तर्गत भूमि व्यवस्था भूमि के प्रकार, माप एवं पैमाना, फसल, सिंचाई के साधन कृषि उपकरण, खाद कृषि श्रम, कर्मकर, विष्टि स्वतन्त्र कृषि-श्रम इत्यादि में से कतिपय घटकों की सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। इस काल में यद्यपि राजा का स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वामित्व एवं सामुदायिक स्वामित्व प्रचलन में था परन्तु व्यक्तिगत स्वामित्व ही अधिक प्रभावी था। सिंचाई के प्रचलित सामान्य साधनों के अतिरिक्त अरघदट या घटीयन्त्र के बहु प्रयोग से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय कृषि में अपेक्षाकृत विकास दिखाई देता है। सिंचाई में यन्त्रों का प्रयोग होने लगा था। विभिन्न फसलों के उत्पादन से यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय कृषि उन्नत अवस्था में थी। इसकाल में उत्पन्न होने वाले अनाजों की एक सूची अभिधानचिन्तामणि में प्राप्त होती है, इसमें 17 प्रकार के अनाजों का उल्लेख है—व्रीहि, यव मसूर, गोधूम, मुद्ग, भाष, तिल, चणक, अणव (Great millet,) (जुआर), प्रियगु, कोद्रव, मयूष्क (मोठ), शालि, आधकी (Pigeon-pea), कलाय (Pea), कुलत्थ, शण (Hemp) कर्मकर एवं कर्षक शब्दों के उल्लेख से तत्कालीन कृषि में प्रयोग किए जाने वाले श्रमों एवं श्रमिकों की कोटियों का ज्ञान होता है।

व्यापार वाणिज्य के अन्तर्गत वर्णित विभिन्न व्यवस्थाओं से अनुमान लगाया जा सकता है कि विवेच्यकाल में गुजरात क्षेत्र में व्यापार-वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। कुमारपालचरित में वर्णित बाजार-व्यवस्था, विभिन्न स्तर के व्यापारी, सुदूर देशों से व्यापार, व्यापारियों की सुविधा हेतु राजमार्गों एवं विभिन्न साधनों की व्यवस्था इत्यादि व्यापारिक सुदृढता का परिचय देते हैं। स्थल मार्ग के अतिरिक्त जल मार्ग से भी व्यापार होता था। कैम्बे, मड़ौच, सोमनाथ इत्यादि विभिन्न पत्तनों से विदेशों से आयात-निर्यात की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों यथा मसाले, वस्त्र हाथी दाँत, घोड़े, अन्य खाद्य-सामग्रियाँ इत्यादि को व्यापारी ले आते तथा ले जाते थे। विभिन्न व्यवसायों को करने वाले व्यापारियों के विभिन्न वर्ग हो गए थे। एक वस्तु के व्यवसाय करने वालों को श्रेणी के अन्तर्गत रखा जाता

था, इन श्रेणियों का एक प्रमुख या अधिप होता था तथा इनके अपने नियम कानून बैक, मुद्रा, सैन्यबल इत्यादि होते थे, जिससे यह प्रतीत होता है कि यद्यपि छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले विभिन्न वर्ग के होते थे परन्तु श्रेणी के अन्तर्गत आने से उन्हें पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। विभिन्न वस्तुओं के न्यूननाधिक क्रय-विक्रय के आधार पर तथा धन/समाज के आधार पर भी व्यापारियों के विभिन्न वर्ग थे। स्थानीय व्यापारी, श्रेष्ठि, सार्थवाह इत्यादि के विभिन्न वर्ग थे। इसी प्रकार पण्य विक्रय के अनुसार उत्तम मध्यम तथा निम्न वर्ग के व्यापारी होते थे। इनके लिए विभिन्न नाम भी कोश ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं यथा—वाणिज्य, वणिक, क्रयविक्रयिक, पण्यजीव, नैगम, वैदेह, सार्थवाह इत्यादि। व्यापार में विनिमय हेतु मुद्रा एवं पण्य दोनों का प्रयोग होता था। जयसिंह एवं कुमारपाल द्वारा स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं के साथ ताम्र-मुद्राओं का भी प्रवर्तन किया गया। अनुमानत मुद्रा का प्रयोग राजाओं द्वारा, राजपरिवार के सदस्यों अधिकारियों, समृद्ध व्यापारियों द्वारा कीमती एवं अधिक मूल्य वाली वस्तुओं के क्रय के निमित्त प्रयुक्त किया जाता था।

शोध आधृत ग्रन्थ में विभिन्न प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख प्राप्त होता है। उनमें तन्तुवाय, सूचिक, वेशकार, छिम्पिकथा इत्यादि शिल्पी थे। इन शिल्पियों का उल्लेख प्रबन्धचिन्तामणि एवं अन्य समसामयिक ग्रन्थों में भी प्राप्त होता है। यद्यपि इनके विषय में कोई बहुत अधिक अच्छी स्थिति का सञ्ज्ञान प्रबन्धचिन्तामणि से नहीं होता है तथापि इन शिल्प-वर्गों के मौजूद होने तथा इनके कार्यों के अनेक विवरणों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन समाज में इन शिल्पियों की स्थिति बेहतर थी। वस्त्र उद्योग, काष्ठ, एवं पाषाण उद्योग, धातु-उद्योग, सुगन्धित पदार्थों का उद्योग, चर्म उद्योग एवं अन्य छोटे उद्योगों के साक्ष्य प्राप्त होने से तत्कालीन समाज में इन शिल्पियों की अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति द्योतित होती है। विभिन्न उद्योगों की अच्छी स्थिति होने के कारण ही इस युग में व्यापार-वाणिज्य की सुदृढ स्थिति जो सम्बद्ध आर्थिक स्थिति का परिचायक है, की जानकारी होती है। इन उद्योगों के व्यवसायी कतिपय वैश्य एवं शूद्र जातियों के अतिरिक्त विभिन्न अन्त्यज जातियों छिम्पिकथा, रत्नपरीक्षक, कास्यकार, वैद्य, कुम्भकार, लौहकार वेशकार इत्यादि। थी। इनके अतिरिक्त लुब्धक, निषाद, चरवाहा, तैलिक, धीवर, तन्तुवाय इत्यादि भी थे।

राजस्व-व्यवस्था सम्बन्धी अनेक प्रसंग प्रबन्धचिन्तामणि में प्राप्त होते हैं। इसमें धनधान्य पर वसूल किया जाने वाला कर, तीर्थयात्रियों से लिया जाने वाला कर इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। भूमिकर, कृषिकर, सिंचाई कर, व्यापारिक वस्तुओं पर लगने वाला कर इत्यादि तत्कालीन राजस्व-व्यवस्था के स्रोत थे। व्यापारिक कर के अन्तर्गत पहले आयात निर्यात, चुगी, शुल्क, हाट्टादिदेय इत्यादि कर थे, परन्तु इस काल में पुराने करों के अतिरिक्त

आगम निगम दान, पथकीयक वणजा रक दान भार्गादिदेय, मार्गणक इत्यादि नवीन कर भी लगाए गए। इन करों की वसूली के लिए अक्षपाटलिक, कोशाध्यक्ष ग्रमपति, पट्टकिल, पथकीयक, भोगपति या भोगिन शौल्किक होते थे। कभी-कभी बेईमान शासको द्वारा अधिक कर लेने का उल्लेख है। आततायी शासको द्वारा सपत्ति हडपने के भी उल्लेख है। मार्ग में निर्दयी शासको द्वारा अधिक कर वसूलने एवं लूट के भय से साधारण व्यक्ति आम रास्ते छोड़ देते थे और जगली रास्तो पर चले जाते थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य में कडाई से नियमों का पालन होता था तथा इस प्रकार समाज में तथा अर्थ-व्यवस्था में सतुलन बना रहता था। प्रबन्धचिन्तामणि में इस प्रकार सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

भारतवर्ष में प्राचीनकाल से ही बहुत से धर्म प्रचलित रहे हैं। हिन्दू धर्म के अन्तर्गत विभिन्न देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। हिन्दू धर्म की जटिलताओं के फलस्वरूप बौद्ध एवं जैन धर्मों का उदय हुआ। साहित्यिक तथा अभिलेखिक प्रमाणों से यह प्रतीत होता है कि ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में राजस्थान, गुजरात तथा मालवा में जैनधर्म लोकप्रिय था। इस धर्म के कई विभाजन एवं उपविभाजन भी हुए। इनमें दिगम्बर तथा श्वेताम्बर प्रमुख थे। कालान्तर में इसका उपविभाजन गणो, कुलो, शाखा तथा गच्छो में हुआ। प्रबन्धचिन्तामणि में विभिन्न राजाओं द्वारा जैन धर्म को राजाश्रय प्रदान करने का उल्लेख प्राप्त होता है। चौलुक्य वंश के राजाओं द्वारा जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त था, जिसकी पुष्टि अन्य साहित्यिक, अभिलेखिक साक्ष्यों से तथा चौलुक्य राजाओं द्वारा निर्मित अनेक मन्दिरों से होती है। यद्यपि ये नरेश जैन धर्मानुयायी थे तथापि वे शैव तथा अन्य धर्म के देवताओं का समान रूप से आदर करते थे। प्रबन्धचिन्तामणि के रचयिता आचार्य मेरुतुङ्ग भी जैन धर्मावलम्बी होने के कारण भी जैन धर्म को प्रस्तुत शोध - आधार ग्रन्थ में महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

आलोच्य ग्रन्थ में शीलगुणसूरि, विमलसूरि, हेमचन्द्र आचार्य, मानतुङ्ग इत्यादि जैन आचार्यों का उल्लेख आया है। चौलुक्यो के अतिरिक्त समकालीन प्रतीहार, चाहमान, चन्देल परमार इत्यादि के वंशों के नरेशों ने भी जैन धर्म से प्रभावित होकर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया तथा उन्हें दान भी दिया। चौलुक्य नरेश कुमारपाल के राज्य में जैन धर्म सर्वाधिक सवर्द्धित एवं प्रतिष्ठित हुआ। इसके अतिरिक्त जयसिंह सिद्धराज, मन्त्री वस्तुपाल एवं तेजपाल के द्वारा भी जैन धर्म के सवर्द्धन में महत्वपूर्ण योगदान मिला। कुमारपाल ने आचार्य हेमचन्द्र से प्रभावित होने के कारण बहुश जैन मन्दिरों, विहारों के निर्माण कराने के अतिरिक्त जीव-हत्या सम्बन्धी निषेध आज्ञा लागू किया।

इसकाल में तीर्थयात्राएँ प्रायः नैतिक उत्थान एवं मानसिक शांति के अतिरिक्त सांसारिक सुख एवं अन्ततः

मोक्ष प्राप्ति के लिए भी राजाओं राजन्मधिकारियो समृद्धो एव जन सामान्यो द्वारा की जाती थी। ग्यरहवीं-बारहवीं शताब्दी में राजस्थान तथा गुजरात क्षेत्र में यह धर्म बहुत फूला-फला। इस क्षेत्र में जैन-धर्म की उन्नति का सम्बन्ध मध्यम वर्गीय वैश्य वणिकों तथा व्यापारियों से था, जिसके दो कारण थे प्रथम यह अहिंसावादी था जिसके व्यापारिक कार्य शांतिपूर्ण ढंग से तथा सुचारु रूप से चलता था द्वितीयत इससे उन्हें तत्कालीन समाज में सम्मान प्राप्त हुआ।

विवेच्यकाल में जैन धर्म में आत्म शुद्धि एवं आध्यात्मिक साधना हेतु व्रत किए जाने के विवरण प्राप्त होते हैं। इनमें अष्टाह्निक पूजा पंचमीव्रत तथा प्रौढोपवास प्रमुख थे। व्रतों के समापन पर जैन भिक्षु एवं भिक्षुणियों को प्रभूत दान दिया करते थे।

सन्दर्भिका

अभिधानचिन्तामणि	हेमचन्द्र अभिधान सग्रह मे भाग II, एन० एस० पी० शक 1818, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी 1964
अग्नि पुराण	ए० एस० एस० पूना, १९००, अनु० एम० एन० दत्त कलकत्ता
अपराजितपृच्छा	भुवनदेव, जी ओ० एस० न० CXIV 1950.
अपरार्क की टीका याज्ञवल्क्य स्मृति पर	ए० एस० एस, 2 भाग, पूना 1903, 1904
आदि पुराण	जिनसेन, २ भाग भारतीय ज्ञानपीठ काशी 1951,
आपस्तम्ब धर्मसूत्र	चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी
कलाविलास	क्षेमेन्द्र, काव्य माला, भाग 1
कर्पूरमञ्जरी	राजशेखर, एडि स्टेन नाओ, हरवर्ड युनिवर्सिटी 1901
कथाकोश प्रकरण	जिनेश्वर सूरि, भारतीय विद्या भवन, बाम्बे 1949
कथासरित्सागर	सोमदेव एन० एस० सी०, शक 1811, अनुवाद टॉनी (द ओशियन ऑफ स्टोरीज) जे सायर लिमिटेड लदन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना (२ वोल्स भाग)
काव्य-मीमासा	राजशेखर जी० ओ० एस
कीर्तिकौमुदी	सोमेश्वर एडि० ए० बी० कथवट, गवर्नमेट सेन्ट्रल बुक डिपोट, बाम्बे, 1883.
कृत्यकल्पतरु	लक्ष्मीधर दानकाण्ड (1941), राजधर्मकाण्ड (1943), गृहस्थकाण्ड (1944), व्यवहारकाण्ड (1953), नियतकलाकाण्ड (1950).
कृषि-पराशर	पराशर, एडि० जी० पी० मजूमदार तथा एस- जी- बनर्जी, बी० आई० कलकत्ता 1960
कुमारपाल चरित	जयसिंह एन० एस० पी०, 1926
कुमारपाल प्रतिबोध	सोमप्रमा जी० ओ० एस० न० XIV. 1920

प्रबन्धकोश	राजशेखर एस जे० जी०, न० 6 1935
प्रभावकचरित	प्रभावचन्द्र सूरि एन० एस० पी०, 1909 सिधी जैन सिरीज, अहमदाबाद, कलकत्ता, 1940
वृहत्कथामञ्जरी	क्षेमेन्द्र काव्य माला 69, 1901
भोजप्रबन्ध	वेलवेडर प्रेस सस्कृत सिरीज, न० 5
महापुराण	जिनसेन
मानसोल्लास	जी० ओ० एस०, 1926 और 1939
मेघातिथि-मनुस्मृति पर टीका	एडि० जी० एन० झा, एसिस्टेंटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1932
मिताक्षरा	विज्ञानेश्वर : एन० एस० पी०, बाम्बे, 1909 एस० बी० एच० सिरीज, इलाहाबाद 1918.
मोहराजपराजय	यशपाल, जी० ओ० एस० न० IX.
युक्तिकल्पतरु	भोज, एडि० ईश्वर चन्द्र शास्त्री, कलकत्ता, 1917.
राजनीतिरत्नाकर	चण्डेश्वर मिश्र एडि० के० पी० जायसवाल, बिहार एण्ड उडीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना, 1924.
राजतरंगिणी	कल्हण एडि० एम० ए० स्टेन, बाम्बे, 1892, आर० एस पडित (द रीवर ऑफ किंग्स) इंडियन प्रेस इलाहाबाद, 1935 एडि० दुर्गा प्रसाद, बाम्बे, 1892-6; पण्डित पुस्तकालय, काशी, 1960.
लीलावती	भास्कराचार्य, एडि० प० राधाल्लम, कलकत्ता 1835.
लेखपद्धति	जी० ओ० एस० 1925, एडि० सी० डी० दलाल तथा जी के० श्रीगोंदेकर, बडौदा, 1925.
वैजयन्ती	यादव प्रकाश एडि० गुस्तव आपर्ट, गवर्नमेंट प्रेस, मद्रा, 1893.
वस्तुपालचरित	जिनहर्षगणि जामनगर भाष्करोदय प्रेस।
विक्रमाकदेव चरित	बिल्हण एडि, जी बूहलर, बाम्बे सस्कृत सिरीज, न० XIV 1875.

वीरमित्रोदय	मित्रमिश्र 4 भाग चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस 1913
विष्णु पुराण	गीता प्रेस गोरखपुर एडि० जे० जॉली, कलकत्ता 1881
हलायुद्धकोश	हलायुध हिन्दी समिति, सूचना विभाग लखनऊ, 1957, 1967
समरइच्छकहा	हरिभद्र सूरि एडि० एच जैकोबी, कलकत्ता, 1926.
समरागणसूत्रधार	भोज, जी० ओ० एस०, न० XXV 1924.
स्मृति-चन्द्रिका	देवण्णमट्ट व्यवहारकाण्ड, एडि० एल० श्री निवासाचार्य, मैसूर, 1914.
स्थविरावली चरित	हेमचन्द्र, जैकोबी,
सुमाषित रत्नकोष	एडि० डी० डी० कोशाम्बी एण्ड वी० वी० गोखले, हरवर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 1957
सुकृतसकीर्तन	अरिसिंह, एडि० चतुर्विजयमुनि, भावनगर 1917.
सुकृत कीर्तिकल्लोलिनी	पुण्यविजय सूरि
त्रिषष्ठिशाला का पुरुष चरित	हेमचन्द्र, श्री जैन आत्मानन्द शताब्दी सिरीज न० VII (1936) तथा VIII (1950)

विदेशी विवरण

इलियट, एच० एम० एण्ड डाउसन,	द हिस्ट्री ऑफ इण्डिया ऐज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियन्स, 11 लदन 1866-77, अलीगढ एडिशन ऑफ वो द विद इंट्रोडक्शन वाई एम० हबीब, अलीगढ, 1952.
साचऊ, ई० सी० युले, सर हेनरी	अल्बेरुनीज इण्डिया, 2 वो०, लदन, 1910. द बुक ऑफ सर मार्कोपोलो, अनु० एण्ड एडि० बाई सर हेनरी युले, 2 वो० लदन 1903, तीसरा एडि० रिवाइज्ड बाई हेनरी कार्डियर 2 वोल्यूमस, लदन, 1920

अभिलेख

भण्डारकर डी० आर०	लिस्ट ऑफ इन्सक्रिप्शन्स ऑफ इण्डिया, अपेडिक्स टू ई० आई० XIX-XXIII
मिराशी, वी० वी०	इसक्रिप्शन्स ऑफ द कल्चुरि-चेदि ईरा, c1 बो0 iv (2भाग)
पीटर्सन, पी०	ए कलेक्शन ऑफ प्राकृत एण्ड सस्कृत इन्सक्रिप्शन्स भावनगर आर्केलजिकल डिपार्टमेट, भाव नगर 1905
सरकार डी० सी०	सेक्ट इन्सक्रिप्शन्स वियरिंग ऑन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड सिविलाइजेशन, वॉ०, 1 कलकत्ता 1942, दूसरा इडि, कलकत्ता, 1965

मुद्रा

कनिधम, ए	कॉइन्स ऑफ मेडीवल इण्डिया फ्राम द सेवेन्थ सेन्चुरी डाउन टू द मुहम्मडन कान्क्वेस्ट, लदन, 1894
गोपाल, एल०	अर्ली मेडिवल कॉइन-टाइप्स ऑफ नार्दन इण्डिया न्यूमिस्मेटिक्स नोट्स एण्ड मोनोग्राफ्स, न० 12
स्मिथ, वी० ए०	कैटेलॉग ऑफ कॉइन्स इन इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता, इन्कलूडिंग द कैबिनेट ऑफ द एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल

सहायक ग्रन्थ

अल्तेकर, ए० एस०	द राष्ट्रकूट, एण्ड देअर टाइम्स, पूना, 1934
उपेन्द्र ठाकुर	कर्षण इन एशयट इण्डिया नई दिल्ली 1979
ओझा, जी० एच०	राजपूताने का इतिहास, खि०.1. अजमेर, 1937.
ओम प्रकाश	फूड एंड ड्रिक्स, सामाजिक तथा आर्थिक इतिहास नयी दिल्ली 1986

क्रुक, डब्लू	ट्राइब्स एण्ड कास्टस ऑफ द नार्द-वेस्टर्न प्राविन्सेज एण्ड अवध, खि II, कलकत्ता, 1896, ए ग्लोसरी ऑफ नार्दन इडियन पीजन्ट लाईफ न्यूयार्क, 1989
काणे, पी० वी०	हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, 5 वोल्यूम्स, भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, 1930
कूजन एच०	द आर्कीटेक्चरल एटीक्यूटीज ऑफ वेस्टर्न इडिया
गोपाल, एल०	द इकोनोमिक लाईफ ऑफ नार्दन इडिया, वाराणसी 1965, द आस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन एश्यट इडिया, वाराणसी 1980
घुर्ये, जी० एस०	कास्ट एण्ड क्लास इन इडिया, दूसरा एडि० बाम्बे, 1957; इडियन कास्टयूम बाम्बे, 1966
घोषाल, यू० एन०	द अग्रेरियन सिस्टम इन एश्येट इडिया, कलकत्ता 1930, कन्ट्रीब्यूशन्स टू द हिस्ट्री ऑफ द हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम, कलकत्ता इडियन हिस्ट्री एण्ड 1929, स्टडीजिन क ल्वर, ओरियन्ट लागमेन्स दूसरा एडि, 1965.
चौहान, कमल	कल्चरल हिस्ट्री ऑफ नार्दन इडिया, दिल्ली 1988
चौधरी, जी० सी०	पालिटिकल हिस्ट्री ऑफ नार्दन इडिया फ्राम जैन सोर्सेज अमृतसर 1963
चौधरी, गुलाब चन्द्र	जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, वाराणसी
जौली, जे०,	हिन्दू लॉ एण्ड कस्टमस, कलकत्ता, 1928.
जैन०, बी० के०	ट्रेड एण्ड ट्रेडर्स इन वेस्टर्न इडिया,
टॉड, जेम्स	राजस्थान, खि. 1 कलकत्ता, 1877; ट्रैवेल्स इन वेस्टर्न इण्डिया, एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1839.
डे०, एन० एल०	ज्यौग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ एश्येट एण्ड मेडीवल इडिया, दिल्ली, 1971 (रू.ख)

त्रिपाठी, आर० एस०	हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, बनारस, 1937
थपलियाल, के० के०	इंडिया इन एण्ड इण्डियन ^{लखनऊ} इतिहास, 1972 ए स्टडी ऑफ गिल्ड्स आर्गनाइजेशन इन नार्दन इंडिया एण्ड वेस्टर्स डकन, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ई०, न्यू एज इन्टरनेशनल लिमिटेड पब्लिशर्स, न्यू देहली०1996
नियोगी, पुष्पा	कन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनेमिक हिस्ट्री ऑफ नार्दन इंडिया कलकत्ता, 1962
फोर्ब्स, ए० के०	रासमाला, लदन, 1856, 1878, 1924
बनर्जी, पी०	ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन टैक्सेशन, लदन, 1930
ब्लण्ट	द कार्ट सिस्टम ऑफ नार्दन इंडिया (विद स्पेशल रिफ्रेन्स टू युनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध), इण्डियन रिप्रिन्ट, एस० चान्द एण्ड कम्पनी दिल्ली 1969.
बोस, ए० एन०	सोशल एण्ड रुरल इकानामी ऑफ नार्दन इण्डिया, वो 11 1945.
ब्यूलर, जी०	लाईफ ऑफ हेमचन्द्र एस० जे० जी०, x, 1936
भाटिया प्रतिपाल	द परमार, मुशीराम मनोहर लाल नई दिल्ली
भट्टाचार्य, बी० सी०	द जैन आइकनोग्राफी
भट्टाचार्य, एच० डी०	द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इण्डिया, वो 111. कलकत्ता 1953. ^{खे} iv. 1956.
मजूमदार, ए० के०	चौलुक्याज ऑफ गुजरात, बाम्बे, 1956
मजूमदार, आर० सी०	कार्पोरेट लाइफ इन एश्यट इंडिया, कलकत्ता, 1922. दिल्ली स्कूलनत, एश्यट इंडिया, मोती लाल बनारसी दास दिल्ली 1977
मजूमदार, बी० पी०	द सोशियो इकोनोमीहिस्ट्री ऑफ नार्दन इंडिया कलकत्ता, 1960.
मजूमदार, एम० आर	कल्चरल हिस्ट्री ऑफ गुजरात, बाम्बे 1965
मुन्शी, के० एम०	गुजरात एण्ड इट्स लिटरेचर, बाम्बे, 1954, स्ट्रुगल फॉर एम्पायर (६-)

मोतीचन्द्र	रामचन्द्र, भारतीय वेशमूषा; साधुवाह, वटना, 1953
मिश्रा, डी० पी०	जैन पुराणो की समीक्षा, हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद
यादव, बी० एन० एस०	सोसाइटी एण्ड कल्चर इन एश्येट इण्डिया इलाहाबाद
राय, पी०सी०	कॉइनेज ऑफ नार्दन इडिया, अभिनव पब्लिकेशन्स, 1980
रे, एच० सी०	डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नार्दन इडिया, 2 वोल्यू० कलकत्ता 1931 एण्ड 1936
सरकार, डी० सी०	लैण्डलॉर्डिज्म एण्ड टीनेन्सी इन एश्येट एण्ड मेडीवल इण्डिया एज रिवील्ड बाई एपिग्रैफिकल रिकार्ड्स लखनऊ, 1969.
सकलिया, एच० डी०	आर्केलाजी ऑफ गुजरात, बाम्बे, 1941.
शर्मा, बी० एन०	सोशल लाईफ इन नार्दन इडिया, दिल्ली 1966
शर्मा, आर० एस०	शूद्राज इन एश्येट इण्डिया मोतीलाल बनारसी दास; भारतीय सामतवाद, पर्सपेक्टिव इन सोशल एण्ड इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ अर्ली इण्डिया नई दिल्ली 1983.
शर्मा, दशरथ	राजस्थान थू द एजेज, राजस्थान 1966
शुक्ला, डी० एन०	उत्तर भारत की राजस्व व्यवस्था एलनगज इलाहाबाद 1984.
हट्टन	कास्ट इन इडिया, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, लदन 1969.
मोनियर विलियम	सस्कृत इगलिश शब्दकोश, ऑक्सफोर्ड 1976
कामिल बुल्के	हिन्दी इगलिश शब्दकोश

जर्नल्स, पीरियाडिकल्स एण्ड रिपोर्ट्स

एनल्स ऑफ द भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट

एपिग्रैफिया इण्डिका

इंडियन एटीक्वैरी

इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली

जैन एटीक्यूरी

जर्नल ऑफ इंडियन हिस्ट्री

जर्नल ऑफ द एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल,

जर्नल ऑफ द बाम्बे हिस्टारिकल सोसाइटी,

जर्नल बाम्बे ब्रान्च ऑफ द रॉयल एसियाटिक सोसाइटी,

आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।

एनुअल रिपोर्ट ऑफ द डाइरेक्टर जनरल ऑफ आर्केलाजी,

बडौदा प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न सर्किल,

प्रोसीडिंग्स एण्ड ट्रान्जेक्शन्स ऑफ द आल इंडिया ओरियट, कान्फ्रेंस,

जर्नल ऑफ द इंडियन हिस्टारिकल रिव्यू